Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का छठा दिवस [संख्या : 4

सोमवार,
28 फरवरी, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 62.

केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं सहकारी भूमि विकास बैंकों के चुनाव

62. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं सहकारी भूमि विकास बैंकों के चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुजान सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, राज्य में 26 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 25 बैंकों के चुनाव करा दिये गये हैं ? केवल भरतपुर बैंक में चुनाव नहीं कराये गये है क्योंकि इस बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए एक पैकेज प्रोग्राम बनाया गया है।

सहकारी भूमि विकास बैंकों के चुनाव इसलिए नहीं कराये गये क्योंकि इन बैंकों का केन्द्रीय सहकारी बैंकों से समामेलन का मामला राज्य सरकार में विचाराधीन चल रहा है जिससे अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण एक ही संस्था द्वारा किसानों को उपलब्ध कराये जा सकें। समामेलन के मामले पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाकर निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जैसा अपने जवाब में कहा कि भरतपुर बैंक का चुनाव कराने के लिए एक पैकेज प्रोग्राम हम आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दे रहे हैं, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि यह पैकेज प्रोग्राम क्या है और 26 में से 25 सहकारी बैंकों के चुनाव हो गये तो राज्य स्तरीय बैंक का चुनाव नहीं कराने का अब तक क्या कारण है ? दूसरा जो इन्होंने कहा भूमि विकास बैंकों के चुनाव कराने में कि हम दोनों बैंकों का समामेलन कर रहे हैं, तो यह राज्य सरकार के पास मामला कब से विचाराधीन

(श्री परसादीलाल मीणा)

है ? सहकारी बैंक के हो गये और भूमि विकास बैंकों के चुनाव नहीं हुए। आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते ? समामेलन करके उनके चुनाव करा दिये और इनके नहीं कराये । या तो दोनों के ही नहीं कराते । समामेलन के मामले का राज्य स्तर पर निर्णय लिया गया था, अध्यक्ष महोदय, कई प्रदेशों में इसको लागू किया परन्तु उन प्रदेशों में इसके फायदे नहीं हुए । अगर दो अलग-अलग बैंक होंगे तो किसानों को उससे एक राहत होगी । किसानों के उसमें प्रतिनिधि पहुंचेंगे और उसमें किसानों की ठीक से सुनवाई होगी ।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न मैं भी भूल जाऊंगा और ये भी भूल जायेंगे ।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह फरमाया है कि भरतपुर बैंक का चुनाव क्यों नहीं करवा सके ।

श्री अध्यक्ष : पहले तो आप यह बताइये कि यह पैकेज प्रोग्राम क्या है ?

श्री सुजानसिंह यादव : पैकेज प्रोग्राम पांच साला प्रोग्राम है । (व्यवधान) साहब मैं बोलूं और बोलने के बाद कोई क्वेरी करें । भरतपुर बैंक राजस्थान के 26 बैंकों में निर्धनतम बैंक था । इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, ऋण देना बन्द कर दिया था । उसके उपरान्त एक मीटिंग का तय करके इस बैंक को पांच करोड़ रुपये मेरे टाइम में मैंने उपलब्ध कराये थे । ढाई करोड़ शीर्षस्थ बैंक से दिलाये, एक करोड़ नाबार्ड से दिलाये और डेढ़ करोड़ राज्य सरकार से दिलाये । इस तरह 5 करोड़ रुपये देकर एक पैकेज प्रोग्राम बनाकर यह तय किया कि प्रशासक रहेगा भरतपुर का जिलाधीश, उसके उपरान्त इसके ऋण वसूली की जाये और ज्यादा कर्मचारी हैं उनकी छंटनी की जाये । इसके बारे में यह पैकेज प्रोग्राम बनाया बैंक को पुनर्जीवित के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, इसके आधार पर भरतपुर बैंक को चालू कराया गया ।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : राज्य स्तरीय बैंक के चुनाव क्यों नहीं कराये ?

श्री अध्यक्ष : वे जवाब दे रहे हैं । पहले आप जवाब सुन लीजिए ।

श्री सुजानसिंह यादव : आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि पैकेज प्रोग्राम क्या है । ऐसे ही बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह तो आपने जवाब दे दिया, समझ में आ गया । आप दूसरा जवाब दे दीजिए वह सहकारी बैंक वाला ।

श्री सुजानसिंह यादव : आपको ज्ञान ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए, जवाब आने दीजिए ।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय दूसरे खण्ड में माननीय सदस्य ने....

Page No.3

श्री परसादी लाल मीणा : पहले खण्ड का ही जवाब दो ।

श्री सुजानसिंह यादव : पहले खण्ड का जवाब तो दे दिया ।

श्री परसादी लाल मीणा : राज्य स्तरीय 25 सहकारी बैंकों के चुनाव हो गये तो राज्य स्तरीय अपेक्स बैंक हैं उनके चुनाव क्यों नहीं कराये ?

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं ।

श्री सुजानसिंह यादव : एक बैंक का चुनाव न होने की वजह से शीर्षस्थ बैंक में भी उनके ही प्रतिनिधि जाते हैं इसके आधार पर यह चुनाव नहीं कराया गया ।

श्री परसादीलाल मीणा : कौन से आधार पर ? एक बैंक के आधार पर ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 25 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव हो गये केवल एक भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के चुनाव नहीं होने से क्या मतदाताओं पर कोई असर पड़ता था या चुनाव में कोई व्यवधान पड़ता था ?

श्री सुजानसिंह यादव : दूसरी बात तो मेरी सुनी ही नहीं । एक बैंक का चुनाव न होने की वजह से दूसरी प्रक्रिया इस बात पर चल रही थी कि सहकारी भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक, इन दोनों का समामेलन करना था, एकीकृत करना था ।

श्री अध्यक्ष : कब से चल रही है ?

श्री सुजानसिंह यादव : यह विचार 1978 के बाद से चल रहा है ।

श्री परसादीलाल मीणा : 1978 के बाद तो चुनाव करा दिये आपने ।

श्री सुजानसिंह यादव : नहीं चुनाव नहीं हुए ।

श्री परसादीलाल मीणा : साहब, आप जवाब दे रहे हैं, 1978 के बाद चुनाव हुए हैं । उसके बाद तो दो बार चुनाव हो गये ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उसके बाद तो सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के 1978 के बाद....

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय इनको जानकारी ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब सुन तो लीजिए आप ।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय बैंक के चुनाव 1973 में हुए थे उसके बाद 1976 से प्रशासक चलते आ रहे हैं । एक पीरियड आया था 81 में मनोनीत अध्यक्ष बना था उसके अनुसार, उसके बाद चुनाव नहीं हुए ।

श्री परसादीलाल मीणा : भूमि विकास बैंकों के चुनाव 81 में हुए हैं ।

श्री सुजानसिंह यादव : सन् 1981 में केवल कुछ अवधि के लिए मनोनयन किया गया था, इसके चुनाव 73 से ही नहीं हुए ।

श्री परसादीलाल मीणा : उसके बाद चुनाव हुए हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं मान रहा हूं मैं जवाब तो दे रहा हूं, मनोनयन हुआ है 81 में, इसके बाद चुनाव नहीं हुए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 81 में चुनाव हुए उसके बाद में....

श्री अध्यक्ष : चुनाव नहीं हुए, ये कह रहे हैं कि मनोनीत हुए थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिला को-आपरेटिव बैंक के चुनाव होने के बाद में मीठा लालजी मेहता उन दिनों में को-आपरेटिव के सैकेट्री थे, इन्होंने अपेक्स बैंक के चुनाव कराने की तारीखें तय कर दी थीं और उसके बाद में चुनाव पोस्टपोन कर दिये गये, इसका क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष : खैर यह देख लेंगे। नैक्स्ट।

अब इसमें वे कह रहे हैं नहीं हुए, आप कह रहे हैं हो गये। आप बैठिये, एक मिनट बैठिये, प्लीज। वे अपने रिकार्ड से कह रहे हैं चुनाव नहीं हुए। 81 में अध्यक्ष मनोनीत किया। आप सुन तो लीजिए पहले।....(व्यवधान)........गुलाब सिंह जी सुनिए। अब सवाल यह है कि चुनाव हुए कि नहीं हुए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : देखिए, चुनाव हुए हैं, हम डायरेक्टर हैं उन बैंकों के....

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, 87 में चुनाव हुए हैं। कैसे नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 25 सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों के चुने हुए चैयरमैन हैं आज की तारीख में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो खुद ही मानते है कि एक बैंक में नहीं हुए, बाकी में हुए हैं। साहब, ये कहते है कि चुनाव हुए ही नहीं, कमाल की बात कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, आप जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं। बैठिये, आपका सवाल नहीं है। आप अपनी आदत से बाज आइये, बैठ जाइये।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। प्रक्रिया अभी चालू थी उसके बीच में महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक आदेश पारित किया कि जब निर्वाचित सरकार आ जायेगी तब विचार किया जायेगा। वह विचार अब हो रहा है। वह विचार चुनाव के लिए हम कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय हिण्डौन के चुनाव आज तक क्यों नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। यह ठीक नहीं है

(श्री अध्यक्ष)

बीच-बीच में खड़े होकर बोलने का । आप, प्लीज, बैठ जाइये ।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि भूमि विकास बैंक को सहकारी बैंक में शामिल करने जा रहे हैं, तो यह कब तक शामिल कर लिया जायेगा या विचाराधीन है ? कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : बता दिया, 78 से ही विचाराधीन है । आप बैठिये । अब आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि विकास बैंक, हिण्डौन के चुनाव पिछले पांच साल से लगातार नहीं हो रहे हैं, इसका क्या कारण है ? दूसरा मेरा निवेदन है, भूमि विकास बैंक, हिण्डौन से 15 लाख का घोटाला हुआ था जिसकी पूर्व में जांच कराई गई थी उसके बारे में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, इस घोटाले के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिए । आप बैठिये, श्री हरजीरामजी ।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : हरजीरामजी का है, पहले यह खड़े हुए थे ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि भरतपुर बैंक के चुनाव इसलिए नहीं कराये गये कि उस बैंक की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और आर्थिक हालत ठीक करने के लिए प्रशासक लगाये गये । तो क्या राज्य सरकार का मानना यह है कि जहां बैंकों में चुना हुआ प्रशासन है वहां तो आर्थिक हालत खराब हो रही है और जहां प्रशासक है वहां की आर्थिक हालत सुधरी है ? पहला प्रश्न ।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जब 25 बैंकों के चुनाव हो गये, उनमें चुने हुए अध्यक्ष आ गये तो सिर्फ एक बैंक के लिए अपेक्स बैंक का चुनाव क्यों टाला गया ? क्या राज्य सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि एक भी बैंक का चुनाव....

श्री अध्यक्ष : यह तो हो चुका ।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं होगा तो अपेक्स बैंक का चुनाव नहीं होगा । यह दोनों प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीरामजी ।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की मूल भावना यह थी कि चुनाव कब कराये जायेंगे, 78 से लटक रहे हैं । इनको एक तो यह बताना चाहिए । एक मैं समझा नहीं कि यह पैकेज क्या है, इसकी हिन्दी ही बता दो ?

श्री सुजानसिंह यादव : बता तो दिया, आपके समझ में नहीं आया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : यह चतुर्सुजान है, आप घासीराम हो, आप इसको नहीं समझ सकते ।

श्री घासीराम यादव : क्या, सुना नहीं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने कहा, यह चतुर्मुजान है, आप घासीराम हो, इसको नहीं समझ सकते ।

श्री घासीराम यादव : हां, मैं जानता हूं यह एल. एल. बी. में दो बार फैल हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : चलो, यह तो माना कि ग्रेजुएट तो हैं यह ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है इसके पीछे मंशा यह थी कि कोआपरेटिव सैक्टर में बहुत लम्बे समय से भूमि विकास बैंकों के चुनाव नहीं हो रहे और उसकी वजह से अपेक्स बैंकों के भी चुनाव नहीं हो रहे । अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति भूमि विकास बैंकों में यह है कि एक-एक ट्रैक्टर की फाइल मंजूर करवाने के लिए, चूंकि वहां प्रशासक बैठे हैं, दस और पन्द्रह हजार के बीच में किसान को देने पड़ रहे हैं । अगर वहां चुने हुए प्रतिनिधि हों तो कम से कम इस बात से उसको छुटकारा मिल जाता । इसलिए हम तो मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वह कब चुनाव करवा रहे हैं, उसकी कोई निश्चित तिथि, महीना, वर्ष कुछ तो अवगत करायें । और एक विषय से थोड़ा अलग हटकर, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, मेरी निजी पीड़ा है, अभी राजस्थान में चार-पांच नये जिले बने हैं, उनका अलग से न तो कोआपरेटिव बैंक है, न उनमें अलग से कोई भूमि विकास बैंक है । जहां कोआपरेटिव बैंक नहीं है और भूमि विकास बैंक नहीं है और जो नये जिलों का सृजन हुआ है उनमें कब तक सरकार भूमि विकास बैंक और कोआपरेटिव बैंक का सृजन करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी ।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया कि जो नये जिले बने हैं उनमें भूमि विकास बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक, इस तरह की कोई संस्था नहीं बना पायी. ऋण राहत के तहत 341 करोड़ रुपये बैंकों ने समायोजित किये, उनको पैसा नहीं मिला, बैंकों की हालत खराब हो गयी, वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपनी तनख्वाह भी कर्मचारियों को देने में लाचार हैं । अब आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह तीन-चार जगह हैं, एक बारां का बैंक है जो कोटा से सम्बन्धित है, दौसा का बैंक जयपुर से सम्बन्धित है, राजसमंद जिले का जो बैंक है वह उदयपुर, से सम्बन्धित है, इन बैंकों, की वित्तीय हालत इस तरह से जर्जर हो चुकी, यह भार उठा नहीं सकते, अपने कर्मचारियों को टाइम पर तनख्वाह नहीं दे सकते, इन बैंकों की हालत सही हो जायेगी, वित्तीय स्थिति सही हो जायेगी तब हम इस पर विचार करेंगे । नीचे के प्रस्ताव कोई इन बैंकों के आज तक आये नहीं हैं कि हमारे यहां बैंक खोले जायें ।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, नये बैंकों के सृजन के सम्बन्ध में मैंने जानकारी चाही है । चार-पांच जिलों में नये बैंकों के सृजन में....

श्री सुजानसिंह यादव : बता तो दिया आपको ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उसमें कहीं कोई कर्मचारियों का अतिरिक्त भार नहीं है । उसमें तो उनको रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी और उसमें कोई अलग से घाटे वाली व्यवस्था की बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मेरी पीड़ा मैं आपसे निवेदन करूं मैं दौसा जिले से हूं, मेरा अन्तिम छोर का जो गांव है दौसा जिले का, महुआ तहसील का, वह जयपुर के भूमि विकास बैंक से 165 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, अध्यक्ष महोदय, एक फाइल के लिए एक किसान 165 किलोमीटर दूर चलकर आये तो इतना तो उसका खर्चा हो जाता है । तो नये बैंकों के सृजन के सम्बन्ध में मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूं ।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया, बैंकों की हालत खराब है, वहां बैंक खोले जायेंगे तो उसके आधार पर खर्चा बढ़ेगा, आज खर्चा नहीं है, काम तो कोई रुक नहीं रहा है उनका इन बैंकों से एफीलियेशन है, जैसे जयपुर बैंक से दौसा का, तो काम तो इनका रुकेगा नहीं । जो पैसा 341 करोड़ रुपया ऋण राहत के तहत आ जायेगा, विचार करेंगे आपकी उस बात पर ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे दो प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, अध्यक्ष महोदय । भूमि विकास बैंक, हिण्डौन के चुनाव कब होंगे और जो घोटाला हुआ है उसकी जांच चल रही है उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ? दो उत्तर दें, साहब मेरे ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । घोटाले का सवाल थोड़े ही है यह, चुनावों का सवाल है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : भूमि विकास बैंक, हिण्डौन के चुनाव कब होंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये भी । घोटाले का सवाल नहीं है, चुनावों का है ।

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य का तो एक प्रश्न अपने विधान सभा क्षेत्र का ही रहता है बार-बार, और कहीं राजस्थान के सम्बन्ध में कोई बात नहीं है, कोई सोच ही नहीं है राजस्थान के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : वह तो अब स्वाभाविक है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्षेत्र के लिए भेजा है मुझे, साहब । आप जवाब दीजिए । यह कोई जवाब नहीं है कि क्षेत्र का आप प्रश्न पूछते हैं । मैं अपने क्षेत्र का कुछ नहीं पूछूंगा तो और कहां का पूछूंगा ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, रामनारायणजी चौधरी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : चुनाव कब होंगे भूमि विकास बैंक, हिण्डौन के ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, चौधरीजी बोल रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : हिण्डौन का

(श्री रामस्वरूप मीणा)

थोड़े ही बोल रहे हैं, साहब, वह दूसरी जगह का बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता का आशय यह था कि भूमि विकास बैंक के चुनाव कब होंगे। माननीय मंत्रीजी ने समामेलन के नाम पर इसका उत्तर पूरे तरीके से टाल दिया। मैं जानना चाहता हूं कि समामेलन कैसे होगा? 25 सहकारी बैंकों के चुनाव होकर वहां निर्वाचित अध्यक्ष काम कर रहे हैं और इधर आपके प्रशासक काम कर रहे हैं, तो समामेलन कैसे होगा इनका? किसी भी सूरत में सम्भव नहीं है। आप कैसे इसको सम्भव बनायेंगे, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष : यह तो 78 से सोच रहे हैं। आप अभी तय करना चाहें तो कैसे होगा, टाइम तो लगेगा ही।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह विचार 1978 से है। तत्कालीन मन्त्री मण्डल ने भी विचार किया, माननीय सदस्य, जिन्होंने प्रश्न पूछा, ने भी विचार किया और उसके उपरान्त इसका कोई फैसला नहीं हो पाया। अब यह फैसला इस आधार पर जल्दी से जल्दी लिया जा रहा है, मेरे स्तर पर लिया जा रहा है, अधिकारियों से बार-बार मीटिंग की है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी कैसे निपटाया जाये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री दयाराम परमार।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब आप उनका जवाब सुन लीजिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, एक बात के लिए तो मैं ताईद करता हूं आपके माध्यम से कि मन्त्री महोदय ने पब्लिकली यह स्वीकार कर लिया कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है....

श्री अध्यक्ष : छोड़िये, अब आप, बैठिये। बैठिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इस बात के लिए तो मैं ताईद करता हूं, दाद देता हूं।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह भी बात मैं पहले कह देता हूं....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है यह। आप बैठियें, बैठिये।

श्री सुजानसिंह यादव : नहीं, यह माननीय सदस्य भी जानते हैं इस बात को तो। माननीय सदस्य भी जानते हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय सदस्य को यह पीड़ा है, मुख्य मंत्रीजी से कह कर इनका विभाग बदलवा दें।

श्री अध्यक्ष : जो बात मौगम में है उसको मोगम में ही रखिये। बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : बीस लाख का साहब, थोड़ा-बहुत घोटाला नहीं है, बीस लाख....

श्री परसादीलाल मीणा : इनका विभाग बदलवा दो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री दयाराम परमार।

ग्राम कारवी व जडोला (खैरवाड़ा) का गुजरात राज्य से भूमि विवाद

63. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम कारवी व जडोला आदि के पास गुजरात राज्य का सीमा विवाद है ? यदि हां, तो यह विवाद कब से हुआ है और अब तक सरकार की ओर से विवाद को सुलझाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

(2) क्या-यह सही है कि जब कभी भी दोनों राज्यों की जनता के बीच तनाव पैदा हो जाता है तो अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और बाद में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए यह विवाद आज तक बना हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में जो रिकार्ड उपलब्ध है उसके आधार पर विवादास्पद भूमि गुजरात राज्य के हक में निकलती है ? यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : खैरवाड़ा तहसील के गांव कातरवास (गतराली, काटवी आदि) (राजस्थान) तथा गुजरात राज्य के गांव नैलवा (डागला, कैलवा आदि) के मध्य सीमा विवाद है। यह विवाद स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व वर्ष 1882 के पूर्व का है। उक्त विवाद का हल करने के लिए दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के जिला कलक्टरों, उदयपुर (राजस्थान) एवं साबरकांठा (गुजरात) की समिति बनाई गयी है। समिति द्वारा समय-समय पर सीमा चिन्ह, सर्वेक्षण आदि कार्य किया गया है।

(2) जब कभी दोनों राज्यों की जनता के बीच तनाव पैदा हो जाता है तो कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। इस बारे में विचार-विमर्श कर समाधान के प्रयास किये जाते रहे हैं किन्तु यह विवाद जनता के सहयोग के बिना हल नहीं हो सकता। मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) स्वतन्त्रता से पूर्व ही रियासत काल के कुछ दस्तावेजी साक्ष्य गुजरात राज्य द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु उत्तर के भाग एक में अंकित समिति की बैठक में विवादग्रस्त भूमि के हक का मामला विचाराधीन है।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि खुटियाट एग्रीमेंट क्या है, कब हुआ था और कहां हुआ था और किस स्तर के अधिकारियों के बीच में हुआ था ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 30-11-61 से यह समिति दोनों कलक्टरों की बनी हुई है, उसके बाद में समय-सयम पर विचार-विमर्श होता रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप किसे एग्रीमेंट की पूछ रहे हैं, 1882 के एग्रीमेंट की पूछ रहे हैं ?

श्री दयाराम परमार : नहीं-नहीं, सर, इसके बाद में हुआ है। खुटियाट एग्रीमेंट तो बाद का है, यह तो 1882 में तो सर्वे आफ इण्डिया का पहले हुआ था....

श्री अध्यक्ष : किस के बीच में एग्रीमेंट, गुजरात और राजस्थान के बीच में ?

श्री दयाराम परमार : गुजरात और राजस्थान के बीच मे । यह जो समिति बनी हुई है इस समिति में....

श्री अध्यक्ष : कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है गुजरात और राजस्थान के बीच में ?

श्री गंगाराम चौधरी : 26-10-68 की बैठक में विचार-विमर्श कर कुछ बातें तय की थीं, अध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार निशान लगाने की कार्यवाही जब शुरू की गयी तो दोनों तरफ से जनता ने विवाद कर दिया । इस कारण कोई सात के करीब निशान लगाये गये और उसके बाद में निशान लगाये नहीं जा सके । इस क्षेत्र में 1980 में हमारी राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने कुछ काश्तकारों के नाजायज कब्जे को नियमित कर दिया । उसका कुछ भाग उस एग्रीमेंट के हिसाब से गुजरात की तरफ जाता है । इसमें हमारे आदमी एतराज करते हैं । अधिकांश क्षेत्रों में वन भूमि है । तो अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के लोगों में इस वन के उपयोग के लिए तनाव चलता रहता है और अभी पूर्णतः यह विवाद तय नहीं हो पाया है और विचार-विमर्श चल रहा है ।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन कलक्टर्स की एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में कलेक्टर्स तो मौजूद नहीं थे, राजस्थान के एस. पी. ओ. थे, गुजरात साइड के कलक्टर थे उन्होंने बैठकर एक समझौता किया और उसको खुटियाट एग्रीमेण्ट नाम दिया गया । उस खुटियाट एग्रीमेण्ट के अनुसार उन्होंने राजस्थान की पैमाइश की, जहां राजस्थान की सीमा का सर्वे है वहां एक इटरी पहाड़ है, उसके पानी के इस तरफ तो राजस्थान को दे दिया, दूसरे पानी के उस ढाल पर दे दिया गुजरात को । जो विवादास्पद भूमि है उस भूमि का कोई फैसला नहीं हुआ । उस समझौते के बाद गुजरात के लोग हमेशा कहते हैं, हमारा समझौता हो करके यह जमीन थी जो हमको मिल गयी है । उस समझौते को आगे करके वह हमेशा राजस्थान के अधिकारियों को डरा देते हैं, राजस्थान की जनता को डरा देते हैं जबकि वह जो समझौता किया, वह वेलिड नहीं था ।

श्री अध्यक्ष : आपको मन्त्री से ज्यादा मालूम है, फिर क्यों पूछ रहे हैं आप ? आपको ज्यादा पता है वहां का ।

श्री दयाराम परमार : सर, मंत्रीजी को जो जानकारी अधिकारियों ने दी है....

श्री अध्यक्ष : हां, इसलिए । मगर आपको तो प्रत्यक्ष जानकारी है सारी । वह मामला जनता का है कभी वह कब्जा करते हैं, कभी वह करते हैं ।

श्री दयाराम परमार : हमारे राजस्थान के 12 आदमी उस जमीन के अन्दर बसे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सरकार से क्या चाहते हैं ?

श्री दयाराम परमार : मैं यह चाहता हूं कि वह विवादास्पद जो भूमि है हमारे पास में, उसको अपने पास लेने के लिए कोई डाकूमेंट नहीं है। 1882 का सर्वे आफ इण्डिया का जो नक्शा है, उसकी हमारे अधिकारियों से समय-समय पर जनता ने मांग की, हमने कहा कि उस नक्शे को लाओ, तो अधिकारी कहते हैं कि फारेस्ट डिपार्टमेण्ट के पास होगा, कलक्टर कहता है हमारे पास नहीं है....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, यह।

श्री दयाराम परमार : इस तरह से हम हमारे सबूत जुटाने में असमर्थ रहे हैं। गुजरात के अधिकारी जो रिटायर्ड हैं, शुरू से पैरवी करते हैं, पैरवी करवा कर वह जमीन को हड़प लेना चाहते हैं इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से और मंत्रीजी से यह दरख्वास्त करूंगा कि उसमें मुस्तैदी से पैरवी की जाये और पैरवी करके जहां हमारे आदमी बसे हुए हैं, उस जमीन को किसी भी तरह से आपस में समझौता करके लेना है। अगर पूरी नहीं मिलती है तो उसमें आधी बीच में....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है। आप पैरवी करके राजस्थान में रखिए।

श्री दयाराम परमार : उसका सैटलमेंट अभी तक नहीं हुआ है। वहां पर न अमीन जा सकता है, न पटवारी जा सकता है। अगर उनको भेजते हैं तो हम विरोध करते हैं, हमारा अमीन जाता हैं, सर्वे करने तो वे विरोध करते हैं। इसलिए हमारे अधिकारी वहां पर पैरवी करने में असमर्थ हैं, तो मैं सरकार से चाहूंगा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें, आपस में वहां दोनों तरफ की जनता को बैठा करके उसका समझौता करके फैसला कर लें। वरना एक दिन ऐसा आ सकता है कि हम दोनों प्रान्तों के लोगों को आपस में लड़कर मरना पड़ेगा। अगर हमारी सरकार ने और हमारे अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो यही दिन आयेगा, इसलिए सरकार उस पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। मंत्रीजी, आप इस पर जरा जोर से....

श्री दयाराम परमार : मंत्रीजी, आप आश्वासन दें। आप, मंत्रीजी....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट सवाल। श्री तैयब हुसैन।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसी ढीलेपन से आप जमीन गंवा देंगे, मंत्री महोदय राजस्थान पीछे रहे और गुजरात खा जावे, फिर आप क्या मंत्री हैं ? आपको खुद मौके पर जा करके कलक्टर को साथ ले करके कब्जा करना चाहिए और गुजरात को पीछे हटाना चाहिए।

श्री गंगाराम चौधरी : 1961 से लेकर

(श्री गंगाराम चौधरी)

1990 तक आपने क्या काम कर लिया, बता दें ? हम तो कर ही रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे सामने यह प्राब्लम आयी नहीं थी उस वक्त । यह प्राब्लम आयी होती तो हम उसका फैसला कर लेते ।

श्री गंगाराम चौधरी : यह माननीय सदस्य से पूछिये कि प्राब्लम आयी या नहीं आयी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : इनको तो प्राब्लम का पता ही नहीं था और अभी भी कश्मीर और बांग्लादेश का पता ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा विराजिए । माननीय मंत्रीजी ।

कामां क्षेत्र के ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

64. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कामां विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्राम ऐसे हैं जिनमें अभी तक प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है ?

(2) क्या सरकार इन सभी ग्रामों में इसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, पंचायती राज (श्री नाथूसिंह) : (1) कामां विधान सभा क्षेत्र में 34 ग्राम हैं जिनमें अभी तक प्राथमिक विद्यालय नहीं है ।

(2) जी नहीं । इन ग्रामों में से वित्तीय वर्ष 94–95 में उन गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का विचार है जिनकी 1991 की जनगणना अनुसार 250 या अधिक आबादी है ।

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मेवात क्षेत्र में लिट्रेसी काफी कम रही है, वहां स्कूलों की जरूरत ज्यादा है और माननीय मंत्रीजी हाल ही में हो करके आये हैं, कामां क्षेत्र में कोई 12 स्कूल हैं और 2 नगर क्षेत्र में जो चल रहे थे उन्हें बन्द कर दिया गया, तो बन्द क्यों कर दिया गया, इसकी क्या वजह है ? क्योंकि हमारे भरतपुर जिले में तो साक्षरता अभियान चला हुआ है, उनको बन्द करने की आप वजह बतायें ?

श्री नाथूसिंह : मेरी जानकारी में नहीं है कि स्कूल जो चल रहे हों, बन्द कर दिये गये हों । आप मुझे जानकारी दे दीजिए, जानकारी करके बता दूंगा ।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वहां भवन बने हुए हैं । राजस्थान में बी.जे.पी. की गवर्नमेंट आते ही 1990 में 6 हजार, जो गावों में स्कूल चल रहे थे उनको बन्द किया । वहां पर भवन है, वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर छात्र थे उनको हटा दिया । क्या आप जहां पर पर भवन बने हुए हैं वहां पर विद्यालय खोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : शिक्षा के लिए आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा केन्द्रों की बात कर रहे हैं ?

श्री परसादी लाल मीणा : स्कूलों की बात नहीं है ।........(व्यवधान) आप जांच करवा लें । छात्रों को वहां से छोड़कर दूसरे विद्यालयों में जाना पड़ा और आप कह रहे हैं कि स्कूल बन्द नहीं किये ।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, बच्चे पढ़ते हैं, वह विद्यालय है ।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी को पता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को पता नहीं है ना ? तो पता कर लेंगे ।

एक माननीय सदस्य : एक सप्लीमेण्ट्री और ।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा नहीं तो आप सप्लीमेण्ट्री क्यों कर रहे हैं ?

श्री तैयब हुसैन : तो मैं अलग से इसकी जानकारी दे दूंगा अपनी । दूसरी बात यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ स्कूल इन्टीरियर्स में हैं वहां टीचर्स नहीं जाते हैं, जाते हैं तो बहुत लेट जाते हैं, कुछ स्कूलों में स्टूडेन्ट्स की संख्या ज्यादा है टीचर्स कम हैं, तो टीचर्स वक्त पर जाये और नार्म्स की जरूरत पूरी हो जाये इसकी बाबत मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा, कब तक इसका इन्जाम कर देंगे ?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य 6 हजार की बात कर रहे हैं, वह रेगूलर स्कूल नहीं थे, वह शिक्षा केन्द्र खोले गये थे, 1988–89 में.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कैसे बोल रहे हैं रेगूलर नहीं थे ? गलत बयानी नहीं करें हाउस में........(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आप जवाब दीजिए, तैयब हुसैनजी का । किसका जवाब दे रहे हैं ? उन्होंने जो पूछा है, उन्होंने एक सिम्पल बात कही है, आप उन्हीं की बात का जवाब दीजिए ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि कोई स्कूल इस तरह के बन्द नहीं किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, वह यह कह रहे हैं कि स्कूल....आपने सवाल सुना वह ?

श्री नाथूसिंह : हां, अध्यापकों का मामला है ।

श्री अध्यक्ष : आप उसी का जवाब दीजिये । अध्यापकों का मामला है, अध्यापकों के लिए कह रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : मैं आ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ।

एक माननीय सदस्य : राजनैतिक भाषा....

Page No.14

श्री नाथूसिह : नहीं-नहीं, राजनैतिक भाषा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने अध्यापकों के लिए यह व्यवस्था की है, आज तक जनरली यह शिकायत आयी है कि गांवों के अन्दर अध्यापक समय पर नहीं पहुंचते हैं, समय पर जाते हैं, तो पढ़ाते नहीं है। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, कि अध्यापक स्कूलों में आयें, गांवों में इस तरह की समितियां बनाने पर विचार कर रहे हैं जो इस बात को देखे कि अध्यापक प्रापर टाइम पर स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते है या नहीं पढ़ाते हैं। यह मैं सुधार कर रहा हूं। यह तो व्यवस्था पहले की खराब है। मैं तो सुधार कर रहा हूं। इसका मैं सुधार कर रहा हूं।

श्री तैयब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी बात रह गयी। जहां पर छात्र ज्यादा हैं....

श्री अध्यक्ष : एक और रह गया कि जहां विद्यार्थी....

श्री तैयब हुसैन : जहां पर छात्र ज्यादा हैं और टीचर्स कम हैं उसकी व्यवस्था कब तक कर देंगे ?... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका सवाल नहीं है, आपका सवाल है। सवाल आपका है, आप जो पूछें वह बताना है।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो अन्य स्टेण्डर्ड, फार्मूले हैं, उसके हिसाब से लगभग 2200 अध्यापकों की कमी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस कमी को दूर किया जाये।

श्री परसादीलाल मीणा : कितने लड़कों पर एक अध्यापक है, नार्म्स क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न से प्रश्न मत निकालिए।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : इस मामले पर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

निजी ट्रेवल एजेन्सीज द्वारा अनियमित यात्रा सेवा

65. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के बड़े शहरों तथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा बीकानेर, में प्राइवेट बसें द्वारा डेली लम्बी दूरी की नियमित यात्रा सेवाओं के कार्यालय खुले आम खुले हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन ट्रेवल एजेन्सीज के नाम से और उनके मालिक कौन-कौन हैं तथा प्रत्येक ट्रेवल एजेन्सी के पास कितनी-कितनी बसें हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन ट्रेवल एजेन्सियों के माध्यम से यात्रा करने वालों के लिए कान्ट्रेक्ट कैरिज भ्रमण का बस परमिट सदैव यातायात विभाग से प्राप्त करना होता है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इन प्राइ-

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

वेट बसों को जो परमिट दिये जाते हैं वे एक व्यक्ति या समूह द्वारा कान्ट्रेक्ट पर पूरी बस लेने के होते हैं न कि एक-एक पैसेन्जर से अलग-अलग किराये के?

(4) यह ट्रेवल एजेन्सियां एक-एक यात्री को गंतव्य स्थान पर किस हैसियत से ले जाती हैं? विभाग इन अवैध वाहनों को रोकने में क्यों असफल रहा है?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व कुमार): (1) जी हां। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 93 सहपठित राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5:73 के अन्तर्गत ट्रेवल एजेन्ट्स को लाइसेन्स दिये जाने का प्रावधान है तथा परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न शहरों में ट्रेवल एजेन्ट्स के लाइसेन्स जारी किये गये हैं। लाइसेन्सधारी ट्रेवल एजेन्सियों, उनके मालिकों का नाम आदि का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(2) जी हां। वाहन स्वामी द्वारा कान्ट्रेक्ट कैरिज का परमिट भ्रमण हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87, 88 के अन्तर्गत यातायात विभाग से प्राप्त किया जाता है। सम्बन्धित प्रावधानों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-"ख")

(3) जी हां। वाहन स्वामी को एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा वाहन को कान्ट्रेक्ट के आधार पर परमिट दिये जाने का प्रावधान है। ऐसे कान्ट्रेक्ट कैरिज के अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत यात्रियों से अलग-अलग किराया लिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(4) ट्रेवल एजेन्सी अथवा अन्य परमिट धारी द्वारा यात्रियों को कान्ट्रेक्ट कैरिज परमिट के आधार पर, जो एक निश्चित गन्तव्य स्थान के लिए यात्रियों की अनुमोदित सूची पर जारी किये जाते हैं, ले जाया जा सकता है। वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिये विभाग सतत् प्रयत्नशील है। विभाग द्वारा वाहनों के अवैध संचालन की रोकथाम हेतु समय-समय पर चैकिंग की जाती है। चैकिंग के दौरान वाहनों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में (जनवरी, 94 तक) ऐसे वाहनों के 2609 चालान बनाये जाकर 34.20 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर: मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, उन्होंने भी कभी रेलवे स्टेशन से चांदपोल गेट तक यात्रा की होगी, यह जो सूची आपने ट्रेवल एजेन्टस की दी है इसमें केवल एक ट्रेवल एजेन्ट पूरे जयपुर में आपने बताया है जबकि इस एक रोड पर कम से एक हजार ट्रेवल एजेन्सियां हैं, पहले तो जो आपने ट्रेवल एजेन्ट्स की लिस्ट दी है यह अधूरी है, आप स्वयं इसको चैक करें।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि इन एजेन्ट्स को जो आपने लाइसेंस दिये हैं उनकी क्या शर्तें हैं? क्या कभी आपके विभाग ने इस बात की चैकिंग की कि यह ट्रेवल एजेन्सियां उन लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं?

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

तीसरा, आपने बताया कि हम कानून के अनुसार ही परमिट जारी करते हैं । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं सैण्ट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के रूल 85, सब क्लाज-4 और सब क्लाज-9 की ओर । इसके तहत यह दिया हुआ है कि कोई भी आल इण्डिया परमिट टूरिस्ट विभाग के द्वारा प्रचालित करने पर ही वह बस ले जा सकता है । यह शर्त नम्बर चार है । शर्त नम्बर 9 है कि वह बस एक स्टेट कैरिज बस के रूप में काम नहीं करेगी । अब यह जो बसें चल रही हैं ट्रेवल एजेन्सियों के मार्फत, यह सारी बसें इन दोनों कानूनों का उल्लंघन करके चल रही हैं । इनके उल्लंघन करने के ऊपर जो कार्यवाही विभाग को करनी चाहिए । वह कार्यवाही विभाग नहीं कर रहा है । इस वजह से धड़ल्ले से यह काम हो रहा है । इससे गवर्नमेंट को अरबों रुपये को नुकसान हो रहा है ।

चौथा सवाल, अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से स्टेट कैरिज परमिट दिये जाते हैं उनमें यह शर्त है कि वह राष्ट्रीयकृत मार्गों पर नहीं चलेंगे, आपको भी जानकारी है क्योंकि आप भी इस विभाग से शुरू-शुरू में सम्बन्धित रहे हैं, नहीं चलेंगे, लेकिन यह डेली परमिट लेकर इन गाड़ियों को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर इन एजेन्सियों के मार्फत चला रहे हैं । यह चीजें आपके सामने हो रही हैं, कानून का उल्लंघन हो रहा है और विभाग या तो किसी हाईकोर्ट के स्टे के आधार पर या अपनी अकर्मण्यता के आधार पर इन चीजों को नहीं कर पा रहा है ।

जो सबसे पीड़ा की बात है वह यह है कि इसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि यह बसें या यह एजेन्सी केवल कान्ट्रेक्ट के ऊपर काम करेगी यानि कि पूरी बस लेकर आप जा सकते हैं, यह नहीं कि यहां आपने दुकान खोल दी और एक-एक आदमी को, मैं उदयपुर जाना चाहता हूं एक टिकट दे दिया, मैं अजमेर जाना चाहता हूं एक टिकट दे दिया । इस तरह से यह बसें बिलकुल नहीं चल सकतीं । लेकिन चल रही हैं और उसके कारण से जो करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है राजस्व का, उसको भी आप ध्यान में रखें । जो पैसेंजर टैक्स रोडवेज दे रही है आपको और यह बसें दे रही हैं, जिनकी संख्या करीब आठ गुना ज्यादा है इनसे जो राजस्व प्राप्त हो रहा है और आपकी रोडवेज से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वह ज्यादा है जबकि बसों की संख्या प्राइवेट की ज्यादा है ।

इस सम्बन्ध में मैंने जो प्रश्न पूछे हैं आप इनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं एक आदमी को जो दुकान पर बैठकर टिकट काटते हैं उसको रोकने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? बाकी जो मैंने बताया है इन नियमों के तहत जो कार्यवाही होनी चाहिए वह कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ? उस सम्बन्ध में आप मेरे पांच प्रश्नों का जवाब दे दें ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरीबाजार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा....

श्री अध्यक्ष : आप पहले इनका जवाब दे दें । इतना बड़ा सवाल है यह, कि मुझे समझने में भी कठिनाई हो रही है ।

Page No.17

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, रूल्स में यह प्रावधान है कि ट्रेवल एजेन्ट्स के लिए सप्लाई करना पड़ता है। ग्रभी तक एक ही ट्रेवल एजेन्ट ने सप्लाई किया जिसको हमने नियमानुसार जयपुर में लाइसेंस जारी किया है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं दिया है ग्रौर चला रहे हैं ग्रपनी दुकान। उसमें ग्राप क्या कर रहे हैं?

श्री रोहिताश्व कुमार : ग्राप मेरी बात सुनिए। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि ट्रेवल एजेन्ट्स कई प्रकार के होते हैं। बोर्ड जैसे लगे हुए हैं, ट्रेवल एजेन्ट्स एयर ट्रेवल के लिए भी होते हैं। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, हम गम्भीरता से इसकी जांच कर रहे हैं। पहले भी यह प्रश्न ग्राया है। सचमुच यह जो ट्रेवल एजेन्ट्स बोर्ड लगाकर बैठे हैं....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ग्रध्यक्ष महोदय, पहले तो जवाब दिया कि कोई इस तरह के ट्रेवल एजेन्ट हैं ही नहीं। पहले तो एक भी नहीं था। हमारे यहां तो नियम ही नहीं है कि इस तरह के ट्रेवल एजेन्ट्स का रजिस्ट्रेशन करें। पहले का जवाब ग्रापने पढ़ा होगा। मुझे जवाब दिया है कि इस तरह की कोई हमारे पास सूची ही नहीं है, न हमारे पास कोई नियम है।

श्री रोहिताश्व कुमार : नहीं, हमने लिखा है, सूची संलग्न है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ग्रभी लिखा है। पहले वाला ? (व्यवधान)....

श्री ग्रध्यक्ष : पहले वाले में यह थोड़े ही थे मन्त्री। कोई ग्रौर होंगे....(व्यवधान) ग्रार्डर प्लीज, सुनिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : पूर्व में भी यह प्रश्न ग्राया, ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी और ग्रब मैं इसकी जानकारी रखूंगा। पीछे क्या प्रश्न आया ग्राप मुझे समय दे देंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : पोस्टपोन करवा दीजिये।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप सुन तो लीजिए पहले।

श्री रोहिताश्व कुमार : मेरे से पहले प्रश्न ग्राया होगा (व्यवधान) उसका हालांकि मैं जवाब दूंगा....(व्यवधान) एक-एक करके बोलें तो....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप इधर देखिये। मेरी तरफ देखिये। बोलिये।

श्री रोहिताश्व कुमार : दूसरा, ग्रध्यक्ष महोदय, नियमों में यह प्रावधान है कि ग्राथोराइज्ड ट्रेवल एजेन्ट्स ही काम करें। जो ग्राथोराइज्ड नहीं हैं उसके खिलाफ जुर्माना ग्रौर सजा का भी नियमों में प्रावधान है। हम उसकी जांच करवा रहे हैं ग्रौर बड़े कारगर कदम उठायेंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनको नोट कर लीजिए, जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाये।

श्री रोहिताश्व कुमार : हां, उनको मैं नोट कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : बोलिये न आप ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो आप मंत्रियों को निर्देशित करिये जो डिपार्टमेण्ट जवाब बना कर दे देता है वह यहां पर पढ़ देते हैं । जयपुर शहर में पोलोविक्ट्री के आस-पास सरेआम चाकुओं के जरिये वीडियो कोच चल रही हैं और आप यह जवाब दे रहे हैं कि एक ही ट्रेवल एजेन्सी है । आपको कम से कम यह जानकारी होनी चाहिए, राजस्थान के किसी कोने का क्वेश्चन हो और विभाग जवाब दे और आप विभाग जवाब दें और आप विभाग का लिखा हुआ पढ़ दें तो समझ में आता है, जयपुर शहर राजस्थान की सावधानी है, नाक के नीचे बसें चल रही हैं,....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री कालीचरण सराफ : अवैध चल रही हैं, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रही हैं । मेरा सवाल यह है कि यह चौथे यातायात मंत्री हैं....

श्री अध्यक्ष : आप मेरे सामने बोलिये, उधर मत बोलिये ।

श्री कालीचरण सराफ : जो हर बार यह कहते हैं कि....

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय आप माननीय सदस्य को रोकिये, हमारे आदमी को ऐसे क्यों डाट रहे हैं........ (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : मैं डांट नहीं रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी तरफ देख कर बोलिये ।

श्री कालीचरण सराफ : हर वार, साहब, यह जवाब मिलता है कि हम....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ? सवाल पूछिये ।

श्री कालीचरण सराफ : इसके लिए क्या कारगर कार्यवाही हो रही है और यह कैसे अवैध वीडियो कोचेज का संचालन रुकेगा इसके बारे में बताइये ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।... (व्यवधान)... वह बोल रहे हैं, आप बीच में खड़े हो जाते हैं ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि बहुत सारी ट्रेवलिंग एजेंसीज चल रही हैं और वह गलत चल रही हैं, इल्लीगल चल रही हैं । मेरा तो यही कहना है कि आप व्यवस्था करके यह जो टैक्स की चोरी हो रही है इस पर खुला अलाउ करें तो सरकार को बहुत सारा पैसा मिल सकता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर कोई व्यवस्था करें क्योंकि टूरिस्ट तो चलेंगे और आप से....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आ रहा हूं, सर, थोड़ा-सा यह भी तो लैक्चर दिया था उन्होंने....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप सवाल पूछिये ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं यह कहता हूं कि आप जितना जल्दी से जल्दी इनको

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

लीगल करने के लिए और सरकार को टैक्स लेने के लिए व्यवस्था करेंगे....

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय जब हम संतुष्ट हैं, शासन सतुष्ट है तो फिर क्या बाकी रह गया....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट किशन गोपाल कोगटा।

अजमेर जिले में वर्ष 1992–93 में खाद्यान्न वितरण

66. **श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :** क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में नवम्बर, 1992-93 तक प्रतिमाह कितना-कितना अनाज पी. डी. एस. के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है ?

(2) आवंटित अनाज प्रति व्यक्ति प्रतिमाह कितना किलोग्राम वितरित किया गया ? क्या इस प्रकार वितरित अनाज प्रति व्यक्ति के लिए पर्याप्त है ?

(3) क्या सरकार अनाजों के महंगे भावों को देखते हुए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दस किलोग्राम अनाज उपलब्ध करने अथवा अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को अनाज अनुदान उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या अनाज के अलावा इस क्षेत्र में कुछ और आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और क्या-क्या ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री रामप्रताप) : (1) अजमेर जिले को नवम्बर, 1992 से नवम्बर, 1993 तक प्रतिमाह पी. डी. एस. के तहत उपलब्ध कराये गये अनाज का विवरण संलग्न है।

(2) अजमेर जिले में माह नवम्बर, 1992 से नवम्बर, 1993 तक गेहूं 10 किलो प्रति व्यक्ति एवं चावल 6 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह की दर से वितरित किया गया। वितरित अनाज प्रति व्यक्ति के लिये सामान्यतया पर्याप्त है।

(3) पी. डी. एस. के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अनाज की मात्रा केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन पर निर्भर है। केन्द्र सरकार से अधिक आवंटन प्राप्त होने पर अधिक अनाज उपलब्ध कराया जा सकता है। अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को अनाज अनुदान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव खाद्य विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(4) अनाज के अलावा अजमेर जिले में चीनी, केरोसीन, चाय, नमक, साबुन का वितरण भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कराया जाता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री किशन गोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

यह बताया कि 10 किलो गेहूं प्रतिमाह वितरित किया जा रहा है, यह वास्तव में जो सूचना आपको मिली है वह गलत है। मैं आपको नामजद 10 स्टेशन ऐसे बताता हूं जहां दो से पांच किलो तक ही यह वितरित हो रहा है पिछले एक साल से। आपको यह जो सूचना मिली है वह प्रमाणिक नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनकी सूचना भी प्रमाणिक है और जो आप कह रहे हैं वह भी प्रमाणिक है। अन्तर यह है कि जो इनको गेहूं अलॉट होता है उससे ज्यादा लोगों के राशनकार्ड बने हुए हैं इसलिए वह डिस्टिब्यूशन में कम है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय नहीं है। बात यह है कि पी.डी.एस. की स्कीम उस विधान सभा क्षेत्र में चल रही है, ब्यावर के चारों तरफ यह स्कीम है, ब्यावर में यह स्कीम नहीं है, यह सारा माल ब्यावर में बिक रहा है और गांवों में पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि सप्लाई ब्यावर में होती है। मेरा मुख्य विषय यह है। यह जो रेट में अन्तर है तीन रुपये दस पैसे और तीन रुपये सत्तर पैसे, ब्यावर में तो है तीन रुपये सत्तर पैसे और ब्यावर के चारों तरफ तीन रुपये दस पैसे की रेट से यह स्कीम चल रही है पी. डी. एस. की तो यह सारा माल ब्यावर में फ्लोर मिल्स में बिक रहा है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और आम जनता को इसकी राहत नहीं मिल रही है। मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, विषय राशनकार्ड की संख्या बढ़ने का नहीं है।

डा. राम प्रताप : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन कर दूं कि तीन रुपये दस पैसे वाली बात थी वह चली गयी, अब आज मिल रहा है तीन रुपये सत्तर पैसे और चार रुपये पैंतालीस पैसे क्योंकि सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट ने इसको रिवाइज किया है। जहां तक मेरी सूचना....

श्री किशन गोपाल कोगटा : फिर भी अन्तर तो है न।

डा. राम प्रताप : अन्तर निश्चित रूप से है क्योंकि वह आर. पी. डी. एस. के तहत मिलता है और यह पी.डी.एस. के तहत मिलता है और जो इसके बारे में आप मुझे सूचना उपलब्ध करवायेंगे उसके बारे में निश्चित रूप से जानकारी करूंगा और उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री विष्णु मोदी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : एक सप्लीमेन्ट्री है मेरा।

श्री अध्यक्ष : इसमें ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले सत्र में मेरा क्वेश्चन इसके बारे में था और आपने यह जवाब दिया था कि हम फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया से बात कर रहे हैं और हम धान का कोटा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बढ़ा रहे हैं और अगले महीने से हम कोटा बढ़ाकर गांव के अन्दर अभाव ग्रस्त क्षेत्र हैं उनको ज्यादा धान देंगे, मुझे यह बतलाइये कि पिछले सत्र से अब तक क्या कोरस्पोंडेंस हुई और कितना धान का कोटा बढ़ा है? यह बतलाने की कृपा करें।

डा. राम प्रताप : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम, से माननीय खेतसिंहजी से निवेदन करना चाहूंगा कि दिसम्बर में 76,500 मीट्रिक टन मिल रहा था और हमारे सतत प्रयास से मार्च में जो प्रस्तावित है वह 1,46,500 मीट्रिक टन है। इतना अनाज कभी भी नहीं मिला और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अनाज के मामले में कहीं कोई कमी हो तो निश्चित तौर से मुझे कहें। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, जोधपुर जिले को 14 हजार मीट्रिक टन मिल रहा है। इतना ज्यादा अनाज जोधपुर जिले को आज तक नहीं दिया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दिसम्बर में क्या था और अब फरवरी में क्या दिया गया?

डा. राम प्रताप : अब आपका क्वेश्चन अलग से है, उसका मैं दे देता हूं, दे रहा हूं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया में भले आदमी बैठे हैं और खूब मदद कर रहे हैं आपकी।

डा. राम प्रताप : गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया में बैठे हैं उसकी मैं नहीं कह सकता लेकिन दिसम्बर, में मिल रहा था 9 हजार और अभी जो प्रस्तावित है 14,500 मैट्रिक टन, और इससे भी ज्यादा अगर आपको चाहिए तो मैं निश्चित तौर से उसका भी प्रबन्ध करूंगा और इसके पर यूनिट के हिसाब से जो सवाल है उसका मैं निवेदन कर दूं कि मोटे अनाज की पैदा कम होने की वजह से, क्योंकि स्टेबल डाइट है हमारी पश्चिमी राजस्थान में, गेहूं कि डिमाण्ड बहुत ज्यादा हो गयी और आगे इसमें कमी नहीं आने दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री विष्णु मोदी।

कृषि कार्यों हेतु इजरायली तकनीक

67. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1993 में इजरायल के कृषि मंत्री श्री याकब वसुर ने कृषि विशेषज्ञों के दल के साथ राज्य का दौरा किया था और उन्होंने मुख्य मंत्री तथा राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया था।

(2) क्या यह सही है कि इजरायल के विशेषज्ञों ने राज्य में खारे पानी का कृषि कार्यों में उपयोग, क्षारीय भूमि सिंचाई में पानी के उपयोग, जल प्रबन्ध आदि कई विषयों पर राज्य के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था? यदि हां, तो क्या इस विशेषज्ञ दल ने राज्य का दौरा किसी विशेष योजना अथवा किसी समझौते के

(श्री विष्णु मोदी)

अन्तर्गत किया था ? यदि हां, तो किस समझौते अथवा योजना के अन्तर्गत ?

(3) क्या इजरायली विशेषज्ञ दल को राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसके सम्बन्ध में इजरायली प्रतिनिधि मण्डल की प्रतिक्रिया क्या रही है ?

(4) इजरायली विशेषज्ञों के दौरे के परिणामस्वरूप इजरायली तकनीकी का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार भविष्य में क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गयी है तो वह क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : (1) जी हां ।

(2) जी हां । इस दल ने राज्य का दौरा किसी विशेष योजना अथवा समझौते के अन्तर्गत नहीं किया था ।

(3) इजरायली विशेषज्ञ दल से राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के दौरान कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया लेकिन पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति, पानी की उपलब्धता एवं भूमि की उर्वरता इजरायल की भौगोलिक स्थिति व अन्य बातों में समान है । इजरायल ने पानी के उचित उपयोग में नयी तकनीक को काम में लेकर कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । इस सम्बन्ध में इजरायली सरकार से तकनीकी सहायता प्राप्त करने बाबत विचार-विमर्श किया गया । इजरायली प्रतिनिधि मण्डल का सकारात्मक रुख रहा है ।

(4) इजरायली तकनीकी का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान में फिलहाल कोई योजना नहीं बनाई गयी है । इजरायल के राजदूत के माध्यम से इजरायल सरकार ने मुख्य मन्त्रीजी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मण्डल को इजरायल की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा कि कोई भी देश का मंत्री और उसके टेक्नीशियंस और एक्सपर्टस आते हैं तो किसी बाईलेटरल एग्रीमेण्ट के तहत आते हैं, तो क्या इजरायली कृषि मंत्री आये उनके साथ एक्सपर्ट्स आये तो जयपुर घूमने आये थे या भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर आये थे, या किसी बाईलेटरल एग्रीमेण्ट पर आये थे, या राज्य सरकार ने उनको इन्वाइट किया था ? आप इस तरह जवाब दे रहे हैं कि, जी हां, यदि घूमने आये थे या सैर करने आये थे तो फिर आपके आफिसर्स से, एक्सपर्ट्स से किस बारे में विचार-विमर्श किया ? मैंने, आपसे ब्योरा मांगा तो उस पर आपने कहा, औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया, तो क्या आपको बगैर इन्फार्मेशन के आये थे ? आपके पास उनकी पूर्व सूचना थी तो आपका डिस्कस क्या था ? वो मैंने आपसे मांगा । आपने किसी चीज का जवाब नहीं दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको पढ़ लें और आप खुद ही

(श्री विष्णु मोदी)

निर्णय दे दें कि इस सवाल का जवाब सरकार किस तरह से देना चाहती है और सदन में क्या बताना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अभी माननीय सदस्य महोदय ने औपचारिक प्रस्ताव के बारे में कहा, वास्तव में उनकी टीम के साथ मेरी अध्यक्षता में मुख्य मंत्रीजी से भी बातचीत हुई, मेरी अध्यक्षता में करीबन एक घण्टे बैठक चली तो कोई औपचारिक प्रस्ताव या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिग इसलिए नहीं हुआ कि सिर्फ उनका तकनीक के बारे में, कृषि के बारे में, भूमि के बारे, पानी के प्रबन्ध के बारे में विचार-विमर्श किया गया । कोई औपचारिक प्रस्ताव न तो पारित किया गया और न ही कोई मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिग की बात की गयी । सिर्फ वो विचार-विमर्श के लिए टीम आयी थी और उन्होंने मौका भी देखा, यहां की परिस्थितियां और इजरायल की भौगोलिक परिस्थितियां एक थीं । इसलिए उन सब बातों की जानकारी के लिए वो आयी और हमने उनसे विचार-विमर्श किया ।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी लिखा है कि उन्होंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी को आमन्त्रित किया था आप वहां आयें और राज्य सरकार ने इसको मान लिया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : इसमें कहां गलत हो रहा है ?

श्री विष्णु मोदी : उन्होंने दे दिया । सवाल में है, आप पढ़ लें, मान्यवर । बगैर पढ़े आप नहीं बोलें तो ज्यादा उचित होगा सीनियर मैम्बर हैं । और मैं बात कर रहा हूं......(व्यवधान) धन्यवाद उस सुझाव के लिए लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूं, मुख्य मन्त्रीजी जायेंगे इजरायल, हमारे यहां की जो डेजर्ट की समस्या है उसमें इजरायल ने बहुत अच्छी तरह से काबू पाया है और उसके नतीजे भी निकले, तो जब मुख्य मंत्रीजी जायेंगे तो उसके पहले आपने कुछ विचार, प्रायोरिटीज तय की होंगी कि किन-किन बातों पर आप इजरायल से सहयोग चाहेंगे और क्या-क्या आपके एरियाज हैं जिन पर आप उनका इण्टरएक्शन चाहते हैं तो मैंने इस प्रश्न के माध्यम से आपसे यह जानकारी चाही थी कि आपने ऐसे कौन-कौन से मुद्दे तय किये हैं कि जिसके बारे में आप इजरायल की टेक्नोलाजी यहां ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपने इसके बारे में कहीं कोई बताया नहीं । यह अच्छी बात है कि मुख्य मंत्रीजी वहां जायें और इजरायल की टेक्नोलाजी में हमारी जो डेजर्ट की समस्या है वह हल हो । खारे पानी के बारे में भी इजरायल ने काफी बड़ा काम किया है, और क्षारीय जमीन है उसके बारे में भी इजरायल ने काफी काम किया है । अगर आप सदन को बताते कि आपने क्या-क्या एरियाज तय किये हैं, किन-किन बातों पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी वहां जाकर विचार-विमर्श करने वाले हैं तो सदन को लाभ होता और आपको भी कुछ विशेष सुझाव ही मिलते ।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, आज के दो वर्ष पूर्व मैंने

Page No.24

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि राजस्थान सरकार एक टीम इजरायल भेजना चाहती है....

श्री विष्णु मोदी : मैं वही पूछ रहा था, जिसका जवाब नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए आप। उस समय शायद इस बात की अनुमति नहीं दी। उस समय हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन्स इजरायल से इस प्रकार के नहीं थे जिसमें इस प्रकार के दलों का एक्सचेंज हो सके। 40 वर्षों के बाद भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि इजरायल से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन्स होने चाहिए थे और उसके बाद में उनकी टीमें हिन्दुस्तान में आने लग गयीं और हमारे भी कुछ एक्सपर्ट्स इजरायल में जाकर आये।

श्री विष्णु मोदी : एक सैकण्ड, सर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीच में मत बोलिए आप........(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : उस बाईलेटरल एग्रीमेण्ट के बारे में जानकारी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये। आप इसमें ज्यादा नालेज मत बताइये। मैं इतना निवेदन कर रहा था कि राजस्थान और इजरायल में कई बातों में सिमिलरिटी है। राजस्थान में भी डेजर्ट है, इजरायल में भी डेजर्ट है। इजरायल के डेजर्ट को उन्होंने उपजाऊ भूमि में कनवर्ट किया। किस प्रकार से कनवर्ट किया? पानी की वहां कमी थी, खारे पानी को उन्होंने मीठा पानी बनाकर खेती के काम में उसका उपयोग लिया और उसी सिस्टम में एक बात निकली कि कम से कम पानी का उपयोग हो और ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़े। उसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, इन सबकी व्यवस्थायें उन्होंने की हैं। यह कोई बात वैसे नयी नहीं है। हिन्दुस्तान में मैंने खुद देखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, खेतसिंहजी और जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि जैसलमेर में एक बाग था, जिसमें अंगूरों की खेती होती थी गेहूं पैदा होते थे, उसमें ड्रिप इरिगेशन जैसा एक सिस्टम था, वो सिस्टम मैंने अपनी आंखों से देखा है इसलिए वो भी नयी चीज नहीं थी। लेकिन वहां विस्तार से उस सिस्टम को लागू किया गया। उस सिस्टम के लागू करने के कारण से रेतीले क्षेत्रों को उन्होंने हरा-भरा बना दिया। अब उसे हरा-भरा बना दिया। अब उसे हरा-भरा बनाने की टेक्निक क्या है? ड्रिप इरिगेशन किस प्रकार से हुआ? ड्रिप इरिगेशन कितना कास्टली होता है, पानी से जो सिंचाई होती है उस सिंचाई का इकानामिक्स क्या है, यह सब चीजें हैं जिनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। वहां बाग-बगीचे किस प्रकार से खड़े किये गये वो भी देखने की बात है। इसलिए उनकी टीम यहां आयी और टीम आने के बाद में हमने उनसे कहा कि आप राजस्थान की बोर्डर देखकर आओ? बोर्डर के रेगिस्तानी इलाके में वो गये और जाकर उन्होंने भी यह माना है कि राजस्थान और इजरायल इन दोनों के बीच में कई विषयों में समानताएं हैं। उन समानताओं का उन्होंने तो अध्ययन कर लिया, अपनी तरफ से भी हम अध्ययन कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लें और अध्ययन करने के बाद में जो नतीजे निकलेंगे, उस तकनीक को हिन्दुस्तान में लाना है। उस टेक्नीक के लिए कितना इन्वेस्टमेण्ट हमको करना है, किस प्रकार की वो तकनीक ट्रांसफर कर सकते हैं, वो तो वहां जाकर आने के बाद निर्णय लिया जायेगा कि किस प्रकार से टेक्नीक हम यहां ला सकते हैं। अभी तक हमारा न तो कोई बाई लेटरल एग्रीमेण्ट हुआ है और न हमने किसी एम. ओ यू. के ऊपर हस्ताक्षर किये हैं। यह गुडविल एक्सचेंज भी है जिसमें न कोई बाईलेटरल एग्रीमेण्ट की आवश्यकता होगी और न कोई एम. ओ. यू. की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उसका विवरण आपने भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय को भेज दिया या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसकी आवश्यकता नहीं थी। मैंने प्रधान मन्त्री जी को सब बातें बता दीं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल प्रश्न था वो यही था। जो इजरायल का प्रतिनिधिमण्डल आया वो किस तरह का आया? गुडविल मिशन था तो राज्य सरकार ने इन्वाइट किया है या वो अपने आप आया, मैं यही बात जानना चाह रहा था। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो बात बताई, उनकी बात से मैं शत-प्रतिशत सहमत हूं कि राजस्थान के डेजर्ट में इजरायल से इण्टर-एक्शन होने में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया।

श्री विष्णु मोदी : लेकिन, साहब, जवाब तो मिला नहीं।

श्री अध्यक्ष : दिला रहे हैं। बैठिये आप। बैठिये तो सही।

श्री विजेन्द्रपाल सिंह : आपको आपत्ति क्या है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप मन्त्री नहीं हैं अभी। जवाब दे रहे हैं। ये पूछ रहे है, निमन्त्रण आया कि वैसे ही आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं। डेलीगेशन भारत आया था और भारत में उनकी जो इटिनरी थी, उस इटिनरी में राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : देखने के लिए आया और एक्सप्लोरेशन की बात है। नैक्स्ट, श्री रतन लाल ताम्बी। परसादी लाल मीणा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप एक्सपर्ट्स भेजेंगे....

श्री अध्यक्ष : अब सवाल नहीं करेंगे, खेतसिंह जी। पांच मिनट में एक सवाल जरूरी है। यह रह जायेगा। समय नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपसे यह निवेदन कर रहा था, एक्सपर्ट्स भेजेंगे, आम तौर पर आई ए एस. आफिसर्स को भेजते हैं और सीनियर आई. ए. एस. आफिसर्स वहां से देखकर भी आते हैं उसके बाद में उनको दूसरे डिपार्टमेण्ट में लगा दिया जाता

(श्री खेतसिंह राठौड़)

है, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट के यंग आफिसर को भेजिए जो वहां पर वो टेक्नीक अच्छी तरह से सीख कर आवे और उनकी नियुक्ति आप डेजर्ट में कीजिए तब जा कर के काम बनेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना तो आप मुझ पर विश्वास करिये। जो टीम जायेगी वह ऐसी जायेगी कि राजस्थान का विकास हो सके।

श्री अध्यक्ष : रतन लाल ताम्बी।

नागदी नदी (जहाजपुर) के गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था

68. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) एवम् **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) के स्थान पर : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जहाजपुर कस्बे के बाहर नागदी नदी स्थित है ? यदि हां, तो क्या उसमें शहर का गन्दा पानी एवं बरसाती पानी गिरता है ? क्या इससे जनता के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है ?

(2) क्या सरकार प्रदूषण एवं बीमारी को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी हां। नागदी नदी में शहर का गन्दा पानी गिरता है।

(2) नागदी नदी में गिरने वाला पानी औद्योगिक प्रदूषित जल नहीं है। पीने के लिए आपूर्ति किये जाने वाला पेयजल भी प्रदूषित नहीं है। अब तक प्राप्त सूचनानुसार इस गन्दे पानी से कोई बीमारी नहीं फैली है। सरकार इस गन्दे पानी की समस्या से निपटने का विचार रखती है किन्तु धनाभाव के कारण अब तक इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही वर्तमान में सम्भव नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है, मन्त्रीजी होम वर्क करके नहीं आये या इनके प्रश्न के उत्तर को दूसरों ने बनाकर दे दिया। यह स्वयं मान रहे हैं कि नागदी नदी, जो जहाजपुर कस्बे में हैं, में गन्दा पानी शहर का सारा आता है और उसमे प्रदूषण फैलता है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं। औद्योगिक प्रदूषण।

श्री परसादी लाल मीणा : औद्योगिक प्रदूषण। यह तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब यह है कि औद्योगिक प्रदूषण फैलता है।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न पढ़िए। इसमें औद्योगिक प्रदूषण की बात नहीं की गयी है। शहर का सारा गन्दा पानी एवं शहर का सारा मल-मूत्र नदी में आ रहा है इससे प्रदूषण फैल रहा है और यह कह रहे है कि कोई प्रदूषण/बीमारी नहीं है। बीमारी कैसे नहीं फैलती है ? आप वहां रहते हैं ? बीमारी आपको होगी ? वहां लोग रहते हैं उनको

(श्री परसादीलाल मीणा)

पता है। इसलिए माननीय सदस्य ने वहां की समस्या यहां आकर रखी है। और आप कह रहे है कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रश्न की मूल भावना यह है कि नदी में जो गन्दा पानी आ रहा है वह नदी में नहीं आकर नालियों द्वारा कहीं दूर जाये या नदी की सफाई के लिए सरकार पैसा दे जिससे वहां के लोगों को गन्दा पानी नहीं मिले। वहां पर मन्दिर भी हैं, दूसरे भी हैं। मन्दिर तो दुनिया भर में बनाते फिर रहे हैं और वहां मन्दिर हैं वह गन्दे पानी से प्रदूषित हो रहे हैं। सारे लोग सब वहां पर। धनाभाव के कारण लोगों को भरने नहीं दें और वहां पर आप नदी की सफाई की व्यवस्था कराने के लिए जो भी स्पेशल फण्ड हो, वह सब लेकर आप सफाई करवाइये। लोग मर जायेंगे। फिर आपको पता कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12·00)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब तो आ जाये।

श्री अध्यक्ष : आपने सुझाव दे दिया, उन्होंने नोट कर लिया है।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वह जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या जवाब देंगे। आपने सुझाव दिया है कि वह औद्योगिक नहीं है और प्रदूषण हो रहा है, बीमारियां फैल रही है। उसका वह इलाज करेंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : वह जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब मैं समय से बंधा हुआ हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं भी आप से अनुरोध कर रहा हूं कि वह जवाब दे रहे हैं। एक मिनट में आ जायेगा। उनके मन में क्या बात है वह आ जायेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को आप काफी गम्भीर बना रहे हैं। आखिर किसी भी शहर का या किसी भी टाउन का या ग्राम का जो पानी बरसात का है वह कहीं न कहीं तो जाता है यदि वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो जिससे कहीं वह जाकर डिस्चार्ज हो। मगर सामान्यतः ऐसा ही रहता है। अब यह नदी वहाँ से एक किलोमीटर दूर है उसका सारा पानी जो गांव या कहीं-कहीं बस्ती है, नालों में जाता ही है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जयपुर के गन्दे पानी का आप क्या करते हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह कहां जाता है ? जलमहल में जाता है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह एक तरह से पवित्र स्थल है।....

श्री परसादी लाल मीणा : आप दोनों ही बात कह रहे हैं कि धनाभाव के कारण हम नहीं कर रहे हैं।....

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह पवित्र स्थल है, तीर्थस्थल है और उसमें आप गन्दगी डलवा रहे हैं। आप मेहरबानी करके उसकी सफाई करवाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात तो सुनो। यह पानी आज जा रहा है क्या? यह नागदा शहर का पानी आज जा रहा है क्या? यह तो वर्षों से जा रहा है नागदी नदी में ...(व्यवधान) मेरी बात तो सुनिये। यह तो हर जगह ही जाता है लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान) मेरी बात तो सुन लें। इस सम्बन्ध में जबकि वन नहीं होगा तो उसका क्या उपाय करेंगे। केवल सफाई हो सकती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सफाई के लिए नगरपालिका के पास इतने साधन नहीं हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे अकाल राहत के काम चल रहे हैं इसके तहत कोशिश करेंगे जिसमें पैसा लग जाये तो ठीक हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका, बगरू (जयपुर) के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

81. **श्री रामेश्वरलाल भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका मंडल बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो यह शिकायतें किसके द्वारा तथा किन-किन के विरुद्ध की गई व अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नगरपालिका में वहां के स्थानीय व्यक्ति ही कार्यरत होने से उन द्वारा भ्रष्टाचार तथा गबन घोटाले एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही कर अनियमितताएं की जाती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके अन्यत्र स्थानान्तरण कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि इन्हीं कर्मचारियों द्वारा एक अनुसूचित जाति की महिला कर्मचारी को सफाई कर्मचारी के पद के विरुद्ध जमादार पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या यह नियुक्ति नियम विरुद्ध है? यदि हां तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जमादार महिला से पूर्व अन्य कनिष्ठ कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया परन्तु इन्हें स्थायीकरण से वंचित रखा गया? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। नागरिक विकास समिति, बगरू की ओर से श्री सीताराम नाकेदार

(स्वायत्त शासन मंत्री)

के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राथमिक जांच के पश्चात् उक्त कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ कर आरोप पत्र दिया जा चुका है। जांच विचाराधीन है।

(2) यह सही नहीं है कि नगरपालिका में केवल स्थानीय व्यक्ति ही कार्यरत हैं, तथा न ही उनके द्वारा भ्रष्टाचार तथा गबन घोटाले एवं नियम विरुद्ध अनियमिततायें की जाती हैं। केवल एक कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

(3) यह सही नहीं है कि अनुसूचित जाति की महिला को सफाई कर्मचारी के पद से जमादार के पद पर नियुक्ति देने की कोई कार्यवाही की गई है। नगरपालिका में जमादार का पद रिक्त होने से सफाई व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु किसी भी सफाई कर्मचारी से कार्य लिया जाता है इसी व्यवस्था के अनुरूप वर्तमान में श्रीमती प्रभाती देवी सफाई कर्मचारी से जमादार का कार्य लिया जा रहा है।

(4) जी नहीं। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मालवीय नगर, जयपुर की सफाई व्यवस्था

82. **श्री भीखाभाई** (सागवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2) क्या यह सही है कि सैक्टर नं. 9 मालवीय नगर, जयपुर की सड़कों की सफाई एवं रोड़लाइट के संधारण का कार्य नगर निगम, जयपुर द्वारा किया जाता है, यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि सैक्टर नं. 9 में 90% से अधिक रोड़ लाइटें खराब पड़ी हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 11-11-92 से।

(2) यह सही नहीं है। सैक्टर नं. 9 में 90 प्रतिशत से अधिक रोड़ लाइटें चालू हैं। जैसे ही रोड़ लाइटें खराब होती हैं, उन्हें तुरन्त ठीक करा दिया जाता है।

पदमावती कालोनी (जयपुर) का विकास

83. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित खुदाबादी सोनार हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी रजिस्टर्ड सोसायटी है एवं इस सोसायटी की पदमावती कालोनी "बी" को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित (अप्रूव्ड) किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त कालोनी में विकास कार्य करवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मोरम रोड का निर्माण करवाया गया है ? क्या

(श्री माधव सिंह दीवान)

सरकार उक्त कालोनी में डामर रोड व नालियां बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, खुदाबादी सोनार हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि. सहकारी विभाग द्वारा पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समिति है। इस समिति की पदमावती कालोनी "बी" नाम से कोई योजना अनुमोदित नहीं है। समिति की पदमावति कालोनी दोपोर्ट में तकनीकी रूप से अनुमोदित है। प्राधिकरण द्वारा विकास कार्यों के अन्तर्गत डब्लू. बी. एम. सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया है।

(2) जी हां, प्राधिकरण द्वारा प्रथम चरण में इस कालोनी के भूखण्ड-धारियों द्वारा विकास शुल्क की जमा राशि रुपये 2.06 लाख के विरुद्ध रुपये 6.60 लाख की राशि से डब्लू. बी. एम. सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया है। डामर रोड व नालियों का निर्माण सम्पूर्ण विकास शुल्क की राशि रुपये 52.02 लाख जमा होने के उपरान्त ही कराया जाना सम्भव होगा।

चौमूं की आवासीय योजना

84. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या चौमूं कस्बे में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मकान निर्माण किये जाने हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक इसमें कितने फार्म जमा हो चुके हैं ?

(2) क्या मकान निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है ? यदि हां तो मकान निर्माण कब तक चालू कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1982 की सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत किये गये पंजीकरण में से जमा राशि वापसी के पश्चात् शेष रहे पंजीकृत आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है :–

कमजोर आय वर्ग	–53
अल्प आय वर्ग	–37
मध्यम आय वर्ग (अ)	–14
मध्यम आय वर्ग (ब)	–17
उच्च आय वर्ग	– 1
कुल	–122

(2) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सन् 1985 में चौमूं कस्बा में 65 बीघा 7 बिस्वा भूमि का चयन कर अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एव आवासन विभाग राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 2-9-89 को कब्जा पेपर पर सम्भलाया गया तथा भूमि का अवार्ड विशेषाधिकारी द्वारा दिनांक 15-12-89 को जारी किया जा चुका है किन्तु खातेदारों द्वारा भूमि का मुआवजा नहीं लिये जाने के कारण दिनांक

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

23-4-93 को अवार्ड के अनुसार राशि सिविल न्यायालय, जयपुर में जमा कराई गई है।

अवाप्त भूमि की एक हिस्सेदार श्रीमती ग्यारसी बेवा कजोड़ द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या एस बी. सी. डब्लू पी. 4362/89 दायर करने के बाद दिनांक 29-9-89 को न्यायालय बेदखल नहीं करने बाबत स्थगन लेने के कारण भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं हो सका है। मण्डल की योजना का प्रारूप तैयार है तथा सड़क निर्माण हेतु रु. 3,79,987,50 का कार्यादेश भी दिनांक 11-6-93 को जारी किया जा चुका है किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त न होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो रहा है। ज्यूंही भूमि का वास्तविक कब्जा मिलेगा कार्य शुरू कर दिया जावेगा।

खांजी पीर मोहल्ला, उदयपुर में सार्वजनिक पार्क की भूमि पर अतिक्रमण

85. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर में खांजीपीर मोहल्ले में बोहरा कालोनी और हरिजन बस्ती के बीच नगर विकास प्रन्यास की पार्क के लिए कितनी भूमि है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 20 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी नगर विकास प्रन्यास ने अब तक इस भूमि पर पार्क विकसित नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नगर विकास प्रन्यास के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो इन अतिक्रमणों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इस पार्क की भूमि पर अतिक्रमी काबिज हैं ? यदि नहीं, तो नगर विकास प्रन्यास ने इस भूमि पर किन-किन व्यक्तियों को पट्टे जारी किये हैं और किन-किन के नक्शे पास किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या नगर विकास प्रन्यास इस भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर पार्क विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) किशनपोल के अन्दर स्लम क्लियरेंस योजना में बोहरा व हरिजन कालोनी के पास एक पार्क प्रस्तावित था जिसका क्षेत्रफल लगभग 4100 वर्ग फीट है।

(2) प्रस्तावित पार्क की भूमि पर अतिक्रमियों के कच्चे पक्के झोंपड़े बने होने से अब तक पार्क को विकसित नहीं किया गया है।

(3) जी हां। उक्त भूमि पर अब भी अतिक्रमी काबिज हैं परन्तु किसी व्यक्ति को पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) जी हां । उक्त भूमि पर अब भी अतिक्रमी काबिज हैं परन्तु किसी व्यक्ति को पट्टे जारी नहीं किये गये हैं ।

(5) उक्त भूमि पर पार्क बनाने की योजना भी विचाराधीन है किन्तु काफी पुराने अतिक्रमण होने के कारण योजना के क्रियान्विति में कठिनाई आ रही है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 86
(स्थगित)

राज्य के पेयजल समस्या ग्रस्त गांव

87. **श्री बनवारी लाल भिण्डा** (फतेहपुर) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने ग्राम पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं ?

(2) समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(3) समस्याग्रस्त गांवों में कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) मार्च, 1993 तक 1991 की जनगणना के अनुसार 2232 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करनी शेष थी। जनवरी, 94 तक उक्त ग्रामों में से 493 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य के समस्त ग्रामों का सर्वेक्षण पूर्ण किया जाकर वर्तमान में पेयजल की समस्या से ग्रस्त ग्रामों की संख्या का सही आंकलन किया जा रहा हैं ।

(2) पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रयास किये जाने है ।

(3) राज्य के शेष समस्याग्रस्त ग्रामों को भी आंठवी पंचवर्षीय योजनावधि में पेयजल योजनाओं द्वारा लाभान्वित करने का लक्ष्य हैं ।

गढ़ अजाना विलग (कामां) की विचाराधीन पेजयल योजनाएं

88. **श्री तैय्यब हुसैन** (कामां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र के गढ़ अजाना, विलग पेयजल योजना मुख्य-अभियन्ता कार्यालय में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को शीघ्र स्वीकृत करेगी ?

(2) सरकार इस योजना को स्वीकृत कर कब तक लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । योजना विभाग में बनाने व जांच की प्रक्रिया में है । तकनीकी जांच के पश्चात् प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार हो सकेगा ।

(2) उपरोक्तानुसार ।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्पों का लगाना

89. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में ऐसे कितने गांव मजरे-ढाणियां हैं जहां पेयजल हेतु एक भी हैण्डपम्प नहीं लगाया गया है?

(2) उक्त गांव मजरे-ढाणियों की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त गांवों-मजरे-ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र में 25 ग्राम तथा 25 मजरों में एक भी हैण्डपम्प स्थापित नहीं है।

(2) उक्त 25 ग्रामों की 1991 की जनगणनानुसार जनसंख्या 4096 है। ग्रामों का जनसंख्या का वांछित विवरण परिशिष्ठ "क" पर संलग्न है। मजरों की पृथक जनगणना का विवरण उपलब्ध नहीं है। इनकी कुल जनसंख्या लगभग 2549 है।

(3) जी हां। उपरोक्त ग्रामों एवं मजरों में पेयजल व्यवस्था धन की उपलब्धता के अनुसार की जानी संभव हो सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

राज्य की पेयजल योजनाएं

90. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पेयजल की दृष्टि से कितनी शहरी पेयजल स्कीम्स कार्यरत हैं तथा कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में?

(2) ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन कितने पेयजल की आवश्यकता अपेक्षित है तथा कितना पेयजल उक्त स्कीम के अन्तर्गत सप्लाई किया जा रहा है।

(3) शहरी क्षेत्र में कितने पेयजल की आवश्यकता प्रतिदिन है और कितना वितरण किया जा रहा है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के सभी 222 शहर पेयजल योजनाओं से पूर्व में ही लाभान्वित हैं। 1991 की जनगणनानुसार कुल 37889 आबाद ग्राम हैं। माह जनवरी, 1994 तक 36464 ग्रामों की विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है।

(2) राज्य के 11 मरुस्थलीय जिलों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पेयजल की आवश्यकता का निर्धारित मापदण्ड है। शेष 19 जिलों हेतु यह मात्रा 40 लीटर निर्धारित है विभिन्न ग्रामीण योजनाओं में विभिन्न मात्राओं में पेयजल वितरण किया जा रहा है तथा तकनीकी एवं अन्य कारणों से इनमें कुछ ग्रामों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पेयजल आपूर्ति की जानी सम्भव नहीं हो पा रही है । योजनावार आंकड़े वर्तमान में विभाग के पास संकलित नहीं है ।

(3) शहरी क्षेत्रों में पेयजल की वितरित मात्रा एवं निर्धारित मापदण्डों का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर सलंग्न है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

विवेकानन्द कालोनी, जयपुर की सीवरेज लाइन योजना

91. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) एवं **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विवेकानन्द कालोनी, गिरजाघर (शोफिया) स्कूल के पीछे, जयपुर में सीवरेज लाइन का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो अब कब तक उक्त कालोनी को सीवरेज लाइन से जोड़ दिया जावेगा ?

(2) क्या जनता कालोनी, आदर्श नगर, घन्नादास की बगीची में सीवरेज लाइन का कार्य सम्पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो सीवरेज लाइन का कार्य किस कारण सम्पूर्ण नहीं हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि विवेकानन्द कालोनी तथा आसपास की कालोनियों में अनुसूचित जाति/जन जाति तथा अल्पसंख्यक परिवार होने से सीवरेज लाइन के प्रावधान से वंचित रखा गया है ? यदि नही, तो इन कालोनियों में सीवरेज लाइन का कार्य कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । जनता कालोनी आदर्श नगर क्षेत्र में मुख्य सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 18-4-94 है । घन्नादास बगीची हेतु वर्तमान में सीवर लाइन का कार्य प्रस्तावित नहीं है ।

(3) जी नहीं । जयपुर शहर में जिन-जिन कालोनियों के लिये मुख्य सीवर लाइन डाली जा चुकी है या डाली जा रही है उनमें आन्तरिक सीवर लाइन डालने हेतु लगभग ग्यारह करोड़ रुपये की आवश्यकता है । धन की उपलब्धता होने पर इन कालोनियों में भी आन्तरिक सीवर लाइन डलवाई जा सकेगी ।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के हैण्डपम्प

92. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्डपम्प अब तक लगाये गये ? वर्षवार, ग्रामवार, सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन हैण्डपम्पों में कितने चालू हालत में हैं तथा कितने खराब हैं ? कितनों में पानी उपलब्ध नहीं है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 100 जनसंख्या की आबादी वाले ऐसे कितने

(श्री फतेह सिंह)

गांव हैं जहां स्वच्छ परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है ?

(4) क्या ग्रामीण इलाकों में राज्य सरकार सार्वजनिक कुओं तथा निजी कुओं को गहरे करवा कर तथा अधूरे पड़े कुओं को पूरा करवा कर पेयजल उपलब्ध करवायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र में अब तक स्थापित 1370 हैण्डपम्पों की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) स्थापित हैण्डपम्पों में से 1260 हैण्डपम्प कार्यरत व 110 अस्थाई रूप से खराब हैं। उपरोक्त 1260 हैण्डपम्पों में से 115 हैण्डपम्प गर्मियों में सूख जाते हैं। अस्थाई रूप से खराब 110 हैण्डपम्पों की वांछित सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र में 1991 की जनगणना पर आधारित 100 अथवा इससे कम की जनसंख्या वाले 18 ग्राम हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इनमें से किसी में भी स्वच्छ परियोजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प लगाना प्रस्तावित नहीं है।

(4) जी हां, आवश्यकता प्रतीत होने पर तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त, उपलब्ध सभी स्रोतों से पेयजल आपूर्ति किये जाने के प्रयास किये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाई नहर में पानी की भराव क्षमता

93. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाई नहर में प्रतिदिन पानी लाने की कितनी क्षमता है तथा इस नहर की सफाई अन्तिम बार कब हुई ?

(2) सफाई से पूर्व नहर में प्रतिदिन कितना पानी आता था व सफाई के बाद प्रतिदिन कितना पानी आ रहा है ?

(3) 1992-93, 1993-94 में सर्दियों में कितनी मात्रा में पानी प्रतिदिन सप्लाई किया गया और तख्त सागर का लेवल प्रतिदिन कितना बढ़ा है ?

उत्तर

(1) जवाई नहर से वर्तमान में जोधपुर के कूड़ी होद में 172·8 लाख गैलन पानी प्रतिदिन लाने की क्षमता है। इस नहर की अन्तिम बार सफाई 21 सितम्बर, 1993 से 1 दिसम्बर, 1993 की अवधि के मध्य की गयी थी।

(2) उपरोक्त सफाई से पूर्व नहर से कूड़ी होद में औसतन 135 लाख गैलन पानी प्रतिदिन प्राप्त हो रहा था। सफाई के पश्चात इस मात्रा में वृद्धि 172·8 लाख गैलन प्रतिदिन तक हो गई है।

(3) 1 नवम्बर, 92 से 31 जनवरी,

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

93 की अवधि में जोधपुर शहर में सभी स्रोतों से औसतन 207·58 लाख गैलन पेयजल की प्रतिदिन आपूर्ति की गई। इसी प्रकार 1 नवम्बर, 93 से 31 जनवरी, 94 की अवधि में औसतन 188·98 लाख गैलन पेयजल की प्रतिदिन आपूर्ति की गई। वर्ष 1992–93 एवं 1993–94 की सर्दियों में तख्तसागर के प्रतिदिन स्तर का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना की जल प्रदाय योजनायें

94. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के कुल कितने ग्राम और ढाणियां ऐसी हैं जो अभी तक किसी भी जल प्रदाय योजना से जोड़े नहीं गये हैं ? यदि हां, तो पेयजल की समस्या के निवारण हेतु उक्त ग्रामों और ढाणियों को कब तक जल प्रदाय योजनाओं से जोड़ दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डेगाना तहसील के कितने ग्रामों का पानी फ्लोराइड युक्त है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डेगाना तहसील के ग्राम बिखरनियां खुर्द, गोटड़ा, आदि कई गांवों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो कब तक सरकार इन ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र में 3 ग्राम एवं 59 ढाणियां जल प्रदाय योजनाओं से जोड़े जाने शेष हैं। इन 3 ग्रामों को मार्च, 1994 तक लाभान्वित किया जाना लक्षित है। ढाणियों में पेयजल सुविधा धन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करवाई जानी सम्भव होगी। इन ग्रामों एवं ढाणियों की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) संदर्भित तहसील के 112 ग्राम जिनमें फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मापदण्ड से अधिक है, की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं, ग्राम बिखरनियां खुर्द व गोठड़ा, पारम्परिक स्रोत योजनाओं द्वारा लाभान्वित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बिजोलिया (भीलवाड़ा) की री-ऑर्गेनाइजेशन वाटर सप्लाई योजना

95. श्री बद्री प्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बिजोलिया में री-ऑर्गेनाइजेशन अरबन वाटर सप्लाई स्कीम के तहत कोई योजना स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो इस

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

पर कार्य की क्या प्रगति है तथा योजना को क्रियान्विति कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं। इस सम्बन्ध में 87·70 लाख रुपये की योजना बनाकर केन्द्रीय सरकार को सहायता प्राप्त करने हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र की भूमि का आवंटन

96. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या राजस्व उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 15 जनवरी, 1994 को मोहनगढ़ (जैसलमेर) में सहायक आयुक्त उपनिवेशन कार्यालय के समक्ष जिले के किसानों ने नहरी भूमि के विशेष आवंटन को बन्द करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था ?

(2) क्या यह सही है कि किसानों का यह आरोप है कि भूमि आवंटन में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और इसमें रिश्वत लेने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिले के किसानों ने इस सम्बन्ध में सहायक आयुक्त उपनिवेशन को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें। सरकार ने किसानों की मांगों के संबंध में क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय विधायक महोदय जैसलमेर के नेतृत्व में किसानों ने सहायक आयुक्त उपनिवेशन, मोहनगढ़ को विशेष आवंटन बन्द करने हेतु ज्ञापन दिया था।

(2) जी नहीं। ज्ञापन में ऐसी शिकायत नहीं थी।

(3) जी हां। ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। ज्ञापन प्राप्त होने पर उस दिन विशेष आवंटन रोक दिया गया था तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3 (58) उप/92 दिनाक 2 -1-94 द्वारा विशेष आवंटन बन्द करवा दिया गया है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

भूतपूर्व सैनिकों को कमाण्ड भूमि का आवंटन

97. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या राजस्व (उपनिवेशन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भूतपूर्व सैनिकों व सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व कर्मचारियों को राज-

(श्री रामेश्वरलाल भाटी)

स्थान नहर में कमाण्ड भूमि आवंटन करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो उनको किस प्रक्रिया से, किस क्षेत्र में, कितनी भूमि कब तक आवंटन की जायेगी ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भूतपूर्व सैनिकों व सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व कर्मचारियों के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं तथा सरकार उन पर क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, भूतपूर्व सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व कर्मचारियों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन की कार्यवाही की है। भूतपूर्व सैनिकों हेतु 50,000 बीघा भूमि आरक्षित की थी जिसमें से 49,518 बीघा भूमि का आवंटन 2,197 भूतपूर्व सैनिकों को हो चुका है। सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों हेतु 12,500 बीघा भूमि आरक्षित की थी जिसमें से 8,436 बीघा भूमि 402 सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व कर्मचारियों को आवंटन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भूमि आरक्षण का मामला विचाराधीन है। आरक्षण होने की स्थिति में आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के 5,253 प्रार्थना-पत्र सक्षमशुदा शेष है तथा सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व सैनिकों के 99 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं भूमि आरक्षण का मामला विचाराधीन है।

इन्दिरा गांधी नहर को सार्वजनिक भूमि के आवंटन से आय

98. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या राजस्व (उपनिवेशन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक सरकारी भूमि की नीलामी, विशेष आवंटन व अन्य प्रकार के आवंटनों से कितनी धन राशि प्राप्त हो चुकी तथा इससे कुल कितनी धन राशि प्राप्त होने का अनुमान है ?

उत्तर

इन्दिरा गांधी नगर परियोजना क्षेत्र के प्रथम व द्वितीय चरण में सरकारी भूमि का विशेष आवंटन कुछ मामलों में नीलामी द्वारा भी किया गया है। अन्य प्रकार के आवंटनों से जनवरी, 1994 तक कुल रु. 10,744.54 लाख की राशि मिली है तथा भविष्य में सरकारी भूमि के आवंटन से (94–97) तक रु. 1854.00 लाख की राशि प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें से विशेष आवंटन से रु. 1560.00 लाख की राशि प्राप्त होने का अनुमान है।

बिलाड़ा (जोधपुर) में तहसील भवन का निर्माण

99. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

में बिलाड़ा तहसील भवन के निर्माण की सरकार ने स्वीकृति जारी की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील भवन का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) क्या विलम्ब के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) अब कब से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । इस सम्बन्ध में मुंसिफ व न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा द्वारा अनोपसिंह बनाम अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर में स्थगन आदेश पारित होने से कार्य शुरू नहीं हो सका ।

(3) उक्त प्रश्न (2) के उत्तर को देखते हुए जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् विचार किया जावेगा ।

कृषि भूमि लगान से आय

100. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस समय राज्य में कृषि भूमि पर लगान की दरें क्या हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस समय राज्य में कृषि भूमि पर लगे लगान से कुल कितनी धन राशि सरकार को मिल रही हैं ?

(3) राज्य सरकार द्वारा गरीब किसानों को लगान मुक्ति घोषणा के बाद इससे कितने परिवारों को लाभ मिला तथा कितनी राशि का लाभ गरीब किसानों को हुआ ?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि भूमि पर समस्त जिलों की समस्त तहसीलों में पृथक्-पृथक् लगान की दरें प्रचलित हैं । सूची परिशिष्ट—"क" पर उपलब्ध है ।

(2) सरकार को राज्य में कृषि भूमि पर लगे प्रतिवर्ष (1992–93) लगान से 720.48 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो रही है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा लगान मुक्ति घोषणा के बाद 83.20 लाख गरीब किसानों को, 557.98 लाख रुपये का लाभ प्राप्त हुआ । प्रतिवर्ष लाभान्वित कृषकों की संख्या तथा लगान की छूट राशि विवरण निम्न है :—

(राजस्व मन्त्री)

क्र. सं.	विवरण	राज्यादेश दिनांक	लाभांवित कृषकों की संख्या	लगान की छूट राशि (लाखों में)
1.	लघु कृषकों को असिंचित जोत भूमि का भू-राजस्व की संवत् 2034 से छूट	राजस्व (ग्रुप-4) विभाग के आदेश प. 5 (4) राज/ग्रुप-4/77 दिनांक 16.1.78	16.19	84.12
2.	बारानी कृषि भूमि पर लगान एवं अधिभार खरीद संवत् 2048 वित्त के वर्ष, 91–92 से छूट	राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर आदेश क्र. प. 5 (4) (4) 77/5 दिनांक 30.3.91	67.01	473.86
			83.20	557.98

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर, कामां की खातेदारी

101. श्री तैयब हुसैन (कामा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कामां स्थित सुप्रसिद्ध महादेव मन्दिर (कच्ची तलाइयां) की आराजी पर व्यक्तिगत खातेदारी दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मन्दिर की आराजी को पुनः मन्दिर के नाम रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ?

उत्तर

जी नहीं।

चन्द्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम से कोई भी आराजी नहीं थी और न अब है। इसलिये खातेदारी दिए जाने व वापस मन्दिर के नाम किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

खसरा नं. 649 ग्राम अजेता (बूंदी) की भूमि का पट्टा प्रकरण

102. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

Page No.41

(श्री रामनारायण)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अजेता (तहसील-बूंदी) की भूमि खसरा संख्या 649 में स्थित पुराने कुएं का पट्टा जारी करने बाबत पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, बूंदी के यहां लम्बित हैं ? यदि हां, तो उक्त कुएं का पट्टा कब तक जारी कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्रावली एक वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में समस्या समाधान शिविर में भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

जांच कार्यवाही पूर्ण होते ही नियमान्तर्गत इस मामले का निस्तारण कर दिया जावेगा।

(2) जी हां।

जांच कार्यवाही पूर्ण नहीं होने तथा आवेदक द्वारा वांछित दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण यह प्रकरण लम्बित चला आ रहा है।

(3) जी हां।

बगरू कलां (सांगानेर) के राजस्व कैम्प

103. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : एवं **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बगरू कलां तहसील, सांगानेर, जिला-जयपुर में राजस्व विभाग की ओर से वर्ष 1993 में कैम्प लगाया गया था ?

(2) क्या राजस्व कैम्प में अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के पुराने पर्चे में से जमीन कम की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा किन-किन व्यक्तियों की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बगरू कलां निवासी थाना पुत्र भींवा रैगर ने पुराने पर्चे में जमीन कम करने के बारे भी आवेदन पत्र दिया था ? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 13-5-93 को राजस्व शिविर का कैम्प आयोजित किया गया था।

(2) जी, नहीं।

(3) राजस्व कैम्प में थाना पुत्र भींवा रैगर ने पुराने पर्चे में जमीन कम करने

(राजस्व मंत्री)

बाबत कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। किन्तु अभियान के पश्चात् प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस बाबत बिना दिनांक का दिया था जो कि दिनांक 15-7-93 को प्राप्त हुआ जिस पर जांच के बाद यह पाया गया कि भू-प्रबन्ध कार्यवाही में प्रार्थी का रकबा कम हुआ एवं इसके लिये प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये तथा सीमांकन से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रार्थी को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 104
(स्थगित)

कोटा बारां जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां

105. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा व बारां जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव कब हुए थे? इन समितियों के चुनाव कितने समय के लिए होते हैं? अब इन समितियों के चुनाव कब तक प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कोटा एवं बारां जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव दिसम्बर, 90 से फरवरी, 91 के मध्य हुये थे। इस समितियों के संचालक मण्डल का निर्वाचन तीन वर्ष की अवधि हेतु होता है। अब सितम्बर/अक्टूबर, 1994 में इन समितियों के निर्वाचन कराने का विचार है।

डूंगरपुर जिले की पंचायत समितियां

106. **श्री शंकर लाल अहारी** (चौरासी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कुल कितनी पुरानी पंचायतें हैं?

(2) क्या सरकार उक्त जिले में नई पंचायत समितियों के गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो नई पंचायत समितियों के लिए कौन-कौन से गांव सम्मिलित किये जा रहे हैं? विवरण मय नक्शा सहित, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में 174 पुरानी पंचायतें है।

(2) जी नहीं। नई पंचायत समितियां गठित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

पूर्व कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक

107. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि पूर्व में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को पुनः सेवा में लिए जायेंगे? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति बेगूं और

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

रोड़गढ़ में कितने अध्यापकों को वापस सेवा में लिया गया? सूची नामवार सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पंचायत समिति बेगूं और भैंसरोड़गढ़ में पूर्व में कार्यरत अप्रशिक्षित किसी भी अध्यापक को पुनः सेवा में नहीं लिया गया। क्योंकि वर्तमान में प्रशिक्षित एवं चयनित अध्यापक उपलब्ध हैं।

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की प्राथमिक शालाओं के रिक्त पद

108. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कहां-कहां पर कितने पद कितने समय से रिक्त हैं एवं उन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति, बिलाड़ा के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कोई पद रिक्त नहीं है एवं पंचायत समिति, भोपालगढ़ में कुल 27 पद दिनांक 27·3·92 से रिक्त चल रहे हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जिन्हें शीघ्र ही भर दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

मालवीय नगर से आमेर तक नगरीय बस सेवा

109. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार मालवीय नगर सैक्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 व 13 से आमेर तक सी. टी. एस. बस सेवाएं प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्तमान में ऐसा कोई मार्ग खोला हुआ नहीं है और न ही निगम अथवा निजी बस मालिकों द्वारा इन मार्गों पर बस चलाने हेतु आवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

विद्याधर नगर, जयपुर के मार्गों पर संचालित नगरीय बसें

110. **श्री जीतराम** (मालपुरा): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विद्याधर नगर, जयपुर से विभिन्न मार्गों पर चलने वाली राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों की संख्या, मार्ग किराया तालिका, समय सारणी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही हैं कि उक्त बसें सैक्टर 6, 7, 8, 9, 10 के नागरिकों को लाभान्वित नहीं कर पाती हैं? क्योंकि उन्हें

(श्री जीतराम)

बस में बैठने के लिये काफी दूर आकर बैठना पड़ता है। यदि हां, तो उक्त सैक्टरों के नागरियों की सुविधा के लिये बस मार्ग में परिवर्तन किया जावेगा। यदि हां, तो प्रस्तावित मार्ग का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बस स्टेण्ड पर छाया, पानी आदि की पर्याप्त सुविधा भी वर्तमान में नहीं है? यदि हां, तो उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जावेगी।

उत्तर

(1) विद्याधर नगर (जयपुर) से निगम द्वारा सांगानेर के लिये वाया शास्त्रीनगर सर्किल, पीतलफैक्ट्री, चांदपोल, छोटीचौपड, बड़ीचौपड़, सांगानेरीगेट, अजमेरीगेट, सवाईमानसिंह अस्पताल, रामबागसर्किल, टोंक फाटक, गोपालपुरा मोड़, गुर्जर की थड़ी, हीरापंथ, मानसरोवर, होते हुए 17 वाहनों द्वारा 108 परिचक्र दैनिक एवं मुरलीपुरा से जगतपुरा वाया विद्याधरनगर, शास्त्रीनगर सर्किल, पीतल फैक्ट्री, चांदपोल, सिंधीकैम्प, पोलोविक्ट्री, जी. पी. ओ., अजमेरीगेट, रामबाग सर्किल, बिड़ला मन्दिर, विश्वविद्यालय, सरस डेयरी, मालवीयनगर सैक्टर 1, 2, 3 होते हुये 4 वाहनों से 34 परिचक्र दैनिक संचालित किये जा रहे हैं। इन मार्गों की किराया तालिका व समय-सारिणी का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। उक्त सैक्टरों के लिये बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु जनता से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जिन पर आवश्यक परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त बस सेवा उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी हां। विद्याधर नगर बस स्टेण्ड पर छाया, पानी आदि की सुविधा वर्तमान में नहीं है किन्तु निगम द्वारा विद्याधर नगर क्षेत्र में बस स्टेण्ड बनाने हेतु जमीन का आवंटन करा लिया गया है जिस पर चार दीवारी का निर्माण भी करा लिया गया है तथा बस स्टेण्ड के निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कुण्डा जयपुर मार्ग पर यातायात व्यवस्था

111. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कुण्डा (आमेर) वाया नांगल, सुसावतान, शायपुरा (जमवारामगढ़) रोड, जिला जयपुर पर किसी प्रकार के यातायात के साधन नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त रूट पर सिटी-बस/मिनी बस/टैम्पू के परमिट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, वर्णित मार्ग पर सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है परन्तु बड़ी चौपड़ से साइवाड़ वाया आमेर, कुण्डा,

(यातायात राज्य मंत्री)

मिमला तलाई, सूगली नदी, नटाटा, नारद्रपुरा मार्ग पर निगम की बसें संचालित है। ग्राम नांगल तथा सुवासता नटाटा के समीप ही होने से उक्त ग्रामों के यात्री नटाटा से बस सेवा प्राप्त करते हैं।

इसी प्रकार शायपुरा (जमवारामगढ़) रोड़ जयपुर से निजी तथा निगम की बस सेवा से जुड़ा है।

(2) इस सम्बन्ध में सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर के कार्यालय में वर्णित मार्ग के लिए अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने बाबत कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा।

बारां, इकलेरा, सालपुरा छीपा बड़ोद मार्ग पर संचालित बस सेवा

112. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) बारां से इकलेरा, सालपुरा से छीपाबड़ोद मार्ग पर कितनी बसें चलाये जाने की विभाग द्वारा स्वीकृति है।

(2) क्या उक्त मार्गों पर विभाग द्वारा स्वीकृत सभी बसें चल रही हैं ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी हैं व उसके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) बारां से इकलेरा, सालपुरा से छीपाबड़ोद मार्ग पर 10 बसों से 40 परिचक्र दैनिक संचालन हेतु स्वीकृत हैं।

(2) जी हां। वर्तमान में सभी स्वीकृत परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं और माह दिसम्बर, 1993 से 6 अतिरिक्त परिचक्रों का दैनिक संचालन और प्रारम्भ कर दिया गया है।

निगम द्वारा राज्यादेशों की पालना

113. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को तीन वर्षों में कोई डाईरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निदेश जारी किये हैं ? यदि हाँ, तो किस-किस विषय में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निगम ने सरकार द्वारा दिये गये डाइरेक्टिव्ज, आदेश एवं निर्देशों का पालन किया है, यदि हां, तो किस-किस रूप में ? यदि नहीं तो किस-किस डाइरेक्टिव्जस, आदेश अथवा निर्देश का पालन नहीं किया और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने निगम द्वारा पालना नहीं किये जाने के संदर्भ में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 34 के अन्तर्गत राज्य शासन परिवहन निगम को डाइरेक्टिव्ज जारी करने के

Page No.46

(यातायात राज्य मंत्री)

लिये सक्षम है, परन्तु गत 3 वर्षों में उक्त धारा के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा परिवहन निगम को कोई डाइरेक्टिव्ज जारी नहीं किये गये हैं।

जहां तक सामान्य निर्देशों/आदेशों का सम्बन्ध हैं, गत 3 वर्षों में राज्य शासन से निम्न विषयों पर निर्देश प्राप्त हुये हैं :—

1. कागज की खपत में कटौती/मितव्ययता के सम्बन्ध में, डायरियां, कलेण्डर, शुभकामना सन्देश एवं अन्य उपहार आदि पर कोई व्यय नहीं किये जाने बाबत।

2. सीधी भर्ती की रोक के तहत नई भर्ती पर रोक के सम्बन्ध में।

3. पुलिस कर्मियों को राजस्थान परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने हेतु पास जारी करने के सम्बन्ध में।

4. अनुत्पादक एवं परिहार्य व्यय को समाप्त किये जाने एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता के दृष्टिकोण से यात्रा-व्यय, फर्नीचर के क्रय पर प्रतिबन्ध, वायुयान/कार/वाहन से यात्रा पर प्रतिबन्ध, भोज/अल्पाहार पर रोक, वाहन क्रय एवं संधारण पर रोक, कागज के उपयोग में कमी तथा बैठकों में चाय, कॉफी, बिस्कुट इत्यादि पर रोक तथा एयर कन्डीशनर एवं अति सुसज्जित उपकरणों के क्रय पर प्रतिबन्ध।

(विवरण परिशिष्ट–"क" पर संलग्न हैं)

2. जी हां, निगम द्वारा उक्त निर्देशों/आदेशों की पूर्णतया पालना की जा रही है।

(3) निगम द्वारा सभी राजकीय निर्देशों की पालना की जा रही है, अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

कृषि उपज मण्डी समिति, डेगाना (नागौर) की आय-व्यय

114. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डेगाना की वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 वर्षों की आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार कृषि उपज मण्डी क्षेत्र डेगाना के गांवों से अनाज मण्डी तक पहुंचाने हेतु सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती हैं? यदि हा, तो कृषि उपज मण्डी समिति की आय में से कितने प्रतिशत राशि सड़कों पर व्यय करने का सरकार का प्रावधान है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नागौर जिले में वर्ष 1993-94 के दौरान कुल कितनी सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराने की स्वीकृति कृषि उपज मण्डी के द्वारा दी गई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि डेगाना कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सम्पर्क सड़कों हेतु भेजे गये प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डेगाना की आय व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	आय (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
1988–89	10.00	4.03
1989–90	13.95	4.28
1990–91	14.14	8.11
1991–92	20.24	47.97
1992–93	63.39	44.11
1993–94 (जन 94 तक)	17.12	32.94

(2) जी हां। मण्डी समिति के उपलब्ध संसाधनों में से प्रशासनिक व्यय निकालने के बाद उपलब्ध धनराशि में से लगभग 60 प्रतिशत राशि मण्डी क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों के निर्माण व 40 प्रतिशत राशि मण्डी यार्ड के निर्माण, विस्तार करने पर व्यय की जायेगी।

(3) नागौर जिले में वर्ष 1993–94 के दौरान निर्माण करवाई गई सम्पर्क सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है जिसे सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, डेगाना से सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुये हैं अतः स्वीकृति करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जोधपुर जिले की स्वीकृत सड़कें

115. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991–92, 1992–93 व 1993–94 में जोधपुर जिले की अलग अलग तहसीलों में कृषि विपणन बोर्ड ने कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार फलौदी तहसील जिला जोधपुर जो अति मरुस्थलीय एवं यहां पर आवागमन के साधनों का नितान्त अभाव को देखते हुए निम्नांकित सड़कों को कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण कराने का विचार रखती है :—

1. पांगियों की ढाणी से फलौदी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

2. मोहरा गांव से फलौदी नगर
3. कानासर गांव से नेवां माध्यमिक विद्यालय तक
4. ग्राम खारा से ग्राम उग्रास
5. मण्डला से बामण
6. सांवरीज से दूण
7. सांवरीज से बामणू
8. ग्राम इन्दो का बास (देणोक) से लोहावाट की सरहद तक
9. देणोक से बरसींगो का बास
10. देणोक से बरजांगसर
11. खीचन से धोलासर
12. भावनेड़ा से अजासर
13. बाप से देगावडी
14. जाम्बा से देगावड़ी
15. जाम्बा से मोटची
16. देराज नाड़ा लोहावट से सदरी (पीलवा)
17. भाकरी से सदरी (पीलवा)
18. पीलवा से मोजाकोर
19. कोलू से कुशलावा।

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92, 92-93 व 93-94 में जोधपुर जिले में विभिन्न तहसीलों में स्वीकृत सम्पर्क सड़कों के नामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर है, जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

डीग कृषि मण्डी निर्माण पर व्यय

116. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नवीन डीग कृषि मण्डी कब चालू हुई और इस मण्डी निर्माण में कितना व्यय हुआ ?

(2) क्या यह मण्डी कर्ज में है ? यदि हां, तो इसका कर्ज चुकाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डीग दिनांक 20-2-93 से चालू हुई है। मण्डी यार्ड के निर्माण में अब तक 92.38 लाख रुपया व्यय हुआ है।

(2) जी हां। यह मण्डी कर्ज में है। कर्ज मण्डी शुल्क की वार्षिक आय से चुकाने के उपाय किये जा रहे हैं।

पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी में सड़क निर्माण

117. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर स्थित पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटडी पंचायत समिति के भाग में कृषि मण्डियों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो सड़क का नाम, लम्बाई तथा राशि का व्यय सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(2) क्या ये सड़क पुलियाओं सहित पूर्ण हो गई हैं, यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इन सड़कों के संधारण तथा मरम्मत की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं तो क्यों ?

(4) क्या 1993-94 तथा 1994-95 में इन क्षेत्रों में मण्डियों के माध्यम से सड़कें बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो सड़क का नाम, दूरी तथा लागत का विवरण सहित योजना सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या कृषि मण्डियों के माध्यम से रोड बनाने के लिये कोई नीतियाँ तथा मान दण्ड हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्थित पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटडी की सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। सम्पर्क सड़क की लम्बाई में आने वाली पुलियाओं का निर्माण करा दिया गया है।

(3) जी हां। वर्ष 93-94 में कोटड़ी क्षेत्र की निम्न चार सड़कों पर उनके आगे अंकित राशि की वार्षिक मरम्मत की व्यवस्था है।

सड़क का नाम	वार्षिक रखरखाव हेतु राशि
1. बडलियास से हनुमान जी	11250
2. कोटड़ी सवाईपुर से रेणवास	10000
3. सम्पर्क सड़क जावल	10000
4. सांकडा से छापरेल	5000

(4) कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(5) जी हां। मण्डी समिति का उपलब्ध संसाधनों में से प्रशासनिक व्यय निकालने के बाद उपलब्ध धनराशि में से लगभग 60 प्रतिशत राशि मण्डी की सम्पर्क सड़कों के निर्माण व 40 प्रतिशत राशि यार्ड के निर्माण वृद्धि आदि पर व्यय की जायेगी। राज्य सरकार के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची एवं प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

धामन घास हेतु बीजों की खरीद

118. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण क्षेत्र आदि में चारागाह विकास हेतु धामन घास तथा अन्य किस्म की घास के बीच खरीद किए गए हैं ? यदि हाँ, तो कब एवं किससे तथा किस दर पर कितनी मात्रा में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या क्रय किये गये घास के बीज

(श्री रामनारायण)

मौके पर कारगर साबित नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या इस बारे में शासन द्वारा समुचित जांच करवाई जाने का विचार है ?

(3) करवाई जाने वाली जाँच की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । खण्डवार वांछित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है । जो सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) क्रय किये गये घास के बीजों का परिणाम सामान्यतः सन्तोषजनक रहे हैं । अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(3) कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

कोटा क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी समितियों की आय-व्यय

119. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा सम्भाग कृषि उपज मण्डी समितियों की वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 की आय क्या थी ?

(2) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा इन वर्षों में किन-किन गांवों में सड़कों का निर्माण करवाया गया है एवं सड़क निर्माण कार्य पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है ? प्रत्येक कृषि उपज मण्डी की आय की एवं सड़क निर्माण की वर्षवार सूचना सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग कृषि उपज मण्डी समितियों की वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 की आय का विवरण परिशिष्ट-"च" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) कोटा सम्भाग की मण्डियों की सड़क निर्माण कार्य की एवं खर्च की गई धनराशि की सूचना परिशिष्ट-"अ", "ब", "स", "द", "क", "ख", "ग", व "न" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है । प्रत्येक कृषि उपज मण्डी की आय का विवरण परिशिष्ट "च" के अनुसार है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री हरिसिंह और श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा को ओर से जोधपुर नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 1993 को दिन के 11 बजे एक व्यक्ति की कथित मारपीट की घटना में मृत्यु होने के सम्बन्ध में ।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(2) श्री रामनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचित क्षेत्र में धौलाड़ा डिस्टिब्यूटरी का पानी हनुत्या माइनर के अंतिम ग्राम गोवरिया, वम्बोरी, हनोत्या ख्यावदा में नहीं पहुंचने से फसल को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि ग्राम वम्बोरी, गोवरिया, धौलाड़ा डिस्टिब्यूटरी से सिंचित होते हैं एवं समस्त क्षेत्र में अक्टूबर, 1993 से 22 जनवरी, 1994 तक पानी पहुंचाया गया। दिनांक 11 से 15 जनवरी, 1994 के आसपास इस क्षेत्र में वर्षा होने के कारण कृषकों ने पानी लेना बन्द कर दिया जिसके कारण नहरों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए नहरों को बन्द करना पड़ा। इसके पश्चात् धौलाड़ा डिस्टिब्यूटरी को 10-फरवरी, 1994 से पुनः चलाया जा रहा है एवं ग्राम वम्बोरी में पानी चल रहा है तथा ग्राम गोवरिया में एक सप्ताह में पानी पहुंच जायेगा। फसलों के नुकसान की कोई संभावना नहीं है।

ग्राम धानोदिया एवं छबड़ा खटकड़ डिस्टिब्यूटरी के कमाण्ड क्षेत्र में आते हैं जो फलोदिया माइनर टेल क्षेत्र की माइनर है। खटकड़ डिस्ट्रिब्यूटरी में पानी चल रहा है एवं फलोदिया एवं शारदा क्षेत्र में अगले एक सप्ताह में पानी उपलब्ध करवाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। इस क्षेत्र में कहीं भी फसलों के नुकसान की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर मैं माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री हरिसिंह व 5 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में पुलिस के अत्याचारों की विभिन्न घटनाओं से जनता में व्याप्त भय और असुरक्षा की भावना तथा प्रान्त में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री भीमसेन चौधरी एवं 10 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर बार एसोसियेशन के एक अभिभावक के साथ दिनांक 10-2-94 को सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये कथित अभद्र व्यवहार व मारपीट के कारण उक्त बार एसोसियेशन के उक्त तिथि से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री परसराम मदेरणा एवं 22 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में पुलिस के अत्याचारों की विभिन्न घटनाओं से जनता में व्याप्त भय और असुरक्षा की भावना तथा प्रान्त में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर इसके पहले कि मैं कोई व्यवस्था दूं, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने विचार इस सम्बन्ध में स्वयं न रखें और इस कार्यवाही के तुरन्त बाद इस पर चर्चा होगी और माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य जितने भी इस सम्बन्ध में जो भी स्थगन प्रस्ताव रखे गये हैं उस पर अपने विचार रखेंगे और सरकार उसका जवाब देगी।

(6) श्री परसादीलाल मीणा एवं 7 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से लालसोट पंचायत समिति मुख्यालय में दिनांक 8 फरवरी, 1994 को लगाये गये परिवार कल्याण शिविर में सुनेमाबाद निवासी महिला श्रीमती लोहड़ी का नसबन्दी आपरेशन बिगड़ने तथा बाद में उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का जवाब आ गया है और वह जवाब माननीय सदस्य देख लें। अंत में उसमें लिखा हुआ है कि मुसम्मात लोहड़ी के परिवार वालों को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है इसलिए वह जवाब देख लें। इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर के लूणकरणसर निवासी श्री ईसरराय सोनी के घर दिनांक 13 सितम्बर, 93 की अर्द्ध रात्रि को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित हत्या, मारपीट एवं लूट की घटना की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन पोल व बिना पोल रुपये 8,000|- में दिये जाने से किसानों पर हो रहे आर्थिक भार के सम्बन्ध में।

(3) श्री बद्री प्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिजौलिया कस्बे को पेयजल की नियमित एवं समुचित आपूर्ति करने तथा फिल्टर प्लांट को चालू करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्यों में मतभेद, विवाद एवं सामंजस्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति तथा अध्यक्ष द्वारा की जा रही कथित वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(5) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में पेयजल की भयंकर समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आदिवासी जिला डूंगरपुर के जनजाति के काश्तकारों के अधूरे पड़े कुओं के कार्य को पूर्ण करवा कर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से डीडवाना जिला नागौर में सरकारी भूमि में उत्पादित नमक का क्रय सरकार द्वारा नहीं किये जाने से नमक मजदूरों को हो रहे आर्थिक संकट के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की विशेषकर जहाजपुर पंचायत समिति एवं कोटड़ी पंचायत समिति का पुनर्गठन करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती कमला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में दैनिक खुलने वाली लाटरी प्रथा को बन्द करवाने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले की खैरथल तहसील में निर्माणाधीन पानी की टंकी के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति तथा अब उसका पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के पश्चिमोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में पेयजल समुचित मात्रा में उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री फतेहसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लेम्पस उकाला के व्यवस्थापक द्वारा कन्ट्रोल का अनाज व शक्कर का वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू): अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट): साहब पहले मैंने कहा था, पहले मैंने निवेदन किया था, सबसे पहले मैंने आपको निवेदन किया था....

श्री अध्यक्ष: हां बोलिये।

श्री परसादी लाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, जैसी आपने व्यवस्था दी कि मरने वाली के किसी परिवारजन को कोई शिकायत नहीं है, यह सरासर गलत है। मैं रात को ही वहां से आया हूं, रात को ही वह सारे मेरे से मिले हैं। इनके अधिकारी वहां जाकर उनको प्रलोभन दे रहे हैं कि आप कैसे भी इस मामले को दबाइये। गलत उत्तर है, बिलकुल असत्य उत्तर है। हालत यह है उस औरत की, मेरे को अगर पूरी बात रखने का मौका दें, आपकी अनुमति हो, मुझे मौका दीजिये मैं आपसे अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में अच्छा यह होगा कि आप जो बता रहे हैं वह आप मन्त्रीजी को लिख कर दे दीजिये।

श्री परसादी लाल मीणा: स्टेटमेण्ट दें सरकार।....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। एक महिला की परिवार नियोजन में मृत्यु हुई है और उसके बाल-बच्चे छोटे-छोटे हैं, आज वे कहीं के भी नहीं रहे हैं और मन्त्रीजी कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों को शिकायत ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पहले आप वह जवाब पढ़िये।

श्री परसादी लाल मीणा: जवाब नहीं,

(श्री परसादी लाल मीणा)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाह रहा हूं कि सरकार स्टेटमेण्ट दे।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले सरकार का जवाब पढ लीजिये उसमें मुआवजा वगैरह सारी बातें लिखी हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : वह पढ़ कर मन्त्रीजी बता दें।

श्री अध्यक्ष : यह मन्त्रीजी का नहीं है। यह सरकार ने जवाब....

श्री परसादी लाल मीणा : हां, सरकार का जवाब है लेकिन....

श्री अध्यक्ष : पहले पढ लीजिये उसको।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, पढ़ूंगा मैं, सारे तथ्य रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप पहले जवाब को पढिये।

श्री परसादी लाल मीणा : सारे तथ्य रखूंगा, अध्यक्ष महोदय, एक महिला की मृत्यु हुई है।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब को पढ़िये फिर कोई तथ्य रखने की बात होगी।

श्री परसादी लाल मीणा : एक महिला की मृत्यु हुई है। वह मृत्यु लापरवाही से हुई है। उसकी डैड बाडी को अस्पताल में छोड़कर चले गये। उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया....

श्री अध्यक्ष : तो पहले पढ लीजिये आप। पहले पढ लीजिये। घनश्यामजी।

व्यवस्था का प्रश्न
स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एक ही मुद्दे पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि आपने अभी स्थगन प्रस्ताव के बारे में एक व्यवस्था दी है। मैं रूल 50 और 51 के तहत निवेदन करूंगा। माननीय मदेरणा साहब भी शायद सहमत होंगे। एक तो यह है कि आपने अनुमति दी है, 50 के अन्दर आप मुद्दा उठा सकते हैं। दूसरा यह है कि इसमें एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव पेश नहीं होंगे। एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विषय तक सीमित रहेगा। तो मेरा निवेदन यह है कि जो कानून और व्यवस्था के जनरल मामले एक साथ चार-पांच उठाये गये हैं तो एक विषय पर पहले आप अनुमति देंगे तो होगा। नहीं तो आप कई बार ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उस विषय पर मन्त्री वक्तव्य दे देते हैं और जिनसे प्रश्न पूछा जाये, पूछ सकते हैं।

दूसरा, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस समय धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है और जनरल डिबेट है। तो सारे कानून और व्यवस्था के मामले जनरल डिबेट में उठाये जा सकते हैं। सदन की परम्परा भी रही है कि जब बजट पर आम बहस हो और धन्यवाद प्रस्ताव पर जिस समय बहस हो उस समय इस प्रकार के विषय नहीं उठाये जायें। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक विषय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का अगर निश्चित समय हो और एक ही विषय पर स्थगन प्रस्ताव हो उसमें तो आप चाहें जिस प्रकार से बोलने की अनुमति दें। लॉ एण्ड आर्डर के मामले में जनरल डिबेट का स्वरूप ग्रहण कर लेगा और स्थगन प्रस्ताव द्वारा इस प्रकार की बात इस सदन में नहीं उठायी जा सकती। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो पुलिस के और कानून व व्यवस्था के मामले हैं, आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें ताकि सदन की जो परम्परा है वह बनी रहे। मैं समझता हूं कि माननीय मदेरणा साहब भी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि उनकी ऐसी परम्परा डाली हुई है और उनसे सुनी हुई बात मैं बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि वह मेरे इस मत से सहमत होंगे। धन्यवाद।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब आपने निर्णय दे दिया उसके बाद तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो तथ्य कहे हैं उसके बारे मे आपको कुछ कहना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका निर्णय है, शिरोधार्य है। अब जो आपने निर्णय दे दिया, इन्होंने कह दिया मैं मन्जूर करता हूं इस पर...

श्री अध्यक्ष : आप तथ्यों के बारे में कुछ कहें। परसरामजी कहें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, रूल्स आफ प्रोसिजर और कण्डक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 50 के अन्तर्गत एडजोर्नमेण्ट मोशन रखा जाता है तो इसका मतलब यह है कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये और मैटर को पहले लिया जाये। अध्यक्ष महोदय ने जो अभी व्यवस्था दी है, उन्होंने एडजोर्नमेण्ट मोशन को स्वीकार नहीं किया है। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइण्ट आफ आर्डर के जरिये जो बिन्दु उठाया है वह तब लागू होता जब एडजोर्नमेण्ट मोशन मन्जूर करने का प्रश्न आता है और वह वोट के लिए इस सदन में रख दें। There should be a definite matter of public importance. There should be a specific matter. यह स्पेसिफिक मैटर के सम्बन्ध में नहीं है। मैटर तो सभी स्पेसिफिक हैं, मैटर सभी डेफिनेट हैं और अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि एक-एक मुद्दे को रोज उठाया जाये, तो उस एक्सटेंट तक कि वह एडजोर्नमेण्ड मोशन स्वीकार नहीं किया जा रहा है, इस सदन के माननीय सदस्यों को उस पर अपने विचार रखने और अभिव्यक्ति देने के लिए एक अवसर अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था से दिया है, मैं ऐसा मानता हूं। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइण्ट आफ आर्डर के जरिये जो प्रश्न उठाया है, यह आपकी रूलिंग का जो पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं उसमें आप सक्षम डाक्टर नहीं हैं क्योंकि अध्यक्ष की रूलिंग को आप चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष की रूलिंग आ गयी है, अध्यक्ष की व्यवस्था से पूर्व आपको इस प्रश्न को उठाना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद अगर इस प्रश्न को आपको रेज करना है तो माननीय अध्यक्ष की

(श्री परसराम मदेरणा)

व्यवस्था को उनकी रूलिंग को चैलेन्ज करना है और यह चैलेन्ज करने की परम्परा अगर सत्तारूढ़ दल ने डाली तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं माननीय सदस्य उसका काफी अन्दाज लगा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय....

श्री परसराम मदेरणा : नेता महोदय, आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : पाइण्ट आफ आर्डर के ऊपर नेता महोदय नहीं बोला करते, यह भी एक परम्परा है। मुझे बोलने के निर्देश हुए थे इसलिए मैं बोला। अब आप इस तरह से बीच में खड़े होकर रूल्स आफ प्रोसिजर और कण्डक्ट आफ बिजनेस, जिसके आप ज्ञाता हैं, पर विवेचना करेंगे तो मैं समझता हूं कि लीडर आफ दी हाउस के लिए यह उपयुक्त नहीं है और जैसा आप ठीक समझें वैसा करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : पहले इनकी सुन लीजिये। यह कोई नयी बात बता रहे हैं।

श्री नाथूसिंह (राज्य मन्त्री, पंचायती राज) : अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य माननीय सदस्यों ने रूल 50 के तहत नोटिस दिया। अब रूल 50 के तहत नोटिस दिया तो रूल 50 ही इस पर लागू होगा because matter has to be specific. अध्यक्ष महोदय, रूल 50 की परिभाषा जो है, there should be a definite matter और 51 में दो और तीन पढ़िये आप।

श्री परसराम मदेरणा : पढ़ लिया सब। सब पढ़ा हुआ है।

श्री नाथूसिंह : "not more than one matter shall be discussed on the same motion"

और तीसरा है,

"the motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence".

अध्यक्ष महोदय, अब आप कह रहे हैं केवल डिस्कशन के लिए माननीय सदस्यों को समय दिया जा रहा है। कोई भी मैटर हाउस में डिस्कस होता है तो किसी रूल के तहत हो सकता है। आप दूसरे रूल के तहत 131 में दे दीजिये डिस्कस हो जायेगा। लेकिन इस रूल के तहत यह मैटर जनरल वे में डिस्कस नहीं हो सकता।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा के कार्यकाल में जब बिजली का एडजोर्नमेण्ट मोशन रखा गया था तो इसी प्रकार की व्यवस्था अध्यक्ष जी ने दी थी और उस पर चार घण्टे चर्चा हुई थी। एडजोर्नमेण्ट मोशन स्वीकार नहीं हुआ था, हाउस का बिजनेस एडजोर्न नहीं हुआ था। इस सदन के माननीय नेता स्वयं

(श्री परसराम मदेरणा)

भी यह बात जानते हैं कि उसी के अनुरूप यहां सदन में कई बार एडजोर्नमेण्ट मोशन को एक्सेप्ट नहीं करते हुए भी यह व्यवस्था आसन की तरफ से दी गई है। पब्लिक इम्पार्टेन्स, अविलम्बनीय लोक महत्व के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा हुई और चर्चा कई घण्टों तक हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मदेरणा साहब की इस बात से मैं सहमत हूं कि स्थगन प्रस्ताव तो आपने ले लिया, वह बात तो खतम हो गयी। लेकिन नोटिस रूल 50 के अन्तर्गत दिया है तो उसमें सदन की आज तक यह परम्परा रही है कि आप उचित समझते हो जिस किसी मामले में माननीय मन्त्री महोदय को वक्तव्य देने के आदेश दे देते हैं या पब्लिक इम्पार्टेन्स का मैटर आप समझते हैं तो उनको आप स्टेटमेण्ट के लिए कह देते हैं मन्त्री महोदय का स्टेटमेण्ट आने के बाद स्पष्टीकरण या जो भी बात कहना चाहें, माननीय सदस्य कह सकते हैं। उसी रूप में इसको स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन पहले सभी माननीय सदस्य उस पर अपने विचार रखें, उसके बाद मन्त्री बोलें, फिर विचार रखें, इस प्रकार की परम्परा तो कभी नहीं रही।

दूसरा, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही हो और बजट पर आम बहस चल रही हो, ऐसे दो प्रसंगों से कभी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या इस प्रकार के प्रस्ताव आसन द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये। तो मेरा आग्रह यह होगा कि जो पब्लिक इम्पोर्टेन्स के डेफिनेट मैटर हैं, माननीय मदेरणा साहब ने कहा कि उन पर चर्चा होनी चाहिये, तो आप उसको दूसरे रूप में देख सकते हैं। लेकिन अगर रूल 50 के अन्तर्गत व्यवस्था देनी है तो या तो एक विषय पर, जनरल पर नहीं, एक विषय पर आप मंत्री से वक्तव्य दिलाकर स्पष्टीकरण करवा सकते हैं। अन्यथा जनरल डिबेट के अन्दर यह सारे मामले माननीय सदस्य उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं। जितने मैटर्स आये हैं तीन दिन की धन्यवाद प्रस्ताव की बहस में जिन पर ध्यान दिलाया गया है, वह सब एक-एक करके हाउस में डिस्कस हुए हैं इसलिए उनकी पब्लिक इम्पार्टेन्स, एक डेफिनेट मैटर की बात तो खतम हो गयी क्योंकि वह बहस के अन्दर चर्चा में आ चुके हैं। सदन में जो बहस में, चर्चा में आ चुके हैं, अलग से उन पर बहस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, यह मेरा निवेदन है। मैं माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था को चेलेन्ज नहीं कर रहा हूं। व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन मैं नम्र निवेदन आसन से कर रहा हूं कि इस पर पुनर्विचार करें और सदन की परम्परानुसार इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : और किसी को इस बारे में कुछ कहना है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर देने वाले गलत आयेंगे, हम उससे वंचित रह जायेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस पर आप पुनर्विचार करके अपनी व्यवस्था दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : और किसी को इसके बारे में कुछ कहना है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब आपने रूलिंग दे दी उसके बाद इस पर कोई डिस्कशन हो नहीं सकता...... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने एडजोर्नमेण्ट मोशन दिया है केवल वही विचार व्यक्त कर पायेंगे, बाकी लोग तो बोल नहीं पायेंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ना।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कोई और विचार रखना चाहे तो, मेरा यह कहना है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अपना विचार दे रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय मुझे तो यही कहना है कि पहले भी मैंने एक बार निवेदन किया था कि जीरो-आॅवर को आप सीमित रखने के लिये जैसे पालियामेंट में हो रहा है कि एडजोर्नमेण्ट मोशन स्वीकार हो जाये तब तो बात दूसरी है, नहीं हो तो जैसे पालियामेण्ट के अन्दर आधा घण्टा दिया हैं वैसा कुछ सीमित रखने का भी आप कुछ विचार रखते हैं या नहीं रखते ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे नोटिस के ऊपर एक फैसला दिया है वह बीच का फैसला है, 'लाठी टूटे न भांडा फूटे' एक कहावत है। आपकी व्यवस्था भी न टूटे हमारा भी काम हो जाये। सत्तापक्ष की भी बात रहती है। एक रास्ता निकाला। उसको लीडर आॅफ दी हाउस ने मान लिया। उसके बाद में माननीय सदस्य द्वारा पॉइण्ट आॅफ आर्डर उठा कर आपकी व्यवस्था में संशोधन करवाने का मुझे कोई तुक और अर्थ नजर नहीं आता। प्रतिपक्ष के नेता ने बात कह दी। सदन के नेता कुछ कहना चाहते थे उन्होंने डिफन्स इल कर लिया। अब इस बात को बढ़ाने से क्या। बात कहनी है, आपने अच्छे ढंग से कहलवा दी वरना बात तो कही जाती और आपको सुननी पड़ती, नहीं सुनते तो कोई रास्ता आज निकलता और उसको मानना पड़ता। तो आज रास्ता निकाल दिया, आपने बड़ा सुन्दर रास्ता निकाला है, बहस हो जाये। आप भी बोलिए, लॉ एण्ड आर्डर पर, आपको कौन रोकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइण्ट आॅफ आर्डर के सम्बन्ध में नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल इसलिये कहना चाहता था कि इस पर कोई समय सीमा निश्चित कर दी जाये। वह आवश्यक इसलिये है कि और मैम्बर्स जो गवर्नर एड्रेस के ऊपर भाग लेना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं वह उससे महरूम न हों। इसके ऊपर समय निश्चित कर दिया जाये कि प्रतिपक्ष का इतना समय और सत्तापक्ष का इतना समय तो मैं प्रतिपक्ष के

एक माननीय सदस्य : सत्ता है कहां ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सत्ता हमारे पास है। इसलिये तो मैम्बर्स कह रहे थे,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यही बात कही कि आपको बोलने की छूट होगी, हमको छूट नहीं दी जायेगी, हम भी उसमें कुछ बात कह सकते हैं। वह तो अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता था कि यह डिबेट किसी हालत में आगे नहीं बढ़े क्योंकि आज पुलिस आफिसर्स अधिकांश राज्यों से आये हुए हैं, मुझे उनसे मिलना है, उसके आधार पर थोड़ा समय निश्चित हो जाये तो ज्यादा ठीक रहेगा,

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य-मंत्री महोदय, पुलिस की कल किसी विषय पर चर्चा हो रही थी और उन्होंने सरकार पर एस्पर्शन कास्ट किया है। पुलिस ऑफिसर्स के जो एण्टीकरप्शन के मामले हैं वह सरकार के पास भेज रहे हैं, पॉलिटिशियन्स उनको संरक्षण दे रहे हैं। इसलिये पुलिस आफिसर्स के बीच में तो जाइये लेकिन वह आपको भी बख्शने वाले नहीं हैं। एक बात।

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं इस बात को जानते हैं कि जब डी-कण्ट्रोल हुआ था फर्टिलाइजर्स का, उस वक्त भी स्टेटमेण्ट आया है। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पहले मिनिस्टर स्टेटमेण्ट दें फिर क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए।

उस वक्त भी यह प्रोसिजर रखा गया था, माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और जो प्रभारी मंत्री थे रामनारायणजी विश्नोई, उन्होंने उत्तर दिया। बिजली के मामले में उस वक्त भी बहस हुई थी चार घण्टे, उसका उत्तर भी इन लोगों के विचार आने के बाद में दिया, उन्होंने स्टेटमेण्ट दिया था। इसलिये यहां पर जो परम्पराए हैं, आप तो थे नहीं पिछले कार्यकाल में; भगवान की कृपा से दो दफा आप रह गये, जिस वक्त आप और मैं दोनों साथ थे, यहां तो आप थे नहीं पर परम्पराएं और पड़ चुकी हैं, आप उनको पढ़ लीजिए और जो परम्पराएं हैं उन परम्पराओं के अनुसार चलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, वह यह एडजोर्नमेण्ट मोशन देख लेते तो यह पता चल जाता कि इसमें डेफिनेट मैटर उठाया गया है और कानून एवं व्यवस्था की दशा बिलकुल शोचनीय है उसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने दस उदाहरण, ग्यारह उदाहरण दिये हैं। अब यह सवाल स्पेसिफिक है। सवाल यह है कि स्थगन प्रस्ताव आया है, उसे स्वीकार करना। मैंने अपनी व्यवस्था में यह कहा है कि इस पर व्यवस्था देने से पहले मैं माननीय सदस्यों के विचार जानना चाहता हूं। यह परम्परा पार्लियामेण्ट में भी है। पिछले दिनों पार्लियामेण्ट में एडजोर्नमेण्ट मोशन के बारे में कई मामले उठे हैं, तो वहां अध्यक्ष ने सुनकर उसको खारिज किया है। अभी दो तीन दिन पहले यू. पी. विधान सभा में भी यही पुलिस एट्रोसिटीज और कानून और व्यवस्था के ऊपर एडजोर्नमेण्ट मोशन आया है उस वक्त चर्चा चली है और बाद में वह खारिज कर दिया। एडजोर्नमेण्ट मोशन के बारे में, उसको एक्सेप्ट करना या खारिज करना, यह अभी तक मैंने डिवीजन दिया नहीं है और मैं इस निर्णय पर पहुंचने से पहले सुनना चाहता हूं और इस निमित्त

(श्री अध्यक्ष)

एक बहस हो जाये इसके लिये समय 3 घण्टे निर्धारित है। आप तीन घण्टे तक इस बहस को चलायेंगे, इसके बाद में यह बहस समाप्त हो जायेगी और फिर बाकी का कार्यक्रम चलेगा। वह तो मैं अपनी व्यवस्था दूंगा। सुनने के बाद में मैं एडजोर्नमेण्ट मोशन को एक्सेप्ट करूं या खारिज करूं यह व्यवस्था दूंगा और वह चर्चा समाप्त हो जायेगी। फिर यदि मेरी व्यवस्था के कारण चर्चा चालू होगी तो होगी, या नहीं होगी तो नहीं होगी। वह आगे की बात है। इसलिए जो कुछ भी मैंने व्यवस्था दी है वह परम्पराओं के अनुसार दी है। पार्लियामेण्ट में भी, अन्य विधान सभाओं में भी और इस विधान सभा में भी यह परम्परा रही है। इस पर समय निर्धारित है, अभी साढ़े बारह बजे हैं, ठीक साढ़े तीन बजे चर्चा समाप्त हो जायेगी। उसके बाद में यह चलेगी नहीं और इस चर्चा को मैं पहले सुन लेता हूं। बाकी कार्यक्रम 5 बजे तक चलता रहेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री कालीचरण सराफ : सत्ता पक्ष के बोलेंगे या केवल विपक्ष के बोलेंगे? क्योंकि स्थगन प्रस्ताव पर तो हम बोल नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, एडजोर्नमेण्ट मोशन पर सत्तापक्ष के लोग कोई अपनी जिम्मेदारी पर, रिस्क पर बोलना चाहें, तो बोलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : पर यही है, साहब, कि स्थगन प्रस्ताव पर तो हमारा कोई राइट नहीं है। दोनों पक्ष आने चाहिए इसके। कानून व्यवस्था के बारे में दोनों पक्ष आने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसलिए जब मैं व्यवस्था एडजोर्नमेण्ट मोशन पर दे रहा हूं तो एडजोर्नमेण्ट मोशन पर डिफेण्ड करने का अधिकार सरकार को है। सरकार अपने आपको डिफेण्ड करेगी, जवाब देगी जो भी प्रश्न उठेंगे और मैं समझता हूं कि यदि आप इस सम्बन्ध में प्रश्न एडजोर्नमेण्ट मोशन के माध्यम से उठाते हैं, ऐसी परम्परा है नहीं कि सत्तापक्ष के सदस्य····

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता उद्धृत कर रहे थे बिजली के मामले में इसी के आधार पर पहले डिस्कशन हुए हैं उसमें सत्तापक्ष के सदस्यों को भी मौका दिया गया है। बिजली पर डिबेट हुई है उस समय दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : बिजली पर डिबेट एडजोर्नमेण्ट मोशन से····

श्री नाथूसिंह : बिजली से पीड़ित तो सब····

श्री परसराम मदेरणा : आप पीड़ित नहीं हैं। आप बोलेंगे पुलिस के खिलाफ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट।

श्री रामनारायण : माननीय अध्यक्षजी, मेरे सब्र का पारा टूट रहा है।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 25 फरवरी, 94 से 8 मार्च, 94 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा ने अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दिनांक 25 फरवरी, 94 से 8 मार्च, 94 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गयी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्षजी, मेरा जहां तक ख्याल है पूरे 12 बजे से आपको निवेदन करता आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो दिन भर करिये निवेदन आप तो 12 बजे से, you have to do it····

श्री रामनारायण : मुझे काफी पीड़ा हो रही है।····

श्री अध्यक्ष : इसमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हाउस में बैठकर निवेदन करने का आपका अधिकार है। निवेदन करते रहिये आप····

श्री रामनारायण : मुझे पीड़ा इसलिए हो रही है, अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा क्षोभ है कि जो फसल आज की तारीख में····

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। इसके लिए मैंने इस सम्बन्ध में आपको अनुमति नहीं दी है। आप अंकित मत करिये।

श्री रामनारायण : ×××

श्री अध्यक्ष : आपको इस विषय पर मैंने व्यवस्था में कहा है कि अनुमति नहीं दी जायेगी इसलिए मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आपका एक शब्द भी रिकार्ड में नहीं आयेगा। बोलते रहिये आप।

श्री रामनारायण : ×××

श्री अध्यक्ष : बोलते रहिये फिर, आपको बोलने का शौक है, आप बोलिये। जोगेश्वरजी, क्या कह रहे थे ?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 फरवरी को जो हादसा हुआ है।

श्री रामनारायण : ×××

श्री अध्यक्ष : आप नियम पढ़कर आइये। अध्यक्ष की अनुमति का सवाल नहीं है तो फिर सदस्य विधान सभा····

श्री रामनारायण : ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : बोलिये, जोगेश्वरजी ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लिया जाये ।....

श्री जोगेश्वर गर्ग : शुक्रवार को दोपहर को 3 बजे के लगभग जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर मेडिकल कालेज के एक लड़के को उसी कालेज के दूसरे लड़के ने बीच रास्ते में नंगा किया है और उसको मुर्गा बनाया है। संयोग से वह लड़का, जिसको नंगा किया गया है और मुर्गा बनाया है, अनुसूचित जाति का है और इस सम्बन्ध में एफ. आई. आर. दर्ज हुई है मोतीडूंगरी थाने में। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

लगभग 17 घण्टे हो गये हैं और वह लड़का बराबर धमकियां दे रहा है इस लड़के को और उसकी मदद करने वाले लड़कों को भी वह लगातार धमकियां दे रहा है। इसलिए मामला गम्भीर होता जा रहा है. उसके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जाये, ऐसा मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल खोईवाल ।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, 29–1–94 को माननीय मुख्य मन्त्रीजी की अध्यक्षता में राहत कार्यों सम्बन्धी एक बैठक सचिवालय में आयोजित की गयी थी उसमें राहत मन्त्रीजी के अतिरिक्त मुख्य सचिव और 8–9 शासन सचिव स्तर के अधिकारीगण उपस्थित थे, उसके जो मिनिट्स ड्रा किये हैं उसके पैरा नम्बर 10 में यह निर्णय लिया गया है कि सिंचाई विभाग राहत कार्यों में एनीकट निर्माण का कार्य हाथ में नहीं लेगा । यह एनीकट्स का काम सिंचाई विभाग हाथ में नहीं लेगा । इसके अतिरिक्त किस मंशा से यह किया गया है इसके बारे में एक परिपत्र इरिगेशन डिपार्टमेण्ट के माध्यम से जारी किया गया था वह अंग्रेजी में है :

"Please refer to the above office order vide which guidelines for construction of anicuts were issued. It was instructed for irrigation tanks, heving dependability of less than 75%, no anicuts should be coustructed."

इसमें जो एनीकट्स निर्माण नहीं करने के निर्देश दिये हैं किन परिस्थितियों में उसमें लिखा है कि वाटर टैंक पीने के पानी के लिए पूरे डिपेण्डेन्ट हैं उसके कैचमेंट एरिया में कोई एनीकट निर्माण नहीं किये जायें। मेरा निवेदन, अध्यक्ष महोदय यह है कि बीसलपुर परियोजना के कैचमेंट में आने वाले जो क्षेत्र हैं, उदयपुर, राजसमन्द और चित्तौड़ यह तीन जिले आते हैं और वह 300 किलोमीटर दूर है वहां से, वहां पर गोसुण्डा डेम के निर्माण के बाद नदी के नीचे जो पानी रुका करता था पहले, वह पूरी नदी सूख चुकी है, वहां पर करीब 9–10 लिफ्ट स्कीम हैं जिनका निर्माण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए किया गया था आज उनमें एक भी बून्द पानी नहीं है और अब वहां पर वापस उन लिफ्ट स्कीम्स को आपरेट करने के लिए एनीकट बनाये जायें तो आपके इस सक्यूलर के कारण व्यवधान पैदा हो गया है। बीसलपुर परि-

Page No.63

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

योजना से 300 किलोमीटर दूर क्षेत्र जिसका कोई लेना-देना नहीं है, वहां पर पानी के कोई स्रोत नहीं हैं, गोगुन्दा डेम के कारण भी पानी सूख चुका है, वहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या एनीकट्स नहीं बनाने के सरकार निर्देश देगी। यदि इस प्रकार के निर्देश देगी तो वहाँ के लोगों का क्या होगा, वहाँ के किसानों का क्या होगा, जो लिफ्ट स्कीम लागू है उसको किस तरह से आपरेट करेंगे, किसान कैसे जिन्दा रहेंगे? वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, कुओं में पानी नहीं है। इस क्षेत्र में घास नहीं है। रेलमगरा तहसील में चार इंच बरसात हुई है। तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी इसके बारे में पुनर्विचार करें...

श्री अध्यक्ष : आपकी बात आ गयी है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्र जो दूसरों के कारण लाभ से वंचित हो गये हैं....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। आप भाषण दे रहे हैं। आपने मैटर ला दिया सरकार के ध्यान में...(व्यवधान) बस, विराजिये आप।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तोड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। इतनी-सी बात है कि बीसलपुर परियोजना के कारण, रिपेरियन थ्यौरी जिसके आधार पर हम पंजाब से पानी ले रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी उसी के आधार पर हुई है, रिपेरियन थ्यौरी के अन्दर कैचमेंट एरिया 'एज ए होल' को डवलप करना पड़ेगा और बीसलपुर परियोजना का एक्सटेन्शन और उसका अतिरिक्त पानी और गेशन में काम में आये और चित्तौड, उदयपुर और अन्य जिले जिनको कैचमेण्ट एरिया में सम्मिलित किया गया है उस जिले का उपयोग उसमें नहीं आये तो रिपेरियन थ्यौरी का भी हनन होगा और वापस किसानों का भी नुकसान होगा। इस चीज का पुनर्निर्माण करना चाहिए।

एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट बीसलपुर परियोजना की सी. डब्ल्यू. सी. को भेजी है उसमें बहुत भारी गलतियां हैं और उसके आधार पर जितना एक्स्ट्रा पानी का होना चाहिए वह नहीं निर्धारण नहीं हुआ है और इन एनीकट्स और छोटे बांधों का अगर निर्माण रुका तो सारे अजमेर जिले का और आस-पास के क्षेत्र का ही सिर्फ विकास होगा और बाकी सबका बंटाधार हो जायेगा। इसलिए इसका पुनर्निमाण होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा (व्यवधान) आर्डर प्लीज, बैठिये। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राचीन काल का और चन्द्रगुप्त मौर्य के राज के वक्त का इतिहास पढते हैं तो यह स्पष्ट विदित होता है कि किसी भी राज्य सरकार को और प्रशासन को चलाने के लिए, कानून और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए फोर्स

(श्री परसराम मदेरणा)

रखी जाती है ग्रौर उस फोर्स में कई प्रकार की ब्रान्चेज होती हैं ग्रौर खास तौर से उसमें

(12.37)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, समापति पदासीन ।)

इन्टेलीजेंस ब्रांच ग्रौर दूसरी ब्रांचों का जिक्र किया गया है । कौटिल्य के ग्रर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख किया गया है । मैं यह निवेदन कर रहा था कि पूरे देश में ग्रौर दुनिया भर में ग्राज मानव ग्रधिकारों के हनन के सम्बन्ध में बहुत चर्चाएं उठ रही हैं ग्रौर ग्रभी जिनेवा में मानवाधिकार कमीशन की भी बैठक चल रही है उसमें भी इस विषय पर संसार भर के देशों के ग्रन्दर जो मानव के ग्रधिकारों के प्रति कुठाराघात रहे हैं, चोट हो रही है उस सम्बन्ध में चर्चाएं हो रही हैं ।

सभापति महोदय, देश के ग्राजादी के बाद में हमारे देश में लोकतन्त्रीय व्यवस्था कायम हुई है ग्रौर हिन्दुस्तान के संविधान को देश की जनता ने ग्रपने ग्रापको दिया है ग्रौर जो उसका प्रिएम्बल है, माननीय मुख्य मन्त्री जी को रटा हुग्रा है ग्रौर उन्होंने ग्रागे भी इस सदन में दो दफा पढ़ा था मैं उनका, ग्रध्यक्ष महोदय, इस ओर ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं । जो संविधान है वह हिन्दुस्तान की जनता ने स्वयं को दिया है ग्रौर इसलिए इस गणराज्य में सम्प्रभुता है वह भारत सरकार की या राजस्थान की सरकार में नहीं है लेकिन हिन्दुस्तान की जनता में है और इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि देश की ग्राजादी के बाद में मनुष्य की गरिमा, डिग्निटी मेजिस्टी ग्रौर उसके फण्डामेन्टल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान में ग्रलग-ग्रलग ग्रनुच्छेद हैं ग्रौर राजस्थान की सरकार को भी कानून ग्रौर व्यवस्था बनाये रखने के लिए बढ़ती हुई ग्राबादी के साथ में जो एक उपभोक्ता कल्चर प्रारम्भ हो रही है ग्रौर येन-केन प्रकारेण जो एक प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, किसी तरह से रातों-रात ही मालामाल बन जायें, इस कारण लूटपाट, डाकाजनी ग्रौर हत्याग्रों के भी मामले हो रहे हैं । उसके साथ ही हम ग्रखबारों में पढ़ रहे हैं बलात्कार के भी कई मामले देश में ग्राज से नहीं बल्कि लम्बे ग्ररसे से होते चले ग्राये हैं ।

सभापति महोदय, मैं जब यहां पर पुलिस प्रशासन की बात करता हूं, हमारी सरकार ने ग्रागे बढ़ कर यह बात कही है ग्रौर राज्यपाल महोदय का ग्रभिभाषण 31 दिसम्बर को हुग्रा था, 31 दिसम्बर ग्रौर 23 फरवरी, दोनों ही ग्रभिभाषणों में सरकार ने इस बात को दुहराया है कि हम स्वच्छ ग्रौर संवेदनशील प्रशासन देंगे । प्रशासन जयपुर के सैक्रेटेरिएट के कैटाकाम्ब मे किसी तरह पलो नहीं होता है, प्रशासन के ग्रलग-ग्रलग ग्रंग हैं इसलिए ग्रगर वे संवेदनशील नहीं हैं, रेस्पांसिबल नहीं हैं तो प्रशासन रेस्पांसिबल नही हो सकता । ग्रभी मुख्य मन्त्रीजी गये थे जोधपुर ग्रौर जोधपुर कलक्टर को प्रशासन संवेदनशील रहे इसके ग्रापने निर्देश दिये थे । दूसरे ही दिन उन्होंने तहसीलदार से लेकर बी. डी. ग्रो. तक ग्राफिसर्स को बुलाया ग्रौर ये निर्देश दिये कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता को प्रथम कर्त्तव्य मानकर प्रायोरिटी दे रही है, ग्रगर इसमें लापरवाही हुई तो उस ग्रधिकारी

(श्री परसराम मदेरणा)

को डेरेलिक्शन आफ ड्यूटी के लिए पनिश किया जा सकता है, यह वार्निंग भी दी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, और गृह मन्त्री जी आपको भी, कि पुलिस को जो पावर्स दिये गये हैं इण्डियन क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के अन्तर्गत, उस सम्बन्ध में आपने कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेण्ट पढ़ा होगा। जिस वक्त वर्तमान मुख्य मन्त्री गृह मन्त्री थे और कुछ लोगों का घेराव किया गया था उस वक्त जिन लोगों ने रिट पिटीशन की थी वे बंदी बना लिये गये थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह जजमेण्ट दिया कि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के सैक्शन 174 और 156 में जो अख्तियारात या स्वीपिंग पावर्स दिये गये हैं वे भारत के राष्ट्रपति को नहीं हैं। जजमेण्ट में यहां तक लिखा है कि जब किसी भी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में कोई भी काग्निजेबल आफेंस कमिट होगा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आटोमेटिकली रोल करेगा। क्योंकि उसको ये पावर्स इसलिए दिये गये हैं कि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। यह निरंकुश सत्ता भी जो उनको सौंपी है, जो अधिकार सौंपे हैं, जो पावर्स दिये हैं इसलिए ताकि अपराधीजनों की धरपकड़ की जाये, उनको कानून के हवाले किया जाये।

सभापति महोदय, लेकिन एक प्रवृत्ति पुलिस में जगह-जगह परिलक्षित हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हुई और राजस्थान में भी हुई है। मुख्य मन्त्रीजी जिस दिन यहां शपथ ले रहे थे 4 दिसम्बर को, तब पुलिस की कस्टडी से भीलवाड़ा में एक व्यक्ति कूद गया, जीप के नीचे आकर उसने आत्महत्या कर ली। भीलवाड़ा बन्द रहा। इधर मुख्य मन्त्रीजी शपथ ले रहे थे और उधर हिन्दुस्तान का एक नागरिक अपने आप को जीप के पहियों के नीचे ला रहा था। तो कुछ भी घटनाएं स्पेसिफिक हैं, डेफिनिट हैं. जो एडजार्नमेण्ट मोशन के जरिये इस सदन में रखी गयी हैं उनमें से ज्यादातर घटनाएं, सिवाय एक-दो के, 10 फरवरी के बाद की हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस सोवरीन सदन को आहूत कर लिया गया था, राजस्थान के अखबारों में इस बात की सूचना सभी नागरिकों को थी और पुलिस को खास तौर से थी। यह तो देखने में आया है कि पुलिस अपराधों के नियन्त्रण में अपनी कारगर भूमिका नहीं निभाती। यह भी आया है देखने में कि वह निरंकुश अधिकारों का प्रयोग करते हुए समाज के कण्टकों और अपराध करने वालों की अपराधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है और यह बात भी ध्यान में आती रही है छंटे हुए बदमाशों से पुलिस सांठ-गांठ किये हुए रहती है, उनको दलाल बनाये रखती है। लेकिन, सभापति महोदय, पुलिस खुद अपराध करना प्रारम्भ कर दे और पुलिस स्टेशन के परिसर में अगर जघन्य अपराध होना प्रारम्भ हो गये तो रुल आफ ला नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। रुल आफ जंगल हो जायेगा, पुलिस राज कायम हो जायेगा। इसलिए जब आप मुझे कह रहे थे कि आप कुछ प्रश्न पूछ लीजिए....

श्री सभापति : वह बदल गयी भाषा। मैं अब यहां बैठा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अभी आप

(श्री परसराम मदेरणा)

चेयर पर विराजमान हैं इसलिए उस वक्त बोलने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं। मैं आसन के प्रति आदर प्रकट करते हुए यह निवेदन करूंगा कि प्रश्न एक हो तो पूछा जाये। लेकिन प्रश्न ही पूछे जायेंगे इसलिए मैं सबसे पहले स्पेसिफिक क्वेश्चन लेता हूं।

यह जो जुगताराम प्रकरण है जिसमें उसका जेनीटल कट-आफ किया गया, पुलिस यह कहती है कि यह आत्महत्या का मामला था। हमने उसको बुलाया तो था एक केस में पूछताछ के लिए। 363 और 366 आई. पी. सी. में हमारे पास विचाराधीन था। उस सिलसिले में वह अपने आप चलकर पुलिस स्टेशन आया, 11 बजे आया प्रातःकाल 5 फरवरी को और 11.40 पर गया और ब्लेड से अपना गुप्तांग काटकर क्राइम ब्रांच को दी गयी थी। छिपाकर आकर बैठ गया इस सम्बन्ध में पहले जांच क्राइम ब्रांच के एक डी. एस. पी. वहां पहुंच भी गये थे। 15 तारीख की शाम को और उन्होंने स्टेटमेण्ट सैक्शन 161 के लिए रिकार्ड करना प्रारम्भ भी कर दिया था और कई स्टेटमेण्ट ले भी लिये थे। उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया और दूसरे एडीशनल एस. पी. को इन्वेस्टीगेशन एनट्रस्ट कर दिया गया। इसके क्या कारण थे मुझे मालूम नहीं. अभी यह बताइये आपके स्टेटमेण्ट में। एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है। जुगताराम कहता है कि मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन में बैरक्स में मेरे साथ मारपीट होती रही। पहले मारपीट की और फिर ए. एस. आई. ने मेरे गाल और मुंह दबाकर दूसरे कांस्टेबल ने मेरा जेनीटल काट दिया। कौनसी तारीख को जुगताराम की कम्पलेण्ट को आगे रजिस्टर किया? पुलिस लापरवाही करती रही। किस्सा पुलिस के अनुसार भी जो बता रहे हैं, उन्होंने एफ. आई. आर. दी है एस. एच. ओ. सदर ने। एस एच. ओ. सदर ने एफ. आई. आर. इसलिए दी है कि पुलिस स्टेशन सदर बाड़मेर की सीमा में तो है लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन रूरल एरिया है। कोतवाली पुलिस का जुरिस्डिक्शन है इसलिए सदर पुलिस के एस. एच. ओ. ने एफ. आई. आर. कोतवाली पुलिस को भेजी है। 12 बजे के बाद या एक बजे के बाद, लेकिन एक बजे नहीं भेजी है, साढे छह बजे भेजी है जब डिस्टेंस वहां से एक किलोमीटर है और जुगताराम जो अपनी एफ. आई. आर. दे रहा है वह किस्सा बता रहा है कि जिस वक्त मेरे साथ अत्याचार किया, जघन्य अपराध किया पुलिस वालों ने, साथ में जिस शराब के ठेकेदार के यहां मैं नौकर था वह भी इस षड्यन्त्र में शामिल था, वहां खड़ा था और निगरानी कर रहा था, वह किस्सा बता रहा है साढ़े सात और सवा आठ-साढ़े आठ बजे के बीच का। अगर वह किस्सा सही है कि साढ़े छह बजे रात को जाकर पुलिस हरकत में आती है, इसका मतलब यह है कि पुलिस इस केस को दबाने के लिए, लीपापोती करने के लिए, इसमें हेराफेरी करने के लिए षड्यन्त्र करती रही। उसके बाद उन्होंने एक झूठी कहानी बनायी है और बनाकर इस प्रकार की एफ. आई. आर. दी है। मैं यह सोच नहीं सकता कि हिन्दुस्तान में किसी नागरिक को अगर उसके खिलाफ कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं है तो दो तारीख से पुलिस थाने में किसलिए रख रही थी। अगर पुलिस की कस्टडी थी तो रांगफुल कस्टडी

(श्री परसराम मदेरणा)

थी। अगर रांगफुल कन्फाइनमेण्ट था और उसी को लेकर कुछ लोगों को आपने मस्पेण्ड किया है तो मैं, गृह मन्त्री जी, आप से एक बात पूछना चाहता हूं। आपने कुछ लोगों को मस्पैंड किया उसकी मुझे जानकारी नहीं है, आपने उनके खिलाफ क्या जुर्म रजिस्टर्ड किया है? लेकिन यह बात निश्चित है और यह ह्यूमन कोर्स ऑफ कंडक्ट से बिलकुल विपरीत दिखती है, कोई आदमी मुसाइड करने के लिए पुलिस स्टेशन में खुद चलकर जाता है और पौन घण्टे तक बैठ करके ब्लड निकाल करके झाड़ियों में चला जाता है। झाड़ियों-बाड़ियों का आप कह रहे हैं, अभी वह भी चेन्ज कर दिया शायद वापस, एक के बाद एक शिफ्टिंग ग्राउण्ड ले रहे हैं।

मैं, सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह एक किस्सा नहीं है, बाड़मेर के अन्दर दिसम्बर के महीने में एक इन्स्पेक्टर इन्द्रसिंह के लड़के को उसी तरह से पुलिस चौकी के बिलकुल पीछे मृत पाया और वह ए. एस. आई. जालौर में तैनात है, उसने एफ. आई. आर. दर्ज करायी है उसमें लिखा है कि पुलिस ए.एस. आई. शामिल था, कांस्टेबल शामिल था, एक शराब का ठेकेदार शामिल था। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अखबारों में यह बात भी आयी है कि उसने यह शिकायत यहां पर क्राइम ब्रांच के इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस के सामने भी की है। उन्होंने हिदायत ही नहीं दी है, काफी निर्देश दिये हैं कि पुलिस के ही किसी अधिकारी के लड़के का कतल हो जाये, मर्डर हो जाये और उनके बाद में पुलिस हरकत में न आये। यह किस्सा पहले जहां पर यह पुलिस स्टेशन जियोग्राफिकली सिचुएटेड है उससे एक कि.मी. दूर नहीं है और यही नहीं 15 तारीख को ही बाड़मेर के अन्दर एक जेल के अन्दर दूसरी घटना घटी। वहां पर एक हैड कांस्टेबल था उसने गोमाराम की गुदा में यह डण्डा होता है पुलिस के पास, चार फीट वाला होता है और भी डण्डे होते हैं, वह चार फीट वाला था या कौनसा था, वह घुसा दिया, वह लहूलुहान हो गया, उसने यह कम्पलेंट की की है। यह मैं बाड़मेर की एक के बाद एक घटना बताता हूं जिसमें पुलिस स्वयं अपराध कर रही है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : यह जो केस है, यह जेल का केस है। हालांकि मैं जवाब दे दूंगा। यह जेल में हुआ है। आपके पास जो सूचना है वह पुलिस कस्टडी में होने की, वह असत्य है। यह जेल में हुआ है यह मैं करेक्ट करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : गृह मन्त्रीजी की मजबूरी को मैं समझता हूं, बाकी यह सब डिटेल में स्टेटमेण्ट देंगे और जो भी शंकाएं हैं, या पुलिस अभी किस तरह का इन्वेस्टीगेशन कर रही है उसकी क्या स्टेज है? मैं यह मानता हूं, जेल पहले तो एक सैपरेट डिपार्टमेण्ट था और उसके बाद में आप पुलिस के किसी भी आदमी जिसे डी. जी. का सुपरएन्यूसेशन देना है, उस आ.ई. पी. एस. ऑफिसर को जेल का डी. जी. लगा रहे हैं। वहां पर सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट है वह आपके डिपार्टमेण्ट का है। आप पुलिस को समय-समय पर जेल में तैनात करते रहते हैं चाहे वह डेपुटेशन पर ही हो।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं यह कह रहा हूं कि बाड़मेर के अन्दर एक के बाद एक किस्सा हो रहा है और उसमें भी एक हैड कांस्टेबल इन्वाल्व है। इसलिए मैं एक एक्जाम्पल दे रहा हूं और तथ्य आपके पास में नहीं हैं। (व्यवधान)

इसी प्रकार से 11 तारीख को, सभापति महोदय, सिरोही के अन्दर रोहिड़ा गांव में नेनाराम रावल, जो बेचारा बीमार था, कराह रहा था अन्दर, दो कांस्टेबल पुलिस स्टेशन से अपने घर जा रहे थे, उन्होंने अन्दर जाकर के खूब उसकी पिटाई की और बाहर सड़क पर पीटते हुए लाये जिससे उसका दम निकल गया। उनको भी सस्पैंड किया किया गया है और शायद इन्वेस्टीगेशन चल रहा है और तो और इसी 12 तारीख को कृषि विश्वविद्यालय की शाखा उदयपुर का स्टूडेण्ट हारून रशीद जब पुलिस स्टेशन नाथद्वारा के आगे से निकल रहा था तो उससे चौथ वसूली जो करते हैं, यह तो, गृह मंत्रीजी, आप जानें कि पुलिस वाले रात के वक्त में सड़क पर खड़े-खड़े किस प्रकार से वसूली करते हैं और फिर उसको अन्दर ले जाकर उसकी पिटाई की जोरदार तो वह बेहोश हो गया। उसको दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में ले जाकर रात को सड़क पर डाल दिया गया और दूसरे पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल वहां से गुजर रहा था, किसी गाड़ी में या और कुछ में, उसने देखा एक्सीडेण्ट केस है, उसको ले जाकर उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वह तीन दिन तक बेहोश रहा, उसको होश आया, उसकी हालत खराब है इसलिए न्यूरो सर्जरी के वार्ड के अन्दर भर्ती है, वह रिसर्च स्टूडेण्ट है।

यही नहीं, सभापति, महोदय, आजकल वाहन मेला स्टेडियम के पास में मेरे पड़ोस में लग रहा है, 19 तारीख की रात को एक इन्स्पेक्टर कामर्शियल टैक्सेज जब अपने घर जा रहा था, उससे पहले एक डी. वाई. एस. पी. ने जो स्कूटर नया खरीदा, गेट पर उन्होंने कहा कि स्कूटर जो नया खरीदता है उसको एक पास दिया जाता है कि आपने टैक्स पेमेण्ट कर दिया है, क्योंकि वह खड़ा था तो चौकीदार ने यह बात की, चौकीदार का डण्डा छीनकर एक तो उसके टिकायी और फिर स्कूटर वहां से लेकर चले गये, वाई चान्स ऐसा हुआ कि वही डी. वाई. एस. पी. गोपालपुरा बाईपास पर ट्रेफिक जाम हो गया था उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया, वह अपने घर जा रहा था मालवीय नगर में, देखते ही उसको पकड़ा, खूब उसकी ठुकाई की और पुलिस स्टेशन बजाज नगर लाये और बजाज नगर लाकर के उसकी ठुकाई करते रहे। इस तरह से अगर कोई भी आदमी अपनी ड्यूटी को अन्जाम देने के लिए वहां खड़ा था, जब चौकीदार ने डी. वाई. एस. पी. से पूछा है, जब स्कूटर लेकर के वे जा रहे थे, खरीदा किसी और ने था, डी. वाई. एस. पी. चला रहा था तो इतना वैमनस्य रखें जबकि यह मालूम है कि असेम्बली दो-तीन दिन के बाद में होने वाली है। पुलिस जिस तरह से ब्लैक, मैडनेस, फौजी के साथ में इस प्रकार के जघन्य अपराधों और जुल्म करने के लिए उतारू हुई है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो खतरा, गृह मन्त्रीजी, आपको

(श्री परसराम मदेरणा)

और मुझे बराबर है और इसलिए मैं निवेदन कर रहा था।

श्री सभापति : ज्यादा किसको है ?

श्री परसराम मदेरणा : ज्यादा तो मुझे ही है क्योंकि ये बैचलर हैं, इनकी फेमिली नहीं है, ठुकाई भी होगी तो एक की होगी और किसी की होने वाली नहीं है। मेरे परिवार में दूसरे लोगों की हो सकती है उसकी शंका है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसी प्रकार से सीकरी के अन्दर जिस व्यक्ति को पुलिस ने मारा है वहां पर एजीटेशन हुआ है और जुडिशियल जांच की बार-बार मांग वहां की जनता कर रही है। इसी प्रकार के मामले पुलिस खड़ी-खड़ी देखती रहे और नावां के अन्दर दुकानों में लूटपाट करते रहें असामाजिक तत्व। पुलिस ने उस पर कार्यवाही नहीं की क्योंकि पुलिस की मिलीभगत थी।

यही नहीं, एक एडवोकेट की पिटाई अच्छी तरह से आपने की है और मुख्य मंत्रीजी ने उसको बीच में कर दिया, थोड़ा बहुत बदला-बदली की है शर्मा एडवोकेट को अच्छी तरह से। गाड़िया भी नहीं दी हैं जो आई. पी. एस. आफिसर ट्रेनिंग में है। अगर उनकी ट्रेनिंग यही है कि निर्दोष नागरिकों की और एडवोकेटस की इस तरह से निर्ममता से पिटाई करें पुलिस स्टेशन के अन्दर स्वयं डीवाई. एस. पी. करें, यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन पुलिस वालों को शुरू में ही यह सिखाया जाता है और आप देख लीजिये, गृह मंत्रीजी, किसी भी केस के अन्दर चाहे वह निर्दोष आदमी हो, आप भी खड़े-खड़े किसी एक्सीडेण्ट को देख रहे हैं और आपका बयान लेने के लिए आपको तलब किया जाता है, अभी भी आदमी पुलिस स्टेशन में घुसते ही उसके कुछ तो लातें ठोकी जायेंगी, फिर कुछ घूंसे मारे जायेंगे, फिर पट्टे से उसकी ठुकाई होगी। आप आते ही किसी आदमी को वहां डिमोरलाइज इस तरह से करना चाहते हैं ताकि वहां पर एक भय और आतंक फैला रहे कि पुलिस में गया नहीं और उसकी ठुकाई हुई नहीं। तो इसलिए किसी को गलत करने के लिए आते हैं तो पैसे देकर के, कांस्टेबल से मिल करके यह भी एक पुलिस सांठ-गांठ है, शायद गृह मंत्रीजी को इस बात की जानकारी होगी।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, ऐसे बहुत से मामले हैं उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य विस्तार से रखेंगे। मैं, सभापति महोदय, आपके निर्देशानुसार जब आप वहां विराजमान थे अपनी सीट पर, आप चाहते थे कि कुछ क्वेश्चन पूछे जायें और इसलिए, गृह मंत्रीजी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। अगर जुगताराम का केस सुसाइड केस था और उसने अपने आप ही पुलिस स्टेशन के परिसर में आ करके मरने के लिए अपने आर्गन को काटा था और इसकी सूचना कुछ

(13.00)

ही मिनटों के अन्दर हो गयी, पुलिस के एस. एच. ओ. सोहनसिंहजी मौजूद थे उनको

(श्री परसराम मदेरणा)

हैड-कांस्टेबल ने बुलाया तो उसके बाद में पुलिस 6 घण्टे और 50 मिनट तक कुम्भकर्ण की नींद सोती रही ? यह प्रश्न नम्बर एक।

सभापति महोदय, प्रश्न नम्बर दो, जब जुगताराम ने 5 तारीख को एस. पी., जिन्होंने उसी दिन चार्ज लिया था एफ. आई. आर. सर्किट हाउस, बाड़मेर में दे दी अगर दूसरे दिन 6 तारीख को प्रदर्शन नहीं होता और प्रदर्शन होने के बहुत बाद में 6 तारीख को शाम को जाकर एफ. आई. आर. जुगताराम की दर्ज की, जुगताराम के बयान पहले मजिस्ट्रेट के पास भी करा लिये थे हास्पिटल मे एडमिट करते ही 5 तारीख को डिक्लेरेशन के तौर पर कि शायद यह मर जाय, जब एफ. आई. आर. आ गयी। काग्नीजेबल आफेंस है, काग्नीजेबल आफेंस में 326 और 307 के इन्ग्रीडियेंट्स और 34 के इन्ग्रीडियेंट्स, रांग कस्टोडियन के इन्ग्रीडियेंट्स जो हैं, उस सैक्शन में अगर बखूबी साबित करते हुए प्राइमाफेसी केस बन रहा था तो आपने इस केस को 15 घण्टे तक एफ. आई. आर. देने के बाद भी रजिस्ट्रर क्यों नहीं किया ?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जब पुलिस जुगताराम को हास्पिटल ले गयी, करीबन एक बजे के आस-पास 5 तारीख को, तो पुलिस अपने साथ उस जेनीटल उसके शरीर का वह पोर्शन था उसके आर्गन का उसको साथ क्यों नहीं ले गयी ? सभापति महोदय, मैं यह क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि जब थानेदार साहब को टेलीफोन किया गया और सोहनसिंह वहां पहुंचे और पुलिस स्टेशन पहुंचते ही एफ. आई. आर. उन्होंने दर्ज की है उसमें वे कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि तेरे क्या हुआ, तो उसने यह बताया कि मैंने अपना लिंग मरने के लिए स्वयं ने काटा है और साथ ही अपनी पेंट की जेब में से कटे हुए लिंग का भाग भी दिखाया। जब उसकी पेंट की जेब में उसने लिंग डाल दिया था, गृह मंत्रीजी, वह कोई खिलौना था जो उसने अन्दर डाल दिया उसने काट करके और वह फिर बता रहा है कि यह पड़ा यहां पर ? अगर उसकी जेब में था तो जेब से निकाला किसने और इलाज के लिए आप ले गये थे पुलिस स्टेशन स्टेशन से, उस पोर्शन को आप साथ क्यों नहीं ले गये ?

मेरा चौथा क्वेश्चन यह है कि यहां पर प्लास्टिक सर्जरी के डाक्टर वगैरह भी पूछ रहे हैं और आपके डाक्टरों से ही पूछ रहे हैं कि वह कटा हुआ पोर्शन कहां है ? आपने उसको कहीं रखा है सेफ या नहीं रखा है ? क्योंकि अगर उसकी स्थिति ऐसी जोड़ने की, अमेरिका में आपको शायद मालूम है कि पिछले महीने में आया था यहां पर, बहुत लम्बा चौड़ा केस था, इसी तरह से एक वाइफ ने अपने हस्बैंड का जेनीटल काट दिया था लेकिन वह जल्दी ही मिल गया बाहर और मिलने के बाद में उसका आपरेशन हो गया, चार घण्टे में आपरेशन हुआ। ये सब बातें इंगलिश पेपर्स में बहुत डिटेल्स में आयी हैं और जूरी ने भी उसको बरी कर दिया, क्योंकि वह उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ रेप कर रहा था इसलिए उसको बरी कर दिया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

मेरा चौथा क्वेश्चन यह है कि जुगताराम के खिलाफ कोई भी केस काग्नीजेबल नान-काग्नीजेबल, बेलेबल या नान-बेलेबल पुलिस स्टेशन, सदर में पंजीकृत है क्या? और पंजीकृत नहीं है तो उसको कस्टडी में क्यों रखा गया? सदर इंस्पेक्टर ने अपनी एफ. आई. आर. में यह बात लिखी है कि निवेदन है कि मुकदमा नम्बर 20/94 अण्डर धारा 363-366 आई. पी. सी. थाना पुलिस बाड़मेर ने पूछताछ के लिए तलब शुदा श्री जुगताराम पुत्र-अमराराम जाट निवासी सनी, आज तारीख 5-2-94 को रात 11 बजे पर खुद हाजिर थाना आया। अगर आपने पूछताछ के लिए तलब किया है उसको, किसी भी नागरिक को आप पुलिस स्टेशन में कोर्ट की राय के बिना नहीं बुला सकते पूछताछ के लिए क्योंकि केस दूसरा है, तो आपने कोई नोटिस उसको सम्मन करने का पुलिस स्टेशन सदर में दिया था या नहीं दिया, मेरा यह क्वेश्चन है? और इसके आगे क्वेश्चन यह है, गृह मंत्रीजी, कि आपने जो अभी तक इन्क्वायरी की है, सीनियर आदमी आपके दो-दो डी. आई. जी. और एस पीज. वगैरह वहां मौके पर चले गये हैं, यह पूरी स्टोरी जो गढ़ी गयी है पुलिस के जनरल रजिस्टर में थाने के कर्मचारियों ने, सब.इन्सपेक्टर से लेकर और ए. एस आई. और हैड-कान्स्टेबल और कान्स्टेबल तक की जनरल रजिस्टर में आमद और रवानगी दिखायी जाती है, इस आमद और रवानगी में रजिस्टर खाली पड़ा रहता है, एक बहुत बड़ा षड़यन्त्र रचा गया है ताकि किसी तरह इस केस को रफा-दफा कर दिया जाये, क्या यह बात आपके सीनियर पुलिस अधिकारियों के ध्यान में आयी है?

इसके साथ ही दूसरा मेरा क्वेश्चन यह है, आपने जुगताराम की एफ. आई. आर. के ऊपर केस रजिस्टर किया है पुलिस स्टेशन कोतवाली में वह अण्डर सैक्शन 342, 343, 330, 384 और शायद 120 बी. में किया है लेकिन जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है उनके खिलाफ यही सैक्शन लगाये हैं, इन सैक्शन्स के अपराध लगाये हैं, आपने 307 का केस रजिस्टर नहीं किया है, आपने 309 का जुगताराम के खिलाफ तो सुसाइड का केस रजिस्टर किया है, जान-बूझकर आपने यह सीरियस आफेंस कमिट किया है, पुलिस ने, ताकि जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है उनकी बेल हो जाये? यह आपकी पुलिस का एक षड़यन्त्र है और इस षड़यन्त्र को आपको विफल करना चाहिए क्योंकि आप संवेदनशील हैं। आपके पास मेडिकल रिपोर्ट आयी होगी। जिस वक्त जुगताराम को हास्पिटल ले जाया गया 5 तारीख को, सर्जन इमीजियेटली उस कटे हुए स्थान को देखकर बता सकता है कि जेनीटल जो काटा गया है वह नीचे की तरफ से धारदार औजार से काटा गया है और पत्ती से सम्भव ही नहीं है कि नीचे से बैठकर वह धीरे-धीरे काट रहा था। कोई गत्ता नहीं चढ़ा रहा था किताब के जो कागज काट रहा था वहां बैठे-बैठे। मेरी समझ में नहीं आयी यह स्टोरी जो बनायी गयी है, इस देश में कितने ऐसे केसेज हुए हैं, गृह मंत्रीजी, जहां पर किसी आदमी ने सुसाइड करने के लिए अपना आर्गन काटा हो। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि एक नहीं मैंने 5-6

(श्री परसराम मदेरणा)

केसेज बताये जिनमें पुलिस ने स्वयं अपराध किया है।

अभी थोड़े दिन पहले एक महिला को नेकेड करके घुमाया गया उत्तर प्रदेश में और वह हरिजन महिला थी। लेकिन यहां पर पुलिस मर्डर करे, झालावाड़ में मर्डर किया है, पुलिस स्टूडेंट को पीटकर बाहर डाल देती है जब असेम्बली सम्मन हो गयी है, पुलिस परिसर के अन्दर जुगताराम का मेल आर्गन काटा गया, सब-इंस्पेक्टर के लड़के का कत्ल करके वहां पर डाल दिया, पोस्ट-मार्टम में यह साफ लिखा है कि किसी भी हैवी चीज से स्ट्रक किया है, यह पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट है इन्द्रसिंह के लड़के जयदेव की और इसी प्रकार सीकरी में आपने किया है, इन्सपेक्टर पुलिस के किसी अधिकारी को ठोक रहे हैं जब वह अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। एडवोकेट का तो आज नोबल प्रोफेशन है, जो अपना एक खास स्थान रखता है। रूल आफ लॉ में, उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। आप किसी आदमी को, पुलिस स्टेशन के अन्दर लिखा हुआ है–'मेरे योग्य सेवा''.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): ''सेवा मन्दिर''।

श्री परसराम मदेरणा: मुख्य मन्त्रीजी, आप नहीं कहेंगे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि आप इस विभाग में रह चुके हैं इसलिए आप सब जानते हैं और जानते हुए भी अगर आप गैर जानकार बनना चाहें तो आपकी मर्जी की बात है। आपका अनुभव यहां बैठकर बता दें, यहां नहीं बतायें तो स्पीकर के चैम्बर में बता दें तो उपयुक्त रहेगा। लेकिन आप अन्दाज लगा सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। कर तो रहे हैं कुछ और आज इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक्सीडेंट वगैरह में इस प्रकार के दो केसेज मुझे डाक्टर बता रही थी कि यहां पर आये थे लेकिन देश भर के अन्दर सुसाइड का यह अपने आप में पहला केस है और यह समाज के लिए और सरकार के लिए + + + की बात ही नहीं है, बहुत बड़ा कलंक है, कलंक का कार्य है। आप किसी भी नागरिक को बेआबरू करना चाहते हैं, बेस करना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, उसका कोई जुर्म नहीं है, कोई बात नहीं है, वह खड़ा है और आपने ठोकना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने चौथ नहीं दी, क्योंकि उसने कानून का निर्वहन करने के लिए और अपनी ड्यूटी का अंजाम देने के लिए आपसे बात पूछा। पहले चौकीदार को ठोक दिया और फिर इंस्पेक्टर को पीट रहे हैं, जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए ऐसे घोर कृत्य और दुष्कृत्य पुलिस स्टेशनों में यहां प्रारम्भ हो गये हैं तो नागरिक अपने आपको सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, यह बहुत गम्भीर मामला है। इस घोर कृत्य के लिए मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी बाड़मेर से बात की थी कि इसकी चिकित्सा के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत गरीब आदमी है और परसों इसके पास एक पैसा भी नहीं था, कुछ मैं

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

मेरे पास से देकर आया था इसलिए इसका इलाज आप लेटेस्ट साइन्टिफिक सर्जरी से करवायें, माइक्रो सर्जरी किस अस्पताल में ले जाकर करवाई जा सकती है, क्योंकि इसमें और बात तो साबित होगी या नहीं होगी यह मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, गृह मंत्रीजी, कि जघन्य अपराध किया है यह बात निश्चित तौर पर साबित होगी, केस सी. बी. आई. के पास चला गया है। अगर गरीब आदमी है तो उसकी सर्जरी के सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार को उस खर्चे को वहन करना चाहिए। और उसकी माइक्रो सर्जरी करवानी चाहिए, यह मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है।

पुलिस गिरोह के रूप में काम नहीं कर रही है बल्कि संस्थागत और व्यावसायिक गिरोह जिस तरह से काम करता है उस तरह से काम कर रही है। आपने 5 लोगों को सस्पैण्ड तो कर दिया है लेकिन वहां 7-8 आदमी और बैठे हुए हैं पूरी की पूरी एविडेंस को डस्ट्राय करने के लिए और विटनेसेज को टेम्परविद करने के लिए उन पर प्रेशर डालने के लिए पूरी की पूरी पुलिस लगी हुई है। मैंने यह बात डी. आई. जी. से भी कही थी जब वह दूसरी दफा वहां 11-12 को आये थे। जोधपुर में उनसे भी कही थी कि एविडेंस को डेस्ट्राय कर रहे हैं इसलिए आपको मेहरबानी करके पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में जितने भी कर्मचारी है उनका आउट ऑफ डिविजन ट्रांसफर करना चाहिए....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खतम कर देना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : इस एट्रोसियस, हीनस और बीस्टली कर्म के लिए जितनी पुलिस की भर्त्सना की जाये वह कम है। गृह मंत्रीजी, मेहरबानी करके, 4 फीट का डण्डा दे रखा है लेकिन आप पुलिस को उस्तरा मत पकड़वाइये और अगर उस्तरा पकड़वायेंगे तो आज तो किसी के जेनीटल पर अटैक किया है, कल को कहीं पर भी कर देंगे, किसी के नाक-कान पर भी कर सकते हैं और डिसफीगर करके रख देंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत गम्भीर मामला है, आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य प्रशासन ने और आपके गृह विभाग ने इस क्राइम के कमीशन के बाद में किस तरह के क्या स्टेप्स लिए हैं जिन स्टेप्स की वजह से जस्ट इम्पार्ट हो सके।

आपके स्टेटमेंट के बाद में, सभापति महोदय, मैं क्वेश्चन पूछने के मेरे अधिकार को रिजर्व रखता हूं, क्योंकि स्टेटमेंट इनका बाद में आयेगा, इनके स्टेटमेंट से जो भी प्रश्न खड़े होंगे उनके सम्बन्ध में बाद में क्वेश्चन पूछने की अनुमति पहले लेना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ, गृह मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी ने आपको विभाग दे दिया और बहुत से माननीय सदस्यों को खुशी हुई कि आपको यह विभाग मिला लेकिन आपके विभाग में आते ही जिस तरह से पुलिस बर्सर्क हो गयी है पागलों और जानवरों की तरह से बिहेव कर रही है, नागरिकों के ऊपर जो अमानवीय अत्याचार कर रही है, दुष्कर्म कर रही है इसको आप कारगर ढंग से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, बीकानेर के बार एसोसिएशन के सदस्य के साथ 10 तारीख को घटना हुई, वकील को पहचानते हुए डी. एस. पी. ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, गाली-गलौच और मार-पीट की और उसके बाद में बार एसोसिएशन के सदस्यगण अपना डेपुटेशन लेकर जिलाधीश के पास पहुंचे तो उस पर जिलाधीश ने किसी भी तरह से एफ आई. आर. दर्ज करने से इंकार कर दिया। पुलिस प्रशासन के पास गये, पुलिस प्रशासन ने भी एफ. आई. आर. दर्ज करने से इंकार कर दिया। इस तरह से एक अमानवीय घटना एक संभ्रान्त नागरिक के साथ वहां पर की। उन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज न करके हमारे संविधान का उल्लंघन किया, जो एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। एडवोकेट्स के 7 दिन तक बराबर आंदोलन करने के बावजूद पुलिस द्वारा निरंकुशता जाहिर की गयी और जिला प्रशासन ने आदेश दिया कि एफ. आई. आर. दर्ज कर ली जाये इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने अपनी निरंकुशता बरती और 7 दिन तक जद्दोजहद के बाद सारा प्रकरण दर्ज किया गया। उसके बाद में एस. पी. ने वहां पर अपनी अहम् भूमिका निभाई और इस बात का ध्यान रखा कि मैं जैसा चाहूं और मैं जो कहूं वही हो। इस बात को लेकर सारे वकील 7 दिन तक अपनी हड़ताल पर रहे, हड़ताल करनी पड़ी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की निरंकुश पुलिस है जो हमारे समाज के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती, ऐसी सरकार के लिए वहां के एडवोकेट्स ने प्रस्ताव पास कर यह निवेदन किया था कि जो सरकार अपने संविधान के तहत दिये गये अधिकारों का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर सकती, जो प्रशासन अपने नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम हो, उस प्रशासन को प्रशासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा प्रस्ताव वहां की बार एसोसिएशन ने पास किया और राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय से इसमें हस्तक्षेप करने की उन्होंने मांग की।

मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसमें हस्तक्षेप किया और इस प्रकरण को सही ढंग से निपटाने का प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि इस तरह की ज्यादतियां भविष्य में न हों और आप संवेदनशीलता बरतना चाहते हैं तो यह निरंकुशता बरदाश्त करने के काबिल नहीं है।

मेरे लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में एक सोनी परिवार के दो लोगों की हत्या कर दी गयी और 5 आदमियों को मरणासन्न हालत में छोड़ गये और आज तक 4 महीने गुजरने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में बानबालिया में तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी, आज तक इस प्रकरण में भी किसी तरह का पुलिस प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। इस तरह से उस इलाके के लोगों में असुरक्षा की भावना घर कर गयी है इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ठीक ढंग से व्यवस्था की जानी चाहिए। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रामेश्वरलाल चौधरी (अनुपस्थित)। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर बहुत ही गम्भीर और जघन्य अपराध के बारे में चर्चा हो रही है। जब देश के अन्दर रक्षक ही भक्षक बन जायेंगे तो फिर इस देश का और जनता का रखवाला कौन होगा? जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जायेगी तो फिर खेत में क्या पैदा होगा? यह हालत आज हमारे सामने होती चली जा रही है। परम आदरणीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अभी बतलाया वह सत्य है। बाड़मेर और जोधपुर के अन्दर अभी जो कुछ हुआ है और भी कई जगहों पर इस प्रकार के अपराध हुए हैं। उसको देखने से पता चलता है कि आज पुलिस पर कोई अंकुश नहीं रहा है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया या इस पर विचार नहीं किया गया, सदन ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया तो आगे आने वाले भविष्य में आप और हमारे साथ में भी सब कुछ हो सकता है। अपराधी अपराधी होते हैं। बड़े-बड़े अफसरों को पुलिस के संरक्षण में रहना पड़ता है, उनकी भी रक्षा पुलिस ही करती है। अगर इस तरह के अपराधी पुलिस अफसर या सिपाही या थाने के इन्चार्ज हुए तो आपका, हमारा और अफसरों का जीना दूभर हो जायेगा।

ये जो अपराध हुए है, एक जुगताराम के साथ ही अन्याय नहीं हुआ है। यह जुगताराम शादी-शुदा था। इसकी शादी हो चुकी थी। मैं स्वयं गया हूं हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता के साथ। मैं अस्पताल में गया हूं, हम 5 विधायक साथ में थे। जुगताराम से बातचीत भी हुई थीं। उसके साथ क्या गुजरा है, वह रोता हुआ हमको जो दास्तान सुना रहा था, वह बातें यहां कहने लायक नहीं रही हैं। कहता था, मेरी शादी भी हो गयी है, यह अन्याय मेरे साथ में नहीं हुआ है, मेरी उस दूल्हन के साथ क्या होगा, मेरा अभी तक गौना भी नहीं हुआ है। यह नारी के साथ अन्याय है। यह जुगताराम के साथ नहीं, नारी के साथ अन्याय है। उसका दामन छीन लिया गया है, उसका सारा जीवन किस प्रकार से तड़पकर निकलेगा, यह तो नारी ही जानती है। इसलिए आप इस अपराध को वैसे ही नहीं लें। यह कोई पार्टीबाजी का मामला नहीं है। यह मामला मानवता का है, मानवता के साथ आघात किया गया है और वह भी पुलिस थाने के अन्दर। क्या कोई व्यक्ति अपनी आत्महत्या अपने गुप्तांग को काटकर कर सकता है? आत्महत्या अगर उसको करनी होती तो वह फांसी पर भी लटक सकता था, पुलिस में क्यों आता? वह कहीं और जा करके कर सकता था और सेल्फोस भी खा सकता था जो आजकल खाये जा रहे हैं। लेकिन एक नयी बात सुनने को मिली है कि पुलिस थाने में कोई व्यक्ति जाये और वहां जाकर अपने गुप्तांग को काट ले। कहां से उसके पास हथियार आया, कहां से उसके पास पत्ती आ गयी, सारी चीजें आ गयीं और उसके बाद में वह थाने में बैठा रहा? ये बातें मनगढंत हैं, इससे स्पष्ट पता चलता है कि वास्तव में उसके साथ एक योजना थी। शराब का ठेकेदार जिसके यहां वो नौकरी करता था, उस ठेकेदार ने सारा षड्यन्त्र रचवाया था। पुलिस वालों से वो मिल गया था। पुलिस वालों ने इसमें क्या किया, क्या नहीं किया, यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह किस प्रकार से मिले, उन्होंने कितनी बड़ी रिश्वत

(श्री रामस्वरूप मीणा)

खायी होगी इसमें। क्या कारण बना इसका? उसको थाने में बुलाकर पहले मारपीट की, उसके दिमाग में भय बैठा रहा। आज भी इतना भय बैठा हुआ था, माननीय सभापति महोदय, वह हमको बयान करने में हिचकिचा रहा था, डर रहा था कौन आ गये बयान लेने के लिए. बार-बारकौन पूछता है मेरे को आकर? हमने कहा, तू इतना क्यों डर रहा है। उसने कहा कि मुझे पुलिस का भय है, मुझे पहले वहां मारा गया था, पट्टों से मारा था मुझे पहले, उसके ऊपर पटक दिया गया था, कम्बल बिछा दिया गया था और कम्बल बिछाने के बाद में उसके साथ क्या-क्या व्यवहार किया. वह बातें तो ऐसी थीं, आप भी शायद वहां मौजूद होते तो रोने लग जाते आप। इसलिए बड़े शर्म की बात है सदन के अन्दर अगर इस प्रकार का मामला आये। उसको सुला दिया, उसके बाद में नीचे छुरा रख दिया गया और रगड़ कर उसके गुप्तांग को काटा गया। ऐसा अपराध शायद हिन्दुस्तान में सुनने को नहीं मिला और वह भी थाने के अन्दर। यहां पर मैं कोई थानों की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उस अपराध की बुराई कर रहा हूं जो थाने के अन्दर हुए हैं, उन रक्षकों ने किये हैं। इसलिए आज सारा सदन इस बात के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करें कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। चाहे कोई भी उनको संरक्षण देते हैं या उनका कोई हिमायती बनता है तो हिमायती बनने वालों के साथ में यह व्यवहार किया जाये, उनकी भी निन्दा की जाये। मैं मानता हूं अच्छे अफसर भी हैं दुनिया में तारीफ करो उन अच्छे अफसरों की। लेकिन वे लोग जो थाने के अन्दर बैठे हुए हैं, थानों के अन्दर शराबखोरी बहुत बढ़ चुकी है, ऐसे अपराध बगैर शराबखोरी के नहीं कर सकता आदमी। थानों में ये तो शराब पीते हैं फोकट की। चले जाओ, माननीय मंत्री महोदय, एस. सी. के बने हैं, मैं भी एस.टी. का हूं, मुझे गर्व हुआ था आप गृह मंत्री बने थे जिस दिन लेकिन आज दुःख की बात है आपके बनने के बाद और पहले इस प्रकार के अपराध चालू हो गये। इससे तो अच्छा है. आप बनते ही नहीं मंत्री। अगर आप मंत्री बन गये हैं तो आप इसको गम्भीरता से लें और थानों में जो शराब पी जाती है, आप कभी भी चले जाओ, चैक कर लेना रात में जाकर कभी भी, आपको शराब पीते हुए, बोतलें गिलास खनखनाते हुए मिलेंगे और रात में उनका क्या जवाब मिलता है, यह भी देख लेना। इसलिए मैं आपसे, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्रीजी, कि थानों का दौरा करें, जाकर चैक करें उनको, रात में इन थानों के अन्दर किस प्रकार शराबबाजी होती है और क्या-क्या बाजियां होती हैं वह भी आप जानते हैं। जब एक व्यक्ति का निर्दयता के साथ इस प्रकार गुप्तांग काट दिया जाये, एक का नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई बेचारी नारी का क्या होगा, जिसका दामन छीन लिया गया, उसका सारा जीवन अब तड़पकर निकलेगा, इस बात को जरा सा भी नहीं सोचा. इससे पता चलता है कि अपराधवृत्ति कितनी बढ़ चुकी है दया नाम की चीज नहीं रही इनके अन्दर बिलकुल ही, ये कसाई हो गये हैं कसाई। कसाई तो केवल एक जानवर को काटता है। ये जीवन भर तड़पेगा आदमी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

और पत्नी भी जीवन भर तड़पेगी इसलिए इनकी जितनी भर्त्सना की जाये थोड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता ने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है. इस प्रकार का अपराध थानों में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां पर हिण्डौन में एक बार इस प्रकार का अपराध हुआ था। एक महिला को थाने में अन्दर रख दिया गया था, उसके बाद में उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ था। मेरे क्षेत्र के अन्दर चार थाने हैं। महावीरजी के अन्दर वजीरपुर थाने के अन्दर, टोडाभीम थाने के अन्दर अभी महुआ थाने के अन्दर की बात है, वहां के महंत की हत्या हुई, टोडाभीम में कदमखुंडी स्थान, वहां पर एक महंत की हत्या हुई ...

श्री सभापति : ये आप जो लिस्ट दी गयी है वहां तक सीमित रखिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : पुलिस वहां पर मौजूद थी, पास में थाना भी था, थाने की मौजूदगी में इस प्रकार का हत्याकांड हुआ है। चार-चार महंत मार दिये जाते हैं। यह भी पुलिस की बात है, मैं पुलिस की चर्चा कर रहा हूं, साहब। जब महंत मार दिये जायेंगे, आप राम की बात करते हैं, हमारी सरकार धर्म की बात करती है. मैं कहता हूं मन्दिर के पुजारी मारे जायें, चार-चार पुजारी मार दिये, साहब, एक नहीं, चार पुजारियों को आज तक पता नहीं कौन मार गया। कौन रक्षक होगा फिर उनका। धर्म की बात करने वालों की बात कर रहा हूं। इसलिए जयश्री राम का नारा जो दिया वह खाली ढकोसला है। उसके आदर्शों पर चलो। रामजी के राज के अन्दर जरा-भी कोई बात हो जाती थी, एक धोबी के कहने पर अपनी खास प्रिया को भगवान ने त्याग दिया था। एक खाली धोबी के कहने पर। वह राम राज था। राम राज की बात करने वालों के टाइम में पुजारियों की हत्या और बेचारे जुगताराम का गुप्तांग काट दिया गया, नारी के साथ अन्याय किया गया। ये सारी बातें इस राज में हो रही हैं इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय इस बात को गम्भीरता से लेंगे, माननीय मुख्य मंत्री गम्भीरता से लेंगे और थानों में जहां भी कोई इस प्रकार के केस हुए हैं, उनकी जांच आप करायेंगे और आने वाले भविष्य में इस प्रकार के अपराध नहीं हों, ऐसे लोगों को आप सरेआम दण्डित करायेंगे, काला मुंह करेंगे। उन लोगों को समाज के सामने बतायेंगे कि ये हत्यारे हैं, ये बुरे काम करने वाले हैं, इन्होंने इस प्रकार का जघन्य अपराध किया है। ऐसे व्यक्तियों को सामने रखें, पुलिस इसमें कोई भेदभाव नहीं करे। पुलिस यह नहीं सोचे कि हमारी पुलिस के साथ ऐसा हुआ है। नहीं, वे तो पुलिस वाले हैं ही नहीं, वे तो अन्यायी हैं। पुलिस वाले अन्यायी हो गये इसलिए पुलिस को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिये, उनको दण्ड दिलवाने में सहयोग करना चाहिये इस बात के लिए।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, पुनः यही कहूंगा कि आप गृह मंत्री बने हैं, आप हमारे एस. सी. एस टी. के हो, आप जाइये, थानों का मौका देखिये रात में क्या हो रहा है थानों के अन्दर और अपराध की

(श्री रामस्वरूप मीणा)

प्रवृत्ति बढ़ी है, इनको का तो आप मिटा दीजिये वरना ऐसे मंत्री बनने से कोई लाभ नहीं है। आप एस. सी.. एस. टी. को और बदनाम मत करो। रोको इन थानों को। एक आदर्श पैदा करो, हमारा कोई गृह मंत्री बना था, बहुत दिनों से इन्तजार हो रहा था कि एस. सी., एस. टी. का बनेगा। आप बन गये, बहुत खुशी हुई हमको लेकिन अपराध नहीं होने चाहिये। ये अपराध हो रहे हैं, बहुत बुरे हो रहे हैं। मेरे साथी धन्यवाद दे रहे थे, इनको बना दिया गया, बहुत अच्छा किया है, हमारे एस. सी., एस. टी. का गृह मंत्री बना है, बड़ी-बड़ी तारीफें हो रही थीं लेकिन इन अपराधियों की तारीफ नहीं होगी जिन्होंने अपराध किये हैं। उनको आप दण्ड दिलवाइये और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराइये। आप थानों के अन्दर जाकर इनकी जांच करें और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको दण्ड दें। मेरा पुनः आपसे निवेदन है आपके माध्यम से, मेरे क्षेत्र के अन्दर जो कुछ अपराध हुए हैं, उनकी भी आप साथ ही जांच कराइये और जो भी अपराध हुए हैं या होने वाले हैं, उन पर अंकुश लगायें, यही मेरा निवेदन है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, सदन ने आज बड़ी खामोशी के साथ जिस गम्भीर विषय पर विचार करने के लिए समय दिया है, यह कोई पक्ष-प्रतिपक्ष के आपसी वाद-संवाद का विषय नहीं है, मामला एक ऐसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि यदि यह व्यवस्था किसी भी कारण से शिथिल होती है तो इससे न केवल कानूनी, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी बल्कि राजस्थान जो स्तर कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में अन्य राज्यों के बनिस्वत लिये हुए हैं, उससे भी काफी गिरावट की ओर जायेगा। आज जो ये कह रहे हैं कि पुलिस केवल अत्याचार ही अत्याचार कर रही है, मैं पुलिस पर कोई ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। पुलिस के ऐसे कारनामे भी हैं जो सराहनीय रहे हैं। पुलिस के ऐसे कार्यों की सराहना हुई है जो अनुकरणीय रहे हैं। मैंने डी. जी. साहब को उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया कि पुलिस का यह कार्य प्रशंसनीय रहा है। लेकिन सारे प्रशंसनीय कार्यों के बावजूद एक छोटा-सा काम ऐसा हो जाये जिसके चलते पुलिस पर या प्रशासन पर बदनुमा दाग लगता है तो यह बड़ी चिन्ता विषय है।

जुगताराम का काम तो हो गया, जो आर्गन काटा गया यह भी हो गया, इन्द्रसिंह इंस्पेक्टर के बेटे की हत्या भी हो गयी, डॉक्टर को पकड़कर पीट भी दिया गया, किसी सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर को सरे बाजार पकड़कर थाने में ले जाकर पीट दिया गया ये सारी बातें घटित हुई हैं। इनके पीछे क्या कारण हैं, पुलिस का इनमें कितना हाथ है यह सदन को तय करना होगा। यह अलग सब्जेक्ट है लेकिन सदन को आज यह तय करना होगा कि आखिर ये सब घटनायें क्यों घटित हो रही हैं। अकारण पुलिस पर यह ब्लेम लगता हो, ऐसा मैं नहीं समझता पुलिस का इन सब मामलों में किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं निश्चित रूप से

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हाथ है। यह जो प्रशासन में सोच डवलप हुआ है, खास तौर से पुलिस के थानों में ले जाकर अत्याचार करना थानों में ले जाकर बुरी तरह से पीटना, यह जो सोच डवलप हुआ है यह एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे निश्चित रूप से ऐसे कारण बने हैं या हमारी कुछ सामाजिक व्यवस्थाएँ इसके लिए दोषी हैं या यों कहिए कि राजनीतिक संरक्षण इसके लिए दोषी है। किसी भी रूप में कहिए इसके पीछे एक ऐसी गहरी सोच है। एक ऐसा दुष्कृत्य है जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। आज पुलिस के जो मदोन्मत अधिकारी है या साधारण पुलिसकर्मी है उन्होंने एक वहशियाना तरीका अख्तियार कर लिया है। यह न केवल निंदनीय है बल्कि इसको किस तरह से रोका जायेगा यह भी विचारणीय है। आज हमने सदन में बैठकर चर्चा कर ली, इससे पहले भी कई बार पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ इस सदन में चर्चा हुई है लेकिन उनके परिणाम पहले भी वही थे और आज भी यह कहने हुए कतई संकोच महसूस नहीं कर रहा हूं कि जो हम हश्र पहले वाले हादसों का हुआ है वही हश्र इनका भी होगा। तो क्या यह सिलसिला जारी रहेगा? आज इस सदन के माध्यम से हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह जो सोच पुलिसकर्मियों में डवलप हुआ है इस पर किस तरह से रोक लगे। जो घटना घटित हो गयी उसकी आप भरपाई नहीं कर सकते। जुगताराम के साथ जो घृणित कृत्य हो गया, जो उम्र भर की पीड़ा आपने उसको दे दी उसको हम वापस नहीं लौटा सकते लेकिन आने वाले कल को हम किस तरह से सुनिश्चित करें कि पुलिस का व्यवहार वास्तव में मैत्राभाव का होगा, यह हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है बजाय इसके कि कल क्या होगा। जो कुछ भी घटित हुआ उसमें सजा देने के लिए आपके पास बहुत से साधन हैं, सदन भी सक्षम है इस बात के लिए कि जिन्होंने ऐसा दुष्कृत्य किया है उनको सजा मिलनी चाहिए।

माननीय समापति महोदय, जो दुष्कृत्य हुआ है और खास तौर से बोर्डर इलाके में जिस तरह से हुआ है वह और भी चिन्ता का विषय है। बाड़मेर का बोर्डर इलाका है उसमें यह कृत्य हुआ है यह साधारण-सा कृत्य नहीं है, इसके पीछे वहां के पुलिस के अधिकारी हैं वे इतने उच्छृंखल हो रहे हैं कि न केवल वे वहां पर मर्डर करते हैं बल्कि बोर्डर पर वे तस्करी का काम भी करते हैं शराब का काम भी करते हैं और जितने भी नाजायज धंधे वे कर सकते हैं, बोर्डर पर बैठकर करते हैं। एक ओर हमारे जवान ऐसे दुष्कृत्यों को रोकने के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं और दूसरी ओर वे ही अधिकारी वहां बैठकर गलत कृत्य करते हैं। वह जवान अपने अच्छे कार्यों का प्रतिफल पाता या नहीं पाता, वह तो सिवाय अपनी मौत के और अपने परिवार को बिलखता हुआ छोड़कर जाने के कुछ नहीं पाता लेकिन ये अधिकारी जो आये दिन ऐसे दुष्कृत्य करते हैं, ऐसे घृणित कृत्य करते हैं ये बड़ी मौज और मस्ती में रहते हैं। इसके लिए यदि मैं यह निवेदन करना चाहूं कि खास तौर से जो अपने बोर्डर एरियाज हैं उनमें जो भी उच्चाधिकारी या थानाधिकारी या जो भी स्टाफ डेपुट किया जाये वह उच्च चरित्र का होना चाहिए। यह मामला न केवल लोकल संरक्षण का है न केवल वहां

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लॉ एण्ड आर्डर का है बल्कि यह मामला बोर्डर से जुड़ा हुआ है इसलिए वहाँ खास तौर से इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मजबूर होकर मैं कह रहा हूं। मैं यह नही कहता कि सरकार कि इसमें कोई भागीदारी है या उसकी कोई सहभागिता है लेकिन बावजूद इसके मैं यह कहने को मजबूर हूं, आपकी इस नपुसंक सरकार के द्वारा जो यह कृत्य हुआ है, पुलिस ने नपुसकता का एक नया आयाम पैदा कर दिया है। इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी चिल्ला-चिल्ली मची, उसके बावजूद आज तक राज्य सरकार द्वारा एक छोटा-सा इस तरह का बयान नहीं दिया गया कि इस पीड़ित मानव मो हम हर तरह की सहायता उपलब्ध करायेंगे, भले ही इसका राजस्थान में इलाज हो या हिन्दुस्तान के किसी एक कौने में इसका इलाज हो, हम इसका इलाज करायेंगे। इनका यह कर्त्तव्य बनता था। पुलिस के संरक्षण में जहां इंसान यह महसूस करता है कि मैं यहां सुरक्षित हूं वहां उसके साथ इस तरह की घटना घटी, क्या यह जायज थी ?

माननीय सभापति महोदय, इससे पहले पुलिस का एक अदना-सा सिपाही जब किसी मोहल्ले में या किसी बस्ती में जाता था तो उसका इतना आदर होता था कि लोग उसको संरक्षक महसूस करते थे लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि पुलिस के बड़े लवाजमें हो रहे हैं, पुलिस को हर तरह से विस्तृत किया जा रहा है, अधिकारों से संपन्न किया जा रहा है, उसको अपराधों की रोकथान के लिए ज्यादा से ज्यादा साधन मुहैया करा रहे हैं, वहीं आपराधिक प्रवृत्तियां घट नहीं रही हैं बल्कि अपराधियों को स्वयं पुलिस संरक्षण भी देने लगी है। आये दिन इस तरह की घटनायें घट रही हैं। मैं तो सदन के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ घटित हुआ है उसमें प्रशासन को कड़ी से कड़ी ताड़ना दी जानी चाहिए, सरकार के माध्यम से जो पीड़ित लोग हैं उनको हर तरह की सुविधा मुहैया करानी चाहिए ताकि वे अपना जीवन-यापन सही तरीके से कर सकें और ऐसे अधिकारियों को किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उनको हर तरह की ताड़ना देकर दंडित करना चाहिए। इन सब कृत्यों को कैसे रोका जाये, यह गहन चिन्ता का विषय है, गहन मनन का विषय है। इन पर किस तरह से रोक लगे यह ज्यादा जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, जुगताराम के साथ जो घटना घटी उससे सम्बन्धित कुछ प्रश्न प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने किये प्रश्न गृह मंत्रीजी का बयान आने के बाद फिर किये जायेंगे लेकिन आज पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस के संरक्षण में पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के थानों में जिस तरह से आये दिन हत्याएँ, बलात्कार, मार-पीट, सभ्य आदमी के साथ दुर्व्यवहार यह जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे क्या कारण हैं ? ये कैसे रुकेंगे, इस सदन के माध्यम से एक हल्का-सा संदेश दिलाने की व्यवस्था करें। इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है, सरकार क्या कदम उठा

(श्री राजेन्द्र पारीक)

रही है, इससे भी निश्चित रूप से मनन करेंगे ।

आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री शांति धारीवाल । (अनुपस्थित) । माननीय श्री श्रवण कुमार (अनुपस्थित) । बोलना चाहेंगे । नहीं बोलेंगे । श्री रामनारायण वर्मा ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, आज इस प्रकरण के बारे में सदन में चर्चा हो रही है । मेरा जहां तक ख्याल है ऐसे प्रकरण बहुत कम दफा इस राजस्थान विधान सभा में आये होंगे । सभापति महोदय, जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें एक उदाहरण नहीं है, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं । ऐसे उदाहरण राजस्थान में 4 दिसम्बर के बाद में बहुत हुए, पहले हुए जो अलग हैं । लेकिन 4 दिसम्बर के बाद जब से सरकार शासन में आयी है कहीं यह कारण तो नहीं है कि पुलिस भी सरकार को बदनाम करने पर तुली हुई है । इसका कहीं ऐसा कारण तो नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप इसको भी देखें, इसको भी टटोलें । पुलिस इस कदर अमानवीय हो गयी है कि वह मानव को मानव नहीं समझती है । वह अपने आप को राजस्थान के मुख्य मंत्री से भी बड़ा, यहां तक कि राज्य का कर्ता-धर्ता मानने लगे है । यह सारी बातें प्रशासन को देखने की हैं ।

सभापति महोदय, एक बात इस प्रकरण में ऐसी थी, यह होता है, इस बारे में सदन में चर्चा होती है लेकिन उसके बाद सरकार कुछ नहीं करती । मेडिकल जूरिस्ट ने समय पर सही रिपोर्ट दी या नहीं दी । और यदि उसने सही रिपोर्ट नहीं दी या समय पर उपलब्ध नहीं कराई, वह कौन अधिकारी थे जिन्होंने इसके लिए पुलिस के ऊपर दबाव डाला ? क्या वह नये जाने वाले पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट थे या कोई और अधिकारी था या कोई राजनैतिक दबाव था या जाति विशेष का दबाव था ? माननीय सभापतिजी, इस सम्बन्ध में बहुत गहनता से देखना होगा । क्योंकि जो इसमें दोषी पाये गये हैं ए. एस. आई. या सिपाही, सीधे तौर पर दोषी तो, माननीय सभापति महोदय, सारे ही है, प्रकरण चार दिन पहले का था, चार दिन से जुगताराम वहां है, झगड़ा चला शराब की बोतल के मामले में, उसको रंग दिया गया लड़की भगाने के मामले में, सभापतिजी ।....(व्यवधान)....होगा, सभापतिजी, लेकिन शराब का मामला बीच में आया है, सदन में इस बारे में चर्चा हुई है । माननीय सदस्य इस बात से दुखी हैं, पीड़ित हैं कि राजस्थान में एक पैरेलल सरकार चल रही है शराब के ठेकेदारों की, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गयी । या तो यह हो सकता है, सभापति जी, इस सदन के नेता को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को समय कम मिल पाता हो क्योंकि उनके पास बहुत से विभाग हैं । बात भी आती है ठीक है, गृह मंत्रीजी को बनाया, बैकवर्ड क्लास के हैं लेकिन जो दुहाई दी जाती है कि इस तबके से इतनी सीटें हमारी आयी हैं, शासन जिस सरकार का है, जो पार्टी शासन में है उसके इतने आदमी हैं, मुझे तो लगता है आदिवासियों में एक राज्य मंत्री

(श्री रामनारायण वर्मा)

बनाया है, केबिनेट स्तर के मंत्री रहा करते थे, सम्भालने वाले ढंग के आदमी लें। निरन्तर गिरावट आती जा रही है प्रशासन में। एक बात आपने देखी होगी, यह कहीं न कहीं, कोई न कोई बात है, कोई न कोई तबका ऐसा सिर उठा रहा है, जिसके कारण इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, राजस्थान में ऐसी बातें हो रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। एक बात कहना चाहूंगा जो शायद मुख्य मंत्रीजी को पता होगी। राजस्थान के अफसर भी दिल्ली जा रहे हैं, वह खुद सुरक्षित नहीं हैं। कोई लाबी है, क्या है, क्यों नहीं राजस्थान में काम करना चाह रहे या पुलिस के सिपाहियों से डरने की स्थिति में आ गये हैं वह भी ? तो, माननीय सभापतिजी, वह कौन अफसर था, कौन अधिकारी था ? क्या जाने वाले डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेंट ने ऐसा दबाव डाला, जाते हुए उन्होंने दबाव डाला मेडिकल जूरिस्ट के ऊपर ? जयपुर में रिपोर्ट जब यहाँ के जूरिस्ट मांग रहे हैं, यहां के सर्जरी वाले डाक्टर्स मांग रहे हैं, समय पर नहीं आयी। यह बातें ऐसी हैं, माननीय सभापति महोदय, जुर्म करने वाला इसी आधार पर बचता है। कोर्ट के सामने यह बात नहीं होती, कौन जुर्मी है, कौन दुर्बी है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार भी सोचे, सबसे पहले सरकार को यह बात माननी चाहिए कि वहां जो भी स्टाफ उस समय था, जब तक केस सी. बी. आई. को नहीं दिया गया उस स्थिति में डिस्ट्रिक्ट के बड़े अधिकारियों को और थाने के सारे स्टाफ को बदला जाना चाहिए। ताकि वहां के गवाहान के ऊपर और दूसरे लोग जो भी हैं, जो इस प्रकरण में सही स्थिति लाना चाहते हैं उन पर दबाव पड़े। क्योंकि प्रकरण इस तरह का हो गया इसके ऊपर यदि सख्ती नहीं बरती गयी, आस-पास जहां तक भी गंध है उसको ठीक नहीं किया गया, ऐसे प्रकरण और भी हो सकते हैं। मैं और मेरे साथ ही शायद सदन भी इस बात को जानता है, राजस्थान में ऐसे बहुत से कांड होना शुरू हो गये हैं।

कोटा में सिपाही ने एक डाक्टर को इसलिए पीटा कि उसने उसकी बात का ढंग से जवाब नहीं दिया। थाने ले गये डाक्टर को खूब पिटाई हुई। जब पता चला कि यह तो हमारे थानेदारजी के साथ पढ़ा है, हास्पिटल पहुंचा दिया। उसने कहा, मेरी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, क्या यह सही है माननीय सभापति महोदय ? सरकार के ध्यान में बात नहीं है ? थाने में परिवार के आदमी का मर्डर होने के बाद, हत्या होने के बाद भी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो कागज मंगाये जाते हैं, पेन्सिल मंगाई जाती है, चाय मगाई जाती है। आज हम जिस आइडोलोजी में जिन्दा रहते हैं उसमें मुर्दे के ऊपर, गांव में भी मर जाता है, सभापतिजी, तो चाय नहीं पी जाती, पानी नहीं पीया जाता। यह हमारा दुर्भाग्य है, इस माहौल को हम कैसे सुधारें। लेकिन सत्ता पक्ष इस मामले में प्रतिपक्ष से कोई आशा रखता है और कोई सहयोग चाहता है तो प्रतिपक्ष ने कहा सत्ता पक्ष को रोका। यह सारी बातें हमारे देखने की है। कहने को हम कल्याण-

(श्री रामनारायण वर्मा)

कारी राज में हैं लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हमने कौन-सी दशा में सुधार किया है ? हम डवलपमेंट की बात करें, यह करें वह करें, लेकिन जब हम कहते थे कि राजस्थान में हम बेहतर स्थिति में है, बिहार के हालात और उत्तर प्रदेश के हालात को जब हम जज करते थे, ऐसे हालात वहां भी नहीं हुए हैं, सभापतिजी, ऐसे उदाहरण नहीं होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जहां तक गंध इस प्रकरण की है उस गंध को दूर करने के लिए उस थाने का कौन स्टाफ वहां बचा हुआ है, यह अंगुली क्यों किसी की तरफ की जाये कि इस वजह से सारा काम नहीं हो रहा है, उस स्टाफ और अधिकारियों जिन्होंने मेडिकल जूरिस्ट पर दबाव डाला, जिन्होंने इस कृत्य में भागीदारी की, सहभागीदारी की और जो इस जुर्म को दबाने में सक्रिय रहे हैं या जाने-अनजाने में भी जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

दूसरा मामला उठा, हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी सदस्य बोलने वाले है।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह जो देरी साढ़े सात घण्टे की हुई, आज राजस्थान के किसी भी थाने में जो देरी से एफ आई आर. दर्ज की जाती है, आपको इस बात का ध्यान है, सारे जनप्रतिनिधि इस बात को जानते हैं कि देरी पुलिस के देर से आने से होती है। यह कोई नहीं कहता कि थाने में छह घण्टे तक उसको बैठाये रखा गया। यह सारी बातें हैं। और यह बात क्यों नहीं पैदा हो रही है, जिस सोहन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज की, गलत फैक्ट्स के ऊपर रिपोर्ट दर्ज की, उस सोहन सिंह के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? जो वहां का इन्चार्ज है, जिसने गलत रिपोर्ट दर्ज की निश्चित तौर पर उसने रिपोर्ट दर्ज करने के पहले सारी पूछताछ की होगी, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है ? सारे प्रकरण को उसने उलटा है अपने मातहत सिपाही को, ए. एस. आई. को बचाने के लिए और शराब के ठेकेदार को बचाने के लिए। यह सारी ठेकेदारी की सब जगह बात है। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे नैनवां में भी एक नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी को पीटा। मेरा जहां तक ख्याल है, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी, ठीक है, ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते होंगे....

श्री सभापति : अब थोड़ा संक्षिप्त कर दें, माननीय सदस्य। अन्य माननीय सदस्य भी अपने विचार रखेंगे, समय सीमित है।

श्री रामनारायण वर्मा : लेकिन यह मामला पुलिस का है, मैं जो कह रहा हूं, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। उदाहरण काफी हैं, माननीय सभापति महोदय, आप नहीं सुनना चाहते सरकार के खिलाफ, आप खुद बोलते रहते हैं, हमें भी बोलने दीजिए....

श्री सभापति : नहीं-नहीं।

श्री रामनारायण वर्मा : आप जब उधर होते है तो बोल....

श्री सभापति : आप बोलिए।

श्री रामनारायण वर्मा : तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरा जहां तक ख्याल है, + + + सरकार की मशीनरी जिस ढंग से राजस्थान में काम कर रही है, जिस तरह लोगों के साथ ज्यादतियां बरती जा रही हैं, बहुत अहम् मामला है, बात अखबारों में आ चुकी है, सभापति महोदय, सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं, विश्व को भी पता है कि हिन्दुस्तान में ऐसे कांड हुए हैं। उसको आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में या दूसरी जगह भेजने में देर क्यों कर रहे है? उसका इलाज करायें और सरकार आज ही सदन में घोषणा करे। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि गृह मन्त्रीजी तो क्या भाषा बोलेंगे, उसके बाद मुख्य मन्त्रीजी कुछ और कह जायें, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे मामले में हम भी जिस आदमी के साथ ज्यादती हुई है, आज ही इस बारे में निर्णय करें। सरकार पूरे खर्चे के साथ और जीवन भर उसकी कोई देखरेख, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़े राजस्थान की जनता के ऊपर, तो राजस्थान की सरकार को लेनी चाहिए। एसे काण्डों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या विशेष कदम उठाने की सरकार बात कर रही है और क्या माननीय गृह मन्त्रीजी रात-बेरात में थानों का दौरा करेंगे, जहाँ अस्सी प्रतिशत या नब्बे प्रतिशत या कहीं-कहीं किसी थाने में तो सौ प्रतिशत शराब पीते हुए, ठेकेदारों के साथ पीते हुए मिलेंगे? तो यह जो लाबी पैदा हुई है कुछ वर्षों में, दो-चार सालों में, ठेकेदारों की, दूसरों की, अपराधियों की, अपराध करके कुर्सी पर बैठेंगे, फरियादी खड़ा-खड़ा हाथ से धूजता रहे, यह जो प्रकरण, जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में पैदा हो रही हैं, माननीय सभापति महोदय, मेरा जहां तक ख्याल है, यह हमारे लिए दुर्भाग्यशाली है। हम सब के लिए दुर्भाग्यशाली बात है जो पैदा हो रही है। इन सब को ठीक करने के लिए मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए कि सरकार के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलें, हम बोल नहीं रहे हैं, जनता जानती है, धीरे-धीरे छह महीने में जान जायेगी, क्या हो रहा है राजस्थान में, लेकिन जो बात अभी सामने है उसको देखते हुए सरकार से मैं निवेदन करूंगा, या तो उसको ठीक करे, नहीं तो कोई दूसरा तरीका देखे।

इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस सम्बन्ध में कोई गम्भीर निर्णय राजस्थान की सरकार लेगी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। इसमें जो + + + वह शब्द आये, उनको हटा दें।

श्री रामनारायणजी डूडी (अनुपस्थित)

श्री जितेन्द्र नीनामा।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) **:** माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार की आज इस सदन में चर्चा हो रही है वह वाकई एक गम्भीर समस्या है, वह एक मानवता की समस्या है। हमारे गृह-मन्त्री महोदय काफी इसके बारे में स्टडी कर रहे

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जितेन्द्र मीनामा)

हैं लेकिन जो कुछ हो रहा है उनमें नहीं के बराबर है। आये दिन तरह-तरह की गतिविधियों में पुलिस लिप्त होती जा रही है। यहां तक पढ़े-लिखे इन्सान थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो उनकी यह हालत होती है, 6-6, 9-9 घण्टे बैठाये रखते हैं। तो हमारे आदिवासी क्षेत्र घाटोल में बिना पढ़े लिखे लोग हैं, यह थानों में रिपोर्ट लिखवाने किस हालत में जाते होंगे और वहां आदिवासियों के साथ पुलिस का क्या बरताव होता होगा, वह आप खुद जानते हैं। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि इस पुलिस डिपार्टमेण्ट में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। वरना मानवता के रक्षक भक्षक बनते जा रहे है। तो हमारे देश का, हमारे राजस्थान का क्या होगा? हमारी राजस्थान की जनता का सरकार से विश्वास टूट जायेगा। इसी के साथ मेरा कथन समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती कमलाजी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, चर्चा का जो विषय है और चर्चा के जो बिन्दु हैं और प्रशासन से जुड़ी हुई व्यवस्था के ऊपर माननीय सदस्यों की चिन्ता है, यह अभी काफी कुछ अभिव्यक्त किया गया है और बहुत कुछ अभिव्यक्त करने से रह गया। व्यक्त करें तो गांव-गांव में जगह-जगह पर इस व्यवस्थाओं के अपने अंग बने हुए हैं।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जब प्रशासन की कुशलता पर, निष्पक्षता पर, कार्यक्षमता पर और आम जनमानस का भरोसा उठ गया तो फिर मैं यह समझती हूं कि सरकार, सरकार के नाम से रह जायेगी, वह सरकार अपने आपको अपनी स्पिरिट के हिसाब से कुछ भी अन्जाम नहीं देने की स्थिति में होगी। आज धीरे-धीरे ऐसी स्थितियां होती जा रही हैं कि एक हादसा ही नहीं, अनेक ऐसे हादसे समाज में हो रहे हैं और लगता रह है, यह कहा जाता है कि यह सब मिलीभगत से हो रहा है, या यह इसके अन्दर करने के लिए व्यवस्थाएं खुली छोड़ी हुई हैं, या आंख मीच ली गयी हैं, या इसको दरकिनार कर दिया गया है। कितने माफिया आपरेट कर रहे हैं, किस तरह से गैंग्स समाज के अन्दर आपरेट कर रहे हैं, किस तरह के तत्व समाज के ऊपर हावी होते जा रहे हैं और सरकार एक असमर्थ मूकदर्शक के तौर पर बैठी हुई है, यह अपने आप में सबसे बड़ी चिन्ता की बात है। इ लिए यह उसके प्रतीक मात्र हैं जो कुछ इस तरह से प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने कहे या कोई माननीय सदस्य ने कहे। इधर से भी बहुत से सदस्य इन बातों के सम्बन्ध में पीड़ित हैं और जानते हैं लेकिन सत्तापक्ष को यह कहने की छूट नहीं है इसलिए मन मसोस कर बैठे हुए हैं। यह दर्दनाक घटनाएं हम कितने दिन बरदाश्त कर सकते थे, करें और करते चले गये तो पब्लिक की प्रतिक्रिया किस रूप में सामने आयेगी, वह भी कई बार हमें देखने में आती है। पुलिस की किस तरह से पिटाई भी की जाती है। इसलिए मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि किसी एक विशेष घटना का विवरण तैयार करके, उसके विश्लेषण तैयार करके, कायदे कानून के

(श्रीमती कमला)

सन्दर्भ में उसका जवाब देकर हम सन्तुष्ट हो सकते हैं लेकिन वह सन्तुष्ट होने लायक स्थिति नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, एक तरफ इस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं, उनके ऊपर अंकुश लगा पाने के लिए पुलिस व्यवस्था की जाये, अच्छे काम करने वाले अधिकारी को मुख्य टास्क फोर्स के ऊपर लगाया जाये, उनकी सेवाओं को एप्रीशियेट किया जाये। जो काम अच्छा करते हैं उनको दबाने की, उनका मुंह बन्द करने की चेष्टा नहीं की जाये। जो गलत काम करते हैं आपके मन-मुताबिक आपको सैटिस्फाइड करने की चेष्टा करते हैं या कुछ लोगों को प्रोटेक्शन देकर उनकी स्वार्थ-पूर्ति का काम करते हैं उनकी आप प्रशंसा करें, उनको कुछ और पदोन्नति देकर या उनको शाबासी दें, यह जो आज प्रशासन में चल रहा है यह सारा का सारा प्रशासनिक मशीनरी को डिमोरलाइज करने वाला काम है। अच्छा काम करने वालों को अपने कदम धीरे-धीरे उठाने का काम न करें। इसका एक सिलसिला शुरू हुआ है इसलिए यह खतम होना चाहिए।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि ग्राम समाज में जो घटनाएं हो रही हैं वह तो हो रही हैं लेकिन सबसे ज्यादा इसके बाबत में हैं तो महिलाएं, बच्चे और अनुसूचित जाति और जनजाति। इसलिए इस दिशा में कोई कारगर कदम किसी भी सरकार ने नहीं उठाया। आज महिलाओं के साथ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नग्न फोटो काण्ड हो रहे हैं, इन्हें किस तरह मारा जा रहा है, खुद आत्महत्या करके मरें, यह....

श्री सभापति : इस पर....यह पुलिस का, इस मामले पर अभी....

श्रीमती कमला : जयपुर में जो अश्लील फोटो काण्ड हुआ था, उसका ब्यौरा तैयार करके डेपुटेशन लेकर पिछले आपके शासन-काल में मैं राज्यपाल महोदय से मिली थी और उनसे यह तीन बातें निवेदन की थीं। एक तो यह निवेदन किया था कि महिलाओं के मामले में एक टास्क फोर्स कायम करिये यह रूटीन की अदालतों में उनको राहत दिलाने का काम है। कभी उनको राहत दिलाने का काम है। कभी उनको राहत नहीं मिलेगी और न उपयोगी ही है और न प्रभावी ही है। इसलिए मैं यह चाहती हूं माननीय मुख्य मंत्री से कि इस तरह के मामलों में और महिलाओं के सम्बन्ध में तो विशेष तौर से अदालत कायम करें। इस तरह की जो इन्क्वायरी होती है उस प्रोसिजर के अन्दर स्पेशल टास्क फोर्स कायम की जानी चाहिए। स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है। थानों में जितनी हाजरी है वह हाजरी है। कोई इधर के केस में भाग रहा है, कोई उधर के केस में भाग रहा है। जब वह केस खतम हो रहा है तब महिलाओं से सम्बन्धित या इनसे सम्बन्धित किसी केस को हाथ में लेंगे। इसलिए इनके लिए अलग से स्पेशल टास्क फोर्स कायम की जाये, ऐसा मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, जो डेप्यूटेस मेमोरेण्डम लिखा था कि आपके कानून में कोई कमी है, ढिलाई है, कोई ऐसे अंश हैं इसके अन्दर हैं, जिससे आप गलत काम करने वाले अपराधी को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो उस कानून को

(श्रीमती कमला)

वापस रिव्यू करिये । इसकी धाराओं को इतना सख्त बनायें कि कुछ काम तो आपको मृत्यु दण्ड के समान मानकर करने चाहिए। जिस तरह के काण्ड होते रहते हैं वह मृत्यु दण्ड के....(व्यवधान)....लायक होने लगे हैं जिनको हम मात्र अपराध मानकर छोड़ देते हैं। इसलिए कानून के अन्दर परिवर्तन किया जाना चाहिए।

तीसरा मेरा यह निवेदन है कि आज यह घटनाओं का विवरण दे रहे हैं, इसके लिए घटना घटने के जो तरीके बन रहे हैं, आज स्कूल में प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेजेज के बाहर जिस तरह ड्रग्स की सेल होती है और बच्चों को एडिक्ट बनाया जा रहा है, अपराध की अंधेरी गलियों में बच्चों को धकेला जा रहा है, आज कौनसी मशीनरी आपके पास है, कौनसे पुलिस आफिसर ऐसे हैं, कौनसी टीम ऐसी है जो इनका बचाव कर रही है । इस तरह अपराध प्रवृत्ति की तरफ अग्रेषित किया जा रहा है इसके लिए जल्दी से जल्दी सतर्कता से काम किया जाना चाहिए वरना आने वाला समय या तो प्रगंग जिस तरह वायु-प्रदूषण वगैरह हो रहा है या अपराध से घिरा हुआ होगा, इस तरह की अंधेरी गलियों के अन्दर पड़ा हुआ होगा । हम एक महान् देश की कल्पना कर रहे हैं लेकिन जिनके कंधों पर यह बोझ आने वाला है, आज उनको हम कहां धकेल रहे हैं इस बाबत् भी ध्यान देना चाहिए ।

मैं फिर से यह निवेदन करना चाहती हूं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को रुकवाने के लिए, अभद्रता और व्यभिचार को रुकवाने के लिए, उनके खिलाफ जो केस आते हैं, उनका तत्परता से निवारण करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनायें और उनको अन्जाम देने के लिए सतर्कता से टीमें बनायें और इन बच्चों को इस आने वाले अन्धेरे से बचाने के लिए आप विशेष तौर से काम करें, यही मेरा आपसे निवेदन है । इसे आप किस तरह करें, चाहे कानून बनायें व्यवस्था बनायें और अलग से फोर्स तैनात करें लेकिन ऐसा लागू होना चाहिए। आपने एक महिला थाना खोल लिया । यह महिला थाने में क्या है ? जिसमें अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दें । उसको कहां परश्यू करें ? इसलिए महिला थाना, महिला आफिसर ज्यादा से ज्यादा हरेक जिले के अन्दर होनी चाहिए जिससे उन्हें प्रोटेक्शन देने वाला कोई महसूस हो जहां खुले रूप से जाकर अपनी व्यथा को कह सकें और उसके अन्जाम को प्राप्त कर सकें । इतना ही मैं निवेदन करना चाहती हूं ।

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, जब जिस प्रान्त में रक्षालय भक्षालय बन जायें, उस प्रान्त की सरकार के लिए यह शर्मनाक बात है । खास तौर से यह अपराधी सरकार जो कुछ निर्दलियों के सहयोग से शासन में आयी, पता नहीं क्या वजह रही, पुलिस के लोगों ने या तो यह सोच करके कि उनकी कोई आनुपातिक सरकार आ गयी है या उनके कोई भाई-भतीजों की सरकार आ गयी है या कोई विशेष सवर्ग की सरकार आ गयी है, अपने-अपने पुलिस थानों में जघन्य अपराध करना चालू कर दिया जिनकी श्रृंखला में

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

आपको अभी बताने जा रहा हूं। आज की स्थिति राजस्थान पुलिस की वह नहीं रही जो आज से चार महीने पहले थी। आज पुलिस के संरक्षण में जयपुर शहर में, राजस्थान के बड़े-बड़े शहरों में मकान खाली कराने का ठेका हजारों, लाखों, करोड़ों में लिया जाता है। जो बड़ी-बड़ी इमारतें 15-20-25 साल के मुकदमों से खाली नहीं होती हैं वह पुलिस के दलालों के जरिये, पुलिस के बड़-बड़े अधिकारी तक मोटी-मोटी रकम भेजकर जयपुर के बड़े से बड़े मकान खाली करवाये जाते हैं। जो भी पगड़ी दी जाती है उस पर किरायेदार खाली नहीं करता है तो फिर उनको तरह-तरह से सताया जाता है। लोकल पुलिस से कहा जाता है तो वह कहती है कि भइया, जो कुछ मिल रहा है वह ले लो और हाथों-हाथ छोड़ भागो और होता भी यही है कि रातों-रात किरायेदार चला जाता है।

आज यह स्थिति है कि थाने में कोई रिपोर्ट कराने जाये तो उससे कहा जाता है कि रिफिल लाओ, कागज लाओ, चाय-पानी कराओ, हैड मोहरिर साहब को देनी है, नाश्ते के लिए खर्चा पानी लाओ। यह नंगा सत्य है जो कि सौ फीसदी सत्य है। कोई माननीय मंत्री महोदय, कोई विधायकगण या कोई भी आदमी एक बार टेलीफोन करता है तो जवाब मिलता है जय हिन्द, पुलिस थाना मोती डूंगरी। मोती डूंगरी ही क्या किसी भी पुलिस थाने पर आप जाकर देखें तो वह जय हिन्द, की जगह हिन्द की जय कैसे करते हैं, जिसका जुगताराम जीता जागता नमूना है। यदि आपको जय हिन्द पुलिस थाने की जगह हिन्द की जय देखनी है तो मेरा निवेदन है कि राजस्थान के किसी भी पुलिस थाने में अनजान बनकर, माननीय गृह मन्त्री महोदय, चले जायें रात को एक दो बजे और उनका चेहरा नहीं दिखाई दे, फिर मालूम पड़े कि यह हिन्द की जय कैसे करती है राजस्थान की पुलिस।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : इनको थाने में बन्द कर देंगे।

श्री सभापति : नहीं उनको पहचान जायेंगे....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसके अलावा, सभापति महोदय, एक विशेष चर्चा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वह यह है कि जब कभी भी किसी न्यायिक काम के लिए, कोर्ट के आदेश के लिए पुलिस को कहा जाता है कि अमुक रूप से पुलिस इमदाद करे, पुलिस के द्वारा यह काम करवाया जाये तो पुलिस के अधिकारी यह लिखकर देते हैं कि हमारे पास जाब्ता नहीं है। जयपुर शहर में गये महीने में 80 मुलजिम सैण्ट्रल जेल से इसलिए नहीं आये कि जयपुर पुलिस लाइन के एस. पी. ने यह लिखकर दिया कि हमारे पास जाब्ता नहीं है। इसलिए मुलजिमों को तारीख पर नहीं पहुंचाया गया। यह बिल्कुल सजीव चित्र मैं बता रहा हूं। फिर मैंने खुद पुलिस मुख्यालय जाकर एस. पी. साहब से बात की और भी अधिकारियों से मिला कि पुलिस बल कहां गया ? तो उन्होंने कहा कि जयपुर शहर में 500 पुलिस के गार्ड एक्स आई. पी. एस. आफिसर्स, एक्स मिनिस्टर्स के यहां ड्यूटी दे रहे हैं। कोई कपड़े धो रहा है, कोई वाशिंग मशीन से करण्ट आने पर मर गया है, कोई गाय-बैल की देख-

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

माल कर रहा है। यह पुलिस की ज्यादती की बात बता रहा हूं कि पुलिस में क्या हो रहा है और पुलिस क्यों नहीं प्रभावी कदम उठा पा रही है। यदि मेरे को भी कल से एक गार्ड की जरूरत है तो मैं अमुक पंजाबी भाषा में एक चिट्ठी मेरे नाम से, मंगवा लूं और परसों मैं भी एक गार्ड लेने का हकदार बन जाऊंगा। यह स्थिति है। तो सबसे पहले जो 500 वयक कपड़े धो रहे हैं, जो जगह-जगह गोबर थाप रहे हैं उन 500 पुलिस के गार्डों की वापसी करवाई जाये, उनका मनोबल बढ़ाया जाये, उनका नैतिक और चारित्रिक बल बढ़ाया जाये। नहीं तो जो आदमी गोबर थापेगा, जो आदमी पोंछा लगायेगा ऐसे अधिकारियों के तो मनोबल होगा? वह तो थर्ड डिग्री मैथड ही यूज करेगा। वह तो गुप्तांग ही काटेगा वह तो इस तरह की नरबलि ही करेगा।

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है, इससे पहले कि मैं बारी-बारी से जो पुलिस की ज्यादतियां हैं उसके बारे में बताऊं....

श्री सभापति : काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, साढ़े तीन बजे समय समाप्त होगा, उस समय मंत्री जी भी कुछ कहेंगे, प्रश्न भी पूछे जायेंगे इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो माननीय मदेरणा साहब ने प्रमुख बातें बतायीं उन पर अपना ध्यान केन्द्रित करें तो उनका कुछ रिजल्ट भी आयेगा। यह सारी बातें कहेंगे तो बहुत लम्बा हो जायेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस थाना बाड़मेर द्वारा बजाय इसके कि जुगताराम की कोई रिपोर्ट लिखी जाती, जुगताराम के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गयी, जो कि मुकदमा नम्बर 44, दिनांक 5-2-94 था। उसमें यह लिखा गया कि तारीख 5-2-94 को वक्त 11 बजे खुद हाजिर थाना आया, थाना सदर बाड़मेर के परिसर में बैठा था 11·40 पी. एम. पर उसने आत्म-हत्या के प्रयत्न में अपना लिंग ब्लेड से काट लिया, इसकी इत्तला एस. पी. मूलाराम ने दी। इस पर यह मुकदमा दायर किया गया।

मेरा यह निवेदन करना है कि पुलिस ने ज्यादती की बर्बरता की और जंगल का राज अपनाया। इसके बावजूद जिस आदमी के साथ ज्यादती की, जिस आदमी के जेनीटल का पोर्शन काटा गया, उस आदमी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के अन्तर्गत अपराधी बनाने के लिए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

श्री सभापति : यह सदन के सामने सारे प्रश्न आ चुके हैं, कोई नई बात कहिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं निवेदन करूं श्रीमान् मैंने जुगताराम से भी बात की। (व्यवधान)....

श्री सभापति : इस प्रसंग में जो बातें आ चुकी हैं सदन में उनके अलावा कोई हो तो कहिये।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य इस बात को फर्दर इलस्ट्रेट कर रहे हैं "चोर मचाये शोर"। अपराध करने वाला शोर मचा रहा है और अपराधी इन्नोसेंट आदमी के खिलाफ सुसाइड

Page No.90

(श्री परसराम मदेरणा)

का केस रजिस्टर करता है अण्डर सैक्शन 309 इस बात की वह फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं।

श्री सभापति : करिये-करिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि पुलिस पहले डिफेन्स ला रही है, आफेन्स खुद कर रही है और डिफेन्स खुद का बना रही है, यह मैं प्रस्तुत करना चाहता था इसलिये मैंने कहा। आपकी भावनाओं से मैं अवगत हो गया हूं। मैंने खुद जुगताराम से बात की। आज की स्थिति जुगताराम की यह है कि वह एक मर्द होते हुए भी आदमी की तरह खड़ा होकर पेशाब नहीं कर सकता क्योंकि सरकार में जो पुलिस है उसने उसके जेनीटल का इतना ज्यादा भाग काट लिया कि वह खड़ा होकर पेशाब नहीं कर सकता। वह बैठा-बैठा पेशाब करता है। प्लास्टिक सर्जरी के लिये यदि पांच घण्टे के अन्दर उसके जेनीटल का पोर्शन अगर बाड़मेर की पुलिस....

श्री परसराम मदेरणा : मर्द-मर्द कह रहे हैं, वह न मर्द रहा न औरत रहा। क्या रहा यह सरकार जानती है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि बाड़मेर की पुलिस की अकर्मण्यता के कारण इतना ही नहीं हुआ, यह हादसा होने के बाद अगर कोई उच्च पुलिस अधिकारी सैंसिटिव थे, संवेदना रखते तो वह जो जेनीटल पोर्शन कटा हुआ था उसको बर्फ में या किसी भी चीज में, जो कोल्ड टेम्प्रेचर की थी उसमें रखकर यहां भेजा जाता तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्शन आफ दी जेनीटल पोर्शन संभव था लेकिन आज की तारीख में इतने दिन बाद भी जुगताराम का जो कटा हुआ जेनीटल पोर्शन है वह भी बाड़मेर में पोलीथिन में रखा हुआ है और उसको यहां पर नहीं भेजा गया इसके अलावा उसके री-यूनियन ऑफ दी लोस्ट आर्गन की संभावना है वह भी नगण्य प्रायः हो गयी है।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि यह इतने दुख, शर्म, अफसोस और जड़ता की बात है, संवेदना रही ही नहीं सरकार में आज इतना समय हो गया, जयपुर में माननीय प्रतिपक्ष के नेता और विधायकगण जुगताराम के बारे में पूछने गये लेकिन हमारे मुख्य मंत्री महोदय, हमारे स्वास्थ्य मन्त्री महोदय या किसी ने भी जाकर नहीं देखा। जब आपने यह घोषणा की है की किसी अधिकारी ने जो भी जुर्म किया है, जो भी अनियमितता बरती है उनको आप शील्ड नहीं करेंगे, उसको आप डिफेन्स नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में मेरा यह कहना है कि वह क्या मजबूरी थी कि यह जड़ सरकार, यह निष्ठुर सरकार जुगताराम को अस्पताल को जाकर देख नहीं सकती थी, उसको संवेदना व्यक्त नहीं कर सकती थी? पुलिस की ज्यादती के खिलाफ जो भी कुछ हुआ उसको देखती। यह स्थिति है कि आज उसका भाई जैसे-तैसे चन्दा करके उसका इलाज करवा रहा है। उस पर चार-पांच हजार रुपये अभी तक खर्च हो चुके हैं, इस बारे में कि उसका लोस्ट आर्गन रिकन्स्ट्रक्ट हो जाये। उसके लिए भी अभी 6 महीने जुगताराम

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

को जयपुर में रहना जरूरी होगा। मेरा इस सरकार से निवेदन है कि जुगताराम का इस सरकार की पुलिस ने जो लिंग काटा है उसको रिकस्ट्रक्ट कराने के लिए जो भी विश्व में आधुनिकतम सुविधाएं हैं प्लास्टिक की टिशु डवलप करने की थैरेपी है वह सुविधाएं दिलवाने के लिए उसको विदेश भेजा जाये उसको भारत के अच्छे से अच्छे अस्पताल में भेजा जाये। इस बात के लिए सरकार संवेदनशील नहीं रही है जब उन्होंने देखा ही नहीं तो संवेदना की बात भी नहीं है।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि इसके अलावा भी बीकानेर में वकीलों के साथ जो ज्यादती हुई, नोबल प्रोफेशन ऑफ दी सोसायटीज के साथ जिस तरीके का गलत व्यवहार किया गया, वाणिज्यिक कर निरीक्षक को पीटा गया, कोटा में डाक्टर को पीटा गया और फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने दोषी माना और एक थानेदार की जगह दूसरा थानेदार बैठा दिया। मैं नहीं समझता कि हिम्मत सिंह की जगह सत्येन्द्र सिंह बैठा दिया, नाननाथ की जगह सांपनाथ को बैठा दिया, इससे कुछ होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। ट्रांसफर तो उस कर्मचारी का होगा ही। मैं कहता हूं कि सस्पैण्ड किया जाना चाहिए था। जब देख लिया कि वाणिज्यिक कर निरीक्षक को बजाज नगर के ए. एस. आई. ने मारा-पीटा और दुर्व्यवहार किया तो सस्पैण्ड तो प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने के बाद किया जाता। जो पुलिस वालों का जान-बूझकर का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, मात्र इनका ट्रांसफर किया जा रहा है, इनको इनके द्वारा किये गये अपराध के लिए बोनस और प्रीमियम दिया जा रहा है, यह इस सरकार पर कलंक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता पुलिस थाने में जाने से जो भयग्रस्त हुई है, जो भय डवलप हो गया है उसके दिमाग में कि कहीं हम थाने में जायें और हमारे साथ जुगताराम जैसा हादसा न हो जाये, आज यह जो भय का दृष्टिकोण पनप गया है, आज जो रोंगटे खड़े हो गये हैं, आज आप बताइये क क्या किया ऐसी स्थिति रह गयी है कि कोई पढ़ी-लिखी महिला, कोई अनपढ़ महिला राजस्थान के थानों में जाकर अपनी रिपोर्ट करा सकती है जब इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इस तरह शृंखलाबद्ध डाक्टरों के साथ, वकीलों के साथ, इन्स्पेक्टर के साथ और आम आदमी के साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है तो क्या सरकार से यह अपेक्षा की जाये कि आम आदमी जा कर रिपोर्ट करा देगा? आज ऐसी स्थिति हो रही है कि....

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य। 20 माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, केवल एक मिनट कहूंगा। मैक्सीमम हैबियस कोरपस हाई कोर्ट में लग रही हैं और जो हैबियस कोरपस की रिट हाई कोर्ट में लगी हैं उसका मतलब यह है कि हस्ब बेजा में यह पुलिस हरकत करती है। तो मेरा अन्त में एक ही सुझाव है कि पुलिस यदि किसी भी व्यक्ति को उसके घर से बुला

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कर लाती है तो उसके घर के लोगों के पास पुलिस लिखित में कम से कम एक स्लिप छोड़कर आये कि इस थाने की पुलिस इस व्यक्ति को जांच के लिए ले जा रही है और लिखित में दे कर जाये जिससे कि हैबियस कोरपस की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री सभापति : धन्यवाद, अब आप समाप्त करें। डा. हरिसिंहजी, आप इस पर प्रकाश डालें थोड़ा सर्जरी के बारेमें कि सरकार क्या मदद कर सकती है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : जुगताराम की सर्जरी तो पुलिस वालों ने कर दी, हमारे लिए तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, सभापति महोदय।

श्री सभापति : नहीं, अभी शैलेन्द्रजी ने टिशु कल्चर के बारे में कुछ कहा है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : जो काम किन्हीं कारणों से डाक्टरों को या सर्जन्स को करना पड़ता है, किन्हीं कारणों से, बीमारियों से ताकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, वह काम पुलिस वालों ने कर दिया और जो मानवाधिकार का मामला है उसमें मैंन बात यह है कि A man has got a right to live in a normal life. आज नार्मल लाइफ को प्रकृति या बीमारियां डिस्टर्ब करती हैं। किसी का हाथ चला जाता है, किसी की टांग चली जाती है या किसी से डाक्टर को आपरेशन करके आंख भी निकालनी पड़ती है, टांग भी काटनी पड़ती है that is a different thing. लेकिन कोई भी मनुष्य अगर किसी मनुष्य की नार्मल लाइफ को डिस्टर्ब करता है और यह तो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है कि एक आदमी जो मेल है His function is, one of the function is to have sex अब उसका यह राइट परमानेण्टली छीन लिया गया। माइक्रो सर्जरी की बात कर रहे हैं, माइक्रो सर्जरी होती है। अगर लिंग काट दिया जाता है तो उसमें माइक्रो सर्जरी से ट्रांसप्लांटेशन आज तक तो हुआ नहीं और न पासिबल है।

श्री सभापति : नहीं, प्रत्यारोपण संभव है?

डा. हरिसिंह : प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन यह तो डाक्टर लोगों ने कह दिया, प्लास्टिक सर्जन्स का स्टेटमेण्ट आया तब भी...

श्री परसराम मदेरणा : उसका जो आर्गन है, यह तो गृह मंत्रीजी जानते हैं कि वह आर्गन कहां है?....(व्यवधान)... मैंने प्रश्न पूछा है। अब ट्रांसप्लांटेशन तो आप लकड़ी का बना कर भले ही करो, उसका मेन आर्गन ही उन्होंने फेंक दिया है कहीं शायद....(व्यवधान)....

श्री सभापति : नहीं, मैं तो मेडिकल साइन्स के हिसाब से पूछ रहा था।

डा. हरिसिंह : सभापति महोदय, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब यह होता है, जैसे एक आर्गन जो लिविंग कण्डीशन में है उसको किसी दूसरे आदमी के लगा दे। जैसे एक आदमी का गुर्दा दूसरे आदमी के गुर्दे में ट्रांसप्लाण्ट कर दें। अब कौनसा पुलिस वाला तैयार है अपना आर्गन देने के लिए ?....(व्यवधान)....I think what do you think about it. It is useles for you.

श्री सभापति : कुंआरे आदमी से यह अपील कर सकते हैं आप।

डा. हरिसिंह : तो यह तो जुगताराम का फार्मूला था और जो गलतफहमियां थीं ट्रांसप्लांटेशन की और माइक्रो सर्जरी की that man has been permanently damaged so far as his sex is concerned.

श्री सभापति : गम्भीर मसला है।

डा. हरिसिंह : और साइक्लोजिकली वह आदमी तो रहा नहीं physically he is a male but he is enable to perform the functions of a male. तो उसको हिजड़ा भी नहीं कह सकते आप क्या कह सकते हो ? I don't know the word. क्योंकि ऐसा नेचर में तो होता नहीं है, आदमी ने बनाया है। सवेदना की जहां बातें आती हैं वहां मैं दो बातें कहूंगा। एक तो यह कि जो इन्द्रसिंह के लड़के जयकरण की मृत्यु हुई उसमें मामला दुर्घटना का दर्ज कर लिया विदाउट पोस्टमार्टम के। कैसे सपना आया पुलिस वालों को कि यहां दुर्घटना हुई और क्या वजह है ? जब तक काज आफ डेथ नहीं मालूम हो और दुर्घटना का मुकदमा अगर दर्ज किया है there is some manipulation. नहीं तो दुर्घटना का दर्ज क्यों करते। मृत बाडी पायी गयी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ज्यादातर केस दर्ज करते हैं। धारा भी वही लगाते कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है, 325 लगायें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले जल्दबाजी में यह धारा दर्ज करना, दुर्घटना होना, मेरे ख्याल से इसमें कोई साजिश है।

एक मामला संवेदना का मैं आपको बताऊं। मैंने भी एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, वह पुलिस से भी कन्सर्न है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कन्सर्न है, 11 नवम्बर को दिन के 10 बजे जोबनेर में एक मर्डर हुआ और मर्डर करने वालों में जो रिपोर्ट दर्ज है। वह जोबनेर म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन श्री फूलचन्द मीणा और छह अन्य के खिलाफ है। फूलचन्द मीणा पहले भी एक मर्डर कर चुके हैं जिसके कारण पांच-छह साल जेल में रहे हैं और हाई कोर्ट से किसी कारण से बरी हो गये। सेशन कोर्ट ने उनको लाइफ सेन्टेंस दी। He is a History–sheeter or heis a B.J.P. man. चेयरमैन बी. जे. पी. का बना है, तो आज तक वह गिरफ्तार नहीं हुआ। चलो गिरफ्तार भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, केस सी. आई. डी. को ट्रांसफर दिया गया इसलिए कि वह वहां घूमे, चौथ वसूली करे और वहां लोगों को आतंकित करे। सैकण्ड मर्डर कर दिया, सब लोग डरते हैं। पुलिस वालों को कहते हैं कि वह यहां आता है, आप क्यों नहीं अरेस्ट करते ? एस. पी. साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि वह यहां खुलेआम घूम रहा है, आतंक फैला रहा है, उन्होंने कहा कि साहब, हम क्या कर सकते हैं, फाइल तो सी. आई. डी. के पास है। यह फाइल सी. आई. डी. के पास गयी, सी. आई. डी. में जाने के बाद में भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। मैं यह नहीं कहता कि सी. आई. डी. के पास नहीं जायें। क्यों वह सी. आई. डी. के पास गयी ? क्या लोकल पुलिस उसमें अन्याय कर रही थी ? मैं यह सब फैक्टस जानना चाहता हूं। फिर क्या हुआ ? म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बर्स ने लिखकर दिया डी. एल. बी. को 20.11 को कि श्री फूलचन्द मीणा 302 के मर्डर

(डा. हरिसिंह)

में शामिल है और पुलिस एस. एच. ओ. की रिपोर्ट साथ में है। डी. एल. बी. ने यह कमिश्नर को भेजा। वहां से फाइल वापस आती है, पता नहीं माननीय भंवरलालजी के पास फाइल गयी या नहीं, मेरी नॉलेज में है कि उनके पास फाइल गयी, उस पर इन्होंने लिख दिया कि 302 में मुजरिम का तो पुलिस ही बतायेगी कि है कि नहीं है, 302 के मुजरिम के बारे में कलक्टर बतायेगा कि वह मुजरिम है कि नहीं है। यह लिख दिया गया कि जो ई. ओ. है म्युनिसिपैलिटी का, उससे रिपोर्ट मांगी जाये, कलक्टर से रिपोर्ट मांगी जाये। ई. ओ. ने भी रिपोर्ट भेज दी, उसमें तारीख है 20.12। ई. ओ. ने भी रिपोर्ट भेज दी, कलक्टर ने भी रिपोर्ट भेज दी. he is absconding. पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी, he is absconing. इससे साफ बदबू आती है कि सरकार का उसको प्रोटेक्शन है, क्रिमिनल्स का प्रोटेक्शन है। और अगर, मुख्य मन्त्रीजी आप चाहो तो यह सारी फाइल रिकार्ड मेरे पास है। आपके पास फाइल का रिकार्ड है, पुलिस फाइल का रिकार्ड है, आप इसकी निष्पक्ष इन्क्वायरी करवा लीजिए। इसमें कुछ लोग शामिल हैं मर्डर्स को बचाने के लिए। तो संवेदना की बातकर रहे हो आप, इस राज से संवेदनशील शासन की बात कर रहे हैं, यह तो शामिल हैं पुलिस के साथ। पुलिस को शह है इस राज की कि जितनी ज्यादा बर्बरता कर सको, उतनी करो। जब पुलिस को शह है तो पुलिस बर्बरता क्यों नहीं करेगी। तो मेरा निवेदन यह है कि जब तक राज में बैठे लोग संवेदनशील नहीं होंगे तब तक पुलिस से संवेदना की आशा नहीं की जा सकती है। यही मेरा कहना है और मैं चाहूंगा कि इन दोनों मामलों की जांच करवायें। उसको सस्पेण्ड क्यों नहीं किया गया। यह फाइल मंत्री के पास गयी और वापस आयी यह लिखकर कि कलक्टर से रिपोर्ट मांगी जायेगी कि वो मर्डर में शामिल है या नहीं। पुलिस एस. पी. कह रहे हैं शामिल है, उसमें एबसकोण्ड कर रहा है। ई. ओ. कह रहा है कि एबसकोण्ड कर रहा है, म्युनिसिपैलिटी में नहीं आया। फिर आज तक उसको सस्पैण्ड नहीं किया गया। आज कितने दिन हो गये? नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, तीन महीने तक बकायदा लिखा-पढ़ी रिकार्ड में पर है। आपकी डी. एल. बी. की फाइल मंगवा लीजिए, उससे पता लग जायेगा। So this Government has been protecting the murderers. यह मर्डरर्स को प्रोटेक्ट करती है तो फिर पुलिस तो ज्यादती करेगी ही।

मुख्य मन्त्रीजी, आप शायद अपने पुराने अनुभव तो काम में नहीं ले रहे हो, आज की तारीख में पुलिस में? मेरा निवेदन है कि जैसे बाल्मीकि चेंज थे, वैसे आप भी मेरे ध्यान से चेंज हो। अपने पुराने जो अनुभव थे, पुलिस के, उनको भूल जाइये। Now yon are the Chief Ministar of Rajasthan. और इस राजस्थान को संवेदनशील सरकार दें ताकि लोगों में राज के प्रति कान्फिडेंट डवलप हो।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री खेतसिंहजी राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय

Page No.95

(श्री खेतसिंह राठौड़)

सभापति महोदय, ग्राप बार-बार यह कह देते हैं कि ग्राप इन्हीं पाइण्ट्स पर बोलें। मेरा यह निवेदन है कि हमने जो प्रस्ताव रखा है। वह इस प्रकार है, "राजस्थान में कानून एवं व्यवस्था की दशा ग्रत्यधिक शोचनीय हो चुकी है, पुलिस के क्रूर ग्रत्याचार निरन्तर बढ़ रहे हैं जिनसे जनता में भय व्याप्त हो चुका है, पुलिस प्रशासन संवेदनशीलता खो चुका है।" यह है इसमें मेरा पहला निवेदन तो यह है कि यह जो घटना हुई जुगताराम की, यह हुई है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की कांस्टीट्यूएंसी में। राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर ग्रौर चीफ मिनिस्टर से चौथी सीट पर बैठने वाले व्यक्ति, खुद की कांस्टीट्यूएंसी के ग्रन्दर इस प्रकार की घटना हो जाये ग्रौर पुलिस की यह हिम्मत बढ़ जाये कि बिलकुल ग्रसत्य एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज कर लें यह ग्रपने ग्राप में बहुत बड़ी बात है।

ग्रापने एफ. ग्राई. ग्रार. पढ़ी होगी, मैं थोड़ा-सा उसका एक पोर्शन ग्रापको सुना देता हूं। सोहन सिंह, एस. एच. ग्रो. ने जो एफ. ग्राई. ग्रार. लिखी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी उन्होंने उसमें यह कहा है कि मैं जैसे ही थाने ग्राया ग्रौर जुगताराम को देखा, वह थाना सदर के परिसर में बैठा हुग्रा था। उसकी पैण्ट पर ग्रागे के भाग में खून लगा हुग्रा था। पूछने पर उसने बतलाया कि मैंने ग्रपना लिंग मरने के लिए स्वयं ही काट दिया है। साथ ही ग्रपनी पैण्ट की जेब से कटा हुग्रा लिंग का भाग भी मुझे दिखाया।

फिर उन्होंने लिखा है, चूंकि जुगताराम पुत्र ग्रमराराम ने ग्रात्महत्या का प्रयत्न किया, थाना सदर बाड़मेर के परिसर में किया, जो इलाका कोतवाली में बाड़मेर में ग्राता है, ग्रतः रिपोर्ट, कानूनी कार्यवाही दर्ज की जाती है। उसके ऊपर उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया। यह कोई ऐसी घटना ही नहीं है। झूठ तो होता है ग्रौर पुलिस से ग्राप बिलकुल यह सोचो कि सारे काम सही हों, ग्राखिर में ग्रपराधियों को पकड़ने के लिए पीटना भी पड़ता है, उनके साथ सख्ती भी बरतनी पड़ती है, सब कुछ होता है, ग्रौर वह मानना पड़ेगा लेकिन इस प्रकार की ग्रसत्य रिपोर्ट, बिलकुल बेबुनियाद, खुद ग्रपना लिंग क्यों काटेगा ग्रगर उसको मरना ही था तो मरने के लिए ग्रौर भी कई तरीके होते थे ग्रौर पुलिस थाने में ग्राकर ही वह लिंग काटे यह बात कोई जमती नहीं है ग्रौर यह किसी के दिमाग में नहीं जमेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं के दिमाग में भी यह बात नहीं है ग्रौर इसलिए तो इन्होंने इस केस के ऊपर कार्यवाही भी की ग्रौर सी. बी. ग्राई. को तफतीश सौंप दी है कार्यवाही चल रही है ग्रौर जो हकीकत होगी वह सामने ग्रा जायेगी और उससे सब हालात मालूम हो जायेंगे।

मेरा ग्रापसे एक ही निवेदन है, संवेदनशीलता पुलिस खोती जा रही है। वह बात नहीं रही कि पुलिस में जाने के बाद ग्रादमी को यह ग्रहसास होता था कि ग्रब मुझे पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। मेरी जो दशा है या मेरे साथ जो जुल्म हुग्रा है या मेरे साथ जो ग्रत्याचार हुग्रा है, मैंने पुलिस में रिपोर्ट की है ग्रौर पुलिस इसके ग्रन्दर तफतीश करेगी ग्रौर मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन मिलेगा। ग्राज पुलिस में हकीकत यह है, माननीय सभापति जी, ग्राप भी ग्रच्छी तरह से जानते हैं, कोई रिपोर्ट दर्ज

Page No.96

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कराने जाये, रिपोर्ट दर्ज कराने वाले से जैसा मुकदमा है, उतना पैसा पहले रखो और उतने पैसे नहीं रखो तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं, होगी, भले ही वह भटकता फिरे। आपने खुद परसों गुलशन कुमार के केस में देखा कि 50 मिनट के बाद में रिपोर्ट दर्ज हुई। पहले सोचते ही रहे कि करें कि नहीं करें, अपने ऊपर आफत क्यों लें, अपने को पूरा पैसा मिल जाये तो रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे, अपने को पूरा पैसा नहीं मिला तो

(14·26)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

क्यों दर्ज करें ! ये ऐसी हकीकत है, जिनमें संवेदनशीलता अपने आप खतम होती जा रही है। यह मैं आपको कोई दोष नहीं देता। आज का वातावरण ही ऐसा है। आप तो कहेंगे अपने जवाब में, मुझे मालूम है आप कहेंगे कि दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में मेरी स्टेट में बहुत शांति है, मेरी स्टेट के अन्दर ऐसा है, मैंने यह किया है, मेरे मुकाबले में आज कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, मैंने पुलिस को इतने कब्जे में ले लिया है। मैंने मन्त्रियों को भी यह हिदायत दे दी है कि आप अपने ऊपर मत लेना और पुलिस पर डाल देना अगर पुलिस गड़बड़ी करती है। लेकिन यह कहना आसान है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, पुलिस महकमा और है। मेडिकल-वेडिकल में तो यह कह सकते हैं और उनके ऊपर डाल भी सकते हैं और डाक्टर घबरा भी जायेंगे और पुलिस पर आप डाल दो, यह मामला संगीन है। थोड़ा-सा आप भी इस पर और विचार करेंगे। मुझे मालूम है, अभी भी आप बड़ा प्रोटक्शन देंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इस प्रकार की वारदातें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आपने क्या किया था पहले ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने पहले क्या किया था हरेक बात में मुख्य मन्त्रीजी का यह मामला संगीन है। कोई भी सवाल उठायें तो हम पर यह चेप देते हैं कि आपने क्या किया था। हमने क्या किया था ? हमने किया उस वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चला था। और हमने भी गलतियां की थीं तो आप कौनसे बख्शते थे। आप हमेशा उसी तरह से हमको रगड़ते थे और कहते थे कि सब गड़बड़ हो गया है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है सोचने की कि जिस प्रकार के काण्ड हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काण्ड अपने आप में यह साबित करते हैं कि यह अच्छे तरीके नहीं हैं। इसका हुआ, इन्द्रसिंह के बेटे का हुआ। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने 11 पाइण्ट्स पर विस्तार से सारी अपनी एक टिप्पणी आपके सामने दी है। रोहिड़ा के अन्दर शराब पीये हुए कांस्टेबिल गये, बापड़ा गरीब, कोई लेना नहीं देना नहीं और उसको पकड़ा। नशे के अन्दर धुत्त और कोई मतलब नहीं, कहीं कोई अत्याचार नहीं, कोई उसके खिलाफ केस नहीं, कोई पुलिस थाने में उसको बुलाया नहीं और उन्होंने लातों ही लातों से मारकर खतम कर दिया। इस प्रकार की जघन्य हत्याएं शुरू हो जायेंगी तो अपने-आप में यह एक बहुत ही शोचनीय स्थिति बन जाती है। इसलिए मैं आपसे खास तौर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

से यह निवेदन करूंगा कि आज की पुलिस जो है उसको आपको बहुत सम्भालना पड़ेगा। मैंने पहले भी 2–4 प्रश्न पूछे थे। पुलिस इतनी भ्रष्ट हो गयी है, नीचे का जितना तबका है, इतना भ्रष्ट है जिसकी कोई हद नहीं है। यह डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट से नीचे का मामला सारा का सारा मटियामेट है, मैं आपको ईमानदारी से कह सकता हूं। आज चाहे यह शराब के ठेकेदार हैं उनसे सब मिले हुए हैं, उनकी खूब दुकानें चलती हैं। लाइसेंस की दुकानें सात हैं उनकी जगह 100 चल रही हैं क्योंकि पुलिसवालों को अपना पैसा मिल जाता है। आज बिना परमिट की गाड़ियां चल रही हैं अनाप-शनाप। चाहे कितना ही यहां हमारे मन्त्रीजी आश्वासन दे दें और वहां भेज दें लेकिन पुलिस अपने मामले में संगीन है और वो चलती है और उनको अपना पैसा मिल जाता है। गाड़ियां चलती रहती हैं।

अभी कमला जी ने कहा है कि कालेज और स्कूलों के अन्दर एडिक्ट इतने हो गये हैं, ड्रग्स बिक रही हैं। क्योंकि पुलिस वालों का उनसे मेल-मिलाप है और बिक रही हैं। आज मकान खाली कराने के लिए गैंग्स काम कर रही हैं, उन गैंग्स को पुलिस वालों का प्रोटक्शन है। वो मकान खाली होते हैं और वो प्रोटक्शन मिल रहा है।

यह सारी ऐसी बातें हैं जो अपने आप में, मुख्य मन्त्रीजी, यह साबित करती हैं कि पुलिस का आज का माहौल जो नीचे के तबके का है वह बहुत बिगड़ा हुआ है और आपस में एक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। पहले के आफिसर्स और कांस्टेबलरी के आपस में एक मेल-मुलाकात थी, जानते थे, मिलते थे, उनसे सम्पर्क होता था। आज आपका आई. पी. एस. आफिसर है, लाइन में बहुत कम जाता है। लाइन के सिपाहियों से अगर मिलेगा ही नहीं, उनसे बातचीत ही नहीं करेगा, उनकी मनोवृत्ति नहीं जानता है, उनका खाना-पीना कैसा है, उनके बीच रहने का कैसा ढंग है, अगर वह सारी बातें नहीं देखता है तो अपने-आप में एक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ऊपर के लेवल के आफिसर्स और नीचे के तबके में एक डिस्टेंस आने की वजह से नीचे का तबका अपने आप में इतना निर्भीक हो गया है कि वह किसी की परवाह नहीं कर रहा है और इसी वजह से यह सारे काण्ड हो रहे हैं, इसी की वजह से यह सारा मामला बिगड़ता जा रहा है। इसलिए मेरा खास तौर से आपसे निवेदन है कि आप बहुत तुजर्बेकार हैं और आप इन सब बातों को जानते भी हैं और मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि जो हम पहले आई. ए. एस. सर्विसेज को टाप मानते थे, आई. ए. एस. वाले टाई-वाई बांध कर अपने आप ऐठ में चलते थे लेकिन आज आई. पी. एस. वाला मामला इनसे भी संगीन हो गया है। आज आई. पी. एस. आफिसर के बंगलों पर 15–15 आदमी, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, बहुत बड़ा लवाजमा रहता है, बड़े ठाट से रहते हैं, बगीचे भी सींचते हैं, उनका बड़ा रुतबा है। आज आई. ए. एस. का कोई रुतबा नहीं है, एकाध, चपरासी, 2-4 कोई और मिलते हैं बाकी ज्यादा दम नहीं है। तो यह अपने आप यह साबित करता है कि पुलिस के जो आफिसर्स हैं उनके अन्दर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अगर आई. ए. एस. का डर भी खतम हो गया तो यह भी अपने आप में एक बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। इस पर भी आप विचार करेंगे, इस पर भी आप कुछ न कुछ जरूर कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेण्ट को आपने एक अच्छा तुजर्बेकार और अच्छा योग्य व्यक्ति दिया है और शिड्यूल्ड कास्ट के हैं तो और भी ज्यादा लोगों में विश्वास पैदा होगा। जैसे कमलाजी कह रही थी, आज किसी भी प्रदेश को देख लीजिए कोई राजस्थान का सवाल नहीं है, दूसरे प्रदेशों में इससे भी ज्यादा जुल्म हो रहे हैं अनुसूचित जाति, जन जाति और महिलाओं पर, इन सब बातों को यह देखेंगे और निश्चित तौर पर सम्भालेंगे। लेकिन जब तक नीचे का तबका, आपके कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, सब इन्स्पेक्टर, सर्कल इन्स्पेक्टर, डिप्टी सुपरिटेण्डेण्ट हैं इस लेबल तक कोई सोच विचार करके आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह डिपार्टमेण्ट धीरे-धीरे निरंकुश होता जायेगा और पुलिस राज, जो अभी कह रहे थे, निश्चित तौर पर हो जायेगा। आपके हाथ से भी बात निकल जायेगी और हम तो दुःखी हैं, और दुःखी होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन। (अनुपस्थित) श्री रिछपाल सिंह। (अनुपस्थित) श्री शिवनाथ सिंह। (अनुपस्थित) श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र चौधरी। (अनुपस्थित) श्री विष्णु मोदी। (अनुपस्थित) श्री रामनारायण चौधरी।

आधे घण्टे का समय है, देखिये तीन बजे सरकार जवाब देगी इसलिए आप उस हिसाब से देख कर बोलिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, आज का स्थगन प्रस्ताव एक ही घटना के चारों तरफ घूमता है और आपने निर्देश दे दिया कि टाइम लिमिट है, अधिक कहने की इसमें गुंजाइश भी नहीं है। जो घटना थाने के अन्दर जुगताराम के साथ हुई यह एक ऐसा जघन्य अपराध है जो संसार के किसी भी हिस्से में, किसी भी पुलिस स्टेशन में इस प्रकार का जघन्य काण्ड पुलिस के द्वारा आज तक के इतिहास में मुख्य मन्त्रीजी को कहीं पर पढ़ने और देखने और सुनने में नहीं मिलेगा। अब मुख्य मन्त्रीजी इसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपको इसमें दोषी नहीं ठहराता। लेकिन एक बात है, अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर प्रशासन का और देश में कानून व्यवस्था का स्तर गिरता जा रहा है और गिरने के बहुत कारण हैं जो गिनाये गये हैं : वह भी महत्वपूर्ण कारण हैं। और भी ऐसी जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं उनको काबू में करने के लिए स्ट्राग प्रशासन की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी ने खुद ने, अखबारों में प्रकाशित हुआ उससे जाहिर हुआ कि प्रतिपक्ष की मांग पर जांच सी. बी. आई. को ट्रान्सफर कर दी, इससे लोगों को सन्तोष हुआ। मुझे सी. बी. आई. में जांच देने पर अफसोस हुआ। मैं चाहता था कि इस मामले की जांच यहां की पुलिस से और मुख्य मन्त्रीजी की देख-रेख में होनी चाहिए थी तो पता चलता कि इन्साफ की सूई किधर घूमती है। अब जो होना है

(श्री रामनारायण चौधरी)

वह तो होगा लेकिन मुख्य मन्त्रीजी को ज्यों ही पता चला, इनका कर्त्तव्य बनता था कि वह खुद घटनास्थल पर जाते। किसी जमाने में, मान्यवर, बीकानेर का राज महाराजा गंगासिहजी करते थे। वह दौरे पर जाते थे तो उन दौरों के ऊपर ऐसी कोई घटना नहीं होती थी लेकिन फिर भी वे लोगों को समय देते और दोषी को सजा देते थे। तो ऐसे मौके पर गृह मन्त्रीजी खुद जाते। यही मौका था जो संसार में मेरे ख्याल से कहीं आया नहीं होगा, ऐसी घटना हुई नहीं होगी। और किसी तरह के अपराध हुए होंगे लेकिन ऐसा अपराध नहीं हुआ होगा। खुद जाकर वहां देखते और खुद ही वहा पर फैसला करते। क्या जरूरत थी सी. बी. आई. में हमें मांग करने की और इसका इतना कष्ट उठाने की, जैसा चीफ सैक्रेटरी से लिखवाया, आपने लिखा और फिर आपने सी.बी.आई. से भी बात की। आप उसमें इन्साफ करते, दूध का दूध और पानी का पानी करते तो एक आपकी इमेज बढ़ती, आपके प्रशासन की इमेज बढ़ती। जो होना था वह तो हो गया था लेकिन इससे एक अच्छी चीज पैदा होती।

मैं मान्यवर, इस जघन्य काण्ड की घोर निंदा करता हूं। हर व्यक्ति इसकी निन्दा करेगा। सदन में बैठ कर इस पक्ष ने, उस पक्ष ने ऐसी घटना पर वर्णन पहले कर दिया, अब बार-बार इसका वर्णन करना अच्छा नहीं लगता। तो अब सवाल यह उठता है, पीछे से आवाज उठी थी कि कुछ आपको इसमें करना चाहिए। जिस व्यक्ति की जिन्दगी नष्ट हो गयी और जो एक नाम का आदमी रहा है उसकी जिन्दगी आगे कैसे चले। एक पोर्शन तो उसका खतम है लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि उसका कम्पेनसेट करें। उसका काट पीट कर सब खतम हो गया लेकिन संवेदनशीलता के पाइण्ट पर सरकार को उसके इलाज में, रिहेबिलिटेट करने में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ में आपके लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पर घोर असंतोष व्यक्त करते हुए, इस घटना की निन्दा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई। (अनुपस्थित) श्री रामगोपाल बैरवा। (अनुपस्थित) श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आज इस पुलिस पर, कानून और व्यवस्था पर सदन में काफी चर्चा हुई। यह जुगताराम प्रकरण, एक ऐसा प्रकरण राजस्थान में हुआ, ऐसी घटना हुई। इस सरकार के लिए कि आज लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है जब इसकी चर्चा हम कहीं पर करते हैं। मुख्य मन्त्रीजी जवाब देंगे या गृह मन्त्रीजी जवाब देंगे। तो जवाब इन्होंने पहले ही तैयार करवा लिया है कि मामला सी.बी.आई. में चल रहा है इसलिए हम बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे या कोई इसमें बीच में पहले कार्यवाही नहीं कर सकते, दोषी लोगों को सजा दे नहीं सकते। पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्रीजी बहुत अनुभवी हैं, प्रथम विधान सभा से अब तक इनको सब मामलों की, विधान सभा में घटनाएं घटी, पुलिस के द्वारा या दूसरे अन्य कारणों से हुई, इन सब

(श्री परसादीलाल मीणा)

की जानकारी है। पर क्या ऐसी कोई राजस्थान में घटना घटी? मैं, मुख्यमंत्रीजी, एक ही बात कहना चाहता हूं कि पुलिस बिना नोटिस के किसी को थाने में नहीं बुलाये, अगर आप यह व्यवस्था कर सकते हैं तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज किसी को भी कांस्टेबल चलते रास्ते पकड़ लाया कि चल, थानेदार साहब बुला रहे हैं। चाहे कोई मामला ही नहीं हो और उसको दो दिन बैठा लिया। परेशान होकर उसने हजार-पांच सौ रुपये दे दिये। आज पुलिस का लोगों में इतना आतंक फैल गया और मैं सही कहता हूं कि इस जुगताराम प्रकरण के बाद तो लोग थानों में जाने से, पुलिस के नाम से घबराने लग गये कि कहीं हमारे साथ यह घटना नहीं हो जाये।

अब आखिर जुगताराम का क्या होगा, जो 22 साल की उम्र का है। मुख्य मंत्री जी, मानवता के नाते आप उसका इलाज सरकारी खर्चे पर करायें, चाहें कहीं भी हो, अमरीका में हो सके, माइक्रो सर्जरी हो सके या कहीं भी इलाज हो सके, सरकार का कितना ही खर्चा हो आप उसका परमानेन्ट इलाज करवाइये और हो सके तो, मुख्य मंत्रीजी, यह जितना भी पढ़ा-लिखा है, उसकी योग्यता के मुताबिक उसको काम-काज दीजिये यदि वह काम-काज करने की स्थिति में नहीं रहा, तो वह स्त्री रहा ना पुरुष रहा। आज हालत क्या है, हम कहां बैठे हैं? इस घटना की चर्चा करने में मेरे को शर्म आ रही है कि हमारे राजस्थान में यह घटना कैसे घटी है। पुलिस ने यह कैसा कहर ढाया है नौजवान पर। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि अपने इस पुराने रवैये को छोड़िये। पुलिस प्रशासन का सामन्तवादी रवैया जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है उसमें कोई नया मोड़ आये। आपका भी शासन चलाने का आखिरी दौर है और आपको भी राजस्थान की जनता ने तीसरी बार मुख्य मंत्री बनाया है। अपने जोड़-तोड़ से, अपनी प्रतिभा से, अपने अनुभव से, जैसे भी राजस्थान के आप तीसरी बार मुख्य मन्त्री बने हैं, अगर इस प्रकरण में भी आपने वही घिसा-पिटा जवाब दिया कि मामला सी.बी.आई. में चल रहा है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते उन दोषी लोगों, जो आपकी निगाह में साबित हो चुके हैं, ऐसी सजा दें, उनको ऐसा दण्ड दें, उनको नौकरी से तो आप निश्चित रूप से निकालें। पुलिस में ऐसे कलंकित लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सर्वविदित बात है कि जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है वह आखिरकार सब जगह से हताश होकर पुलिस में चला जाता है। पुलिस का चरित्र जो है, पुलिस में ऐसे लोगों की हम भर्ती कर रहे हैं जिसको कहीं दुनिया में नौकरी नहीं मिलेगी उसको पुलिस में नौकरी मिलेगी। पुलिस वालों का जो रवैया है, पुलिस में बदमाश, कातिल सब तरह के, देखते नहीं हैं कैसे आदमी को पुलिस में हम भर्ती कर रहे हैं।

कानून और व्यवस्था की आपको अभी सात दिन पहले की घटना बताऊंगा। मेरे गांव मण्डावरी में एक होटल वाला होटल चलाता था। गरीब ब्राह्मण था। बिलकुल सत्य घटना है। रात को गये कि आप खाना खिलाइये, पैसा वैसा नहीं देंगे, हम तेरे जंवाई हैं। वह पुलिस वालों के साथ दारू

(श्री परसादीलाल मीणा)

पीकर गये थे। वहीं चौकी है। पुलिस वाले ग्रौर वह मिल कर दिन-रात एक जगह दारू पीते है। होटल वाले को खूब मारा पीटा। होटल नष्ट कर दिया। उसकी दुकान सात-ग्राठ दिन से बन्द है।

इसी तरह की नांगल थाने की घटना है। रात के चार बजे गये कि चलो, ग्रापको थानेदारजी बुला रहे हैं। खूब जोरदार मारपीट हुई ग्रौर फिर उन्होंने ग्राकर उनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया। कौन था, कौन नहीं था। पुलिस वालों को जो विशेष ग्रधिकार मिले हुए हैं कि किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लेते हैं बिना कोई एफ.ग्राई.ग्रार. के, यह ग्रधिकार पुलिस का कम हो जाये कि वह किसी के खिलाफ बिना उच्चाधिकारियों की ग्रनुमति के मुकदमा दर्ज नहीं करें, जुगताराम के साथ भी यही हुग्रा कि इसने स्वयं ही मरने के लिए यह घटना करके इसमें रिपोर्ट कर दी। ग्राखिर क्या है पुलिस? रक्षक ही हमारे भक्षक हो गये। वही जुगताराम के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं ग्रौर इसमें एक जगह एफ. ग्राई. ग्रार. में तो यह भी कहा गया है कि जुगताराम 11 बजे स्वयं थाने पर ग्राया था। कोई लेने नहीं गया था। क्या कोई मामला विचाराधीन था? क्या जुगताराम कोई ग्रादतन ग्रपराधी था? तो मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की जो कलंकित घटना हुई है, हिन्दुस्तान में ऐसी घटना नहीं घटी होगी। इस घटना के लिए कोई कड़ी से कड़ी व्यवस्था करें, इन ग्रपराधियों को नौकरी करने का ग्रधिकार ही नहीं है। जो भी पुलिस के ग्रफसर, थानेदार, हैड कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं, ग्राप उनको इमीजिएट हटा दीजिये, मुख्य मन्त्रीजी, तब तो पुलिस को सबक मिलेगा ग्रौर ग्रापने ग्रगर वही पुरानी परिपाटी का भाषण दिया तो हमारे बोलने का ग्रौर ग्रापके सुनने का कोई मतलब नहीं निकलेगा।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हरीसिंह महुग्रा।

श्री हरीसिंह (महुग्रा) : ग्रध्यक्ष महोदय, इस घटना की विस्तार से चर्चा प्रतिपक्ष के नेता महोदय कर चुके हैं। तथ्यों के ग्राधार पर इसका पूरा-पूरा ब्यौरा दे चुके हैं। मैं इस सदन में पिछली विधान सभा में भी था ग्रौर इसमें भी पहले मण्डावरी केस था, मैं समझता हूं कि उस दिन मुख्य मन्त्रीजी की गर्दन शायद इतनी नीची नहीं थी, वह खुद इसकी गम्भीरता को महसूस कर रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने ही हमारे सदन को, राजस्थान की जनता के ऊपर एक कलंक लगा दिया। ऐसा ग्रमानवीय कृत्य, ऐसा जघन्य ग्रपराध, कहीं कोई फ्यूडल स्टेट में होता हो तो होता हो, प्रजातान्त्रिक प्रणाली में तो ऐसे ग्रपराध की कोई गुंजाइश ही नहीं है ग्रौर राजस्थान में तो कम से कम बिलकुल नहीं है। यह पहली बार ऐसी घटना घटी है। ग्रकेले जुगताराम का ही नहीं, जीवन तो दो का खराब हो गया, जुगताराम ग्रौर उसकी पत्नी का।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं इस घटना के सम्बन्ध में विशेष चर्चा तो नहीं करूंगा लेकिन मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन करूंगा कि राजस्थान में ग्रपराध बढ़ रहे हैं और उस ग्रपराध में दो तरह के माफिया गिरोह

Page No.102

(श्री हरीसिंह)

पैदा हो गये हैं, एक तो शराब माफिया गिरोह और दूसरा भूमि माफिया गिरोह। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि दोनों ही माफिया गिरोह की पुलिस के साथ सांठ-गांठ है। जितने भी अपराध घटित हो रहे हैं इस ढंग के, इनसे पहले भी पुलिस के एक सब इन्सपेक्टर इन्द्रसिंह के लड़के जयकरण की वहीं बाड़मेर में संदिग्ध अवस्था में लाश मिली और उसको एक्सीडेण्ट का केस बनाया। तो क्यों नहीं उसका पोस्ट-मार्टम करवाया? उसने चिट्ठी लिखी राजस्थान के आई.जी., श्री अमिताभ गुप्ता को और आई.जी. ने बाड़मेर की पुलिस को निर्देश दिये कि बड़े अफसोस की बात है कि पुलिस अधिकारी के लड़के की संदिग्ध अवस्था में लाश मिले और उसकी जांच एक सब इन्सपेक्टर करे। उनका खुद का मानना यह था कि यह जांच किसी एडीशनल एस. पी., एस. पी या डीवाई. एस. पी. के मार्फत होनी चाहिये थी। इस घटना के बाद ही एक और प्रकरण आ गया गोपाराम का। जेल में उसकी गुदा में डंडा कर दिया गया। यह क्या हो रहा है आखिर बाड़मेर में? यह किस प्रकार की साजिश वहां के माफिया गिरोह की है? इनमें से दो प्रकरण शराब के ठेकेदार से मिल कर हुए हैं जयकरण का और गोपाराम का।

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हमको कुछ आय हो रही है और हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का आबकारी विभाग हमको दे रहा है लेकिन यह केवल बाड़मेर का प्रकरण नहीं है, आज आबकारी विभाग के जो ठेकेदार हैं उनकी राजस्थान में पैरेलल गवर्नमेण्ट चल रही है, कई जगह उनको पुलिस की भी जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी खुद की फौज खड़ी कर रखी है, वह गांवों में जाते हैं, लोगों के साथ ज्यादतियां करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप देखिये आबकारी विभाग को कुछ स्थानों पर ठेके के लिए स्वीकृति है। अमुक गांव की दुकान हो गयी लेकिन आज स्थिति आबकारी विभाग ने राजस्थान में यह पहुंचा दी है कि अगर सौ-डेढ सौ घर का भी कोई गांव है तो वहां नाजायज ढंग से बोतलें लेकर ठेकेदारों का आदमी बैठा हुआ शराब बेच रहा है जबकि आबकारी में कहीं उसकी स्वीकृति नहीं है। उनका एक माफिया गिरोह पैदा हो गया है, विशेषकर जहां हमारी सीमा के इलाके हैं, जहां तस्करी होती है, जहां से हथियार आते हैं, जहां स्मगलिंग के दूसरे काम होते हैं। पाकिस्तान विशेष रूप से हिन्दुस्तान में दखल देने के लिए यहां की शांति और अमन भंग करने के लिए उस बोर्डर का प्रयोग कर रहा है और वहां अगर इस ढंग की पुलिस हो तो अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा अफसोस की बात दूसरी कोई हो नहीं सकती।

सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे एफ आई.आर. पढ़कर हुई। जिस तरह की घटना घटी और जिस तरह की एफ आई आर. दर्ज की गयी और उसको आत्महत्या का मामला बनाया गया, छह घण्टे तक व इन्सान तड़फड़ाता रहा और बाड़मेर के हास्पिटल में उसको डाल कर बारह दि तक उस अपराध को छिपाने की कोशि की गयी। आज भी राजस्थान सरका अपनी बदनामी से डरने की वजह से उसव एस. एम. एस. में सिर्फ डाले हुए हैं। व

(श्री हरीसिंह)

नहीं उस आदमी को कहीं विदेश भेज कर इलाज करवाती? क्यों नहीं चिकित्सा करवाती? राजस्थान सरकार को सिर्फ यह भय है कि अगर इस आदमी को हम कहीं दिल्ली, बम्बई या विदेश भेजेंगे तो राजस्थान सरकार की ही नहीं इसमें बहुत बड़ी बदनामी हमारे मुल्क की पुलिस की होगी। हमें इस समय बदनामी से नहीं डरना है। जो कुछ बदनामी होनी थी, हो गयी। जो बरबादी होनी थी सो हो गयी। आज सवाल इस बात का है कि मानवता के आधार पर उस व्यक्ति को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा विश्व में उपलब्ध हो सकती है, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उसको वह बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष कुछ नहीं कह कर आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी मार्फत गृह मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं, गृह मंत्रीजी से इस्तीफा तो नहीं मांग रहा हूं क्योंकि इस घटना के 15 दिन बाद इन्होंने शपथ ली है और उससे कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन, गृह मंत्रीजी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको बड़ी + + + के साथ मुख्य मंत्रीजी ने गृह मंत्री बनाया है और + + + इसलिए है कि जिसने भी अत्याचार होते हैं यहां पर, एस. टी., एस सी. के खिलाफ होते हैं, तो होना जाना कुछ है नहीं, आप गृह मंत्री बने हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, कमजोर वर्ग के साथ अत्याचार होते हैं, मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि जो पुलिस की फ्यूडल मेन्टिलिटी है उसको आप बदलिये। पुलिस में एक और भाषा छिपी हुई है राठौड़ी एक्शन करने की मेहरबानी करके इस प्रजातन्त्र के अन्दर हम 46वें, 47वें वर्ष में चल रहे हैं, यह राठौड़ी एक्शन करवाना बन्द करवा दीजिए।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र बुडानिया

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाया और एक बहुत-बड़ा अपराध हमारे राजस्थान के पुलिस अधिकारियों के द्वारा किया गया। सबने बताया कि इस तरह का जघन्य अपराध राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के इतिहास में सामने नहीं आया। जब से यह अपराध हुआ है और दिल में इस घटना की बात आती है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हमारे राजस्थान के अन्दर राज्यपाल के दोनों अभिभाषणों में संवेदनशील सरकार की बात कही गयी। हमने भी यह महसूस किया इधर बैठे हुए कि भैरोंसिहजी अबकी बार शायद कोई नई बात, नया संकल्प ले करके मुख्य मंत्री बने हैं। लेकिन जब से मुख्य मंत्री बने हैं तब से धीरे-धीरे यह बात होती जा रही है कि सरकार सवेदनशील है। जुगताराम प्रकरण हमारे लिए इतिहास में एक बहुत-बड़ा कलंक रहेगा। मुख्य मंत्रीजी, इस कलंक को मिटाने के लिए, जहां तक मैं समझता हूं, आपको कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे कि राजस्थान की जनता यह महसूस करे कि हमारे मुख्य

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

मंत्री ने कुछ किया है। यह बात निश्चित होनी चाहिए चाहे इधर बैठे हों, चाहे हमारे सामने बैठे हों। आज हर व्यक्ति के सामने यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत चिन्ता का विषय है कि आज कोई भी व्यक्ति थाने के अन्दर जाये तो वह व्यक्ति यह महसूस करता है कि कहीं मेरी थाने के अन्दर बेइज्जती नहीं हो जाये। बड़े से बड़ा आदमी भी जाते हुए घबराता है तो उस छोटे व्यक्ति की वहां क्या हालत होगी, मुझे यह बताने की कतई जरूरत नहीं है। मैं किसी की बुराई करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन मेरा यह सोच है, यह मेरा खुद का सोच है कि यदि हम लोग इसी प्रकार से चलते रहे और पुलिस को इसी प्रकार से मौका देते रहे अपराध करने का, तो आने वाले दिनों में बहुत-बड़ा खतरा हमारे राजस्थान के अन्दर मंडरा सकता है।

कई घटनाएं हुई। इन्द्रसिंहजी के लड़के के साथ घटना हुई। एक-दो घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिनका मुझे याद आ रहा है कि नवम्बर के महीने में 11 तारीख या 12 तारीख मुझे याद नहीं, गवंतसर के अन्दर एक काण्ड हुआ, बी. एस. एफ. के एक सब-इंस्पेक्टर को सरेआम दिन दहाड़े 4-5 जीपों में गुण्डे इकट्ठे होकर आकर उठाकर ले गये। एक गांव में दूर दराज ले जाकर धर्मशाला में उसको बंद कर दिया मारने के लिये। जब पूरा शहर उमड़ पड़ा उसके अन्दर, थाने का घेराव कर दिया तो उसकी एफ. आई. आर. लाज हुई, पुलिस थोड़ी-बहुत हरकत में आई। पुलिस के ऊपर जनता ने पूरा दबाव बनाये रखा, हकीकत को छिपने नहीं दिया। लेकिन, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिस दिन आपने ओथ ली, आप मुख्य मंत्री बने उसी दिन वह फाइल सी. आई. डी. के अन्दर ट्रान्सफर हो गई। जनता किस बात का विश्वास करेगी। आज कोई भी कहीं काण्ड होता है या तो पुलिस वाले उसको दबा देते हैं या फिर उसको सरकार का संरक्षण मिलता है।

मुझे याद आ रहा है, मैं मेरे क्षेत्र में घूम रहा था एक व्यक्ति ने मुझसे शिकायत की कि फलां व्यक्ति ने मुझे मारा। मैंने कहा, तुमने एफ. आई. आर. क्यों नहीं दर्ज करवाई? उसने कहा कि एफ. आई. आर. दर्ज करवाकर क्या करूं। मैं एफ. आई. आर. दर्ज कराने जाता, पहली बात तो मेरी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होती। मैं जितना पैसा एफ. आई. आर. दर्ज करवाने में लगाता और दर्ज कराने के बाद भी कुछ नहीं होता, मैं दो रुपये में पट्टी बंधाकर अपने घर आकर बैठ गया। मेरी शान मैंने अपने पास में रख ली। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं बहुत सही बता रहा हूं आपको। गृह मंत्रीजी, आपके लिए भी बहुत-बड़ा चैलेन्ज का विषय है। आज हरिजनों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। हरिजनों को गांव के अन्दर 3-3, 4-4 दिन तक खाना नहीं दिया जाता है। बहिष्कार करवा दिया जाता है उनका। आप जांच करवाकर देख लीजिए, मैं नाम बता सकता हूं, गांव का नाम बता सकता हूं, उन हरिजनों का

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

नाम बता सकता हूं। हरिजनों की पिटाई होती है। क्या बता दूं? सरेआम, सबको मालूम है, सरदार शहर के अन्दर हरिजन तहसीलदार की भरी अदालत के अन्दर पिटाई हुई। आज मैं पूछना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, उस मुकदमे का क्या हुआ? बड़े शर्म की बात है कि एक अधिकारी जो अदालत के अन्दर बैठकर काम कर रहा था, एक गरीब घर में पैदा हुआ, आज उसकी जनता के सामने पिटाई हुई। आज कौन अधिकारी वहां काम करेगा और कौन उस गिरोह को रोकेगा जो इस तरह का काम करता है?

बहुत लम्बा नहीं बोलते हुए, मेरा निवेदन मुख्य मंत्री महोदय से यह है कि, मुख्य मंत्रीजी, आपसे लोग उम्मीद करते हैं इस वक्त आपने दोनों अभिभाषणों में राज्यपालजी से कहलवाया है कि मैं एक संवेदनशील सरकार दूंगा। आज संवेदनशीलता नजर नहीं आ रही है। यह संवेदनशीलता धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। मेरा यह कहना है कि इस जुगतराम काण्ड के अन्दर आप इस प्रकार की कार्यवाही करके दिखायें कि सदन ही नहीं, पूरा राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरा हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की पुलिस जाने कि इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही हो सकती है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : साहब, मैंने निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास तीस माननीय सदस्यों की लिस्ट है। मैंने तीसों के नाम पुकार लिए है।

श्री राधेश्याम : मैंने भी निवेदन किया है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इस प्रस्ताव पर दस्तखत किये हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास जो लिस्ट है उसमें दस्तखत करने वालों के....

श्री हरिसिंह : तो उसमें, लिस्ट में नहीं आये होंगे नाम लेकिन 193 आप देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : वो होता है कभी-कभी। हरिसिंह नाम के तीन हरिसिंह हैं ना....

श्री हरिसिंह : हरिसिंह (193) लिखा है मैंने उसमें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप बोल लीजिए, पांच मिनट बोल लीजिए।

श्री राधेश्याम : साहब मैंने निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : जिनका एडजोर्नमेंट मोशन है, वही बोलेंगे।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है और जिसमें....

श्री राधेश्याम : मैंने नाम दिया है, साहब आपको।

श्री हरिसिंह : मेरे बाद में आप बोल लीजियेगा।

श्रीमती कमला : दो मिनट दे दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे कई लोग बोलना चाहते हैं····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने तीसों का नाम पुकार लिया। एक भी नहीं छोड़ा इसमें।

श्री राधेश्याम : हमें आप समय तो दीजिए।····(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने पुलिस के द्वारा जनता पर जो अत्याचार किये जा रहे हैं और जो घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं, उसके ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस पर चैक लगाने के लिए प्रारम्भ में ही हमारी न्याय प्रणाली ने सोचा है और यही कारण है कि पुलिस की बात पर इत्मीनान जाब्ता फौजदारी में भी, श्रीमन्, किया नहीं जाता, 161 के जो बयानात हैं उनको मान्यता नहीं दी जाती और जुडिशियरी ने वक्तन वक्तन पुलिस जो अत्याचार करती रही है उसके सम्बन्ध में अपने वर्डिक्ट्स दिये है, अपने फैसलों में लिखा है कि पुलिस एक आर्गेनाइज्ड गैंग की तरह होती चली जा रही है अभी लेटेस्ट धौलपुर के एक डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज साहब ने नवाबसिंह के एक मुकदमे, जो कि अफीम के सम्बन्ध में था, में उस अभियुक्त को बरी करते समय यह लिखा है कि राजस्थान की पुलिस ने इस मुकदमे में जो पैरवी की है वह एक नाटक मात्र है, एक एकांकी है।

(15.00)

अब आप विचार कर सकते हैं, श्रीमन्, कि राजस्थान की जुडिशियरी का पुलिस के सम्बन्ध में यह कहना कि इन्वेस्टीगेशन जो पुलिस द्वारा किया जाता है वह एकांकी, नाटक मात्र है, हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम पुलिस के सम्बन्ध में कुछ गहनता के साथ सोचें। श्रीमन्, यह बहुत ही पुरानी बात है कि जिसके पास में शक्ति होती है, ताकत होती है उसे प्रभुता का मद आ जाता है 'प्रभुता पाय काहे मद नाहिं' इसलिए यही कारण हुआ कि पुलिस ने राजस्थान में जो घटनायें घटीं, घटनायें ही नहीं बल्कि संगीन जुर्म किये जिनकी यहां पर चर्चा हुई है उसके सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस जब अपने रूल्स और कानून को तोड़ने लग जाती है तो उनको काम करने के लिए, जुर्म करने के लिए ज्यादती मिल जाती है।

श्रीमन्, जहां तक जुगताराम काण्ड का प्रश्न है, बहुत ही विस्तार से इस सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है। मैं खास तौर से आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जुगताराम के सम्बन्ध में उसके खिलाफ जो 309 का मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें यह लिखा है कि आज तारीख 5-2-94 को वक्त 11.00 ए. एम. पर खुद हाजिर थाना आया, और इसके पहले वह लिखते हैं जो निवेदन है कि मुकदमा नम्बर 20/94 अन्तर्गत धारा 363, 366 आई.

(श्री हरिसिंह)

पी. सी थाना सदर बाड़मेर से पूछताछ के लिए तलविदा श्री जुगताराम पुत्र अमराराम जाट निवासी सरली आज तारीख 5-2-94 को 11.00 बजे खुद आया। एक तरफ कहते हैं कि तलविदा हैं। हमारे पुलिस रूलस स्पष्ट रूप से यह कहते है कि किसी आदमी को तलब करने के लिए पुलिस को केवल जबानी बुलाना नहीं चाहिये। पुलिस के जो नियम बने है, पुलिस रूलस हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पुलिस रूलस का 6.2 है:—

"An Officer so making an investigation shall invariably issue an order in writing in form 6.21 to any person summoned to attempt such investigation and shall endorse on the copy of the order attached by the person so summoned the date and time of the arrival at and the date and time of his departure on the place to which he is summoned."

उसमें पाबन्द किया गया है पुलिस के लिए कि इन्वेस्टीगेशन के सम्बन्ध में आप जिस किसी को भी बुलाना चाहेंगे उसको लिखित में इस बात का संदेश भेजेंगे और उसमें यह भी लिखा हुआ होगा कि आप किस तारीख को आ रहे हैं और थाने में आने के बाद जब वह वापस जायेगा तब भी उस पर लिखा जायेगा कि इस तारीख को वह आया और इस तारीख को वापस चला गया। यहां जुगताराम के सम्बन्ध में पुलिस कहती है कि उसको सम्मन किया गया, उसको बुलाया गया, तो कहां है वह सम्मन? कहां है वह सफीना? जो जुगताराम को भेजा गया था। इसका मतलब यह है कि कहानी गढ़ी चली जा रही थी और दूसरी बात यह है कि 11 बजे वह आया और 11.40 पर यह घटना घट जाती है और 11 बजे से लेकर 11.40 के बीच में उससे कोई इन्वेस्टीगेशन हुई नहीं। 11 बजे से वह कहते हैं कि पुलिस थाना के अन्दर आया तो उस समय वह तैयार होकर आया नहीं होगा। उस समय तो उसके विचार में यह बात होगी नहीं कि उसको खुदकुशी करनी है वरना अगर खुदकुशी करने वाली बात होती तो कोई थाना सुरक्षित स्थान है खुदकुशी करने का ? थाना ऐसा कोई स्थान है जहां पर आदमी आकर खुदकुशी करेगा ? 11 बजे से लेकर 11.40 के बीच 40 मिनट में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे उसका दिमाग फिर सके और वह खुदकुशी थाने में करे.। इसलिए 11 बजे से लेकर 11.40 तक जो सोहनसिंह सब-इन्स्पेक्टर हैं वह कोतवाली से कोतवाली बड़े थाने में है नहीं तो फिर क्या वजह है कि उसके दिमाग में यह बात पैदा हो सकती थी बात यह नहीं है, बात यह है कि दो तारीख को उसको बुलाया गया है, दो तारीख को सुमेरदान और किशोरसिंह जो कि भैरोंसिह नाम के शराब के ठेकेदार का रिश्तेदार है, उसकी साली का लड़का है, वह उसको लेकर आता है थाने में और फिर उसके साथ दो तारीख से लेकर पांच तारीख तक भयंकर रूप से मारपीट की जाती है और उसको मजबूर किया जाता है इस बात के लिए कि वह यह कबूल करे कि उसके भैरोंसिह की स्त्री के साथ कोई नाजायज सम्बन्ध थे। और जैसे ही उस बात को जबरदस्ती कबूल किया जाता है, दोनों पुलिस के आदमी, सुमेरदान और भैरोंसिह उसको

(श्री हरिसिंह)

पकड़कर, घेरकर उसके जैनीटल को, उसके लिंग को काट देते हैं और फिर 11.40 से लेकर शाम के 6 बजे तक पुलिस इस फिराक में रहती है कि किस प्रकार इस मामले को छुपाया जाय और 6 बजे जाकर के यह मुकदमा दर्ज होता है उसके खिलाफ आत्महत्या का। तो यह कहानी अपने आप में इस बात की द्योतक है, इस बात को जाहिर कर रही है कि यह जो एफ. आई. आर. उसके खिलाफ दर्ज की गयी है यह स्वयं अपने आप में इस बात को जाहिर कर रही है कि इसके साथ में कोई घटना थाना बाड़मेर सदर के अन्दर घटी और फिर इस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, श्रीमान् इसके बाद में मुकदमे की कार्यवाही सी. बी. आई. को मुख्य मंत्री महोदय ने भेज दी लेकिन फिर एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जो सलूक एक वेलफेयर सरकार को करना चाहिये वह नहीं किया, उसे जो मदद मिलनी चाहिये वह नहीं मिली, उसे जो डाक्टरी ट्रीटमेंट मिलना चाहिये वह नहीं मिला।

इसके अलावा मैं आपको अपने भरतपुर के ही एक काण्ड जो सीकरी में हुआ है, पुलिस ने एक आदमी को मारा है श्रीमान् उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 27-1-94 की बात है कि लल्लू नाम का धोबी, शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी है, यह मंत्रीजी का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को थाने में आने पर गोली मारी जाती है। वाक्या इस प्रकार है कि पुलिस थाना सीकरी में कुछ लोग बन्द थे, बन्द किस प्रकार से थे, वे 151 में बन्द किये गये थे। एक भूरजी नाम का आदमी जिसकी डेड बॉडी कुए में मिली, और उसके सम्बन्ध में कुछ लोग पुलिस थाने में जाते हैं यह कहने के लिए कि आप मुकदमा कायम कीजिये, और वहां जाने वाले लोगों पर, शांतिपूर्ण लोगों पर, मैं समझता हूं वहां के जाने वाले माननीय विधायक महोदय इस बात की ताईद करेंगे कि शांतिप्रिय लोग जब थाने पर जाते हैं उनके ऊपर पुलिस बगैर किसी वार्निंग किये हुए, बगैर किसी गलती के गोलीबारी करती है जिसमें यह लल्लू धोबी मारा गया है। आज उस लल्लू धोबी के बच्चे सदन से पूछना चाहते हैं कि उसके पिता को उनसे क्यों छीन लिया गया? उसकी विधवा स्त्री यह जानना चाहती है कि उसके पति को क्यों असमय के लिए संसार से उठा दिया गया है? एक शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को, एक हरिजन को पुलिस ने गोली से मार दिया। आज पूरे थाने में इस मामले में प्रदर्शन हो रहे हैं कि इस काण्ड के सम्बन्ध में एक जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। आज तक सरकार ने इस सम्बन्ध में न कोई बयान दिया है और न अपनी तरफ से कोई कार्यवाही की है तो मैं आज इस सदन में इस बात की मांग करना चाहता हूं कि सीकरी में जो शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या की है उसकी जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो गये।

श्री हरिसिंह : थैंक यू सर। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। उसके बाद में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पुलिस सब-इन्सपेक्टर इन्द्रसिंह के लड़के, अब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर को ही पुलिस वाले मारें, केस रजिस्टर नहीं हो

(श्री हरीसिंह)

उसके लिए उन्हें आई. जी. के पास निवेदन करना पड़े, यह भी एक शर्म की बात है। कुचामन सिटी में यह जो घटना घटी है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कुचामन सिटी के उस बाजार में जो लोग अपनी दुकान चला रहे थे, दवा की दुकान चला रहे थे उनकी दुकानों को पुलिस के सामने तोड़ा गया, लूटा गया और उस सम्बन्ध में पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। एक ही नहीं, अनेक घटनायें इस प्रकार की घट रही हैं। मैं आपको इस सम्बन्ध में दो सुझाव देना चाहूंगा। इन पुलिस की घटनाओं को रोकने के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि राजस्थान में जो लॉ कमीशन बना हुआ है उसको यह बात रेफर की जाय कि इस प्रकार जो पुलिस की घटनायें होती हैं, पुलिस अत्याचार करती है, पुलिसकर्मी जुर्म करते हैं वह कैसे रोका जाय। ऐसी रूल्स में अमेण्डमेंट किया जाये या ऐसी प्रणाली निकाली जाये कि लॉ कमीशन इस बात की जांच करे।

दूसरा सरकार को मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मुकदमे इस प्रकार के दर्ज हों, जिनमें पुलिसकर्मी शामिल हों, जिनमें पुलिस के लोग हों, उनकी तरफ से कोई आरोप इनके खिलाफ लगाये गये हों उन सब केसेज के लिए स्पेशल केस बनाया जाय और उन केसेज की जांच डीवाई एस. पी. से ऊपर के अधिकारी करें और वे सब केसेज मंत्री महोदय के सामने आयें तभी इस प्रकार के अत्याचार रुक सकते हैं। यही मुझे आपसे कहना है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृहमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में, लॉ एण्ड आर्डर की...

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मैंने कहा था, बड़ी गम्भीर समस्या है लॉ एण्ड आर्डर की गंगानगर जिले में...

श्री अध्यक्ष : समय का कण्ट्रोल तो आपको बताया। सारा पहले ही तय हो चुका है। (व्यवधान) साढ़े तीन बजे में जवाब शामिल है। बहस का मतलब जवाब होता है, अलग से नहीं होता। आप बाद में बोल लेना। अभी तो यह बयान देंगे उसके उसके बाद आप बोलेंगे।

श्री राधेश्याम : ठीक है, साहब मतलब नहीं होता है तो यहां बैठकर क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आइये आइये। आप बोलिये।

श्री राधेश्याम : धन्यवाद है, अध्यक्ष महोदय। आपकी बड़ी कृपा हुई। मैं आसन का आभारी हूं। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो यहां एक गम्भीर मामला लॉ एण्ड आर्डर का रखा है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। यह हाउस के लिए बहुत गम्भीर बात है क्योंकि अभी पिछले दिनों एक हफ्ता पहले बी. बी. सी. लन्दन से जो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए या पुलिस के लिए कुछ बोला गया, मेरे खयाल से मैंने ही नहीं काफी लोगों ने इसको सुना होगा

(श्री राधेश्याम)

म्रोर वह एक बड़ी शर्मनाक बात थी। इस जुगताराम के मामले को लेकर ऐसी बातें कही कि जिससे हमारा सारे भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सिर झुकता है। इसके साथ ही साथ पुलिस के इस तरह के कार्य हैं कि गगानगर के अन्दर 11 नवम्बर को राजकुमार नाम के लड़के का, जो कि रिक्शा पर बैठा हुम्रा बारात में जा रहा था उसका कत्ल कर दिया गया दिन-दहाड़े म्रोर आज जो उसकी मां है वह बेचारी विधवा है म्रौर उसका एक ही लड़का था, वह दर दर रो रही है, भटक रही है म्रौर म्रांसू बहा रही है म्रौर बहुत सारी महिलाम्रों को इकट्ठा करके पुलिस के एस. पी. साहब, एडीशनल एस. पी. के पास कोतवाली में कई बार धक्के खा चुकी है और म्राज तक उस कातल का कोई पता नहीं चला।

अभी 7 जनवरी को रोडवेज के बस स्टेण्ड के सामने होटल के पीछे एक जवान का, जिसकी जेब में 5 हजार रुपये थे वह 5 हजार रुपये निकाल लिये गये म्ररि चाकू मार कर उसको पीछे डिग्गी में गैर दिया गया म्रौर लावारिश लाश करके उसको जला दिया गया। कुछ पता नहीं चला। उसकी मां जब रोती हुई म्रौर चिल्लाती हुई म्राई जब उसकी फोटो देखी, वह फोटो तो पुलिस ने खींची थी, उस पर उसकी शिनाख्त हुई म्रौर उसके बाद जिलाधीश महोदय ने पुलिस को कहा कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये तब जाकर वह केस रजिस्टर हुम्रा लेकिन म्रभी तक कत्ल का कोई पता नहीं चला। इस तरह के घोर अपराध जब होते हों तो उस पर हमें गम्भीर होना चाहिये म्रौर म्राज की जो सरकार है उसको पूरा हाउस जब यह ताकत दे रहा है कि म्राप इस तरह की घटनाम्रों को हमारे प्रांत से जड़ से उखाड़-कर फेंक दीजिये ताकि जनता को राहत मिले म्रौर खास तौर से गरीब और हरि-जनों के साथ दिन-दहाड़े म्रत्याचार होते हैं। म्रभी हमारे भूतपूर्व पार्षद श्री देवकरणजी की बात है, यह कोई 15 दिन पहले की बात है, उनका लड़का है म्रौर उसकी दुकान है रोड़वेज के बस स्टेण्ड के सामने। वह लड़का दुकान बन्द करके चला गया। उसके नौकरों ने म्राकर किसी एक पेशेवर लड़की के साथ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया, उसमें उस मालिक को जो हरिजन था केसर नाम का, उसको घर में जबरदस्ती पकड़कर लाये म्रौर कि तुम इसमें शामिल हो म्रोर क्योंकि उसने 164 के बयान दे दिये. कोई भी पेशेवर ऐसी म्रौरत हो म्रोर वह इस तरह के स्टेटमेण्ट दे दे एक इज्जत-दार म्रादमी के लिए तो पुलिस का काम है कि वह उसकी पूरी जांच करे म्रौर जांच करने के बाद म्रगर वह दोषी पाया जाये तो उसको सजा मिलनी चाहिये। उसके पहले उसके फादर को उठा लिया। वह कच्छे-बनियान में था। उसकी पिटाई की म्रौर उसके बाद उसकी तलाश की। वह मिला नहीं। वापिस 8 दिन के बाद उसके घर वालों को पकड़कर, केसर को पकड़ कर उसको लाकर जेल में बन्द कर दिया। इतना भारी म्रन्याय है।

हमारे यहां चोरियां हो रही हैं। कम से कम सैकड़ों दफा हम मिले। 2-2 लाख की चोरियां हुई। दिन में चोरी हुई 2 लाख 12 हजार की म्रौर म्राज तक उसका कोई पता नहीं। 4 लाख की चोरी हुई उसका

(श्री राधेश्याम)

कोई पता नहीं। 1 लाख 22 हजार की चोरी हो गयी उसका कोई पता नहीं। बीसियों चोरियों के मुकदमें इन दो-तीन महीनों के अन्दर दर्ज हुए और उनका कोई पता नहीं चला। बहुत सारे ऐसे मामले हैं लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं तो आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने दो मिनट का समय दिया बहुत दफा ++ + के बाद।

धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने और उनके दल के माननीय विधायकों ने राजस्थान की कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जिसके परिणामस्वरूप आज इस चर्चा का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले प्रतिपक्ष के नेता और आज के जितने भी माननीय विधायकगण हैं उन्होंने जो अपने विचार रखे उन सबके विचारों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इसलिए स्वागत करता हूं कि जितने भी विचार रखे गये, घटना की पृष्टभूमि कुछ भी रही हो लेकिन प्रत्येक के मन मे एक ही बात थी कि राजस्थान की कानून और व्यवस्था में सुधार हो। प्रत्येक के मन में उस घटना के माध्यम से सरकार को यह संकेत था कि आज राजस्थान में जिस तरह के अपराध हो रहे हैं और अपराधों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी आये, पुलिस पर नियन्त्रण रहे और पुलिस के द्वारा जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों के लिए सरकार सख्ती से निपटे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रतिपक्ष के नेता का मैं इस बात के लिए भी आभारी हूं कि आज दुनियां इतनी छोटी हो गयी है और दुनियां में इतनी जागृति आ गयी है और सारी दुनियां के रहने वाले 7 अरब लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता, जागरूक राष्ट्र और अविकसित राष्ट्र और विकसित राष्ट्र और सब जगह और उसी के प्रति फलस्वरूप 'ह्यूमन राइट्स कमिशन" आज सब देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर मानवीय स्वतन्त्रता और प्राकृतिक स्वतन्त्रता के आधार पर मानव अपना जीवन जी सके, वह मूल्य स्थापित करने को हम सब कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं मूल्यों की स्थापना के लिए हमने यह सारे कानून बना रखे हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि माननीय विधायकों ने कई ऐसी बातें रखीं, आक्षेप लगाना और राजनैतिक धरातल पर किसी पर आरोप लगाने की बात नहीं हुई है। यह चर्चा का स्तर बहुत अच्छा रहा है और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह चर्चा मेरे लिए काम करने में आगे भी दिशा निर्देश काम करेगी और इसको प्राथमिकता से मैं अपने कार्य में प्रयोग करूंगा।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No.112

(श्री कैलाश मेघवाल)

के नेता की इस बात से भी सहमति रखता हूं कि आज उपभोक्ता संस्कृति का शिकार किस तरह से नयी पीढ़ी का व्यक्ति होता जा रहा है और इस उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव में सभी तरह के आकर्षण और उन आकर्षणों की वजह से सारे अपराधों के प्रति उसका लचीलापन आ जाता है कि मैं भी क्यों नहीं जल्दी धनवान बन जाऊं चाहे रिश्वत खानी पड़े, चाहे ब्लैक मार्केटिंग करना पड़े, चाहे स्मगलिंग करनी पड़े, चाहे कालाबाजारी करनी पड़े। यह हमारे जितने भी आर्थिक अपराध हैं इन आर्थिक अपराधों को करके जैसे भूमि माफिया है, शराब माफिया है यह सारे उसी उपभोक्ता संस्कृति के प्रतिफल हैं जहां आदमी जल्दी से जल्दी वैभवशाली जीवन जीने के लिए पैसा चाहता है और पैसा जब कमाई से नहीं मिले तो वह दूसरे तरीके अपनाता है। तो उसमें कोई न कोई अपराध करने की प्रवृति पैदा होती है। उस उपभोक्ता संस्कृति पर रोक लगे, यह न केवल हमारा अपना विषय है बल्कि यह सारे भारत का विषय है, अन्तर-राष्ट्रीय विषय भी इसको हम कह सकते हैं और राष्ट्रीय सोच और अन्तर्राष्ट्रीय सोच हम इस तरह की बनाने में सफल हों कि उपभोक्ता संस्कृति के प्रति आकर्षण समाप्त हो और उसकी वजह से जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आये। इसलिए इन सुझावों के लिए मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय का बहुत आभारी हूं।

एक बात माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कही उससे तो मेरी सहमति है कि विधान सभा आहूत हो जाने के बाद भी पुलिस सतर्कता नहीं बरत रही है और पुलिस के लोगों द्वारा कुछ ऐसे अपराध हुए हैं कि जो विधान सभा में चर्चा के विषय बने। यह विधान सभा की दृष्टि से तो ठीक है, मैं इससे सहमत भी हूं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा यह है कि इस तरह के अपराध कभी नहीं हों। विधान सभा आहूत हुई है उसके बाद विधान सभा का सत्र स्थगित हो इस दौरान ही यह सतर्कता रहे, यह नहीं हो। मेरी इच्छा यह है, राज्य सरकार यह चाहती है और आप भी चाहते हैं कि सतर्कता रहे, पुलिस विभाग का अनुशासन ठीक रहे और पुलिस के जो रक्षक लोग हैं जीवन के और सम्पत्ति के और जिनका कानून और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व है वह लोग निरन्तर बारहों महीना तक सतर्क रहें, दिन के चौबीसों घण्टे सतर्क रहें, महीने के तीसों दिन सतर्क रहें, यह मेरी इच्छा रहेगी और इसमें आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा इसकी मैं आपसे कामना करता हूं। उसी के आधार पर हम राजस्थान की कानून व्यवस्था को ठीक कर सकेंगे। सब तरह से चर्चा का एक निचोड़ आता है कि पुलिस में कुछ कमियां हैं चाहे वह किसी भी आधार पर रही हों, पुलिस में कुछ गिरावट आयी है कार्यप्रणाली में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज की इस चर्चा से पुलिस के सारे ढांचे को चुस्त और दुरुस्त कैसे किया जाये, मेरी यह इच्छा है कि सारा ढांचा चुस्त और दुरस्त रहे। मैं यह भी नहीं छिपाना चाहता कि जब मैं गृह मन्त्री बना हूं तो गृह मन्त्री बनने की माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को भी सदन के सभी वरिष्ठ मित्रों ने बधाई दी है, मुझे भी दी है। मैं आज एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं आपके द्वारा कि मेरी चिन्ता इस

(श्री कैलाश मेघवाल)

बात की नहीं है कि हमारे आई. जी. की छवि कैसी है। मेरी चिन्ता यह भी नहीं है कि दूसरे उच्च पदों पर बैठे हुए पुलिस अधिकारियों की छवि कैसी है। मेरी चिन्ता यह भी नहीं है कि मेरी छवि कैसी है। मैं राजस्थान में पुलिस विभाग की छवि लास्ट कार्नर पर बैठे हुए गश्त करने वाले सिपाही के आधार पर आंकना चाहता हूं कि जनता का उसमें विश्वास है कि नहीं और वह व्यक्ति ठीक ढंग से कार्य कर रहा है कि नहीं। उस व्यक्ति की छवि के आधार पर हमारी छवि का आंकलन किया जाए तो इस सारी व्यवस्था के कोई मायने हैं, तभी हमारी सार्थकर्ता है। अभी एक बात उठी। मुझे इस बात की खुशी है और मैं इसको अपना उत्तरदायित्व मानता हूं। कमजोर लोगों पर अत्याचार होते हैं, महिलाओं पर भी अत्याचार होते हैं क्योंकि वे कमजोर वर्ग में आती हैं। दूसरी तरफ जो माइनारिटीज हैं उन पर भी। आज मैं शिड्यूल्ड कास्ट का होने की वजह से मेरा उनसे भावात्मक लगाव है और उनकी समस्याओं की जानकारी मेरे को ज्यादा है। मुख्य मन्त्रीजी ने यह दायित्व जिस विश्वास के साथ मुझे दिया है उसको मैं स्वीकार करता हूं। काम चुनौतीपूर्ण है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों पर, पिछड़े वर्ग और महिलाओं पर जो समाज के कण्टकों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा या पुलिस के द्वारा कहीं पर भी शोषण किया जा रहा हो, उनको आतंकित किया जा रहा हो उसको मिटाना मेरा पहला कर्तव्य होगा। मेरे इन प्रयत्नों में मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। पुलिस प्रशासन को कैसे चुस्त-दुरुस्त किया जाय उस पर उनसे चर्चा भी करूंगा और उनसे सुझाव भी लूंगा। यह एक सामूहिक सोच निकलेगा। यह विधान सभा राजस्थान की जनता की प्रतिनिधि संस्था है, यहां पर जो चर्चा होती है उससे एक सामूहिक सोच निकलता है। वह सामूहिक सोच जनतान्त्रिक शासन प्रणाली में शासन को दिशा देने का काम करता है। सामूहिक सोच के आधार पर, यहां की चर्चा के आधार पर हम एक रास्ता अपनायेंगे कि इस तरह की जो घटनायें हुई हैं वे नहीं हों।

अभी कई बातें कही गयीं। जब कोई अपराध होता है या जब कोई घटना होती है तो कुछ न कुछ स्थायी रिक्ति वह पैदा करके चली जाती है। यह घृणित घटना हुई। मुख्य रूप से जुगताराम जी की घटना जो यहां पर वर्णित हुई यह एक घृणित घटना है, जघन्य घटना है। इसके लिए कानूनी तौर पर तो जो प्रावधान है वे हैं लेकिन किसी भी भाषा का प्रयोग किया जाय तो मानवीय भाषा में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें इसको कहा जा सके। एक रिक्ति तो आयी है, अब इस रिक्ति की पूर्ति कैसे हो सके? हमारे यहां माननीय डाक्टर विधायक हरीसिंहजी ने तो स्टाप लगा दिया। माइक्रो सर्जरी के हिसाब से उन्होंने अध्ययन कर लिया और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो उनकी दूसरी जान-

(श्री कैलाश मेघवाल)

कारी है उसके आधार पर भी। मैं इनका बड़ा आदर करता हूं एक सर्जन के रूप में। राजनेता के रूप में आदर करता हूं कि नहीं, यह मेरा व्यक्तिगत सवाल है। दुर्भाग्य से ये राजनीति में आ गये, ये अच्छे सर्जन होते तो मानवता की ज्यादा सेवा करते, राजनीति में आकर शायद ये इतनी सेवा नहीं कर पा रहे। इनकी कैंची मानव जीवन को सुखी बनाने और रोग मुक्त करने में काम आती। लेकिन उन्होंने जो एक बात कह दी उससे मैं सहमत होते हुए भी, क्योंकि एक माननीय विधायक की राय है, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जुगताराम जी के केस में उनकी इस रिक्ति को, क्षति को किसी भी तरह पूरा कराने का अगर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमको प्रयत्न करना पड़ा तो हम करेंगे। उसके लिए सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : घर वाली के साथ क्या हो रहा है बेचारी के साथ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी सीट के नीचे स्प्रिंग तो लगी हुई नहीं है ? मुझे जांच करानी पड़ेगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : नारी के साथ अन्याय हुआ है, वह भी जीवनभर दुःख पायेगी। उसकी भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बैठिये तो। वे बोल रहे हैं अभी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे तो स्प्रिंग लगी हुई नहीं है लेकिन उसके बारे में कुछ तो सोचो। नारी के साथ अन्याय हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय विधायक की चिन्ता को उचित मानता हूं। लेकिन मैंने जैसा प्रारम्भ में निवेदन किया, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो स्थायी रूप से कुछ रिक्तियां छोड़ जाती हैं। सभी मानवीय प्रयत्न करने के बाद भी उनकी पूर्ति होना असंभव है। ऐसी स्थिति अगर वहां आयी तो उसका मुझे खेद है। खेद व्यक्त करने के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता। उस क्षति को पूरा कराने के बारे में माननीय विधायक किसी माननीय प्रयत्न की मुझे कोई राय देंगे और कानूनी फ्रेमवर्क में, हमारी कार्यप्रणाली में वह सहयोग दिया जा सकेगा राजकीय स्तर पर कोई भी किसी भी तरह का तो उसके लिए मैं पीछे नहीं रहूंगा, इतना विश्वास माननीय सदस्य को दिला सकता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आर्थिक सहायता कोई आप अपनी तरफ से कर सकते हो तो करो, इसमें क्या है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप बार-बार मत खड़े होइये।

श्री कैलाश मेघवाल : आप से कहा न कि आप अपनी राय दे दीजिये हमारी कार्यप्रणाली में; नियमों के फ्रेम में।

अब कुछ सवाल उठाये गये हैं इस केस के बारे में मुख्य रूप से। दूसरे केस के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उन सवालों

(श्री कैलाश मेघवाल)

का जवाब देने से पहले मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से जानना चाहता हूं। इसलिए जानना चाहता हूं कि सदन में विधायी कार्यों के प्रति मेरी प्रथम निष्ठा, आदर सदन के नेता के प्रति है। सौभाग्य से प्रतिपक्ष के नेता जिनका दूसरा नम्बर है मेरे आदर का, वे भी मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर मुझे गृह मन्त्री के रूप में कोई राय जाहिर करनी चाहिये कि नहीं? यह सवाल मैं आपसे और आपके जो वकील विधायक बैठे हैं उनसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों में एक बात लगातार कही है जो मैं आपको याद दिला दूं। वह बात यह कही है कि इन्वेस्टीगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान इस तरह के कोई वक्तव्य नहीं आने चाहिये जिनसे इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर प्रभावित हो। इस तरह के कोई वक्तव्य नहीं होने चाहिये कि जिससे विटनैसेज प्रभावित हों और इस तरह के भी कोई वक्तव्य नहीं आने चाहिये जिससे न्यायदाता प्रभावित हों। स्कोप सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा दिया है जुडीशियल प्रोसेस का। एफ.आई.आर. दर्ज होने और उस एफ.आई.आर. की कापी जब मजिस्ट्रेट के यहां चली जाती है, इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन प्रारम्भ कर देता हैं, उसके साथ ही जुडीशियल प्रोसेस प्रारम्भ हो जाती है। जुडीशियल प्रोसेस को किसी भी तरह से प्रभावित करने के बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट की वे वहां के तत्कालीन मुख्य मन्त्री सेन साहब के सम्बन्ध में तो एक रूलिंग मुझे याद हैं। उनको इस बात के लिए लताड़ा था कि मुख्यमन्त्री के रूप में उन्होंने ए.ए. आर. पर एक ऐसा बयान दिया कि जिस बयान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मुझे मालूम नहीं, की लगातार कई रूलिंग हैं जिसमें यह माना कि इस तरह का बयान मुख्य मन्त्री को नहीं देना चाहिये था जिसके कारण न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो। मेरे पास वह रूलिंग है, मैं रैफर भी कर सकता हूं। प्रतिपक्ष के नेता इस बात को मानेंगे क्योंकि वे एक अच्छे अध्ययनशील एडवोकेट भी रहे हैं। मैं भी एडवोकेट था लेकिन राजनीति में आने के बाद उस एडवोकेसी के अध्ययन में थोड़ी कमी आ गयी है। लेकिन हम दूसरों से सहयोग कर सकते हैं।

अब दो एफ. आई. आर. हैं। पहले तो इस प्रकरण में मैं दो-तीन बातें और निवेदन कर दूं माननीय प्रतिपक्ष के नेता की सूचना के लिए कि जो एफ. आई. आर. दर्ज हुई है जुगताराम जी की तरफ से उसमें केस 307 और 326 के अन्तर्गत ही दर्ज किया गया है। जो आपने सुझाव दिया था दर्ज ही उसी में हुआ है। आपकी सूचना जिन सूत्रों के आधार पर है वह असत्य सूचना है। 26 को जो एफ. आई. आर आयी है जुगताराम जी की तरफ से उसमें केस रजिस्टर हुआ है 307 और 326 में, यह मैं आपको सूचना दे दूं।

आपने पूछा है कट जैनीटल। मैं आपको यह भी सूचना दे दूं कि कट जैनीटल अस्पताल तक था और डाक्टरों ने उसको किसी काम का नहीं समझकर नष्ट कर दिया। यह कट जैनीटल मेडिकल आफिसर्स के पास तक पहुंचा है, उसके बाद उसको

(श्री कैलाश मेघवाल)

नष्ट कर दिया गया है उसको किसी काम का नहीं मानकर कि लोथड़ा हो गया। जब ग्रापरेशन होता है, सर्जन हमारे यहां बैठे हैं, ग्रौर शरीर का कोई ऐसा पार्ट निकलता है जो ग्रगर बिलकुल बेकार हो जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती तो नष्ट किया जाता है। इस तरह वह भी नष्ट हो गया है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं। इलाज कराने के बारे में भी ग्रापसे निवेदन कर चुका हूं। ग्रापकी चिन्ता वाजिब है कि ग्रगर किसी भी स्तर पर वहां गवाहों को प्रभावित करने में किसी का हाथ पाया जायेगा, इस मामले में मुझे कोई बात छिपानी नहीं है। सदन में बिलकुल स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि, न्याय की प्रक्रिया में जहां एक तरफ मैं यह कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय में जो कानून की व्यवस्था है उसको ग्रौर कोई माने या न माने मुझे माननी पड़ेगी। यदि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोई कोशिश कर रहा है अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता को इस बात के लिए ग्राश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। लेकिन मुख्य मुकदमा जो है, ग्रब रहा सवाल खर्च का तो सरकार ग्राज तक का खर्चा उठायेगी। रहा सवाल कोई क्षतिपूर्ति देने का, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता से सलाह करके इसमें जो भी सम्भव होगा वह इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी, इसमें भी मैं मना नहीं करना चाहता।

एक माननीय विधायक ने सवाल ग्रौर उठाया है कि मैं क्यों नहीं गया। जिस तरह का यह मसला था माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा यह थी, गृह मंत्री बनते ही मैंने सोचा कि बाड़मेर जाकर के इस सारी स्थिति को देखूं। लेकिन बाड़मेर के स्थानीय समाचार पत्रों में जिस तरह के बयान ग्रौर उसके खिलाफ बयान ग्रौर उसके पक्ष में बयान, उसमें निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति ग्रखबारी रिपोर्ट के ग्राधार पर मेरे सामने ग्रायी कि राजनीति उसमें ग्रा गयी ऐसे हालत में मैं वहां मिलने जाता तब भी ग्रौर ग्रस्पताल में मिलने जाता तब भी मेरी यह ग्राशंका थी कि मुझ पर यह ग्रारोप लगाया जा सकता है कि मैं किसी प्रकार से प्रभावित करने गया हूं ग्रौर इसलिए मैं दूर से सूचनाएं लेता रहा ग्रन्यथा माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, 11 तारीख को हमारे कमिश्नर ने वहां बाड़मेर में टेलीफोन किया कि ग्रच्छा इलाज हो सके इसके लिए जुगता राम को तुरन्त जयपुर भेज दीजिये इसके बाद लगातार एस. पी. ग्रौर कलक्टर इस बात का प्रयत्न करते रहे कि जुगताराम ग्रपने इलाज के लिए जयपुर जाए. लेकिन वह कारण वहां के स्थानीय ग्रखबारों में भले ही छपे हों, मैं उन्हें यहां किसी तरह चर्चा का ग्राधार नहीं बनाना चाहता कि जुगताराम को इतनी देरी से यहां पर क्यों लाया गया ग्रौर उसके इलाज में विलम्ब क्यों हुग्रा।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो हाउस की प्रोपर्टी है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह तो ग्रब ग्रापको ग्रलग से बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : ग्रलग से बताने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

की क्या जरूरत है, हाउस में बताइये। जब सारा सदन इस बात पर चर्चा कर रहा है तो माननीय मंत्री महोदय जानकारी दी जानी चाहिये कि आखिर 14 दिन तक जुगताराम को वहां पर क्यों रखा गया। 14 दिन तक वहां रखने की वजह थी जिसकी वजह से आप इसको ले आये प्लास्टिक सर्जरी में और यह ऑपरेशन में सारी असुविधा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद 19 तारीख को इन्वेस्टीगेशन राज्य सरकार के प्रयत्नों से और राज्य सरकार के प्रयत्न प्रतिपक्ष के माननीय नेता की राय से हुए और सी. बी. आई. इन दोनों प्रकरणों की जांच कर रही है। मैंने जो सवाल उठाया था कि क्या इस बारे में कि कौनसी चीज सच्ची है, इसमें कई सवाल आ जाते हैं। मैं उसका छिद्रान्वेषण यहां नहीं कर सकता। देश की सबसे सक्षम और सबसे ईमानदार एजेन्सी जो मानी जाती है, केन्द्र की सी. बी. आई. के पास दोनों ही प्रकरण विचाराधीन हैं, आप और हम सब इस बात से आश्वस्त है कि वहां से जो भी इन्वेस्टीगेशन के बाद जिस तरह का भी न्यायालय में चालान पेश किया जायेगा, जो भी निर्णय उसके होंगे उसको मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी स्वीकार करेंगे और सरकार भी स्वीकार करेगी। इसलिए सी. बी. आई. को वह दे दिया गया है। यह प्रकारण मैं सोचता हूं और कोई फैक्ट्स के आधार पर कोई सूचना है तो जैसा आपने अपना अधिकार सुरक्षित रखा है कि आप मेरे से बाद में सवाल पूछेंगे। फैक्ट्स के बारे में मुझे और कोई बात होगी, कोई लैप्सेज रहे हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको लैप्सेज मिलते हैं, आप यहां ही नहीं बाहर भी व्यक्तिगत चर्चा में बता सकते हैं कि लैप्स हैं और अगर वास्तव में लैप्स है तो उसका निराकरण हमारे यहां कानून है, हमारे डिसिप्लेनरी एक्शन कमेटी बनी हुई है, हमारे यहां दूसरे कानून बने हुये हैं, हमारे यहां मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर वे लैप्स अपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो अपराधिक प्रवृत्ति की कार्यवाही की जायेगी। अगर वह लैप्स एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर ठीक किया जा सकता है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर ठीक किया जायेगा। उसमें आप मेरे में कमी नहीं पायेंगे और इसलिए आपका वह अधिकार सुरक्षित है, आप जितने चाहे सवाल करें, मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जुगताराम जी के बारे में।

अब दूसरा स्थगन, इन्द्रसिंह बाड़मेर का है। एक ए. एस. आई. के लड़के की हत्या हुई है। अब ए. एस. आई. के लड़के की हत्या में माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस पर यहां कई बार आरोप लगता है, यहां पर पुलिस का ही बच्चा मरा है। ए. एस. आई. पुलिस परिवार का सदस्य है और पुलिस परिवार का सदस्य होने के नाते पुलिस का उसके साथ संवेदनशील व्यवहार रहना चाहिये था, यह मेरी भी अपेक्षा है लेकिन उसमे भी शिकायत है और शिकायत में कुछ-कुछ बातें ऐसी है जिनकी मृत्यु के

(श्री राजेन्द्र पारीक) ·

बाद ठीक ढंग से तफ्तीश प्रारम्भ नहीं हुई। ए. एस. आई. जिसके लड़के की हत्या हुई थी उसने यहां पर आकर के क्राइम-ब्रांच के हमारे आई. जी. को रिपोर्ट दी कि वहां नीचे हमें न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस का रेगुलर एस. एच. ओ. है वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है और इसलिए इसकी तफ्तीश सी. आई. डी. को दे दी जाये। यहां पर विजिलैंस में उस फाइल की फिलिंग होकर के वापस 3-2-94 को वहां पर एडीशनल एस. पी. को डाइरेक्ट कर दिया गया है सी. आई. डी. के कि वह जांच करे। यह भी स्थिति मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 3-2-94 के बाद बाड़मेर में में जुगताराम प्रकरण की वजह से जो उखाड़-पछाड़ या जनता का संतोष-असंतोष और जो लॉ एण्ड आॅर्डर मेण्टेन करने में हमारी मशीनरी को लगाना पड़ा उसके कारण से उसमें विलम्ब हुआ है। उसमें एडीशनल एस. पी. लगा दिया गया है और उसमें जो एक लैप्स रहा है कि स्थानीय एस. एच. ओ. ने कार्यवाही क्यों नहीं की, उस लैप्स के बारे में मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसको देखूंगा और जिस स्तर का जो लैप्स है, लैप्स करने वाले अधिकारी को दण्डित करूंगा। यह उसके बारे में....

श्री परसराम मदेरणा : एडीशनल एस. पी. क्राइम-ब्रांच, वह फिर दो तारीख को कौनसे लॉ एण्ड आर्डर में और जुगताराम के मामले में फसे हुये थे। क्या दो तारीख को यहां इन्स्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस ने आदेश दिये थे ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह जोधपुर है।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो अलग से है। वह जोधपुर है उसमें जाकर इन्वेस्टीगेशन करना चाहिए था। उसको कौनसा लॉ एण्ड आॅर्डर मेण्टेन करना था ?

श्री कैलाश मेघवाल : ड्यूटी उसकी भी लगी थी।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं आप बहुत गलत बयान कह रहे हैं। वह तो वहां पर आया है। पहले तो यहां से क्राइम ब्रांच में यह केस ट्रांसफर कर दिया गया था। जहां तक मैं समझता हूं, डाइरेक्टर जनरल आॅफ पुलिस ने इसको 7 तारीख को सुबह क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : 9 तारीख को, 7 तारीख को दरख्वास्त पेश हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : जो उन्होंने निर्देश दिये थे उसके बाद में क्राइम ब्रांच का आ गया डीवाई. एस. पी। उस क्राइम ब्रांच के डीवाई. एस. पी. को बदलकर के एडीशनल एस पी. क्राइम ब्रांच जिसका हैड क्वार्टर जोधपुर है मिस्टर गोविल को लगाया।

श्री कैलाश मेघवाल : एडीशनल एस. पी. रेगुलर है।

श्री परसराम मदेरणा : एक ही है रेगुलर है या नहीं है, रेगुलर को दिया है या क्राइम ब्रांच को दिया है ?

Page No.119

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : रेगुलर को दिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : रेगुलर फोर्स का है। थोड़ा वह सी. आई. डी. बीच में आ गयी।

तीसरा स्थगन प्रस्ताव सीकर फायरिंग का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में 5 केसेज बने थे। सारे केसेज दे दिये हैं वहां के एडीशनल एस. पी. को कार्यवाही इकजाई करके चूंकि सिक्वेंस ऑफ केसेज हैं एडीशनल एस. पी. मधुसुदन जो भरतपुर के हैं सारे केसेज उनको दे दिये हैं क्योंकि वहां के जो घनश्याम दत्ता थे डीवाई. एस. पी. जिसका इसमें लैप्स लगा था और जो एस. एच. ओ. था उनको वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया है। पांचों केसेज की एक केस को छोड़कर। एक केस नम्बर सात है सी. आई. डी. जो मूल मैरजी की मृत्यु का केस है उसकी जांच सी. आई. डी. ब्रांच में हो रही है बाकी चारों केसेज....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमान् उसकी जुडीशियल इंक्वायरी करवाइये, बाकायदा मिला हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : जुडीशियल इंक्वायरी की आपने मांग की है लेकिन अभी की जो पोजिशन मैंने बतायी है, लैप्सेज के बारे में भी हम कार्यवाही कर चुके हैं। सुरेन्द्र पाल शर्मा बीकानेर की मारपीट का केस माननीय अध्यक्ष महोदय, निपट चुका है उसमें एडीशनल एस. पी. जिनके खिलाफ था सौरभ श्रीवास्तव, उनको स्थानान्तरण किया जा चुका है, वकीलों का आन्दोलन समाप्त हो चुका है और उसमें डीविजनल कमिश्नर जोधपुर को सारे घटनाक्रम की जांच करने के आदेश दिये गये हैं। उसमें जिस किसी ने भी जिस तरह का फाल्ट होगा उसको तदनुसार दण्डित करने की निश्चित कार्यवाही की जायेगी। रेगुलर केस जो रजिस्टर्ड हुआ है उसका रेगुलर इंवेस्टीगेशन प्रारम्भ करवा दिया गया है। वहां की स्थिति मैंने आपके सामने यह रख दी है।

स्थगन प्रस्ताव नम्बर, 6 वीरेन्द्र पाल यादव जिसके साथ जिस तरह के बैंक ग्राउण्ड में मारपीट होना बताया गया है उस बैंक ग्राउण्ड में उसकी जांच करवा ली गयी है। हैड कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह उसमें दोष पाये गये हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : वकीलों के खिलाफ झूठा मुकदमा पुलिस की ओर से किया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : कमिश्नर जोधपुर की जांच से यह सारे मुद्दे आ जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दे उस जांच में आ जायेंगे जो वीरेन्द्र यादव के साथ मारपीट हुई है गोपालपुरा रोड पर, उसमें विभागीय कार्यवाही सूचना आने के बाद करवा ली गयी थी। वह मुझसे खुद आकर मिले थे। उसमें हैड कांस्टेबल दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

डा. दिनेश कुमार गुप्ता, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा विचित्र केस है। यह विचित्र इसलिए है कि अखबारों में जो चीज छपी मैं इसके 2-3 पोर्शन पढ़ देना

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहता हूं, ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा जिससे की सारी जानकारी ग्रा जाय। दिनांक 22-2-1994 को सवेरे 4.30 बजे यह रिपोर्ट हुई, पुलिस वाले ने लिखी है। मैं उसको भी पढ़ देना चाहता हूं ग्रौर उसके बाद उस डाक्टर ने दी है वह रिपोर्ट भी पढ़ देना चाहता हूं। उसके बाद जो घटना चक्र हुग्रा, कई बार केस प्राइमाफेसी ग्रखबारों में कुछ छपता है, वास्तविकता कुछ होती है, मीटीगेटिंग सरकमस्टान्सेज कुछ होते हैं, ग्रण्डर ग्राउण्ड में कुछ ग्रौर निकलता है। इसलिए मैंने इस सारे केस की स्टेडी की है, वह मैं पढ़ना चाहता हूं।

श्री दिनेश गुप्ता से बात-चीत की तो उसने बताया कि मैं पी. एच. सी. खेड़ासरूद्रालय में सरकारी डाक्टर हूं। रात्रि को मैं कोटा शादी में ग्राया था। मेरे शराब का नशा ज्यादा हो जाने से मैं मेरे गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सका हूं, तब से इधर-उधर भटक रहा हूं। कुछ नशा कम हुग्रा तो ग्राटो लेकर जाना चाहता था। चूंकि ग्राटोरिक्शा वाला भी मुझे नहीं ले गया। शराब के नशे में कई जगह उठा-पड़ा हूं जिससे मेरे शरीर पर चोट ग्रायी हैं। मुझे किसी ने नहीं मारा है। मैं पूरी चेतनावस्था में हूं। मैं स्वयं शर्मिन्दा हूं। मुझे मेरे दोस्तों ने शराब ज्यादा पिला दी जिसके कारण मैं ग्रपना होश-हवास खो बैठा हूं। मैं वापस चेचट जा रहा हूं। ग्रतः श्री दिनेश गुप्ता को रवाना किया गया। रपट इत्तला दर्ज है। यह कान्स्टेबल ने रोजनामचे में रपट दर्ज की।....(व्यवधान) माननीय सचेतक महोदय इसको पूरा सुन लीजिये। मैंने ग्रभी कहा कि—(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : शराब के नशे में भी ?...(व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : ग्राप पूरा सुन लीजिये। गंगानगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य सुन तो लीजिये। मैं कोई चीज छिपाना नहीं चाहता हूं, जो मेरे पास फैक्ट्स है वह है, ग्रौर ग्रापके पास ज्यादा स्थिति हो तो मुझे बता देना, मैं कार्यवाही करने में हिचकूंगा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि यह बड़ा विचित्र केस है। खुद की जो रिपोर्ट है. (व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : यह जाति से महाजन है और महाजन शराब नहीं पीते हैं, यह फैक्ट्स ग्राप पता कर लीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रब 10 बजे डा. दिनेश गुप्ता का मेडिकल होता है ग्रौर मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास है. उनके चोटें भी है। 10 बजे डा. दिनेश गुप्ता मेडिकल कराने चला गया। डाक्टर्स से मिला, खुद डाक्टर है, 23 तारीख को 10 बजे मेडिकल हुग्रा। 23-2-1994 को 11.30 बजे रपट देता है ग्रौर 11 30 बजे जब रपट देता है, वह क्या है—

"श्री दिनेश गुप्ता पुत्र ग्रार. पी. गुप्ता, जाति महाजन निवासी चेचट डाक्टर, सरकारी हॉस्पिटल, खेड़ा रुद्राजय (कोटा) खुद उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट दी कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

22-2-1994 की रात्रि को मैं मेरे मित्र डा. नागर निवासी दादाबाड़ी से मिलने आया था। रात्रि को डा. नागर के घर बैठकर मैंने खाया-पीया। मैंने काफी मात्रा में पीया तो मुझे नशा ज्यादा हो गया। मैं नागर के घर से चल कर दादाबाड़ी चौराहे पर आया और आटो रिक्शा वाले से चलने के लिए कहा तो उसने जाने से मना कर दिया। इस पर मेरी और आटो वालों की आपस में कहा-सुनी हो गयी। वहां पर और भी 1–2 आटो वाले थे जिन्होंने मेरे साथ मार-पीट की। मैं आटो वालों के नाम नहीं जानता। वहां पर तैनात पुलिस वालों को देखते ही वह लोग भाग लिये। मैं रात्रि को पुलिस गाड़ी की मदद से थाना दादाबाड़ी आया। थाने से मेरे इलाज हेतु एम बी.एस. डी. चला गया। अब रिपोर्ट पर आया हूं। कार्यवाही करें।

डा. दिनेश गुप्ता यह उसकी 23 तारीख की रिपोर्ट है और 23 तारीख की रिपोर्ट डा. की हस्तलिखित है, वह तो रोजनामचे में जिसमें उसके दस्तखत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें डा. लिखता है-श्रीमान् थानाधिकारीजी, रिपोर्ट दर्ज करने बाबत—उपरोक्त विषय में लेख है कि 22-2-1994 की रात्रि की घटना के बारे में, मैं कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथ कोई घटना थाने में नहीं हुई है। यह लिखता है 23 तारीख को। इसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, अखबार में खबर छप गयी और अखबार में खबर छपने के बाद उस खबर के ऊपर कार्यवाही चालू हुई तो यह सारा प्रकरण अखबार में छपा है। मैं इस प्रकरण को गम्भीरता से दिखवा रहा हूं। डाक्टर के साथ अगर वास्तव में ज्यादती हुई है और परिस्थितियां आयी हैं उनमें कार्यवाही की जायेगी, क्योंकि 22-23 तारीख का ही प्रकरण है।....(व्यवधान)....डाक्टर साहब आपके कलिग के साथ घटना हुई उसके लिए सहानुभूति है और मेरी आपके साथ भी सहानुभूति है। आप कहीं नहीं जाते हैं इस तरह से यह मुझे मालूम है, अपन दोनों दोस्त रहे हैं।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : एक थाने में 3 एफ. आई. आर. दर्ज हो यह अपने आप में एक सन्देह का काम बन जाता है। पहले वह हुई और उसके बाद में फिर वह हुई। फिर डाक्टर से दो दफा दर्ज हुई। अगर डाक्टर होश में नहीं है फिर दो दफा बयान देता है तो वह अपने आप सन्देह पैदा करता है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : पुलिस ऑफिसर होशियार था।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है कि सब बोलें। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष-महोदय, कोई बात जरूरी है तो बोलना भी पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है कि सब बोलें।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई बात जरूरी है।....

श्री अध्यक्ष : डा. हरिसिंहजी ने बात पूछ ली है।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई आदमी यह रिपोर्ट दर्ज यूं ही नहीं कराता है। एक ही बात की 3 रिपोर्ट दर्ज हो जाय और.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप तैश में क्यों आ रहे हैं ? तैश में क्यों आ रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर कौनसी बात है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है....

श्री अध्यक्ष : बैठिये। पढ़ा हुआ मान लिया जाय, इसमें तैश में आने की कौनसी बात है। शान्ति से बात हो रही है। आपके मन्त्रीजी ने कहा है कि इसीलिए हम जांच करवा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : अगर जरूरी बात नहीं होती तो बिलकुल खड़ा नहीं होता। कोई बात जरूरी है तभी तो अचानक खड़ा हुआ हूं।....

श्री अध्यक्ष : क्या बात है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, बड़े से बड़े हादसे में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पीड़ित व्यक्ति को कभी एस. पी. के यहां जाना पड़ता है, कभी डी. आई. जी. के यहां जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : इससे क्या मतलब है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : एक ही बात की रिपोर्ट एक ही आदमी 3 दफा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चला गया और तीन दफा रिपोर्ट दर्ज हो गयी।

श्री अध्यक्ष : इसी की जांच कर रहे हैं। सरकार उसी की जांच कर रही है जो परिस्थितियां बनी हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इन्होंने तो लीपा-पोती कर दी है।

श्री अध्यक्ष : तैश में मत आइये, शान्ति से सुनिये।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)....

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कोटा कालेज में जब वह पढ़ता था तब मेरे ब्रदर को ट्यूशन पढ़ाया करता था फिर एम. बी. बी. एस. में गया और उसके बाद में चेचट में खेड़ा रूद्रालय में सरकारी डाक्टर है। 24 घण्टे शराब के नशे में रहता है अगर चेचट का एक भी आदमी मना कर दे कि यह डाक्टर 24 घण्टे शराब नहीं पीता है तो मैं सदन से इस्तीफा दे सकता हूं।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्थिति और स्पष्ट करना चाहता हूं। सीकर से आने वाले माननीय विधायक ने जो सवाल उठाया उसकी रोजनामचे में रपट, एफ. आई. आर. और दी जाने वाली कोई दरख्वास्त अलग-अलग स्थितियां होती हैं। इसलिए वह एक ही स्थिति की एफ. आई. आर. नहीं है। रोजनामचे की रिपोर्ट अलग है और वह अलग है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनाराम रोहिड़ा की मार-पीट के सम्बन्ध में जिसमें उसकी डैथ हो गयी। सिरोही का रोहिड़ा का है। इसमें तुरन्त कार्यवाही हुई है। यह बिन्दु माननीय सदस्य ने, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव मूव किया है उन्होंने केवल इसलिए कि यह भी घटना हुई है इसलिए कहा है। 11 तारीख की घटना है, 12 तारीख को दोनों को गिरफ्तार करके सारी कार्यवाही चालू है और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं हुई है, मर्डर का केस दर्ज हो गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 302 में ?

श्री कैलाश मेघवाल : हां, 302 में, 302 में ही यह सारा रेगुलर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गोपाराम के साथ जेल में मार-पीट हुई। अब गोपाराम वाली स्थिति, अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले का मामला है। हैड वार्ड ने इसकी रिपोर्ट दी। एक बोर्ड बैठाया गया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बोर्ड को उस रोज सामने जाकर यह बताया कि मेरे यह कर दिया है, गुदा में मेरे खून आ गया। इस घटना के बाद सारे जितने बन्दी थे उन्होंने कहा कि यह झूठ बोल रहा है और बाद में उसने यह स्वीकार किया कि मुझे यह कहा था कि साले तू बदमाश है, तेरा यह नहीं होने दूंगा, यह नहीं करूंगा इसलिए साहब मैंने झूठी रिपोर्ट दे दी। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद में इसकी मेडिकल रिपोर्ट करवायी गयी उस मेडिकल रिपोर्ट में फिशर होना बताया गया है और उस फिशर में....

डा. हरिसिंह : फिशर....एक नहीं, दो-दो, तीन-तीन हो जाते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : फिशर होना बताया है और खून आना इसलिए बताया है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उसका मल था, जो जमा हुआ मल था उसका, उससे खून आना बताया है, इसलिए सारा प्रकरण वहीं समाप्त हो गया....(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : फिशर की लोकेशन क्या बतायी है ? सिक्स ओ क्लॉक, ट्वेल्व ओ क्लॉक या और कोई....

श्री कैलाश मेघवाल : डाक्टर साहब, ये आप पढ़कर मुझे गाइड कर दें, फैक्ट्स से कोई मुझे एतराज नहीं है, जो लोकेशन है, एनस में है या किस जगह है, कैसे इसको टैस्ट करा और डाक्टर की रिपोर्ट क्या है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आर. बी. गुप्ता का ए. सी. डी. का आरोपों का एक केस है जिसमे आत्महत्या हुई है, बुरा हुआ है....

डा. हरिसिंह : आप मेडिकल रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डाक्टर साहब, इसमें आपका तो ज्ञान है, कैलाशजी का नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह आत्महत्या का मामला है ज्यूडिशियरी का बिन्दु था और उससे....दो महीने पहले एक छापा पड़ा और छापे में करीब 25-30 लाख की सम्पत्ति बरामद हुई है और आगे भी कार्यवाही करनी थी तो शायद आत्मग्लानि से आत्महत्या हुई है और इसमें पुलिस का

(श्री कैलाश मेघवाल)

कोई हाथ नहीं है और पुलिस के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है ।

डा. हरिसिंह : जैसे मानवाधिकार आता है कि किसी व्यक्ति की नार्मल लाइफ को डिस्टर्ब करना मानवाधिकार के विरुद्ध है । साधारण जिन्दगी वह जी नहीं सकता, साधारण जिन्दगी को डिस्टर्ब कर सकता था तो वह आदमी मरेगा नहीं तो क्या करेगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं मानता हूं । वह कानून आप विथड्रा कर लीजिये एन्टी-करप्शन का एक कानून बना हुआ है जिसमें छापा मारने की एक ऐसी व्यवस्था है, उस छापे के आधार पर कई लोग दुःखी भी होते हैं, पीड़ित भी होते हैं । अब जैसे अपन हारते हैं तो पीड़ित होते हैं, उसमें भी कई बार आत्महत्या करते हैं लोग, हार्टफैल होते हुए भी देखा है तो पीड़ा तो कई तरह से पैदा होती है लेकिन उसमें पुलिस विभाग और किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाया गया है और मैं गृह मंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा हूं और मेरा निवेदन यह है कि लॉ एण्ड आर्डर को किसी भी रूप में लिया है, पुलिस विभाग इसमें किसी भी तरह से नहीं है । इसके बाद सारे प्रकरण करीब-करीब आ गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी सदस्यों को, मुझे जो गुरुत्तर उत्तरदायित्व माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है और सदन के सभी सदस्यों से जो गुरुत्तर उत्तरदायित्व, इस विधान सभा की बात, राजस्थान के गरीबों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जमीनों पर नाजायज कब्जे हैं और उस नाजायज कब्जे की समस्या को निपटाने के लिए सारे सदन का सहयोग चाहूंगा और मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा । बातें हम करते हैं, कानून भी सब बने हुए हैं, उसको ग्रास रूट पर ले जाकर एक्जीक्यूट करने का मेरा प्रयत्न रहेगा, मैं उसमें सफल होऊं इसलिए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हुआ मेरा वक्तव्य पूरा करना चाहूंगा ।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो मुद्दे उठाये थे, उसमें सरकार ने फेवर किया है और मैंने यह भी कहा था मुख्य मंत्रीजी को, आप लोग उस फाइल को जिसमें रिकमंड की है, उसको मंगवा लीजिये और आप मुनासिब समझें तो मुझे दिखवा दीजिये तो मैं कन्वींस हो जाऊंगा अदरवाइज मैं चार्ज लगा रहा हूं कि सरकार ने, स्वायत शासन मंत्रीजी ने इस मामले में पक्षपात किया है और मंत्रीजी ने फेवर किया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : नहीं, कोई पक्षपात नहीं किया है मैंने ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह इसका सैकण्ड प्रस्ताव नहीं था अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव में यह बिन्दु था क्या ?

डा. हरिसिंह : मेरा अलग से स्थगन प्रस्ताव था । मैंने अध्यक्ष महोदय से बात कर ली थी, अध्यक्ष जी ने कहा था कि आज ही बोल लेना इसमें । मेरा खुला चार्ज

(डा. हरिसिंह)

है, या तो माननीय मुख्य मंत्रीजी वह फाइल मंगवाकर कन्वींस कर दें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य, आपके पास जो भी कागज हैं वह मुझे दे दीजिये।

डा. हरिसिंह : नहीं, आप गवर्नमेंट से कागज मंगा लीजिये। आप सरकार हो। आप अगर फाइल नहीं मंगवा सकते तो, स्वायत शासन के कमिश्नर से फाइल नहीं मंगवा सकते तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब जगह से मंगा लूंगा लेकिन आप चाहते थे कि तुरन्त एक्शन लिया जाय तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो पत्रावलियां हों,

डा. हरिसिंह : मेरे पास आधे कागज हैं। मेरे पास जो रिकमंड क्या है, कमिश्नर ने क्या लिखा है उस फाइल पर, वह मेरे पास थोड़े ही है, जो फोटो स्टेट है, वह है ....(व्यवधान) और दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकमस्टासेज सी. आई. डी. में ट्रांसफर हुए, क्या हुए, वह पुलिस नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जुडिशियल का बताया, एफ. आई. आर. लॉज होते ही उसकी कापी उस मजिस्टेट के पास जाती है। आपने इन्टरप्रिटेशन गृह मंत्रीजी, बिलकुल गलत लिया है। वह जुडिशियल प्रोसेस नहीं है। लॉ के अन्दर काग्निजेबल आफेंस की कापी भेजनी पड़ती है। सीरियस आफेंस की उसी वक्त 24 आवर्स में भेजनी पड़ती है ताकि पता लगे कि उस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन के अन्दर, मुंसिफ के जुरिस्डिक्शन में इस प्रकार का क्राइम रजिस्टर हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि जुगताराम के खिलाफ जो एफ. आई. आर. दर्ज की गई है अण्डर सैक्शन 309 और जुगताराम ने एफ. आई. आर. दर्ज कराई है, इन दोनों ही एफ. आई. आर. को रजिस्टर करने के लिए रोजनामचे के अन्दर इन आर्डिनेट डिले हुई है, गृह मंत्रीजी, आप इस बात को मानते हैं? अगर इन आर्डिनेट डिले हुई है वो किसके पार्ट के ऊपर डेरिलिक्शन आफ ड्यूटी थी? मिलीभगत थी या कहानी गढ़ रहे थे बैठे-बैठे, इसका आपने उत्तर नहीं दिया, नम्बर एक।

दूसरा, मैंने आपसे यह निवेदन किया था, इसमे जोधपुर के सम्भागीय डी. आई. जी. दूसरी बार बाड़मेर आये हैं, मैंने उनसे निवेदन किया था, एस. पी. वहां मौजूद थे और एडीशनल एस. पी. और सी ओ. उनके साथ थे, वह उनसे मिलने के लिए आये। मैंने कहा, आपकी पुलिस यहां पर बैठकर विटनेसेज को डरा रही है और धमका रही है और एक विटनेस के पास में कल रात को 2 बजे गये हैं एस. आई., एस. एच. ओ., 7-8 आदमियों की फोर्स को लेकर, उस आदमी को मेरे सामने बुलाइये

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्रभी उसके घर में तो उन्होंने कहा कि मैं ग्रापकी बात मानता हूं ऐसा नहीं होगा। मैंने इसलिये कहा था वहां पर पुलिस क्योंकि....(व्यवधान)....ग्राप होम मिनिस्टर कब बने ?

श्री कैलाश मेघवाल : 20 तारीख को।

श्री परसराम मदेरणा : 20 तारीख को ग्राप होम मिनिस्टर बने, आप बहुत लेट बने थे। 20 तारीख को सी. बी. ग्राई. को केस दे दिया। 20 को ग्राप जाते तो 21 को पहुंचते, 22 को पहुंचते-पहुंचते 23 को ग्रसेम्बली होनी थी. इसका मतलब चार्ज ग्रापको बहुत लेट मिला है ग्रौर ग्रापने वहां राजनीति की बात कही थी, माननीय मंत्री महोदय, इसको बीच में इन्टरफियर मत कीजिये। मैंने यह बात कही थी वहां पर। मैं 6 तारीख को रात को पहुंचता हूं, मेरी कांस्टीट्यूएंसी का एक वोटर है ग्रौर उस नाते मैं वहां का प्रतिनिधि हूं ग्रौर मैं देख रहा हूं हीनस क्राइम कमिट हुआ है, पुलिस इस मामले में लीपापोती, हेराफेरी ग्रौर गिरोह की तरह काम कर रही है, मैं ऐसा समझता हूं कि जन-प्रतिनिधि की हैसियत से मैं ग्रपने कर्त्तव्य का निवर्हन कर रहा हूं। मैंने यह भी बात कही है जब मेरे से लोग मिलने के लिये ग्राये बाड़मेर, 7 तारीख को कम्पलीट हड़ताल थी वहां पर, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सम्मिलित थे ग्रौर मैंने उनसे यह बात कही थी कि इसमें पालिटिक्स इन्डक्ट नहीं की जायेगी, ग्राप सब इस मामले को मानवीय दृष्टि से देखें। उनको भी यह बात कही। इसलिए ग्राप ग्रा सकते थे हेलीकाप्टर लेकर। मेरा प्रिविलेज था ग्रौर वैदजी को भी था। बहुत ग्रावश्यक काम होता तो हेलीकाप्टर भी मिलते है ग्रौर स्टेट का प्लेन भी मिलता है, वह तो आपको केवल होम ही होम दिया है, बाकी तो सारा मामला सैन्ट्रेलाइज है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने यह बात ग्रापके सामने रखी, यह मैंने डी. ग्राई. जी. को कहा है, ये टेम्परविद कर रहे हैं विटनेसेज को पुलिस वाले ग्रौर उस पर दबाव डाल रही है, प्रेशर ला रही है। इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी चाहे क्राइम ब्रांच हो जाये, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे सी. बी. ग्राई हो जाये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जुडिशियल प्रोसेस बीच में नहीं ग्राता है। केवल इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी का काम है। इसकी व्याख्या 161 में कर चुके हैं कुम्हेर से ग्राने वाले माननीय सदस्य It is not a judicial process. कोई जुडिशियल प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा है। वह तो कोर्ट में चालान होने के बाद में या बेल के ग्रन्दर जाते हैं तो वहां पर जुडिशियल डिसीजन होता है उसको इन्लार्ज करने की बात है। बाकी तो जो है इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी को तफ्तीश करनी है। मैंने यह कहा है कि टेम्परविद कर रहे हैं दबाव डाल रहे हैं, ग्राने वाले समय में भी डालेंगे। ग्रौर किसी ने सही बात की भी है तो मैंने यह कहा था कि ग्राप इसका यहां से ट्रांसफर कीजिये। यह एक गिरोह बन गया है ग्रौर प्रेस्टिज का सवाल बनकर काम करते हैं।

इसमें जातिवाद कुछ भी नहीं है। इस मामले में जो ज्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं वे जाट जाति के लोग हैं, ग्रापको शायद बात

(श्री परसराम मदेरणा)

पता ही नहीं है। मुझे तो एतराज इस बात का है कि उनको आगे किया है और वे गवाहों को दबा रहे हैं। इसलिये वहां जाति वाद का कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं बनाना भी नहीं चाहता। यह एक डेलीकेट इश्यू है इसको जाति का इश्यू नहीं बनाना चाहिए। कुछ अखबार लिख रहे हैं तो लिखें उनकी मरजी की बात है लेकिन वहां इसको कतई कलर नहीं दिया गया है और इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां के जो कर्मचारी हैं एस. एच. ओ. सदर के, उनको, आपको वहां से, बाड़मेर से ट्रांसफर कर देना चाहिये, अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टीगेशन इम्पार्शल हो फेयर हो और जुगताराम के साथ न्याय हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं वेलवेट थ्रेट तो आपको नहीं दे रहा हूं लेकिन फिर जन-आन्दोलन को मजबूत करने के लिये हमको फिर कार्यवाही प्रारम्भ करनी पड़ेगी। मैं उनको कहकर आया था कि सी. बी. आई. आ गयी है, अब आप धरना बंद कर दीजिये। धरना वहां भी शुरू होगा और धरना जयपुर में भी शुरू करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से वहां रखकर केस को रफा-दफा कराना चाहते हैं तो पुलिस का ऊपर से नीचे तक एक सोचा-समझा गिरोह बन गया है, यह मैं आपको कह रहा हूं। यह मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं बहुत रेस्पान्सिबली और अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, इसलिये अब इनको हटाइये वहां से।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पहले आप परमिशन ले लीजिये मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने दिशा-निर्देश ले लिया है। आपके वक्तव्य पर कार्यवाही करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : जुडीशियल प्रोसेस और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की ओरबिट के अन्दर आप इसको उलझाइये मत।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको एक बात बताऊं। ऐसा है, ये पांच रूलिंग्स हैं। जुडीशियल प्रोसेस की जहां तक बात आयी है, मैं आपको एक रूलिंग का एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूं। मैं चाहता था उसको वाद-विवाद का विषय नहीं बनाया जाय।

डा. हरिसिंह : थाने के लोगों को ट्रांसफर करने में जुडीशियल प्रोसेस कहां आता है?

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, वह नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो होगा।

डा. हरिसिंह : विपक्ष के नेता यही तो कह रहे हैं। आप थाने के सारे लोगों का ट्रांसफर कर दीजिये। वहां एक गिरोहबाजी बन गयी है।

श्री परसादी लाल मीणा : जो बाकी बचे है उनको और कर देंगे सही।

श्री रामस्वरूप मीणा : सदन में घोषणा करो कि आप क्या करोगे।

श्री कैलाश मेघवाल : कार्यवाही की जायेगी माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीराम जी यादव पूछ रहे हैं।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत् मैं कहना चाहता हूं कि यह सी. आई. डी. में भेजते हैं यही गलत करते हैं। जो आदमी मर जाता है उसका केस सी. आई. डी. में क्यों भेजा जाता है ? सी. बी. आई. को क्यों भेजा जाता है ? क्यों नहीं उनको धारा 326 में अरेस्ट किया गया ? उनका ट्रांसफर क्यों किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जिस प्रकार की चर्चा हुई है, उस चर्चा में विशेष तौर से पुलिस द्वारा जो ज्यादतियां की जा रही हैं वह अप्रसंग आया है। यह बिलकुल सही है कि थानों में मौत हो या जिस प्रकार का जुगताराम के साथ अपराध हुआ है उस प्रकार का अपराध हो, वे चीजें सहन नहीं की जानी चाहिये। इसलिये हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगर थानों में किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उस थाने के सिपाही से लेकर जो भी एस. एच. ओ. हो, उसका तुरन्त ट्रांसफर कर दिया जाय। और इसके साथ ही यह प्रकरण जुगताराम से ही आरम्भ हुआ था इसलिये जुगताराम के साथ जो अपराध हुआ है उसमें कौन दोषी है, कौन नहीं है इसका इनवेस्टीगेशन तो सी बी आई. करेगी लेकिन ओवर-आल थाने का जो भी स्टाफ है उसका ट्रांसफर कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। एडजोर्नमेंट मोशन आग्रह किया गया।

आज के जो 295 के प्रक्रिया के संबंध में प्रस्ताव थे वे सब पढ़े हुए माने जायेंगे। अधिसूचनाएँ।

(प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरा जो प्रस्ताव है वह बिना सुनें आप पढ़ा हुआ मत मानें। क्योंकि ये जो डेली लाटरी निकल रही है उनसे इतने घर बर्बाद हो रहे हैं कि मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां सदन में ही यह घोषणा करें कि आज से ही राजस्थान में यह बंद की जाती है।

श्री अध्यक्ष : आपको इसका जवाब मिल जायेगा।

श्रीमती कमला : माननीय मुख्य मंत्री जी, डेली लाटरी आज से ही बंद मानी जाये यह घोषणा आप यहां सदन में ही कर दो वरना बहुत घर बरबार हो चुके हैं और घरों की हालत खराब हो रही है, आपके प्रशासन की हालत खराब हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने दिन से बरबाद हो रहे हैं ?

श्रीमती कमला : कितने भी दिन से हो रहे हों, लेकिन आज तो बंद कर दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे विचार तो करने दो।

श्रीमती कमला : मैं आपसे कह रही हूं कि आप किसी से भी पूछ लीजिये, अगर कोई एक व्यक्ति भी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो बात कही है उस पर गंभीरता से चिन्तन करके निर्णय लूंगा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएँ। श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की 23 अधिसूचनयें सदन की मेज पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं 1 से 23 नम्बर तक बोल दूं।

श्री अध्यक्ष : हां, नम्बर बोल दो।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सूची के अनुसार नम्बर 1 से 23 तक निम्नलिखित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 3 (92) कोल/91 दिनांक 11-11-92 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेश क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं;

(2) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (3)रेव/कोल/80 पार्ट दिनांक 16-11-92 जिसके द्वारा मंडी विकास समिति, जैसलमेर के कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव, तहसीलदार को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में कलक्टर के कृत्यों का पालना करने के लिए नियुक्त किया गया है;

(3) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (17) राज/उप/84 दिनांक 17-12-92 जिसके द्वारा उल्लिखित अधिकारी को कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है;

(4) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (17) राज/उप/84 पार्ट दिनांक 17-12-92 जिसके द्वारा उल्लिखित अधिकारी को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्र में कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया गया है;

(5) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (17) राज/उप/84 दिनांक 13-1-93 जिसके द्वारा उल्लिखित अतिरिक्त जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को उनके क्षेत्र में जिला कलक्टर के कृत्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है;

(6) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (17) राज/उप/84 दिनांक 3-3-93 जिसके द्वारा उल्लिखित तहसीलदारों को उनके सम्मुख अंकित प्रादेशिक अधिकारिता के लिए कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया हैं;

(7) अधिसूचना क्रमांक प. 4(1) राज/उप/84 दिनांक 3-3-93 जिसके द्वारा उल्लिखित उप खण्ड अधिकारियों एवं सहायक कलक्टर को उनके सम्मुख अंकित प्रादेशिक अधिकारिता के लिए कलक्टर के कृत्यों एवं शक्तियों के पालन हेतु अधिकृत किया गया है;

(8) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (17) राज/उप/84 दिनांक 24-6-93 जिसके

(श्री गंगाराम चौधरी)

द्वारा उल्लिखित अधिकारी को उनके सम्मुख अंकित प्रादेशिक अधिकारिता के लिए कलक्टर के कृत्यों एवं शक्तियों के पालन हेतु अधिकृत किया गया है;

(9) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (2) कोल/92 दिनांक 30-6-93 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेश क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए नियम बनाये गये हैं;

(10) अधिसूचना क्रमांक प. (3) राज/उप/80 पार्ट दिनांक 6-7-93 जिसके द्वारा तहसील नोहर-साहवा मु. बीकानेर में पदस्थापित नायब तहसीलदार को कलक्टर के कृत्यों एवं शक्तियों के प्रयोग करने हेतु नियुक्त किया गया है;

(11) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (5) रेव/कोल/81 दिनांक 19-8-93 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेश क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए नियम बनाये गये हैं;

(12) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (5) रेव/कोल/81 दिनांक 20-8-93 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेश क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए नियम बनाये गये हैं;

(13) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (7) कोल/91 दिनांक 17-9-93 जिसके द्वारा उपनिवेशन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-3-92 की क्रम संख्या–3 में उल्लिखित "पीथेवाला" के स्थान पर "सुल्ताना" प्रतिस्थापित किया गया है;

(14) अधिसूचना क्रमांक प. (17) राज/उप/84 दिनांक 17-9-93 जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित प्रादेशिक अधिकारिता के लिए कलक्टर के कृत्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त किया गया है;

(15) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (2) कोल/92 दिनांक 20-10-93 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेश क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं;

(16) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (17) राज/उप/84 दिनांक 28-10-93 जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, फलौदी को प्रदत्त सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं उपायुक्त उपनिवेशन के कृत्यों का पालन किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है;

(17) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (27) राज/उप/84 दिनांक 6-11-93 जिसके द्वारा यथा संशोधित राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम संख्या 27) की धारा 13–क(1–क) के अधीन आवेदन करने की कालावधि को बढ़ाया गया है;

(श्री गंगाराम चौधरी)

(18) अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (17) राज/उप/84 दिनांक 17-11-93 जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलक्टर नोहर को कलक्टर के कृत्यों एवं शक्तियों के पालन हेतु नियुक्त किया गया है;

(19) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (7) राज/उप/87 दिनांक 29-12-93 जिसके द्वारा सहायक उपनिवेशन आयुक्तों को वर्णित शर्तों पर भूमि आवण्टन की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है;

(20) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (12) उप/92 दिनांक 29-12-93 जिसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को उपनिवेशन एवं उपनिवेशन उपायुक्त की शक्तियां प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(21) अधिसूचना क्रमांक प 3 (37) राज/उप/88 दिनांक 4-1-94 जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को जिला कलक्टर के कृत्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया गया है;

(22) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (1) उप/93 दिनांक 18-1-94 जिसके द्वारा समस्त सहायक आयुक्त एवं समस्त उपायुक्त उपनिवेशन को कलक्टर के कृत्यों का पालन तथा उसकी सभी शक्तियो के प्रयोग के लिए नियुक्त किया गया है, एवं

(23) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (7) उप/91 दिनांक 3-2-94 जिसके द्वारा अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव, मण्डी विकास समिति, बीकानेर, हनुमानगढ़ जंक्शन व जैसलमेर को कलक्टर के सभी कृत्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष :श्री विजयेन्द्रपालसिंह ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये। दो मिनट में बोल दूंगा, मेरी बात आधी रह गयी ।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है। आप कितना बोलेंगे, पहले इनको बोल लेने दीजिये, फिर आपको चांस दे दूंगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : मेरा आधा रह रह गया था ।

श्री अध्यक्ष : मैं पूरा करा दूंगा । पहले इनको बोलने दीजिये ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं आपके माध्यम से कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। सदन को शायद स्मरण होगा कि पहले जो अभिभाषण हुआ था गवर्नर साहब का, उस पर मैंने एक बात कही थी और उस पर किशनगढ़ से आने वाले और पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा था कि हम क्रिटिसिज्म फोर दी सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात सामने रखेंगे ।

(16.08)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन।)

मैंने सोचा कि कोई अच्छे सुझाव वहां से आयेंगे। इस चर्चा में भी मैंने कभी प्रतिपक्ष की बात सुनी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म,प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह जो

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

प्रतिपक्ष की बात रख रहे हैं, उससे तो खाली ऐसा लगता है कि कांग्रेस (आई) यहां पर सरकार के खिलाफ कम्पलेंट डिपार्टमेंट का काम कर रही है। एक कम्पलेंट डिपार्टमेंट जैसी कम्पलेंट करता है सरकार के खिलाफ, वैसा ही उन्होंने दायरा और भूमिका बना रखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो महीने जो सरकार यहां पर रही है, वह सरकार क्या कर सकती है। फिर भी दो महीने की उपलब्धियां सरकार ने और हमारे सदन के नेता ने पूरे राजस्थान को दी हैं। पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि प्लान रेज कर दिया है 40 पर्सेंट इस साल का, अगले साल 44 पर्सेन्ट। यह दो बातें ही बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और तीसरी जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि सरकार ने की है वह यह है कि पहली बार, मेरा भी सोच था, विपक्ष का भी सोच था और हमारे यहां पर ट्रेजरी बेंचेज का भी यह विचार था कि जो बिजली की समस्या अभी हमारे सामने खड़ी हुई है उसके लिए एकदम क्या किया जाय। मैं भी यहीं पर बोला था कि आज आप कुछ भी करने जायें, नये आप यूनिट पावर स्टेशन लगाने के लिए जायें, स्कीम है, सब कुछ हैं, फिर भी आज आप आर्डर दें तो कम से कम पांच साल जस्टेशन पीरियड होता है और उसको आप कितना भी कम करें, फिर भी कैसे यह समस्या हल की जायेगी, यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी थी। इसके लिए जो सदन के नेता ने किया है वह मैं आप लोगों के सामने आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। अभिभाषण में भी रखा गया है कि कुछ दिन पहले ही एन. टी. पी. सी. से दो साल के लिए 250 मेगावाट एल. सी. खोलकर उन्होंने यह एश्योर कर दिया है कि दो साल तक आपको 250 मेगावाट मिलती रहेगी राजस्थान के अन्दर। यह आपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। यह सदन के नेता की समझ है और उन्होंने कैसे कर दिया, क्यों किया, आप विचार करें कि आप पावर यूनिट 250 मेगावाट का लगाने जायें तो आज तीन करोड़ रुपये पर मेगावाट जनरेशन की कास्टिंग आती है, आज आप आर्डर दें तो। इसका मतलब है 750 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी और वह भी पांच साल लगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एल. सी. खोलकर आर. एस. ई. बी. को यह एम. ओ. यू. साइन कर दिया है। एन. टी. पी. सी. ने, कि हमें एश्योर करते हैं कि वह 250 मेगावाट बिजली हमें मिलती रहेगी। और 210 मेगावाट तो आप जानते ही हैं कि एक महीने के अन्दर चालू हो रहा है इसलिए इससे काफी समस्या हल हो जायेगी। दूसरी बात, जो चिन्ता का विषय रहा है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी यहां पर पुष्कर से आने वाले सदस्य नहीं बिराज रहे हैं, उन्होंने भी काफी बात कही कि आर. पी. गोयनका कलकत्ता से एक एम. ओ. यू. साइन किया है और उसके अन्दर यह कहा है कि उससे नेगोशियेट करके जो एम. ओ. यू. है उसमें धौलपुर पर 202 × 500 मेगावाट पावर स्टेशन के लिए बात रखी है। मुझे जो पता लगा है उस एम. ओ. यू. के अन्दर कोई समस्या जैसी बात नहीं है। एम. ओ. यू. इसी बात का है कि यह अपने खर्चे पर एक इन्वेस्टिग एजेन्सी का काम करें कि कौनसा यहां पर प्लांट लगाया जाय, नेप्टा से कैसे यहां पर यूनिट लगाया जाय, कितनी कास्टिंग होगी, पूरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट

(श्री विजयेन्द्र पाल सिंह)

बनाने के लिए उनको कहा है और जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है वह भी एम. ओ. यू. के अन्दर है, कि जो वीटो पावर है वह मुख्य मंत्रीजी के पास रहेगा कि अगर उनको स्कीम पसंद नहीं आई, यह इनवेस्टीगेट करके जो भी प्रपोजल देते हैं अगर वह पसंद नहीं आये तो यह बाध्य नहीं होंगे और मुख्य मंत्रीजी इसको ड्राप कर सकते हैं। मैं यह भी बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि धौलपुर के अन्दर जो स्कीम तो पास है, खाली जो समस्या है मिनिस्ट्री आफ एनवायर्नमेंट एण्ड फोरेस्ट की तरफ से है और उनकी तरफ से दो आपत्ति है। एक तो आपत्ति यह है कि ताजमहल बहुत पास में हैं और दूसरी आपत्ति यह है कि घड़ियाल, क्राकोडाइल का एक फार्म उस चम्बल पर है। यह जो आपत्ति उन्होंने सामने रखी है, मेरा तो सुझाव है सरकार से, आर. एस. ई. बी. से कि हम इतना प्रेस्टिज इश्यू क्यों बना रहे हैं कि धौलपुर में ही यह लगे, करीब बीस मील पीछे अगर उसको ले जायं, बाड़ी के पास या कहीं पर वहां लगा दिया जाय तो यह समस्या भी हल हो सकती है और एम. ओ. ई. एफ. से परमिशन मिल सकती है। घड़ियाल फार्म का डिनोटिफिकेशन भी कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि चम्बल पर काफी घड़ियाल, क्रोकोडाइल फार्मस् हैं, वह भी एक जगह से डि-नोटिफाई करके दूसरे स्थान पर उनको मूव कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के बारे में मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से और प्रतिपक्ष के नेता से यह पूछना चाहूंगा कि यह एम. ओ. यू. उनके जमाने में साइन हुआ था, 6 साल पहले हुआ था. आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं उसमें डिफाल्ट क्लाज रखा गया····। (समय समाप्ति सूचक घंटी)····शुरुआत ही किया है। मैंने पहला···· ।

श्री सभापति : बहुत बोलने वाले हैं, पांच बजे समाप्त हो जायेगा हाउस, दस मिनट से ज्यादा हो गये हैं आपको।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : अभी तो शुरुआत ही की है।

श्री सभापति : कहां, दस मिनट पहले की है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो एम. ओ. यू. साइन किया है बिड़लाज से चित्तौड़गढ़ के अन्दर इसमें जो भी समस्या है उसके लिए क्योंकि डिफाल्ट क्लाज था या नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने एम. ओ. यू. नहीं देखा, मेरा यह निवेदन है, हाई लेवल कमेटी, चीफ मिनिस्टर साहब खुद ही बैठकर यह सार्ट-आउट करें कि वह बिड़ला ग्रुप लगाना चाहता है या नहीं चाहता है। आज ही आर्डर प्लेस करें और एम. ओ. यू. नया बना कर डिफाल्ट क्लाज, पेनेल्टी क्लाज लगाकर उनको टाइम दिया जाय कि दो पांच सौ मेगावाट के पावर स्टेशन पर वहां जल्दी लगायें। पलाना के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज के अन्दर नेवेली से यह एम. ओ. यू. साइन हुआ था और 87 के अन्दर कमीशन होने वाला था। छह साल, सात साल पहले कमीशन होने वाला था, आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। आज तक पलाना पावर स्टेशन के लिए जमीन भी नेवेली के पास में है और वह कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा विचार है, मेरी सोच है कि मुख्य

Page No.134

(श्री विजयेन्द्र पाल सिंह)

मन्त्रीजी को इस पर दो पांच सौ मेगावाट के पावर स्टेशन लिग्नाइट आधारित लगाने चाहिए। मेरा एक और निवेदन है कि यह जो करीब 250 और 210 के पावर हमें

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मिले हैं राजस्थान को अभी, फिर भी शार्ट-काल रहेगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेरा यह निवेदन है कि सरकार का लक्ष्य यह भी है कि करीब 1.25 लाख वेल्स को एनेलाइज किया जाय हर साल और उसके लिए शार्ट फाल हर साल करीब नब्बे मेगावाट का और बढ़ जायेगा इसलिए पांच साल के अन्दर आठवें प्लान के अंत तक यह शार्ट काल बढ़ता जायेगा। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि पॉवर के अन्दर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की तो बात हमने रखी ही है, मेरा एक और विचार है, आज आप कुछ भी करें, जस्टेशन पीरियड, जैसी मैंने आपको बात कही है, वह इतना लम्बा है कि आज आप आर्डर दें तो 45 से 50 महीने से पहले कोई पावर स्टेशन नहीं लग सकता है। मेरा सरकार से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है, प्रतिपक्ष के सदस्य भी शायद मेरी बात पसन्द करेंगे कि हंगरी, पोलैण्ड, आस्ट्रिया, जीडीआर के अन्दर जहां पावर सरप्लस है, नये-नये पावर प्लांट्स आ रहे हैं, वहां पर बहुत सारे प्लांटस हैं जिनकी लाइफ तो खत्म हो गई है क्योंकि लाइफ पावर स्टेशन की करीब 25 से 30 साल होती है, उन्होंने करीब बीस साल के अन्दर ही राइट आफ कर दिये हैं और आज आप सौ मेगावाट का भी अगर पावर स्टेशन लगाने जायं तो आपको 300 करोड़ रुपये की जरूरत है। यह सैकिण्ड हैण्ड जो पावर स्टेशन है वहां पर पड़े हुए हैं। अगर सरकार की नीति हो तो वह लिये जायं तो आपको 1/20 कास्ट के अन्दर मिल सकते हैं क्योंकि रिटन आफ है वह और सिर्फ वहां से मूव करके यहां पर लगाना है। तो अगर यह नीति हो तो यह हो सकता है कि यह जस्टेशन पीरियड जो लगता है पांच साल का, वह डेढ़ साल के अन्दर ही यह शुरू हो सकता है। कमीशनिंग, मेन्टीनेंस आपरेशन और टर्म की जो अब अच्छी-अच्छी कम्पनीज है, जैसे सीमन है, इलेक्ट्रोन है, उनको आप दे सकते हैं और यह जो अपने को दो साल का टाइम मिला है एन. टी. पी. सी. ने जो हमें 250 मेगावाट दिया है, इसके अन्दर अगर लगाने का सरकार विचार रखती है, तो यही मेरा सुझाव है, शायद सरकार को पसन्द आये तो इस पर बात हो सकती है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : इसी के सबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे भिवाड़ी के अन्दर जब इण्डस्ट्रियल डवलपमेण्ट की बात करते हैं तो एक जो कन्स्ट्रेन्ट है, एक इम्पेडिमेण्ट है, वह पावर है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं जो मैंने सैकिण्ड हैण्ड पावर स्टेशन की बात कही, वैसे हम अगर भिवाड़ी के अन्दर 200 मेगावाट का लगा दें, वहां की जो समस्या है वह वहीं पर हल हो सकती है। (समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी) दो मिनट और लगाऊंगा, पर घण्टी पर तो आप ऐसे विराज गये हैं, तभी तो....

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आदरणीय सभापतिजी, एक मौका अलवर जिले के....

श्री सभापति : सबको समय मिलना चाहिए, कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करिये, बैठिये, समाप्त कीजिये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : मेरे को खत्म करने दो, फिर आप आराम से बोलिये।

श्री सभापति : बैठिये-बैठिये. इन्हें समाप्त करने दीजिये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : मैं चिकित्सा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। चिकित्सा सुविधा के बारे में जो बातें कही कि गांव के अन्दर ज्यादा चिकित्सा सुविधा के लिए डाक्टर्स नहीं जाते हैं, इस बावत मेरा एक सुझाव है। मैंने एक बार पहले भी सदन में यह बात कही थी कि आज जो एक भयंकर बीमारी हमारे सामने सिर उठा रही है, वह है एड्स, जिसकी जानकारी बहुत सारों को नहीं है और उसका जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है उसको अगर हमने जल्दी से जल्दी नहीं लिया तो बाई दी टर्न ऑफ दी सेंच्युरी, ऐसी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जायेगी कि मैं बता नहीं सकता। इसलिए मैं आपको इसके बारे में शायद ही कहूंगा। जब मैंने यह बात कही तो ट्रेजरी बैंचेज से जवाब यह आया था कि भगवान के नाम ऐसी भयानक बीमारी के बारे में आप नहीं कहें। वही बात मैं दोहराना चाहता हूं कि ऐसी एटिट्यूड नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। आज पूरे विश्व भर में इस पर गोष्ठी हो रही है, विचार हो रहा है। एड्स एक ऐसी बीमारी है कि कैंसर और हार्ट अटैक भी भयंकर समस्या हमारे सामने 2000 ए. डी. तक खड़ी हो जायेगी, क्योंकि आज हमें पता नहीं है, आज एड्स की न तो टेस्टिंग फैसेलिटी है और जो भी एच. आई. वी. पोजिटिव हो जाती है, वह 10 साल लगते हैं, तो 10 साल के अन्दर ही हमें पता लगेगा कि कितने लोगों के यह बीमारी लग गई है। मेरा इस पर विचार है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम एड्स का चलाया जाए। यहां पर एक गोष्ठी हुई थी उसमें 'महिला विकास और एड्स' के बारे में बात हुई थी। मेरा यह कहना है कि जब मैंने यह बात कही थी, यहीं के एक सदस्य ये जब मैंने बात बाहर जाकर कही तो उन्होंने कहा कि यह एच. आई. वी. पोजिटिव क्या है ? मैंने कहा कि मैं मानसरोवर के हाउस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एच. आई. वी पोजिटिव की बात कर रहा हूँ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये, मैं अगले सदस्य का नाम लेने जा रहा हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : इण्डिया टूडे के अन्दर से मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं।

श्री सभापति : सबका पढ़ा हुआ है यह। आप तो पृष्ट संख्या बता दीजिये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : इतना सा है–

'Ignorance about AIDS by the Punjab Chief Minister Beant Singh, when asked to say a few words after release of a publication on AIDS at the Health-Seminar, 1994 at Chandigarh, the Chief Minister said I do not know what AIDS is.

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। यह

(श्री विजयेन्द्र पालसिंह)

सेक्स एजूकेशन स्कूलों से शुरू करनी चाहिए। एड्स की जो सबसे बड़ी समस्या है वह खाली सेक्स एस. टी. डी. ट्रांसमीटेड नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठोड़ (चिकित्सा मन्त्री) : करेंगे, करेंगे, माननीय सदस्य करेंगे।

श्री विजयेन्द्र पालसिंह : सबसे बड़ी समस्या जो एड्स की है, इसमें प्रोब्लम यह है कि जो ब्लड डोनर्स हैं। वह अगर इस बीमारी से उठकर डोनेट करते हैं, तो यह इन्फेक्शन यह बहुत जल्दी फैलता है, यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री घासीरामजी यादव। (अनुपस्थित) श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती मीना अग्रवाल : माननीय सभापतिजी, आदरणीय सभापतिजी, एक मिनट....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सागानेर) : पहले इनको बोलने का टाइम दे दीजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : थैंक्स टू यू मैडम।

श्री सभापति : आपका 295 का पढ़ा हुआ मान लिया गया है, रेकार्ड में आ चुका है, अब आप तशरीफ रखिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : एक आदमी की डेथ हो गयी दुर्घटना के अन्दर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : यह विशेष बात कहना चाहती हैं............(व्यवधान)

श्री सभापति : इस पर व्यवस्था आलरेडी आ चुकी है।.... ...(व्यवधान) श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, विशेष बात कहना चाहती हैं। यह क्या बात है, सभापति महोदय....

श्री सभापति : इसमें अध्यक्षजी की व्यवस्था आ चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं विवश हूं।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको।

श्री सभापति : 295 का अब नहीं पढ़ा जा सकता, पढ़ा हुआ मान लिया गया है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : डेथ बाद में हुई है, उसमें डेथ का नहीं लिखा। डेथ का नहीं हैं, डेथ बाद में हुई है।

श्री सभापति : ठीक है, कल दे देना आप। श्रीमती इन्दिरा मायाराम। (व्यवधान) आपको जीरो ऑवर में बोलना है। आप नियमों में रहिये।....(व्यवधान) रिकार्ड नहीं होगा।

श्रीमती मीना अग्रवाल : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : आदमी मर गया, आप रिकार्ड नहीं होने देंगे ।

श्री सभापति : कुछ नहीं रिकार्ड हो रहा है, व्यवस्था में मत बोलिये, कुछ नहीं रिकार्ड हो रहा है, आप क्यों बोल रहे है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसके बारे में मैं अनुभव के आधार पर कुछ विचार प्रकट कर रही हूं । सबसे पहल उसमें स्वच्छ प्रशासन के बारे में बात कही गयी है । अभी उसके बारे में पुलिस के विषय में काफी चर्चा हुई । मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि मेरे सागानेर क्षेत्र में भी इस चुनाव के बाद एक मर्डर हो गया । दिन-दहाड़े एक इतनी बड़ी डकैती हुई, जैसी डकैती आज तक नहीं हुई है और उसके किसी भी आदमी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है, जबकि उसमें 13 से 15 आदमियों के बीच में माने जाते हैं । इसी प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के रास्ते बन्द कर दिये जाते हैं । जिलाधीश महोदय के यहां से आर्डर देने के बावजूद भी, पुलिस के कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती ।

दूसरा, मुझे बिजली विभाग के बारे में कहना है कि बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि उसके बारे में कुछ भी कहना कम है । यह बात सही है कि इस बार हमारे अभिभाषण में जो बिजली के विकास के लिए योजनाएं और परियोजनाएं बताई गयी हैं, उसका हम स्वागत करते हैं और यह भी मानते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे प्रदेश को उनसे लाभ होगा । आज की जो कठिनाई है, उस कठिनाई को मैं जरूर बताना चाहूंगी । पिछले दिनों सरकार ने एक आज्ञा जारी की थी कि एक पोल का जो होगा वह बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा और मैं आपको बताऊं, हमारे सांगानेर में बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी सिर्फ 10 कनेक्शन दिये गये, यह कनेक्शन भी नहीं दिये गये, जिनमें उनको पूरी तरह से सन्तुष्ट कर दिया गया । इसी प्रकार दूसरे जो अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के फार्म भरे हुए हैं, उनके बारे में जब-जब यह जानना चाहते हैं, आठ-आठ साल, दस-दस साल से हमारा क्या नम्बर आयेगा ? तो उनको कोई नम्बर बताने को तैयार नहीं है । यह भी नहीं बताते कि इतने दिन में कनेक्शन मिल जायेगा । तो मेरा निवेदन यही है कि आम आदमी को बहुत कठिनाई आती है । यह ठीक है कि आप हायर लेबल पर स्वच्छ प्रशासन लायेंगे, किन्तु आम आदमी की जो मूल आवश्यकताएं हैं, उनको जो कठिनाइयां हैं उसमें स्वच्छ प्रशासन जब तक नहीं आयेगा तब तक आम आदमी को प्रशासन की जो फीलिंग होनी चाहिए कि स्वच्छ प्रशासन हो रहा है, वह कभी नहीं हो पायेगा ।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

तीसरी, जो कठिनाई सबसे ज्यादा है, जिसके बारे में पिछली बार मंत्रीजी ने हमारी असेम्बली के दिनों में मीटिंग ली थी और मैंने बताया भी था, वह आज भयंकर हो रही है, गरमी आने वाली है, वह है जलदाय विभाग से सम्बन्धित। हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की इतनी कठिनाई है जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारे यहां 9 टंकियां बनी हुई है बड़ी, 2 टंकियां छोटी, उनका कनेक्शन नहीं किया गया है। बनी पड़ी है कोई किस योजना में, कोई किस योजना में, लेकिन पानी पीने के काम नहीं आ रही है क्योंकि उनमें नल फिट नहीं किये हैं। इसी प्रकार, कहीं नल फिट कर दिया है पर टंकियां नहीं बनाई। पिछले दिनों मीटिंग में मैंने बहुत आग्रह किया था और असेम्बली में भी बोला था कि हमारे यहां पीने के पानी की इतनी कठिनाई है कि तीन-तीन हजार की आबादी पर एक-दो हैण्ड पम्प हैं। वह हैण्ड पम्प अगर खराब हो जाते हैं तो वहां मारा-मारी हो जाती है। लोगों में आपस में पिटाई हो जाती है। अनुसूचित जाति, जन जाति के बड़े-बड़े मोहल्ले हैं, ढाणियां हैं उनमें एक भी हैम्प नहीं है। पिछले दिनों मेरे कई बार लिखने के बावजूद भी आज तक पिछले दो महीने में एक भी हैण्ड पम्प नया नहीं लगा है। हमारे यहां तो यह इतनी गम्भीर समस्या है कि अब गरमियां आ रही हैं, इस पर ध्यान देना प्रशासन का बहुत जरूरी है। इस अभिभाषण में कहा गया है कि पीने के पानी की समस्या का हल किया जायेगा, वह किस तरह से और कितने समय में किया जायेगा, यह कहीं-नहीं कहा है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन यह है कि यह इतनी गम्भीर समस्या है कि इस पर एकदम से ध्यान दिया जाये और जो टंकियां बनी हुई हैं उनको तो, जितना जल्दी हो सके, कम से कम जोड़ दिया जाये जिससे उनका पानी आने लगे। सांगानेर क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है उसमें एक ही टंकी है। वहां के आस-पास के मोहल्लों में पानी पहुंचता है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था तो मुझे यह बताया गया कि इसमें प्रेशर कम है। मैं यह नहीं मानती कि प्रेशर कम है क्योंकि वह क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि उसमें जब तक दूसरी टंकी नहीं बनाई जायेगी, उतने बड़े इलाके को एक टंकी से पर्याप्त रूप से पानी पहुंच पायेगा, इसमें मुझे शक है। इसलिए मेहरबानी करके इस प्रकार की जो जलदाय विभाग की समस्याएं हैं उन पर भी मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

इसके अलावा, इसमें सड़कों के बारे में बताया गया है कि हम जहां तक हो सकेगा, वहां तक, एक हजार की आबादी के इलाके को सड़कों से जोड़ेंगे। मेरा निवेदन यह है कि एक हजार की तो जोड़ेंगे बाद में लेकिन हमारे यहां तो जो पंचायतों का हैड क्वार्टर है वहां तक ही अभी सड़कें नहीं गयी हैं। सम्पर्क सड़कें तो बहुत ही कम हैं।

उनसे ही जुड़ी हुई एक बात स्वास्थ्य से सम्बन्धित है कि हमारे यहां इतनी कम

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

सड़कें होने के कारण, गांवों में स्वास्थ्य के प्राथमिक केन्द्र या उप-प्राथमिक केन्द्र न होने के कारण महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। सड़कें हैं नहीं, जच्चा खाना है नहीं। शहर लाते-लाते रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मेहरबानी करके एक हजार, जैसा आपने कहा कि सड़कों जोड़ेंगे, ढ़ाई सौ आप स्कूल बनायेंगे, इसी प्रकार एक यह भी निर्णय करना चाहिए कि आप जच्चा खाना, उप स्वास्थ्य केन्द्र भी एक हजार या दो हजार की आबादी पर अवश्य खोलें ताकि महिलाओं की जो कठिनाई है वह दूर की जा सके।

शिक्षा के बारे में मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि यह बड़ी स्वागत योग्य बात है कि ढाई सौ की आबादी पर आप प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, किन्तु महिलाओं को शिक्षा के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। गांवों में प्राइमरी शिक्षा के बाद लड़कियों को लड़कों के साथ भेजने में बड़ी कठिनाई होती है। गांव वाले इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि प्राइमरी स्कूल के बाद लड़कियां जब 12—14 साल की उम्र की हो जाती हैं उनको लड़कों के साथ पढ़ने भेजा जाए, तो आप जो शिक्षा का प्रावधान कर रहे हैं तो उसमें महिलाओं के लिए मिडिल स्कूल, उनके लिए सैकेण्ड्री स्कूल भी हो और निःशुल्क शिक्षा महिलाओं को मिलनी चाहिए। यह हर क्षेत्र में आवश्यक है, जैसा कि कल एक सदस्य कह रहे थे कि परिवार नियोजन की बात होती है चाहे वह लीजिये, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से लें, अगर मां पढ़ी-लिखी होगी तो सब चीजें ठीक हो जायेंगी। इसलिए महिलाओं में शिक्षा होना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से भी मिडिल स्कूल और हायर सैकेण्ड्री स्कूल, उसके बाद जो पढ़ना चाहें वह तो को एजूकेशन में भी जा सकती हैं क्योंकि फिर तो शहर के रहने वाले लोग हो जाते हैं। लेकिन गांव के जो लोग हैं उनके लिए यह महिला शिक्षा जरूर होनी चाहिए।

एक बहुत बड़ी समस्या सांगानेर क्षेत्र की है, वह और भी शहरों में होगी, जो उप-नगर बन रहे हैं उनमें भी होगी। वह यह है कि वहां पर हाउसिंग बोर्ड भी गया है, वहां पर रीको भी है, वहां पर निगम भी है जो क्षेत्र उसमें आ गया है उन गांवों में किसी भी समस्या के बारे में हम बात करते हैं तो वह कहते हैं कि निगम वालों से बात कीजियेगा, निगम वाले बोलते हैं कि हाउसिंग बोर्ड का काम है। मेहरबानी करके ऐसी को-आर्डिनेटिंग कमेटियां आप बनायें जो समस्याएं सुलझा सकें। यह सांगानेर में ही नहीं है, यह तो राजस्थान में जहां भी हाउसिंग बोर्ड बना हुआ है, जहां भी नगर निगम के इलाके बढ़े होंगे, वहां सभी जगह यह समस्या खड़ी हुई होगी मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के जहां क्षेत्र लिये गये हैं उन क्षेत्रों में कोआर्डिनेटिंग कमेटीज बनाई जाये ताकि इनके विकास के काम में बाधा उपस्थित न हो। वहां के विकास के बारे में जब बात-चीत की जाय तो कोई यह जवाब देने वाला होना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी है।

सांगानेर में जो हाइवे बना हुआ है उस हाइवे पर जो टौंक हाइवे है उस पर

(श्रीमती इंदिरा मायाराम)

दोनों तरफ नालियां बहुत सड़ रही हैं। उनसे हमने बात की तो वह कहते हैं कि यह हाइवे वाले का काम है, वह कहते हैं कि यह नगर निगम का काम है। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की जो

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

समस्याएं बड़े शहरों के आस-पास हो रही हैं उनके बारे में आपको अवश्य ही ध्यान देना होगा।

मैं एक ही मिनट और लूंगी और वह यह है कि महिलाओं के लिए उद्योग-धंधों के बारे में बहुत कम बताया गया है। उसके साथ-साथ महिलाओं के उद्योग-धंधे के लिए एक काम और जरूरी है कि अगर महिलायें छोटे-मोटे उद्योग धंधे लगायें तो गांवों में उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए महिलाएँ जो उद्योग-धंधे लगायें उनके लिए एक मार्केटिंग बोर्ड बनाया जाये ताकि उनके सामान को बेचने की समस्या उपस्थित न हो। इसी प्रकार महिलाओं के रोजगार के ऊपर भी ध्यान दिया जाये, युवकों के रोजगार के ऊपर भी ध्यान दिया जाये क्योंकि आजकल कृषि बहुत कम हो गई है, पहले गांव की महिलाएँ कृषि में लग जाया करती थी लेकिन अब कृषि का काम भी नहीं रहा। एक आदमी की कमाई से काम नहीं चलता है इसलिए महिलाओं के लिए रोजगार होना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसके लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सम्मिलित किये गये मुद्दे इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि राज्य सरकार प्रदेश का शासन किस ढंग से चलायेगी और ज्यादा से ज्यादा जनता को किस तरह की सुविधाएं जो भी सम्भव संसाधन हैं उनको देखते हुए उपलब्ध कराना चाहती है। शासन प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना शासकीय एवं प्रशासकीय मैनेजेरियल स्कीम पर ज्यादा निर्भर करता है लेकिन इसके साथ-साथ वित्तीय संसाधनों के बारे में भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किस तरह के वित्तीय संसाधन प्रदेश में उपलब्ध हैं। यदि प्रदेश की स्थिति के बारे में बतायें तो हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वित्तीय संसाधनों के सम्बन्ध में सामान्य हालत भी हमारे प्रदेश की ठीक नहीं है। आये दिन अकाल पड़ते रहते हैं, वर्षा भी बहुत कम होती है, वाटर लेवल भी बहुत नीचे जा चुका है, विद्युत की भारी कमी है, शिक्षा का जितना वांछित प्रसार होना चाहिए उतना है नहीं। हमें इस बात को बताते हुए प्रदेश की जनता को बड़े शर्मनाक तरीके से देखना पड़ता है कि हिन्दुस्तान में हमारे राज्य की स्थिति नीचे से दूसरे स्थान पर है। ऐसी स्थिति में, ऐसी विषय परिस्थितियों में हम इस प्रदेश

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

का विकास किस ढंग से करें, इसीलिए मैंने निवेदन किया कि यह हमारी मैनेजेरियल स्कीम पर डिपेण्ड करता है कि कम संसाधन, कम साधन होने के बावजूद हमारे प्रदेश को सही ढंग से किस तरह से संचालित करें, यह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी की स्पेशल स्किल है कि इतनी विषमताओं के बावजूद जिस ढंग से इस प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है वह वास्तव में तारीफ के काबिल है। इस तथ्य की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी कम है। विशेष तौर से इस बात के लिए कि माननीय शेखावत साहब इस प्रदेश की ग्रामीण जनता को जिस ढंग से लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जबरदस्त इस प्रदेश में वर्चस्व है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम करेगी और इन कामों की प्रशंसा सर्वत्र होगी।

अब यदि हमारे वित्तीय संसाधनों की चर्चा करें तो हमारे यहां बेसिक सोर्स ऑफ इनकम के मामले में सिर्फ एक बात से हम धनाढ्य हैं और वह है खनिज सम्पदा और इस पर आधारित जो भी खनन है उन्हीं पर आधारित हमारे यहां उद्योग धन्धे लगे हुए हैं। उद्योग धन्धे ऐसे सभी तरह के हम नहीं लगा सकते कि जिसके रा-मेटेरियल उपलब्ध नहीं हो, जिसके लिए वांछित बिजली उपलब्ध नहीं हो, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध नहीं हों, फिर भी खनन व्यवसाय की दृष्टि से हमारा प्रदेश काफी विकसित है, काफी धनाढ्य है, इस पर हमें विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है और इसी का नतीजा है कि आज हिन्दुस्तान जिंक जैसा बड़ा संस्थान पनप रहा है। हमारे यहां, सीमेण्ट उद्योग पनप रहे हैं, हमारे यहां मार्बल और ग्रेनाइट उद्योग पनप रहे हैं और इसके कारण प्रदेश को काफी अच्छी आय अर्जित होती है और इसके लिए सिर्फ खनिज सम्पदा ही पर्याप्त है लेकिन आम विषमताओं के बावजूद शासकीय और प्रशासकीय कुशलताओं के कारण मुख्य मंत्री श्रीमान् शेखावत साहब के निर्देशन में जो प्रदेश का काम-काज चल रहा है वह वास्तव में काफी सराहनीय है। इस बात का अहसास हम इसलिए भी कर सकते हैं कि पिछले एक वर्ष से हमारे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था, विकास के काम-काज अवरुद्ध हो गये थे लेकिन ज्यों ही जनता द्वारा चुनी हुई सरकार शासन में आयी, सरकार ने तत्काल जनहित में काम काज टेक-अप किये। ग्रामीण विकास के काम-काज टेक-अप किये, जिनकी प्रशंसा सर्वत्र हो रही है। इस प्रशंसा के लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी की जितनी सराहना की जाय उतनी कम है। मुख्य मंत्रीजी ने सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास के काम-काज टेक-अप किये हैं, चाहे सरकारी कर्मचारियों को ले लें, चाहे विद्युत क्षेत्र में ले लें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को ले लें। आज यहां मैं सरकारी कर्मचारियों की बात करता हूं तो आज हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि एक सामान्य कर्मचारी को भी चार-पांच हजार वेतन के रूप में रुपये मिलते हैं। दूसरे प्रदेशों की तुलना में हम इस दृष्टि से कम नहीं हैं। यही नहीं, जो कर्मचारियों को अपना वेतन लेने में

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

दिक्कत होती थी, सेवानिवृत्ति के बाद कई सालों तक उनकी पेन्शन तय नहीं हो पाती थी अब इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी हैं कि जिसमें पेन्शन देने के अधिकार डि-सेण्ट्रलाइज कर दिये हैं। जिला स्तर के अधिकारियों को जिला स्तर पर पेन्शन तय करने के अधिकार दे दिये हैं जिसके कारण जिस तिथि से वह सेवानिवृत्ति पर जाते हैं उसी तिथि से उनको पेन्शन पत्र मिल जाया करता है और इसलिए उनको इस दृष्टि से बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो गयी हैं। मैं इस बात के लिए भी सरकार की खूब प्रशंसा करता हूं।

जहां तक विद्युत का प्रश्न है, हमारे प्रदेश में सभी लोगों को मालूम है कि विद्युत की बहुत कमी है। शासकीय कुशलता के कारण अभी-अभी 250 मेगा-वाट बिजली प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त की है इसके लिए भी वह धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन विद्युत के बारे में जो आम चर्चा हुई है उसमें यह तथ्य सामने आया है कि आर्थिक संकट के कारण भी बहुत अधिक विद्युत का हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, न ही दूसरे प्रदेशों से खरीद पा रहे हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि जो वन पोल कनेक्शन हैं या निल पोल कनेक्शन हैं वह किसान ग्रामीण क्षेत्र में वैसे भी आम तौर से चोरी करता है और यह अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करते हैं, अधिकारी और कर्मचारी नहीं चाहें तो किसी कीमत पर चोरी नहीं हो सकती, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है ऊर्जा मंत्रीजी से कि वह वन पोल और निल पोल के कनेक्शन तत्काल सभी लोगों को जिस किसी किसान ने अपनी खेती के लिए प्रार्थना पत्र दे रखे हैं उनमें कोई वरिष्ठता की सूची नहीं बनाये और तत्काल सभी को दे दें ताकि जो आय खुर्द-बुर्द होती है वह सरकार की आय हो सकती है और यह सरकार के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल होगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

शिक्षा के प्रसार की बात करूं। शिक्षा के प्रसार के बारे में जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं वे स्वागत योग्य हैं। 250 की जनसख्या वाले गांवों में प्राथमिक शालाएं खोलने की जो घोषणाएं की गयी हैं उनकी जितनी सराहना की जाय, कम है लेकिन साथ ही मैं निवेदन करूंगा राजसमंद जिला मुख्यालय के बारे में कि राजस्थान में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां महाविद्यालयी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो सिवाय राजसमंद जिले के। यह हमारी सरकार के लिए एक + + + की बात है। वहां पर जिला स्तर के अधिकारी रहते हैं, वहां पर उद्योग लगे हुए हैं, प्रगतिशील व्यक्ति रहते हैं, वहां पर महाविद्यालीय शिक्षा नहीं होने के कारण उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। नार्म्स बने हुए हैं कि एक महाविद्यालय से दूसरे महा-विद्यालय की दूरी 25 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए लेकिन वह नाथद्वारा कालेज से 20 ही किलोमीटर है। ऐसी स्थिति में नियमों में शिथिलता बरतते हुए, नार्म्स में तब्दीली करते हुए मंत्रिमण्डलीय

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

स्तर पर इस तरह का निर्णय लें कि जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलें। वहां की जनता आपको दुआ देगी। यह एक अभिशाप है आज कि एक जिला मुख्यालय पर भी महाविद्यालय नहीं है। यह अभिशाप हमारी सरकार द्वारा इस प्रदेश के लिए समाप्त हो सकेगा।

जैसा कि वार्षिक योजना के बारे में महामहिम के अभिभाषण में उद्धृत किया गया है आने वाले वर्ष यानि 1994–95 में 44 प्रतिशत धन की वृद्धि हुई है, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश के लिए। हमरे प्रदेश के गांवों का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, किसानों का विकास होगा। लेकिन इसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, सभापति महोदय। इतनी बड़ी राशि गांव के विकास में खर्च करने का संकेत इसमें है और हो सकता है आने वाले बजट में जो माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रस्तुत करेंगे, ये सारी घोषणाएं हों। उस बजट को खर्च करने का एक ग्रुप सचिव को जिम्मेदार बना रखा है। एक ग्रुप सचिव तीन-तीन, चार-चार पंचायतों का काम-काज देख रहा है और वहां ईमानदारी से सभी पंचायतों का काम नहीं देख सकता। मेरा सुझाव है कि हर

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

पंचायत पर पृथक से ग्रुप सचिव का पद सृचित हो जाए तो निश्चित तौर से वह ईमानदारी से, मेहनत से और रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर पाएगा, नहीं तो चाहे कितना ही पैसा बजट में आप अलाट कर दें, ग्रामीण विकास के लिए खर्च करने के लिए यदि मशीनरी आपके पास उपलब्ध नहीं है या अच्छी मशीनरी नहीं है तो उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा। जल्दी से जल्दी यह निर्णय ले लें तो अकाल राहत के काम-काज भी हो पाएंगे और जो पैसा योजनाओं का आप अलाट करने जा रहे हैं आगामी 1994–95 के वित्तीय सत्र में, उसका लाभ भी वास्तव में जनता को मिल पायेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में विशेष तौर से निर्णय लेकर तत्काल हर पंचायत में एक ग्रुप सचिव का पद सृचित करावें। इसमें मुश्किल से आपको दो-ढाई हजार रुपये तनख्वाह एक ग्रुप सचिव को देनी पड़ेगी लेकिन वहां करोड़ों रुपये के जो घपले हो जाते हैं उस घपले की राशि को बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है। इस बात को एम्फेसिस मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम गांव के रहने वाले हैं। गांवों में आज किस तरह के काम-काज हो रहे हैं? कितना लाभ अलोटेड राशि का आज जनता को हो पा रहा है? इसके बारे में यदि विस्तृत जानकारी करें तो मेरे ख्याल से आपको काफी निराशा होगी। इस निराशा को समाप्त करने के लिए सरकार को चाहिए कि इसके बारे में प्रभावी कदम उठाए, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय हरिसिंह जी।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कि सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : सदन में विधान सभा की बैठकें आगे चलती रहें, क्या दिक्कत है? आप पांच बजे, छह बजे, आठ बजे तक बढ़ाइये।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है और उसके प्रति धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में रखा गया है, उस प्रस्ताव का मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है, वह एक प्रकार से वर्तमान सरकार का एक पालिसी स्टेटमेण्ट है। वह आगामी वर्ष में क्या करने जा रही है, क्या करने की उसकी क्षमता है, किस प्रकार से जन सुविधा के कार्य करेगी, इस सब का ब्यौरा अभिभाषण में होना चाहिये, होता है।

श्रीमन्, इस अभिभाषण के पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि वर्तमान सरकार राजस्थान में जनहित के कार्य करने में, राजस्थान की जनता को आगे ले जाने में, राजस्थान के अन्दर प्रोडक्शन बढ़ाने में, राजस्थान में लोगों की बेरोजगारी मिटाने में, राजस्थान में शिक्षा का स्तर आगे बढ़ाने में, पेयजल की सुविधा राजस्थान में उपलब्ध कराने में नाकाम होने जा रही है और यह मैं नहीं कहता। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, इससे यह बात स्पष्ट होती है जो बातें मैंने अभी आपके सामने रखी, उस संबंध में अभिभाषण के अन्दर कोई स्पष्ट निर्देश इस बात का नहीं है। इस बात का सवाल नहीं कि सरकार यह कार्य करके राजस्थान की जनता को सुखी कर सकेगी। श्रीमन्, मैंने इसीलिये इन बिन्दुओं के संबंध में अपना संशोधन प्रस्ताव भी रखा है और संशोधन की अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैंने लिखा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत, अभिभाषण के अन्त में निम्न शब्द जोड़े जाएं" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवकों एवं महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन के संबंध में, प्रदेश के ग्राम नागरिकों की गिरती आर्थिक दशा के उन्नयन के संबंध में एवं किसानों की भूमि व सिंचाई सुविधाओं के अभाव की स्थिति के निराकरण के संबंध में उल्लेख नहीं है।" श्रीमन्, सबसे पहले मैं राजस्थान के नवयुवकों और महिलाओं की बेरोजगारी के संबंध में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 17 पर सरकार ने कुछ उल्लेख किया है और वह इस प्रकार की अपनी बात रखना चाहते हैं। 'कृषि एवं उद्योगों में दीर्घ गति से हो रहे विकास के फलस्वरूप रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। गांवों में बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर देने

(डा. हरिसिंह)

के लिए दुकानों के चरणबद्ध निर्माण की एक महती योजना बनाई जायेगी जिसमें पहले चरण में चालीस हजार दुकानों का निर्माण किया जायेगा।"

श्रीमन्, इसको पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार केमोफ्लेज करके, जिस प्रकार से लोगों को धोखा देने के लिये केमोफ्लेज किया जाता है, उसी प्रकार से इस पैरोग्राफ में यह लिखा गया है "कहना तो लो भई समझे हैं," कि ग्रामों के अन्दर 40 हजार दुकानें बनाने जा रहे हैं। लेकिन चालीस हजार दुकानें बनाने का इनका लक्ष्य इसके अन्दर तो है नहीं। इस वर्ष में आपको लक्ष्य क्या है ? आप कहना क्या चाहे रहे हैं। आप सिर्फ यह कह रहे हैं कि दुकानों के चरणबद्ध निर्माण की एक महती योजना बनाई जायेगी। अब श्रीमन्, महती योजना बनाई जायेगी। अभी योजना बनी नहीं हैं। चालीस हजार दुकानें बनाने के लिये अभी कोई योजना बनी नहीं है। अभी तक आपके सामने इस बात का स्पष्ट प्रारूप नहीं हैं कि आप किस प्रकार से बेरोजगारी मिटायेंगे ? जबकि यह सरकार आने के बाद दुबारा अपना अभिभाषण दिलाने जा रही है। राज्यपाल महोदय से इतने समय के अन्दर तो कोई स्पष्ट संकेत लेकर, योजना बनाकर आना चाहिए था। बेरोजगारी की समस्या का मुंह बढ़ता ही चला जाता है और आप कह तो देते हैं। अपनी भाषण में लिखी गई है। जैसाकि मेरे लायक मित्र ने कहा था कि आपने सवधी के बारे में बात करी थी। मैं आपका एक शब्द की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके तीसरे पैरा की पांचवीं लाइन के अन्दर है "हमारे उद्यमियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी अपनी साहसिकता से आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास का सोपान रचाया। क्या मतलब है सोपान रचने का ? कोई सोपान रचा जाता है ? सोपान तो सीढ़ियां हैं। श्रीमन्, स्टेट्स होते हैं जो आगे बढ़ा करते हैं। वो रचे जाते हैं। आपने कहा, इसके अन्दर यहां की भाषा का सवाल नहीं है। तो सोपान रचा है। यह मैंने इसलिए उद्धृत किया है कि आपने अभिभाषण की भाषा को केमोफ्लेज करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से लोगों को धोखे में रखने के लिए यह कहा है कि 40 हजार दुकानों की महती योजना बनायी जायेगी। कब योजना बनेगी ? कब दुकानें चलेंगी और क्या काम होगा ? इसलिए बेरोजगारी के संबंध में आपका यह अभिभाषण बिल्कुल शून्य है और जो अभिभाषण है, वह देश के नवयुवकों के भविष्य के संबंध में बिल्कुल शून्य, देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के संबंध में शून्य है। उस पर बहुत ही मुश्किल बात है, जिसके लिए धन्यवाद दिया जाये। महिलाओं के संबंध में चर्चा समाप्त हो रही है कि उनको 33 प्रतिशत रिजर्वेशन होगा नगरपालिकाओं में, 33 प्रतिशत रिजर्वेशन होगा पंचायत के अन्दर पंचायत समिति के अन्दर। क्या रिजर्वेशन से महिलाओं का पेट भर जायेगा, होना चाहिये रिजर्वेशन तो महिलाओं के लिए, कानूनी होना चाहिये। रिजर्वेशन होना चाहिये तो रोजगार की सुविधाओं के संबंध में होना चाहिये। इस संबध में सरकार कुछ लेकर नहीं आयी। मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार के संबंध में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नितान्त निरुत्साहजनक और शून्य है।

Page No.146

(डा. हरिसिंह)

दूसरी समस्या आज राजस्थान के अंदर समझते हैं, श्रीमन्, पेयजल की है । राजस्थान में पेयजल का अभाव आने वाले समय में निश्चित रूप से होने जा रहा है। पेयजल मन्त्रीजी बिराजे हुए है । मैं इनका ध्यान इस समय दिलाना चाहता हूं और आपका स्वयं का जो कमिटमेंट है और आपका स्वयं का जो लिखा हुआ मेरे पास प्रश्न का उत्तर है । उससे यह जाहिर होगा कि राजस्थान में पेयजल की स्थिति क्या है ? मैने आज ही प्रश्न पूछा था, आपसे कुम्हेर के संबंध में, पेयजल लोगों को कितना उपलब्ध होता है । आपका उत्तर, आप श्रीमन्, पढ़ें । कुम्हेर कस्बे में वर्तमान में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 90 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन की मात्रा के विरुद्ध 36 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है । मुआइना करिये आप । योजना बनी है । कुम्हेर के अन्दर 90 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन की मात्रा चाहिए और उसमें उपलब्ध कितना हो रहा है 36 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हो रहा है । एक तिहाई पानी आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं । यह हालत कुम्हेर की ही नहीं, यह हालत पूरे राजस्थान की है । भरतपुर जिले में मुझे पता है । भरतपुर जिले के अन्दर कुम्हेर कस्बे से भी कम गांवों के अन्दर पेयजल की योजना से पानी उपलब्ध हो रहा है । इसका जवाब पिछले सत्र में आया था । वहां तो 24 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो रहा है । इस समस्या के होते हुए भी, आपसे मैंने इसी प्रश्न के अन्दर पूछा था पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए आवश्यक है वहां बिजली उपलब्ध करवाई जाये । बिजली उपलब्ध नहीं होगी तो श्रीमन्, पेयजल योजना चलेगी कैसे ? और जब पेयजल योजना चलेगी नहीं, तो पानी कैसे उपलब्ध होगा ? उसके लिए सीधी बिजली की लाइन डालने की बात मैंने आपसे पूछी थी । उसमें आपने उत्तर तो दे दिया कि कुम्हेर के अन्दर 31 पेयजल योजनाओं पर बिजली की लाइन सीधी पड़ी हुई नहीं है । आधी से ज्यादा योजनाओं पर सीधी लाइन पड़ी हुई नहीं है । और कब तक पड़ जायेंगी ये बिजली की लाइन ? आप बहुत ही आसान तरीके से कह देते हैं कि सीमित संसाधनों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं पर अलग से विद्युत लाइन डाला जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है ।

(17.00)

पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए, बिजली की लाइन जा रही है, परन्तु पैसा उपलब्ध नहीं है । कितने सालों में उपलब्धि होगी, कितने चरणों में होगी ? एक साल में लाइन डलवा देंगे, दो साल में लाइन डलवा देंगे, तीन साल में लाइन डलवा देंगे, यह कहकर अलग हो गये, जैसे कोई कह देता है कि हमारे पास साधन नहीं हैं । साधन क्यों नहीं हैं ? यह जिम्मेदारी आपकी है, आप सत्ता में बिराजे हुए हो, सरकार में हो, पेयजल उपलब्ध करवाना आपके हर आदमी का फर्ज है, आपका दायित्व है । आपको साधन बनाने पड़ेंगे । राजस्थान के ऊपर जितना भी कर्जा आपकी सरकार के आने के बाद हुआ है, दुगुना कर्जा आप पर हो चुका है । इस बात को आंकड़े स्पष्ट करेंगे कि राजस्थान की जनता के ऊपर

(डा. हरिसिंह)

कर्जा इस सरकार के जमाने में दुगुना हो चुका है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि पेयजल योजनाओं के लिए, पानी उपलब्ध करवाने के लिए, सीधी पाइप लाइन डलवाने के लिए आपके पास पैसा उपलब्ध नहीं है। आप इस बात के संकेत भी देने को तैयार नहीं हैं कि आप कब तक लाइन डलवा देंगे। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, हमारे संवेदनशील पेयजल मंत्रीजी का इस प्रकार का कथन पढ़ कर मुझे बहुत निराशा हुई। आखिर आप किस प्रकार से राजस्थान की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ऐसे धन्यवाद के प्रस्ताव पर समर्थन करना नामुमकिन-सी बात मुझे नजर आती है।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान बिजली के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। पिछले सत्र में बिजली के सम्बन्ध में चर्चा हुई है, आप सब बिराजे हुए थे, इस सरकार ने इस बात का कमिटमेण्ट किया कि हम किसानों के लिए बिजली उपलब्ध करायेंगे लेकिन उसके बाद भी यह हाल है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसानों के लड़कों के लिए, गांव के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भी बिजली शाम को उपलब्ध नहीं होती। शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक कोई भी वर्ग हमारे क्षेत्र के अन्दर, भरतपुर जिले के अन्दर बिजली नहीं जला सकता है। बिजली की अनुपलब्धता इतनी वहां पर आपने कर रखी है। तो इस सरकार के सामने पेयजल की समस्या के सम्बन्ध, जैसा मैंने आपको (समय—समाप्ति—सूचक—घण्टी) निवेदन किया, बेरोजगारी की समस्या के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया, बिजली की उपलब्धता के सम्बन्ध में, श्रीमन्, निवेदन किया कि दशा बिगड़ती जा रही है। इसके अलावा जहां तक सवाल है, श्रीमन्, कानून व्यवस्था की आज यहां चर्चा हो गयी।

इसके अतिरिक्त मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यावरण के संबंध में सरकार का ध्यान बिलकुल भी नहीं गया पर्यावरण समस्या की ओर निश्चित रूप से ध्यान केन्द्रित होना चाहिए परन्तु उस समस्या के ऊपर राजस्थान सरकार आराम से सो रही है, बिलकुल ध्यान नहीं देना चाहती। भरतपुर के अन्दर केवलादेव घना न केवल राज्य धरोहर के बल्कि वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व की एक सम्पत्ति है जो राजस्थान के अन्दर है, जहां पर विश्व के लोग आते हैं। उस केवलादेव घना को बरबाद करने के लिए मैं समझता हूं कि काफी लोग उतारू हो रहे हैं। उसके चारों तरफ पर्यावरण को दूषित करने के लिए मकान बन रहे हैं। यद्यपि मास्टर प्लान के अन्दर वह एरिया आ गया है लेकिन मास्टर प्लान में आने के बाद बगैर मंजूरी के निरन्तर मकान बनते चले जा रहे है, बगैर मंजूरी के निरन्तर छोटी-मोटी फैक्ट्रियां चलती आ रही हैं। उसकी वजह से आपने अखबारों के अन्दर पढ़ा होगा, श्रीमन्, एक भी साइबेरियन चिड़िया केवलादेव घना में नहीं आयी। कितने दुःख की बात है, कितनी शर्म की बात है कि जहां पर सैकड़ों सालों से साइबेरियन चिड़ियां के झुण्ड के झुण्ड आया करते थे उस केवलादेव घना के अन्दर आज एक भी चिड़िया नही है। इसकी वजह यह है कि आपने उस स्थान को दूषित कर दिया

(डा. हरिसिंह)

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

और आज चिड़ियां भी उस प्रदूषण की वजह से वहां आना पसंद नहीं कर रही हैं।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, इस सरकार के सामने यह जो दस्तावेज है यह बहुत ही निराशाजनक दस्तावेज है और मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री समर्थलाल मीणा।

श्री समर्थलाल मीणा (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने सदन में आकर के जो कृपापूर्वक अभिभाषण दिया उस पर श्रीमन् टीकमचन्द जी कान्त ने जो प्रस्ताव रखा उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण के अन्दर राज्य सरकार के नजरिये का, जो आने वाले वर्षों के अन्दर राज्य सरकार हमारे इस प्रदेश के अन्दर काम करने जा रही है उसका एक दृष्टिकोण पेश किया है और दृष्टिकोण पेश करते हुए राजस्थान के अन्दर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सारे विभाग हैं ये सारे विभाग क्या करना चाहते हैं, वह इसके अन्दर सूक्ष्म रूप से दर्शाया है। इस अभिभाषण की अन्तिम पंक्तियों के अन्दर राज्यपाल महोदय ने अथर्ववेद के शब्दों का उल्लेख किया है, हिन्दी का जो उसका अनुवाद है, "मैं आपसे सौहार्द्र, सौमनस्य और अविद्वेष का आह्वान करता हूं। आप पूर्ण स्नेहभाव से एक-दूसरे का सहकार करें।"

मुझे खुशी है, सभापति महोदय, कि जबसे राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण पर इस सदन में खुली बहस हो रही है तब से आज तक मैंने इस अभिभाषण के बारे में, वाद-विवाद के बारे में सुना है, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस अभिभाषण के अन्तर्गत अपनी सहमति प्रकट की है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो प्रतिपक्ष शब्द जुड़ा हुआ है उस उटकाल की वजह से वह शब्दों में इसका पक्ष नहीं कर सके, वैसे हृदय से उन्होंने इस अभिभाषण का सम्मान किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण की क्रियान्विति के अन्दर राज्य सरकार को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, एस. सी., एस. टी. के बारे में। सन् 1952 से वोटों का राज चल रहा है और आज तक सदन के अन्दर चर्चाएं होती रही हैं और उन चर्चाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के बारे में, उनके कल्याणकारी योजना के बारे में राज्य सरकार भी अपना नजरिया साफ करती रही है लेकिन उसके बाद भी कुछ खामियां रह जाती हैं। अनुसूचित जाति, जनजातियों की कितनी जगह खाली पड़ी हुई है, कितने स्थान खाली पड़े हुए हैं उनको भरने के बारे में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। यह जो स्थान खाली रह जाते हैं, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और जो चयन करने वाली संस्थाएं है वह यह कारण लिख करके कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाया इस बजह से स्थान खाली रख देते हैं। मैं समझता हूं कि यह सही बात नहीं है। हमारे राजस्थान

(श्री समर्थलाल मीणा)

के बड़े-बड़े अधिकारी जो उच्च पदों पर बैठे हैं, जो इन जातियों के प्रति संवेदनशील नहीं है वह अपने विवेक के आधार पर यह सारा षड्यन्त्र रचते हैं। इन जातियों को नियुक्ति के अन्दर, पदोन्नति के अन्दर उनके षड्यन्त्र का शिकार होना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस षड्यन्त्र से बचाने के लिए जो खाली जगह पड़ी हुई हैं उनको भरी जानी चाहिए। पदोन्नति के अन्दर जो धांधली चल रही है उसकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पदोन्नति के अन्दर जो पर्सेण्टेज फिक्स है, जो मापदण्ड निर्धारित कर रखे हैं उन मापदण्डों को ओवर रूल करके राज्य सरकार और अधिकारी मापदण्डों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं इस ओर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है।

सभापति महोदय, गांव का विकास होना अब आवश्यक है। आजादी के 47 वर्षों बाद भी गांव विकास करना चाहता है और अब गांव का आदमी इस बेसब्री से ईन्तजार कर रहा है। आजादी के इतने वर्षों बाद बार-बार वोट दे करके नेताओं को विधान सभा, लोक सभा में भेजने के बाद यदि गांव के व्यक्ति को पीने का पानी नहीं मिले, सिंचाई का पानी नहीं मिले, सड़क से उसका गांव जुड़ा हुआ न हो चिकित्सा की उस गांव के अन्दर सुविधा न हो तो इन सब सुविधाओं का वह इन्तजार कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गांव के विकास के लिए यह आवश्यक है कि राजस्थान का जितना भी बजट है, बजट का बाइफरकेशन गांव के हिसाब से, गांव की जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिये, गांव की समस्याओं के हिसाब से होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों के अन्दर सारी व्यवस्था है। और शहरों के अन्दर इस बढ़ती हुई आबादी को यदि हमें रोकना है तो शहरों के अन्दर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को हमें गांवों में देना चाहिये। उन सुविधाओं को यदि हमने गांव के व्यक्ति तक पहुंचा दिया तो शहरों के अन्दर बढ़ती हुई आबादी की समस्या का निराकरण हो जायेगा। लोकतन्त्रीय सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य भी है कि गांव का आदमी जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं का निराकरण आवश्यक रूप से करना चाहिये।

अलवर जिले के अन्दर और राजस्थान के कुछ और जिलों के अन्दर खनन की जो प्राब्लम है पर्यावरण के कारण, वह बड़ी भयंकर होती जा रही है, मैं ऐसा मानता हूं। अलवर जिले के अन्दर करीब 260 खानें हैं जो इस कारण से बन्द पड़ी हैं। राजस्थान की सरकार को इसमें पहल करनी चाहिये। क्योंकि हमारा यह ध्येय है, हमारी इसमें दिलचस्पी है कि हमारे इलाके के आदमी, हमारे गांव के आदमी उन खानों के अन्दर काम करते हैं, मजदूर जो काम करते हैं, आज वह बेरोजगार हो गये हैं और परेशान होकर दर-दर भटक रहे हैं। इसलिए खनन कार्य के लिए कानूनी आधार पर जो भी उचित माध्यम हो सकता है उसके लिए कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार के लिए कारगर कदम उठाना आवश्यक है। साक्षरता के लिए कुछ जिले चुने गये हैं उनमें साक्षरता

(श्री समर्थलाल मीणा)

का कार्यक्रम चल रहा है। प्राइमरी एजूकेशन जैसा कि इस बजट के अन्दर कहा गया कि कक्षा एक से पांच तक के छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें दी जायेंगी और उनकी पढ़ाई के ऊपर जोर दिया जायेगा। इसके अलावा राजगढ़ के अन्दर एक महाविद्यालय सन् 1968 में खुला था आज इतने वर्षों बाद भी वह पी. जी. नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आ गयी, कांग्रेस की सरकार भी कई बार इसके अन्दर आ गयी, वह ट्राइबल एरिया है, इतने वर्षों बाद भी हम उसमें एक कक्षा आगे नहीं बढ़ा सके। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजगढ़ के कालेज में पी. जी. कक्षा खोली जाये क्योंकि उस कालेज के अन्दर आज बारह सौ छात्र पढ़ते हैं जिसमें से आठ सौ छात्र एस. टी. एस. सी. के हैं। इसलिए सरकार का ध्यान इस ओर मैं आकर्षित करना चाहता हूं।

बिजली के मामले में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस समय घोषणा की उसके बाद से यथावत् आठ घण्टे बिजली मिल रही है लेकिन बिजली विभाग में जो लीकेज हैं, उस लीकेज को जब तक नहीं रोका जायेगा तब तक बिजली विभाग के बढ़ते हुए घाटे को हम कम नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस सरकार को लीकेज रोकने के लिए भी ध्यान देना चाहिये।

पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि दो महीने बाद पीने के पानी की समस्या राजस्थान के सब गांवों में आयेगी, निश्चित रूप से आयेगी। अलवर जिले के अन्दर मंत्रीजी ने बाइस हैण्डपम्प मंजूर किये हैं। ग्यारह विधान सभा क्षेत्र हैं। एक विधान सभा क्षेत्र में दो आयेंगे। एक-एक हैण्डपम्प एक गांव में या एक मोहल्ले में लगेगा, अब यह पानी की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर जिले के अन्दर दो पंचायत समिति में यूनिसेफ के जरिये करीब तीन सौ हैण्डपम्प मंजूर हुए, हैण्डपम्प मंजूर हो गये. सामान उनका आ गया, अब वह हैण्डपम्प लग नहीं रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? वह हैण्डपम्प लगने चाहिये जिससे कम से कम दो-चार पंचायत समितियों की समस्या तो हल हो जाये।

इसके अलावा अलवर के अन्दर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, पी. एच. ई. डी. का पद खाली पड़ा हुआ है. मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा उस पद को भरा जाये जिससे कि विभाग के जरिये जो योजनाएं हैं वह अच्छी प्रकार से लागू हो सकें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री दयाराम परमार।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने 23 तारीख को इस विधान सभा में जो अभिभाषण पढ़ा, उसके लिए सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभिभाषण में मुख्य रूप से सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों का समावेश होता है। मैंने इस अभिभाषण को पढ़ा है

(श्री दयाराम परमार)

और सरकार ने जिन कार्यक्रमों की ओर सकेंत किया है उसको समझने की कोशिश भी की है। मैं ट्राइबल एरिया से आता हूं और इसके अन्दर सरकार ट्राइबल एरिया के लिए क्या करना चाहती है, ट्राइबल्स के लिए क्या करना चाहती है? इसको भी मैंने समझने की कोशिश की है।

अभिभाषण में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए बात कही गयी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब 1990 में मुख्य मंत्री बने थे, बनने के बाद इस सदन में भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए बड़े जोर-शोर से बात कही थी और एक बार तो वे यहां तक कह गये कि मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो कुर्सी को भी लात मार दूंगा लेकिन भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा। इसके लिए कुछ कदम उठाये हैं जैसा कि अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है और जहां कहीं मुख्य मंत्रीजी भाषण देते हैं वहां सुनने को मिलता है। अन्वेषण ब्यूरो को मजबूत किया हो, सुदृढ़ किया हो और यहां जयपुर और आसपास के बड़े शहरों में किन्हीं अधिकारियों के यहां छापे डलवाये हों और कुछ न कुछ किया हो, इसमें मैं मना नहीं करना चाहता हूं। इस भ्रष्टाचार के रोग से सबसे ज्यादा पीड़ित ट्राइबल एरिया के रहने वाले लोग हैं। ट्राइबल्स जो अनपढ़ हैं, ना समझ हैं, गरीब हैं, आज सरकार की जो कोई स्कीम चल रही है चाहे वह इंदिरा आवास योजना हो, चाहे जीवन धारा योजना हो, किसी तरह से व्यक्तिगत रूप से बेनिफिट मिलने वाली जो योजनाएं चल रही हैं आपका वहां बैठा हुआ कर्मचारी, पंचायत में बैठा हुआ जे.ई.एन., पंचायत में बैठा हुआ सचिव, इंदिरा आवास के अन्तर्गत कोई आदमी उसको पैसा देने के लिए कहता है तो एक हजार रुपया वह उसकी जेब से निकलवाता है। एक हजार रुपया देने के बाद उसका सलेक्शन होता है। उसका नाम प्रस्तावित करके कलक्टर की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जिस आदमी को मकान बनाने की जरूरत है और वह इतना गरीब है, उसके पास हजार रुपये नहीं है तो वह आदमी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है और अगर कोई आदमी ऐसा आ जाये कि हजार के अलावा पांच सौ और ज्यादा देने को तैयार हो तो दूसरे का नाम काट कर उसका कर दिया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत ट्राइबल एरिया में किसी भी भी पंचायत समिति में किसी भी जिले में जहां काम हो रहा है कोई भी ऐसा नहीं है जिससे पैसा नहीं लिया जाता है। इसी तरह से जीवन धारा में कुएं को खुदवाने के लिए मंजूरी लेने से पहले दो हजार रुपये उसको ओवरसियर को, उस सचिव को देने पड़ेंगे तब जाकर के कुएं को मंजूर करने के लिए लिस्ट में नाम लिखकर कलक्टर की स्वीकृति के लिए भेजेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी शिकायत हम कहां करने जायें? यह अन्वेषण ब्यूरो को करने जायें? हमारा गरीब आदमी यहां नहीं आ सकता। माननीय मुख्य मंत्रीजी की नीयत खराब है, यह मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन वह भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं इसके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हम शिकायत किसको करने जायें? मैंने कलक्टर को शिकायत की, कलक्टर कहता है आप टेप करवा दो। अब टेप करवाने के लिए मैं किसके पास जाऊं?

(श्री दयाराम परमार)

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास उनके अधिकारी से मिलूं और ट्रेप कराऊं। ट्रेप करने के लिए पैसे देने वाला नहीं मिला, नहीं होगा। कितनी बड़ी परेशानी की बात है। आज की तारीख में भ्रष्टाचार के लिए बहुत अच्छा और ज्यादा उनको अवसर मिल गया। उसमें यह हो रहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी आदमी से पैसा लेता है वह आदमी किसी ऊपर के अधिकारी को कह देता है चाहे विकास अधिकारी बैठा हो, चाहे तहसीलदार बैठा हो चाहे कलक्टर बैठा हो, उनको जाकर शिकायत कर देता है कि यह आदमी गड़बड़ी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है इनको रोकना है और इसके खिलाफ जांच करनी है, इस आदमी से इतना रुपया ले लिया तो वह अधिकारी, कर्मचारी जिसने पैसा लिया है, उसने बहुत शार्ट कट रास्ता पकड़ रखा है, वह बी. जे. पी. के किसी कार्यकर्त्ता के पास चला जायेगा और कहेगा कि वह अधिकारी मेरे खिलाफ जांच कर रहा है और यह है कांग्रेस से सम्बन्धित, तो आपके यहां पर फौरन कार्यवाही हो जायेगी उस अधिकारी का ट्रान्सफर। ऐसे दो अधिकारी मेरे खेरवाड़ा में एक आर. ए. एस., और एक बी. डी. ओ. है। एक सचिव ने सोलह आदमियों के फर्जी नाम पर बैल खरीदे, उससे मिलने वाला पैसा ले लिया और पैसा लेकर घर बैठ गया, उसकी शिकायत हुई, और कलक्टर ने उसको जांच करने के लिए भेजा, जांच करने के बाद में उस सचिव को सस्पेण्ड कर दिया, हमारे कुछ मित्र आये, इन्होंने कहा कि विकास अधिकारी ने हमारे सचिव को सस्पेण्ड कर दिया और यह कांग्रेस से सम्बन्धित है, तो उसका ट्रांसफर हो गया। ऐसी घटना सराड़ा में भी हुई। एक सचिव ने रुपये लिया। बी. डी. ओ. ने पैसे वापस उस आसामी को दिलवाये तो उसके खिलाफ ऐसी की ऐसी कार्यवाही होती चली गयी। इसलिए, माननीय सभापतिजी, सरकार से और माननीय शेखावत साहब, जो मुख्य मंत्री हैं, से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस गरीब के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है और गरीब जो भ्रष्टाचार पीड़ित है उसके लिए कदम उठायें तो निश्चित रूप से आपका कोई फायदा हो सकता है, नहीं तो यह भ्रष्टाचार की कहानी और ये भाषण यहीं तक विधान सभा के अन्दर रह जायेंगे, अखबारों तक ही सीमित रह जायेंगे, यह मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण के अन्दर बिजली की बात भी कही गयी है और उसके अन्दर यह कहा गया है कि राजस्थान के अन्दर बिजली कम है, कम उत्पन्न होती है इसलिए सब लोगों को नहीं मिलती है। बिजली कम मिलती है, ज्यादा मिलती है उसको सरकार को बढ़ाना है, यह सरकार का काम है, सरकार करती रहे लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हमारे ट्राइबल एरिया में रहने वाले 80% ट्राइबल हैं जो अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे में पैदा हो रहे हैं और अंधेरे में ही इस सृष्टि से रवाना हो जाते हैं। इतने वर्ष हो जाने के बाद में 80% लोगों को बिजली नहीं मिली। सरकार ने क्या किया उन लोगों के लिये? इसलिए मैं चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि सरकार को बिजली कम मिलती है तो वह कहां से उत्पन्न करे, कहां से पैदा करे, यह आप सामना देखती रहे। अगर उन 80%

(श्री दयाराम परमार)

आदिवासियों को आपने उजाले में लाने की कोशिश नहीं की तो आपके यह जगमगाते शहर चाहे वह उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कोटा हो, उनकी शान नहीं होगी। जब तक वह गरीब आदमी अंधेरे में पैदा होगा और अंधेरे में जिन्दा रहेगा तब तक इन शहरों की शान नहीं बढेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसे गरीब लोगों को और ट्राइबल एरिया में बिजली ले जाने के लिए प्राथमिकता दे। आज बिजली ट्राइबल एरिया के गांव में पहुंचती है तो आदिवासी को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन नहीं मिलता है, दूसरे लोगों को जैसे-तैसे कनेक्शन मिल जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि आदिवासियों को कनेक्शन देने के लिए प्राथमिकता तय करे। अगर आपने प्राथमिकता तय नहीं की तो वह जिन्दगी भर अंधेरे में ही रहेंगे। यह मुझे आपको बिजली के बारे में निवेदन करना था।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर शिक्षा की बात का भी जिक्र किया गया है। सरकार ने इस अभिभाषण में यह भी कहा है कि हम दो सौ और डेढ सौ की बस्ती वाले सभी गांवों में स्कूल खोल देंगे। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। ट्राइबल एरिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या सौ से नीचे है। सौ से नीचे है और हमारी सरकार का यह भी कार्यक्रम है कि जनसंख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। अब वह सौ की आबादी वाले गांव में, सौ से नीचे आबादी वाले गांव में जिसके घर से दस किलोमीटर की दूरी पर स्कूल खड़ा है उसका बच्चा कहां बढेगा और कब पढेगा यह हमें और हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार से कि ट्राइबल एरिया में स्कूल खोलने का इस तरह का क्राइटेरिया, मापदंण्ड हमको छोड़ना पड़ेगा। जो भी गांव स्वतन्त्र रूप से स्वतन्त्र गांव हैं चाहे उसकी आबादी डेढ़ सौ है, ढाई सौ है, चाहे अस्सी है, चाहे सत्तर है, उसमें स्कूल खोलना पड़ेगा और यदि स्कूल नहीं खोला तो दस किलोमीटर दूर घर से स्कूल है, उसका बच्चा पढ़ नहीं सकेगा और नहीं पढ़ सकेगा तो वह हमेशा प्रदेश के विकास में भागीदार नहीं बन सकता है। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि जो मापदण्ड बनाया है इसको और जगह लागू रखें लेकिन ट्राइबल एरिया में इस मापदण्ड को लागू न रखें, यह मैं प्रार्थना करना चाहता था।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग के बारे में भी इस अभिभाषण में कुछ कहा गया है। सरकार ने इस अभिभाषण में यह कहा है कि पिछले दो-तीन साल से प्रदेश में उद्योग के लिए वातावरण बन रहा है। वातावरण बन रहा होगा और उद्योग धंधे भी लग रहे होंगे लेकिन मुझे निवेदन यह करना है कि जब तब उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए ट्राइबल एरिया के लिए नहीं कहा जायेगा तब तक ट्राइबल एरिया में रहने वाले आदमी को धन्धा नहीं मिलेगा,

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

तब तक वह अत्यन्त गरीब रहेगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो भी उद्योग धन्धे लगायें, सरकार उनको ट्राइबल एरिया में उद्योग लगाने के लिए कहे तो सरकार की मेहरबानी होगी और हमारे लोगों को धन्धा मिलेगा। धन्धा मिलेगा तो

(श्री दयाराम परमार)

पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जायेगा, यह मुझे उद्योगों के बारे में निवेदन करना था।

माननीय सभापति महोदय, खनिज के बारे में भी कुछ बातें यहां कही गयी हैं और उसके अन्दर यह भी कहा गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण के कानून के कारण खनिजों के खनन में दिक्कतें आ रही हैं। वहां फाइलें पैण्डिग पड़ी हुई हैं। उसकी स्वीकृति नहीं मिलती है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमें फारेस्ट और फारेस्ट लैण्ड में अन्तर करना पड़ेगा। हम फारेस्ट लैण्ड को भी फारेस्ट कह रहे हैं और फारेस्ट को भी फारेस्ट कह रहे हैं। अगर हमने फारेस्ट लैण्ड को माना कि यहां फारेस्ट लैण्ड है वहां एक भी पेड़ जिन्दा नहीं है और केवल पत्थर खड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से वहां माइन्स के लिए खोदना चाहिए। जो हमें वहां से पत्थर मिलता है जो भी उसका उपयोग हो सकता है उसके लिए हमें वहां खनन करना चाहिए। इसके लिए हमें भारत सरकार को भी समझाना चाहिए कि हमें फारेस्ट लैण्ड और फोरेस्ट में अन्तर करना पड़ेगा। अब फोरेस्ट का नाम आ गया तो वहां एक पेड़ खड़ा है तो उसको भी फोरेस्ट के अन्दर माना जा रहा है और जहां पर सैकड़ों पेड़ खड़े हैं उसको भी फोरेस्ट के अन्दर माना जा रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि राजस्थान सरकार, भारत सरकार को भी समझायें कि फोरेस्ट लैण्ड और फोरेस्ट, दोनों में अन्तर करके जहां फोरेस्ट में पेड़ खड़े नहीं हैं वहां पर खनन करने के लिए स्वीकृति प्रदान करे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

और प्रदेश के लोगों को धन्धा देकर के प्रदेश को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनिट और लेना चाहता हूं। मैं कभी बोलता भी नहीं हूं। आप दो मिनिट और और दे देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। माननीय सभापति महोदय, सड़कों का जहां तक सवाल है, इस अभिभाषण के अन्दर कहा गया है कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों में कम्पेरिजन में पीछे है। राजस्थान पीछे हो सकता है, इसको मैं मना नहीं करना चाहता लेकिन प्रदेश के अन्दर जो सड़कें बनी हैं उसके अलावा ट्राइबल एरिया में कहीं सड़क है ही नहीं। आज 3-3 हजार, 4-4 हजार की आबादी वाले गांवों में सड़कें नहीं हैं। एक आदमी को आज की तारीख में 30 किलोमीटर तक पैदल आना पड़ता है। पंचायत समिति काम करवाने के लिए आना है तो 30 किलोमीटर तक पैदल चल कर के आयेगा। तो, माननीय सभापति महोदय, वहां कौन सरकारी अध्यापक जायेगा, कौन वहां सरकारी कर्मचारी जायेगा और उस गांव की तकलीफों को दूर करने के लिए उन लोगों का सहयोग करेगा। सभापति महोदय, ट्राइबल एरिया में जो ट्राइबल सब प्लान है उसके अन्दर कुछ नहीं है, यह तो एक थोथी बकवास है, जिसको अभी डिस्कस करने का समय नहीं। मैं तो अभिभाषण पर निवेदन कर रहा हूं कि यह ध्यान में रहे कि ट्राइबल एरिया में जितनी ज्यादा सड़कें बनेंगी उतना ही ट्राइबल एरिया का ज्यादा विकास होगा, ट्राइबल का विकास होगा।

(श्री दयाराम परमार)

माननीय सभापति महोदय, यहां पर अकाल राहत की बात भी सरकार ने कही है। सरकार ने कहा कि हमने एक तारीख से अकाल राहत के कार्य शुरू कर दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में 10 तहसीलें हैं और दस हजार लेबर की सीलिंग है। एक तहसील को एक हजार लेबर मिलेगी। मेरे यहां मेरी तहसील में चालीस हजार परिवार हैं। चालीस हजार में से मैंने मान लिया कि दस हजार, पन्द्रह हजार परिवार ऐसे हैं जिनको काम की जरूरत नहीं है, नौकरी है, और जाति के लोग हैं, सब हैं। पच्चीस हजार परिवारों को काम चाहिए। पच्चीस हजार की जगह एक हजार आदमी काम पर लगा रखे हैं और हमने बड़े जोर-शोर से कह दिया कि हमने अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये हैं। अब हो क्या रहा है वहां पर? सभापति महोदय, आपस में लोग लड़ रहे हैं और झगड़े हो रहे हैं, टण्टे हो रहे हैं। एक कहता है मेरे को काम कराओ, दूसरा कहता है मेरे को काम कराओ। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उसकी लेबर सीलिंग बढ़ाये और अगर लेबर हम बढ़ाने में असमर्थ हैं तो जो काम चलाये हैं उसको ही बन्द कर दें ताकि जिस तरह से जिन्दा रहना हो, जिन्दे रह जायेंगे, मर जायेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, प्रदेश की जनसंख्या बहुत है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त यही करना चाहता हूं कि अगर लेबर सीलिंग वहां बढ़ानी है तो जल्दी से बढ़ा दें ताकि लोग आपस में लड़ें नहीं, झगड़ें नहीं और रोटेशन से काम मिले। 20 हजार, 25 हजार लेबर की जगह है, वहां 12 हजार लेबर हो जायें तो रोटेशन से पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक काम पर लगता रहे। सरकार को चाहिए कि जितनी लेबर की जल्दी जरूरत हो उसको बढ़ाये ताकि लोगों को शांति प्राप्त हो।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आखिर में एक निवेदन और करना है। माननीय शेखावत साहब ने इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय से कहलवाया है कि हमारी वार्षिक योजनाएं, हम इतनी बड़ी करते हैं, पिछले कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ और अभी वाली 44% बड़ी है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 1985 में इस विधान सभा में आया था उस 5 साल के दौरान कांग्रेस के राज में 4 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खुले, 5 सैकण्डरी स्कूल खुले, 30 प्राइमरी स्कूल खुले और 5 मिडिल स्कूल खुले। शेखावत साहब के 28 महीने के राज के दौरान क्या स्थिति है, निवेदन करना चाहता हूं। एक मिडिल स्कूल, एक सैकण्डरी स्कूल, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। कांग्रेस के जमाने में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उस समय खोले गये थे। अब आपकी योजना का आकार बढ़ा वह, कहां विकास कर रहा है यह मेरी समझ से परे है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से कि वह आंकड़ों के जाल में नहीं फंसाये। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान है, योजना चाहे कितनी भी बड़ी बनाई जाये लेकिन मौके पर काम नहीं होता है तो आपकी योजनाओं का कोई महत्व नहीं रहता है।

(श्री दयाराम परमार)

अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री समापति : श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : सम्माननीय समापति महोदय, इस पवित्र सदन में 23 तारीख को राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय ने परम्पराओं के अनुसार जो अपना अभिभाषण पढ़ा और सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने उस पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसी कड़ी में मैं भी पुरजोर शब्दों में अपना समर्थन करता हूं। आज राजस्थान में सौभाग्य से तीन बार जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता के लाडले नेता और राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश की नब्ज जानने वाले माननीय भैरोंसिंहजी का हमको नेतृत्व मिला। उन्होंने इस प्रदेश की उन समस्याओं को छुआ और उनके समाधान का प्रयास किया और विभिन्न लोगों का सहयोग लिया। राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश और विदेशों तक में इसकी चर्चा है। अन्त्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना, जैसा सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यह सरकार अनुसूचित जाति के हित की बात करती है, गांव के किसान और मजदूर की बात करती है, "काम के बदले अनाज योजना" में गांवों में अगर कोई मजदूरी के लिए गया तो वह मेरा अनुसूचित जाति का भाई गया। उनको घर बैठे रोजगार मिला और सीधा क्षेत्र का विकास हुआ। राजस्थान के इस लम्बे कालखण्ड में हर गांव में अगर कहीं सेलाब मिलेगा तो मिलेगा 1977 की जनता सरकार का और उसके बाद के कालखण्ड में कहीं कोई देखने को मिला तो इस पवित्र सदन में जो माननीय सदस्य बैठते हैं वह सब जानते हैं अभी 1990 में जब पुनः भैरोंसिंहजी की सरकार बनी तो एक कार्यक्रम बना और सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 3 हजार करोड़ की थी, सम्पूर्ण देश में राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने किस तरह से साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की योजना बनाकर स्वीकृति दिला कर राजस्थान के विकास की योजना बनाई। यह उसकी एक बानगी है। यहां राज्यपाल महोदय का शासन था 1993-94 में, उसके वित्तीय वर्ष में 1704 करोड़ की योजना थी और अभी जो भावी बजट पेश होने जा रहा है उसकी योजना 3450 करोड़ की है। यह इस बात के जीते जागते सबूत हैं कि हम इस प्रदेश के विकास के लिए कितने कटिबद्ध हैं, इस प्रदेश की समस्याओं के लिए और जनता के हित के लिए किस तरह से हम अपनी योजनाएं बनाकर उन योजनाओं को क्रियान्विति कर रहे हैं। गांवों के किसान का बारानी लगान माफ करना, कर्जे माफ करना और उसी तरह से जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है, जो हम 60 प्रतिशत गांवों में विकास की बात करते हैं, बजट का 60 प्रतिशत गांवों में खर्च करने की बात करते हैं, इससे साफ जाहिर होता है। विशेष करके कृषि के विभाग में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 203,41 करोड़ की थी और आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में 1286,92 करोड़ की योजना है। यह इस बात का द्योतक है कि

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

गांवों के विकास के लिए हमने जो 60 प्रतिशत की नीति तय की है वह किस तरह से खर्च करके किसानों और गांवों की बहबूदी की बात करते हैं। यह उसका जीता-जागता नमूना है।

सिंचाई योजनाओं का बहुत अभाव है। यह राज्यपाल महोदय ने अभी पिछले सत्र में जो अभिभाषण दिया उसमें बताया था कि 12 लघु सिंचाई योजनाएं हैं और जर्मनी की आर्थिक सहायता से प्लानिंग बन रही है और उसका गांवों में सिंचाई के माध्यम से किसानों को लाभ होगा। इस तरह की योजनायें बनाई जा रही हैं।

मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहकर आज तीसरे दिन इस पवित्र सदन में अभिभाषण पर बहस हो रही है और बड़े-बड़े विद्वानों और अनुभवी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, संक्षिप्त में अपनी बात करते हुए निवेदन करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है। राजस्थान गांवों में बसता है, राजस्थान ढाणियों में बसता है। तो हमारी सरकार ने इस क्रम में किस तरह से 250 और 150 की आबादी के गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की एक महती योजना बनाई है जिससे शिक्षा का प्रसार गांव-गांव और ढाणी-ढाणी होगा। पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराना यह इस बात का एक जीता-जागता सबूत है कि हम चाहते हैं कि राजस्थान प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ायें। यह इस बात का द्योतक है कि हम किस तरह से मूलभूत बातों को छूते हैं और उसी के आधार पर राजस्थान को आगे बढ़ाये जाने की योजनायें बनाई जा रही हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र में तत्कालीन चिकित्सा मंत्री माननीय श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी ने ग्रामीण और शहरों की चिकित्सा व्यवस्था में अलग-अलग अधिकारी बनाये और उनको अलग-अलग अधिकार दिये गये उनको अलग अलग क्षेत्र बांटे गये और इस तरह से हर क्षेत्र में शिक्षा को और चिकित्सा को जनता के हित में कारगर बनाने के लिए विभाग को सक्रिय किया, उसका कार्य विभाजन किया, यह है जीता जागता नमूना कि हम किस तरह से मूलभूत बातों को छूकरके और उसमें सुधार करके, उसको एक्टिव करके यह चाहते हैं कि सबको चिकित्सा सुविधा मिले।

सड़कों की बात करें। योजना आयोग के तहत 1500 की आबादी के गांव सन् 1971 की आबादी के अनुसार, सन् 1985 में जुड़ने चाहिए थे। सन् 1985 में इस सदन में राजस्थान की सरकार में श्री हरिदेव जी जोशी शिवचरण जी माथुर राजस्थान के मुख्य मंत्री थे और 1990 तक भी उनको उन सड़कों से नहीं जोड़ा गया जो योजना आयोग के तहत स्वीकृत थीं। हमने उनको छुआ। पिछली कमी पूर्ति जो आप लोगों द्वारा नहीं की गयी थी, जो सरकार की योजना थी उसको क्रियान्विति नहीं की गयी थी, माननीय ललितकिशोरजी चतुर्वेदी ने उस बात को छुआ और 1500 की आबादी वालों को उन सड़कों से जोड़ दिया उसके बाद में 1000 की आबादी के गांव

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

में विश्व बैंक से विशेष पैसा लाकर उन सड़कों का करवाया और पिछली योजना जो 100 करोड़ की थी इस पैसे को 300 करोड़ करवाया और वह दिन दूर नहीं जब 1000 की आबादी के गांव जुड़ेंगे और सम्पर्क सड़कों का विकास होगा। यह हमारी रीति नीति है।

कृषि मण्डी के माध्यम से भी सड़कें बनाई जाती हैं। अभी रीति नीति बनी कि जितना भी मण्डी टैक्स का पैसा आयेगा उसका 60 प्रतिशत पैसा केवल मात्र सड़कों के लिए ही खर्च किया जायेगा और जितने भी प्रशासनिक खर्चे हैं उनमें कटौती की जाये और बाकी किसानों के लिए 60 प्रतिशत पैसा सड़कों में खर्च किया जाये। यह हमारे हित की बात है।

हम बहुत न्याय प्रक्रिया की बात करते हैं। आज ला एण्ड आर्डर का मामला आया अदालतों की बात कही। हम सस्ते न्याय की बात के समर्थक हैं और मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन न्याय मंत्री महोदय श्री चपलोत साहब को कि इन्होंने 20 वर्षों से और 15 वर्षों से जो कोर्ट्स नहीं खोली गयी थीं, तहसील स्तर पर कोर्ट्स खोली और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की उस कड़ी में राजस्थान में एक कार्यक्रम चालू किया ताकि तहसील के बाहर लोगों को नहीं जाना पड़े। इस तरह के कार्यक्रम हम हाथ में लेने जा रहे हैं। विकास की बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही, मैं तो यह चाहूंगा कि कुछ प्रशासनिक सुधार हो। पैसा हम ला रहे हैं। हमारी रीति-नीति जनता की सेवा करने की है। हमारी रीति नीति गांव के और किसानों के और मजदूरों के हित की है और उनकी सेवा करने की है। मैं विनम्र शब्दों में माननीय मुख्य मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार के मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने स्टाफ को एक्टिव कीजिए। पैसा आप मंजूर करते हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार आयी, नगर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने स्कूल जे. आर. वाई. और अकाल राहत कार्य के तहत बनवाये, अधिकारी कोई मौके पर जाता नहीं है, दूसरों के हाथ में पैसा दे दिया गया और उसमें से आज 5 स्कूल भी बनकर तैयार नहीं हुए। हमारी इन समस्याओं को हमने छुआ और समस्याओं के समाधान के लिए पैसा मंजूर किया गया। ऐसे अधिकारी आज नहीं हैं जो सच्ची लगन से काम करें। उनको लगान देने की जरूरत है। उनको एक्टिव करने की जरूरत है।

कृषि के बारे में थोड़ा निवेदन करूंगा, कृषि के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था, सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाला क्षेत्र केशवरायपाटन का मैं प्रतिनिधित्व करने को यहां आता हूं। मेरे यहां सड़कें नहीं हैं। कोटा में सारा अनाज जाता है। एक करोड़ रुपया हम टैक्स के रूप में कोटा की मण्डी में जमा कराते हैं। मैंने मेहनत करके और अधिकारियों से कहकर कर्जा लिया कृषि मण्डी के माथे और उस कर्जे के रूप में हमारे यहां से स्वीकृति हुई जनवरी 1993 में और अभी में जब वहां गया तो अधिकारी बैठे हैं श्री महेन्द्रसिंह जी कृषि मण्डी में, वह बात करना पसन्द नहीं करते। मैंने कहा तो

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, यह तो सैक्रेटरी प्रस्ताव भेजेगा। मैंने कहा, अधिकारी जी, आपके प्रस्ताव में कराकर ले आया हूं, मुझे स्वीकृति मिल गयी है लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। दीवार की बात सामने आयी तो मैंने कहा कि आपको बताना पड़ेगा आप उसके लिए जिम्मेदार हैं तब जाकर फाइल निकाली। तो इस तरह से निकम्मे अधिकारी दफ्तरों में बैठकर काम करेंगे तो किस तरह से जनता की समस्याओं का समाधान होगा। तो मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगायी जाये। जनहित के स्वीकृत शुदा काम सैक्रेटेरिएट में पड़े हैं, ऐसे सैक्रेटेरिएट की फाइलों में अगर कागज पड़े रहेंगे तो कैसे जनता के विकास की बात की जा सकती है।

सिंचित क्षेत्र विकास की बात करें। सिंचित क्षेत्र विकास के बारे में अभी मैंने 295 का नोटिस दिया था। मुझे 25 तारीख को जवाब मिला है, कोई जमीन बरबाद नहीं हो रही है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, मैं परसों ही खेतों में जाकर आया हूं और वहां के ये फोटो भी लेकर आया हूं, खेत जलमग्न हैं, पानी भरा पड़ा है। अक्टूबर से टोलियां भर-भरकर किसान जा रहे हैं। कलक्टर कमिश्नर को लिख रहा है, कमिश्नर अधिकारी को लिख रहा है और विधान सभा के पवित्र सदन में ऐसे जवाब दिये जा रहे हैं कि कोई जमीन बरबाद नहीं हो रही है। ये इसके जीते-जागते नमूने मैं सदन पटल पर रखने की इजाजत चाहूंगा। आज हजारों हेक्टेयर जमीन पानी में डूबी हुई है। मेरे देश के अन्नदाता चम्बल कमाण्ड एरिया के किसान की, रामनारायण जी भी बोलना चाह रहे थे मैं भी बोलना चाह रहा था, समय नहीं दिया गया, केवल एक पानी से करोड़ों रुपये की फसल सूख रही है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को पाबन्द किया जाये, उनको एक्टिव किया जाये। बैठे पड़े मजे कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसी तरह से मैं पेयजल की बात करूंगा। वहां से एस्टीमेट बनकर आते हैं यहां आने पर कहते हैं, यह सब गलत हो गया। सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने भी गत वर्ष यह बात कही थी कि अधिकारी ट्रायल ले रहे हैं, टेक्निकल इंजीनियर है कि कोई तमाशा है यह? ट्रायल ले रहे हैं कि कोई समाधान कर रहे हैं? तो इनको भी पाबन्द किया जाये।

रोडवेज की बात। राजस्थान में जब से हमारी सरकार आयी है, रोडवेज घाटे में चल रही थी आज फायदे में आयी है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए कृपया।

श्री मांगीलाल मेघवाल : वहां अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यातायात मंत्री महोदय को, मैं आकर मिला, इन्होंने हाथोंहाथ टेलीफोन करके डिपो मैनेजर को कहा कि जो व्यवस्थाएं आपको दी जाती हैं उससे करो। तब जाकर समाधान हुआ। अधिकारियों को पाबन्द

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

करने वाले ऐसे मिनिस्टर्स चाहिए । मैं मांग करूंगा कि इस तरह के अधिकारी लोग क्षेत्र में जायें 15 दिन में कम से कम एक तहसील का दौरा करें, महीने में दो दौरे किये जायें । मालूम ही नहीं पड़ता है । कि अजी साहब, कल एस ई. साहब आये थे । क्या चाटें क्या एस. ई. साहब के दौरे को ? जो व्यापारियों से दलाली लेने आते हैं । जनता के बीच में आयें, जन प्रतिनिधि को अपने ट्यूर प्रोग्राम की कापी दें ताकि हम लोग भी जनता के बीच आकर उनसे मिल सकें । इसलिए उनका 15 दिन में दौरा तय किया जाये । साल में एक बार....

श्री सभापति : कृपा समाप्त कीजिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : थानों में जनता दरबार लगाने की योजना बनायी जाये । मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । राजस्थान में इस तरह की योजनाएं बनायी जाये । जैसी मैं बना रहा हूं । मुझे सहयोग किया जाये । मैं सब अधिकारियों के ट्रेनिंग कैम्प लगा लगाकर उनके साथ बैठकर योजना बनाता हूं । राजस्थान में इस तरह की स्कीम बनायी जायें और अधिकारियों को पाबन्द किया जाये ताकि हम लोग जो बजट का पैसा खर्च करें उसका उपयोग हो ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय; आज अभिभाषण पर बहस हो रही है हमारे सामने जो माननीय सदस्य बैठे हैं वे लगातार तारीफ करते चले आ रहे हैं । बड़े दुःख की बात है कि आप हकीकत को हकीकत नहीं कह सकते । सच्चाई को छुपा रहे हो ।.... (व्यवधान).... माननीय घनश्याम जी, आप बैठे हो, मैं तो आपको ही सुना दूंगा, इसमें ही पूर्ति मान लूंगा । भविष्य में मंत्री होने जा रहे हो ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : हम तो आपकी भी तारीफ कर देंगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है वास्तव में सत्यता उसके अन्दर बहुत कम है । कुछ कम है । कुछ बातें जरूर उन्होंने सही कही थी शुरूआत में, जो मैंने पिछली बार भी कही थी । देश के अन्दर आन, बान और शान वाली बात जो कही है वास्तव में सही है, राजस्थान की आन, बान और शान हमेशा ऊंची रही है । लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने कहा है कि हमारे यहां की सारी समस्याएं हल हो गयीं, भ्रष्टाचार मिट गया, राजस्थान के अन्दर अब भ्रष्टाचार नहीं है. संवेदनशील सरकार आ गयी है, ईमानदार मंत्री आकर बैठ गये हैं । सामने ही बैठे हैं हमारे सहकारिता मंत्रीजी, ईमानदारी की बात जब आती है, यह अखबार सामने रखा हुआ है, आपने स्वयं इस अखबार में यह माना है कि इस विभाग में तो घोटाला ही घोटाला और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ है ही नहीं । मंत्री महोदय बिराजमान है, आप स्वयं ने कहा है । यह अखबार है, आपका फोटो छपा है । यह देख

(श्री रामस्वरूप मीणा)

लो, लम्बा-चौड़ा। इसमें आपने यह कहा है कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार है। बहुत सही बात आपने कही है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होते तब तो यह सच नहीं कह सकते। लेकिन धन्यवाद है आपको, आप निर्दलीय हो। कांग्रेस की विचारधारा से मिलती-जुलती आपकी विचारधारा है इसलिए आप शेर हो कि आपने सही बात को कहा कि राजस्थान की सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह नमूना मैंने आपका दिया है।

दूसरे हमारे माननीय यातायात मंत्री जी पधार गये। माननीय यातायात मंत्रीजी बिराजमान हैं, उनका भी इसी अखबार में आया है जोड़े के साथ। दोनों मंत्रियों के जोड़े के साथ फोटो आये हैं इस अखबार के अन्दर। यातायात मंत्रीजी ने कहा है, यातायात चौकियों में हर महीने एक करोड़ रुपये की घूस वसूल की जाती है। यह फोटो आपका है। यह हालत है इस राजस्थान सरकार की। एक ही दिन में दो विभागों के भ्रष्टाचार के नमूने स्वयं मंत्रियों के मुंह से कहे गये हैं। यह हालत है, अभिभाषण पर क्या बहस होगी? सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है राजस्थान सरकार के अन्दर। आप पहले इस भ्रष्टाचार को मिटाइये। सदन में कसम खायी है आपने इस बात की कि हम सेवा करेंगे। क्या यही सेवा करोगे आप? भ्रष्टाचार को बढ़ाओगे? इसलिए मेरा पहला निवेदन है कि यह सरकार जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आयी है, भ्रष्टाचार को मिटाये।

और तीसरे मंत्री महोदय सामने देख रहे हैं, उनका भी मैं बता दूं प्रमाण, मेरे पास यह रहा। अखबार भरा है आपके भ्रष्टाचार से भी। हमारे जनदाय और स्वायत्त शासन मंत्रीजी बिराजमान हैं सामने ही, आपका भी भ्रष्टाचार का नमूना बता देता हूं। यह अखबार है देख लो, मेरे मुंह से वैसे ही बातें नहीं कह रहा हूं। सुनो। सवाईमाधोपुर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी यहां पर फर्जी नल कनेक्शनों का मामला पकड़ में आता है तो मोटर रीवाइंडिंग, पाइप लाइन बदलने के फर्जी मस्टर रोल लगाने व फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर वेतन भुगतान के मामले पकड़े जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा जो मोटरें रीवाइण्ड करायी जाती रही हैं उनका फर्जी भुगतान विभाग द्वारा कर दिया जाता है जबकि मोटरें बंधती ही नहीं हैं सिर्फ बिल बनाये जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मोटरें सही हैं लेकिन उनको खराब दिखा दिया जाता है। आप इसकी जांच करालें। फिर आगे लिखा है कि नियमानुसार यदि मोटरें बंधती हैं या पम्प रिपेयर होते हैं तो उसका रिलीज्ड मैटीरियल विभाग की किताबों में दर्ज होना पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इन मामलों में विभाग के फिटर, स्टोर कीपर, कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता लिप्त पाये गये हैं। विभाग में जहां-जहां पाइप लाइनें बदली गयी हैं और नये पाइप स्वीकृत किये गये हैं वे भी फर्जी हैं। क्योंकि पाइप लाइन बदली जाती तो रिलीज्ड पाइप विभाग की किताबों और स्टोर में जमा होते। इसी तरह विभाग द्वारा बनाये

(श्री रामस्वरूप मीणा)

नदी से आ रही पाइप लाइन की देखरेख के लिए...

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : अखबार पढ़ने की परमिशन नहीं होती है। अखबार पढ़ने की कोई परमिशन होती है क्या ? ये सारे कांग्रेस राज में हुए हैं घोटाले।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप तसल्ली रखिये, आप मंत्री नहीं हो।....(व्यवधान) ....मैं आपकी हिमायत कर रहा हूं, भ्रष्टाचार के बारे में निवेदन कर रहा हूं। आप मंत्री बन जायें तब बोलना वहाँ से।........ (व्यवधान)

इसी तरह विभाग द्वारा बनास नदी से आ रही पाइप लाइन की देखरेख के लिए काफी समय से मस्टररोल पर लेकर लगाये जा रहे हैं जब कि सरकार के आदेश नहीं हैं।....(व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : भ्रष्टचार के जो आरोप मंत्री महोदय, पर लगा रहे हैं यह गलत हैं। ये उन सारी परिस्थितियों को बता रहे हैं जो प्रशासन सम्बन्धी मामला है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अखबार नहीं पढ़ रहे, मंत्री महोदय का वक्तव्य पढ़ रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है जो अखबार में आया है, उसका मैं नमूना पेश कर रहा हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : कांग्रेस राज में किया हुआ भ्रष्टाचार पढ़ रहे हैं।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय सदस्य बिलकुल असत्य बोल रहे हैं, मैंने इस तरह का वक्तव्य कहीं दिया ही नहीं है। बिलकुल असत्य बात है।

श्रीमती तारा भण्डारी : ये अपनी ही बात कह रहे हैं, कहने देना चाहिए। अपने जमाने का भ्रष्टाचार खोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : यातायात मंत्री महोदय का नमूना, हमारे सहकारिता मंत्री महोदय का नमूना, हमारे जल विभाग के मंत्रीजी का नमूना। पेश किया और खनिज विभाग का नमूना और देख लो।

श्री रोहिताश्व : माननीय सदस्य बिलकुल असत्य बोल रहे हैं। मैंने इस तरह का कोई स्टेटमैंट नहीं दिया, मैं मेरे विभाग की तरफ से कह रहा हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह तो आपकी विरासत है, आपकी विरासत।

श्री रामस्वरूप मीणा : अभी तो मैंने तीन ही विभागों के नमूने पेश किये हैं....

श्री सभापति : आपने सारा समय अखबार पढ़ने में लगा दिया, अपने मन की बात कहिये न। अपने दिमाग की बात कहिये, इनको रख दीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : खनिज विभाग चौमूं। अधिकारियों की बंदरबांट कायम। नींदड़बेंदाड़, नवयुवकों से लूट का क्षेत्र भ्रष्टाचार का अड्डा खनिज विभाग और

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सुन लो आप। विभाग में भ्रष्टाचार की नौकरशाही का राज। खनिज विभाग अड्डा सरकार पर आर्थिक डाकुओं का शिकंजा विभाग में लाखों रुपये के भ्रष्टाचार से हानि खनिज विभाग।

श्री किशनगोपाल कोगटा : यह आकर्षण है, अखबार में कुछ भी नहीं है। ये तो हैडिंग हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : भ्रष्टाचार को बढ़ावा, भ्रष्टाचार का अड्डा है खनिज विभाग। कोटपूतली, भैंसलाना भ्रष्टाचार का नंगा नाच। ये पत्र मैंने आपके सामने पेश किये, साहब, ये सारे मैंने नमूने जो भ्रष्टाचार के हमारे अखबार में आये हैं और जो निष्पक्ष लिखे गये हैं उनको मैंने आपके सामने निवेदन किया है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : ये अखबार वालों के एजेण्ट हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, यह तो प्रथम मुद्दा था भ्रष्टाचार का। अब जिनकी सरकार है, जिसके अन्दर इस प्रकार के भ्रष्टाचार, हमारे मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है तब अखबारों में आया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : रामस्वरूपजी, आप बहुत बढ़िया आदमी हो आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे हो लेकिन आप बहुत बढ़िया हॉकर हो सकते हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, यह तो मैंने भ्रष्टाचार के नमूने सरकार के सामने पेश किये हैं जो स्वयं सरकार ने स्वीकार किये हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, अब हमारे जन स्वास्थ्य विभाग के बारे में है। स्वास्थ्य विभाग के बारे में स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, चले गये हैं। स्वास्थ्य विभाग के बारे में अस्पतालों की हालत यह हो गई है, अस्पताल के अन्दर डाक्टर और दवाइयां टाइम पर पहुंचती नहीं हैं। पट्टी तक बांधने के लिए अस्पताल में नहीं हैं। यह हालत अस्पतालों की है। एक अस्पताल है मेरे गुढ़ाचन्द्रजी में है, उस अस्पताल में मैं इतवार के दिन गया था, मैंने जाकर के निरीक्षण किया, वहां पर एक फ्रिज रखा हुआ था, माननीय सभापति महोदय, उस फ्रिज में जूते रखे हुए थे। हास्पिटल के फ्रिज में जूते रखे हुए थे गुढ़ाचन्द्रजी में, आप जानकारी करवा लें, माननीय मंत्री महोदय। यह हालत स्वास्थ्य विभाग की है।

अब इस स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ परिवार नियोजन का नाम आता है। परिवार नियोजन के बारे में हमारे राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कहा है कि हमारे जो भी सरपंच वगैरह हैं, दो बच्चों वालों को टिकट दी जाये। बहुत अच्छी बात है माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। परिवार नियोजन को अपनाना चाहिये क्योंकि हमार शास्त्रों में भी परिवार नियोजन को अपनाया है। रामजी की आप बातें करते हैं, यह सरकार राम की, धर्म की बातें करती है, वास्तव में धर्म के आधार पर तो भगवान राम ने अपने परिवार में परिवार नियोजन अपनाया था। आप रामजी को देख लो दो लड़के थे,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

लक्ष्मणजी को देख लो दो लड़के थे, भरतजी को देख लो दो लड़के थे, शत्रुघ्नजी को देख लो दो लड़के थे। सब ने दो-दो लड़के अपनाये थे। परिवार नियोजन उस समय से चला आ रहा है। अच्छा है आपने इस परिवार नियोजन की जानकारी इसमें दी है। मैं तो यह निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, इस सदन में प्रस्ताव पारित किया जाये, सबसे पहले तो परिवार नियोजन की घोषणा करें हमारे सभापति महोदय, उसके बाद में हमारे मंत्री महोदय घोषणा करें कि अब के बाद में परिवार नियोजन रखेंगे, एक बच्चा पैदा नहीं करेंगे। सब करो घोषणा, आज करो घोषणा हिम्मत हो तो कि हम कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे आज के बाद।

एक माननीय सदस्य : नहीं करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसके पहले कितने बच्चे पैदा कर दिये, यह तो बतायें।

श्री रामस्वरूप मीणा : परिवार नियोजन की बात करते हैं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहा....

श्री सभापति : अब तक कितने पैदा कर दिये आपने ?

श्री रामस्वरूप मीणा : दो बच्चे हैं मेरे, अब तीसरा बच्चा पैदा नहीं करूंगा।

श्री सभापति : गुड, मेरे एक ही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक है तो अब आप भी नहीं करोगे। मंत्री महोदय, आप भी करो घोषणा।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): हम अब और बच्चा पैदा नहीं करेंगे।

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिये, हो गया परिवार नियोजन।

श्री रामस्वरूप मीणा : परिवार नियोजन की बात आई। मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, कि हमारे यहां जो नदियां बनी हुई हैं उन पर एनीकट बनाये जायें ताकि हमारे पानी की समस्या हल हो सके। हमारे यहां एक गम्भीरी नदी है. महावीरजी के पास में, उस पर एनीकट बन सकता है। अगर वह एनीकट बनेगा तो हमारे यहां के तमाम कुओं का पानी ऊपर आ जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार एनीकट बनवायें ताकि हमारे यहां पानी की समस्या हल हो सके।

इसके बाद में शिक्षा के बारे में निवेदन है। शिक्षा की हालत यह हो गई है, अब हमारे नये-नये स्कूल खोलते जा रहे हो लेकिन मेरे क्षेत्र में कम से कम 20 स्कूलों में हैडमास्टर तक नहीं हैं। हमारे यहां कन्या शाला है गढ़मोरा में, गढ़मोरा की कन्या शाला में प्रधानाचार्य व अन्य कोई भी नहीं आता है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह शिक्षा के बारे में मेरा निवेदन है। अधिक समय न लेता हुआ मैं पुनः निवेदन करूंगा सड़कों

(श्री रामस्वरूप मीणा)

के बारे में। माननीय सभापति महोदय, सड़कों की हालत यह हो गई है, अब सड़कों में 30-40 पर्सेन्ट कमीशन दिया जाता है, तब काम मिलते हैं। ठकेदार भी पहले कमीशन दे आते हैं अफसरों के लिए तो काम मिलते हैं। मुझे तो पता नहीं कोई मंत्री को भी दे आता होगा। हमें पता नहीं है क्योंकि वे क्यों दबाकर बैठे हैं ऐसी बात को, क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों को रखते जो ईमानदार हैं। ईमानदार है तो जाइये क्षेत्रों में और कमीशन को बन्द कराइये और अच्छी सड़कों का निर्माण कराइये। एक साल में सड़क टूट जाती है, बिखर जाती है, गड्ढे हो जाते हैं सड़कों के अन्दर। अधूरी पड़ी हुई हैं। यह हालत सड़कों की हुई है।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसी हालत में मेरा निवेदन है कि अब सड़कों की मरम्मत अच्छी कराई जाये, नयी सड़कें बनवाई जायें।

ग्राम पंचायतों की जो घोषणा की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कागजों में नहीं घुस जाये। कभी क्षेत्र में भी जाकर देखें उनको।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : अन्त में मेरा निवेदन है कि जो हमारा पंचायती राज है उसके चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं, अब सरकार सदन में घोषणा करे कि पंचायतों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायेंगे और वह भी तिथि नजदीक की होनी चाहिये।

अन्त में मैं अकाल के बारे में निवेदन करूंगा। अब, माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र को अकाल से वंचित रख दिया गया है जबकि अकाल पड़ रहा है मेरे क्षेत्र के अन्दर। क्योंकि मेरा कांग्रेस का क्षेत्र है इसलिए आपने भेदभाव बरता है मेरे क्षेत्र के साथ और उसे अकालग्रस्त घोषित नहीं किया। आपने यह अन्याय किया है। ऐसा भेदभाव आपको नहीं करना चाहिये था। आपने पिछली बार भी भेदभाव बरता था। मंत्री महोदय ने एक दिन कहा था, मैंने अकाल वहां घोषित किया है जो अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र हैं। मेरी तो अनुसूचित जनजाति की रिजर्व सीट है फिर भी अकाल घोषित नहीं किया।

श्री सभापति : अगली बार परमात्मा से प्रार्थना करना। समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करवाया जाये ताकि राहत कार्य चालू हो सकें।

एक आखिरी सवाल बिजली के बारे में है। बिजली की आपने 8 घण्टे की घोषणा की है। बहुत अच्छी बात है घोषणा तो कर दी लेकिन क्षेत्र के अन्दर बिजली अब 6 घण्टे नहीं आ रही है और वह भी रात में आ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, बिजली की स्थिति को आप सुधरावें। एक महीना रह गया है काश्त का। इस समय अगर पानी काश्तकार को नहीं मिला तो फसल सूख

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जायेगी, इसका जवान बेटा मर जायेगा, पकी पकाई फसल का नाश हो जायेगा। इसलिए बिजली को बढ़वाया जाये और दिन में भी बिजली दिलाई जाये।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय श्री मेघवालजी के बोलने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : माननीय श्री मेघवाल बोलेंगे तब तक समय बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री टीकम चन्दजी कान्त के आभार प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

अभिभाषण में राजस्थान के विकास सम्बन्धी योजनाओं का उल्लेख किया है इससे राजस्थान के विकास को नयी दिशा मिलेगी। योजनाओं की राशि में वृद्धि की गई है इससे यहां की गरीब जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं। विभिन्न विषयों के साथ-साथ अभिभाषण में खनिज सम्पदा के विकास का भी उल्लेख किया गया है। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वहां की सम्पूर्ण आबादी संगमरमर की खानों, फैक्ट्रियों एवं इससे सम्बन्धित कार्यों में लगी हुई है। मैं इस उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं को सदन में रखना चाहूंगा। यहां के उद्योग के विकास में सबसे बड़ी बाधा है वह दोहरी रॉयल्टी की है, एक बात।

श्री सभापति : कोशिश कीजिये, थोड़ा पढ़िये, थोड़ा-थोड़ा बोलिये।

श्री राकेश मेघवाल : जो माल मकराना में आता है बाहर से उस पर रॉयल्टी लगकर आती है और मकराना से बाहर जाता है वापस रॉयल्टी लगती है। इसलिए इस दोहरी रॉयल्टी को समाप्त किया जाना उचित है। भारत में विश्वविख्यात मण्डी है मकराना मार्बल की, उसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स हैं जैसे 15 पर्सेण्ट सी. एस. पी. उस पर 3 पर्सेण्ट यू. आर. डी. । तो 15 पर्सेण्ट सी. एस. पी. लगता है उस पर 3 पर्सेण्ट जो दोहरा टैक्स लगता है उसको समाप्त किया जाये। यू. आर. डी. के टैक्स से, छोटे क्षेत्र के व्यापारियों को इसमें राहत नहीं मिलती हैं। जो छोटे तबके के व्यापारी हैं उनको जो यू.आर.डी. लगती है उससे भारी क्षति होती है। वह अपने छोटे से बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं और बड़े उद्योगपति इसमें सफल हो जाते हैं। इसलिए इस तीन पर्सेण्ट यू. आर. डी. का समाप्त किया जाये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि संगमरमर में जो तीन पर्सेण्ट यू. आर. डी. है उसको अतिशीघ्र समाप्त किया जाये।

(श्री राकेश मेघवाल)

सभापति महोदय, मार्बल के उद्योग में जो समस्या है वह विकराल समस्या है, फैक्ट्रियों का फालतू मलवा जो चिराई के रूप में निकलता है और वेस्टेज होता है, जिससे पर्यावरण में भारी प्रदूषण होता है। यह वहां एक जन समस्या है। जब वह मलबा उड़ता है, बड़ा भयंकर उड़ता है और इतना उड़ता है कि आदमी सफेद हो जाता है। अगर आगे गाड़ी चल रही है पीछे कार में कोई आदमी बैठा है और शीशा खुला हुआ है तो इतना पाउडर उड़ता है कि यह जो पॉण्ड्स पाउडर आता है वह लगाने की जरूरत नहीं होती। इतना पाउ-

(18.00)

डर उड़ता है कि दूसरे टेलकम पाउडर आते हैं उनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना मलवा उड़ता हैं कि पूरी गाड़ी और आदमी सफेद हो जाता है। इसलिए इस मलबे को जनहित में कहीं जमीन में फालतू जगह पर खड्डा खोद कर दबाया जाये। इससे टी. बी और अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और मकराना में इस प्रकार की व्यवस्था भी नहीं है कि वहां पर उसका तुरन्त उपचार करवाया जा सके। गर्मी के समय में तो यह परेशानी और भी भयंकर हो जाती है। देश से ही नहीं विदेशों से भी मकराना में लोग आते हैं, बड़े-बड़े व्यापारी भी आते हैं। इस सदन में आज कालीन बिछा हुआ है अगर कालीन नहीं बिछा हुआ होता तो संगमरमर होता। हर घर में, मन्दिर में, मस्जिद में संगमरमर लगाया जाता है। हिन्दुस्तान में आज किसी मस्जिद या मन्दिर में संगमरमर नहीं लगा हुआ हो तो उसको उतना महत्व नहीं मिल पाता। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि विश्वविख्यात जो मकराना संगमरमर की मण्डी है, औद्योगिक क्षेत्र है उसकी ओर पूरा ध्यान सरकार की ओर से दिया जाये। वहां से होने वाली इनकम का 25 प्रतिशत हिस्सा भी अगर सरकार वहीं लगा दे तो हमारी हर समस्या का समाधान हो सकता है, सरकार को हमारे लिए और कहीं से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां से रायल्टी, सैलसटैक्स या यू. आर. डी. के रूप में जो पैसा वसूल किया जाता में उसमें केवल मात्र 25 पर्सेण्ट पैसा हमारे ऊपर खर्च कर दिया जाये, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है। उक्त राशि का उपयोग जैसे मलवा दबाने में है, सड़क बनाने में है, पानी के लिए व्यवस्था करनी है या अन्य कार्यों के लिए व्यवस्था करनी है उसमें किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार ने इस प्रकार के नियम बनाये हुए हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की जमीन बिकती नहीं है। पर लोग उन पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन पर जिन सवर्ण लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, आज भी सरकार इन्क्वायरी करवाये तो कम से कम 40 पर्सेण्ट लोग ऐसे हैं जिन्होने शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं, आज 40 साल में एक पीढ़ी तो खतम हो गई कोर्ट्स के सुबह शाम चक्कर लगाते-लगाते परन्तु आज तक सवर्ण जाति के लोगों ने उनको कब्जा नहीं दिया, आप

(श्री राकेश मेघवाल)

चाहें तो ऐसे 2–4 प्रकरण मैं आपके समक्ष सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन पर सवर्ण जाति के लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उनको उनका कब्जा वापस दिलवायें। यहां तक कि कोर्ट से आदेश मिल जाते हैं परन्तु सरकार कोर्ट की पालना तक करवाने में असमर्थ है।

सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना से 300–400 ट्रक रोजाना मार्बल भर कर पूरे हिन्दुस्तान में जाते हैं लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही सरकारी कांटा है। एक गाड़ी दो बार तुलती है। खाली गाड़ी तुलती है और फिर भर जाने के बाद तुलती है। जो सरकारी कांटा है वह आज बीच में आ गया है। नम्बर से एक गाड़ी तुलती है, तो 300–400 गाड़ी तुलने में कितना समय लग जाता है और पूरा क्षेत्र आवागमन के लिए बन्द-सा हो जाता है। जो वहां 15-20 चौड़ी सड़क है उसमें से कोई निकल नहीं सकता है। पूरे देश के व्यापारी वहां आते हैं उनके लिए आने-जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस कांटे को मकराना में मगलाना के आस-पास, जो भी सुचारु जगह हो उसके आस-पास लगा दिया जाये। दूसरा जो औद्योगिक क्षेत्र मकराना के आस-पास है बिदी आस, वहां पर एक कांटा और लगाने का आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं। आवागमन में बाधा उत्पन्न स्थिति होती है, एक्सीडेण्ट होते हैं उनको कम करने के लिए जो अभी सड़क बनी हुई है, बिदी आस से परबतसर, उस क्षेत्र में एक कांटा और लगाने की मांग करता हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार को कहीं से इनकम होती है वह सबसे ज्यादा मकराना से होती है परन्तु मकराना की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। गांव में सड़क है, ढाणियों में सड़क है परन्तु भारत में ही नहीं, विश्व-विख्यात भारत की मार्बल की जो मण्डी है उसकी ओर सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। मंत्रिगण तक वहां जाने से कतराते हैं क्योंकि सड़क इतनी खराब है कि एक-एक फीट के गड्ढे हैं। मारुति गाड़ी चली जाती है तो उसका नीचे से हिस्सा टूट जाता है। वहां एक से गाड़ी लेकर हर आदमी को जयपुर आना पड़ता है। इसलिए हवा की, सड़क की, पानी निकास की, पाण्डू जिसको मलवा बोलते हैं उसने डालने की माकूल व्यवस्था की जाये।

मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि हमें और कहीं से पैसा नहीं चाहिए, सरकार को हमारे क्षेत्र से पैसा मिलता है उसी में से 25 प्रतिशत राशि हमारे ऊपर खर्च कर दी जाये। मार्बल की विश्वविख्यात मण्डी की ओर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। व्यापारीगण आते हैं तो वह सोचते होंगे कि वहां पर तो संगमरमर की रोड होगी परन्तु वहां संगमरमर की रोड छोड़कर आज कोई मरम्मर की रोड भी नहीं बची है। संगमरमर की खाने हैं वहां एक-एक फीट के गड्ढे हैं! इसलिए मैं आपके

Page No.169

(श्री राकेश मेघवाल)

माध्यम से सरकार से वहां की रोड्स की व्यवस्था, कांटे की व्यवस्था और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनकी पूर्ति करने की मांग करता हूं।

आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि मेरे भाषण के बीच में किसी ने व्यवधान नहीं डाला।

श्री सभापति : सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 1994 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.08 बजे मंगलवार, 1 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 66 का विवरण

(मात्रा में, टनों में)

क्रमांक	नाम माह	गेहूं	चावल
1.	नवम्बर, 92	6500	400
2.	दिसम्बर, 92	7400	400
3.	जनवरी, 93	5000	800
4.	फरवरी, 93	6500	800
5.	मार्च, 93	6500	800
6.	अप्रेल, 93	6500	800
7.	मई, 93	6500	800
8.	जून, 93	6500	800
9.	जुलाई, 93	7500	800
10.	अगस्त, 93	7500	800
11.	सितम्बर, 93	6000	800
12.	अक्टूबर, 93	5700	150
13.	नवम्बर, 93	5700	150

परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

तारांकित प्रश्न सं. 69

स्थगित

पंचायत समिति घोद के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

70. **श्री अमराराम** (घोद) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति घोद के विभिन्न विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त है ?

(2) पंचायत समिति घोद में एकल अध्यापक विद्यालय कितने हैं ?

(3) कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी अध्यापक नियुक्त नहीं है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, घोद के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के 21 पद रिक्त हैं।

(2) पंचायत समिति, घोद में एकल अध्यापकों की संख्या 19 है।

(3) पंचायत समिति, घोद में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां एक भी अध्यापक नियुक्त नहीं है।

कोटा-उदयपुर रात्रि बस सेवा

71. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा से उदयपुर वाया रावतभाटा रात्रि बस सेवा वर्तमान में है। यदि हां तो कब-कब तथा किस-किस श्रेणी की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बस सेवाओं से बेगूं भी जुड़ा हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस समय, किस-किस श्रेणी की बस यहां आती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार बेगूं को भी डीलक्स बस सेवाओं से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में कोटा से उदयपुर वाया रावतभाटा होते हुये एक सुविधा वाहन सेवा संचालित की जा रही है जो कोटा से 21.30 बजे प्रस्थान लेकर उदयपुर 0500 बजे पहुंचाती है और उदयपुर से भी 2130 बजे प्रस्थान लेकर कोटा 05.00 बजे पहुंचती है। इस वाहन सेवा

(यातायात राज्य मंत्री)

की मार्ग वार समय सारिणी का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–प्रथम)

(2) जी नहीं, किन्तु बेगूं तहसील मुख्यालय निगम की बांरा-उदयपुर वाया झालावाड़ रामगंज मण्डी चेचट-रावतभाटा-सिंगोली बेगूं-चित्तौड़गढ़ द्रुतगामी बस सेवा से जुड़ा हुआ है जो बांरा से उदयपुर जाते समय 2300 बजे बेगूं पहुंचती है तथा उदयपुर से बांरा आते समय 2345 बजे बेगूं पहुंचती है। उक्त वाहन सेवा की मार्ग वार समय सारिणी का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–द्वितीय)

(3) जी नहीं, इस मार्ग पर सुविधा वाहन सेवा को पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध न हो पाने के कारण सुविधा वाहन सेवा का संचालन अनार्थिक रहने की आशंका है।

कोटा–उदयपुर वाया रावतभाटा होते हुये संचालित सुविधा वाहन सेवा की मार्ग वार समय सारिणी का विवरण।

कोटा	रावतभाटा	काठून्दा मोड़.	चित्तौड़गढ़	उदयपुर
21.30	23.00	01.00	03.00	05.00
उदयपुर	चित्तौड़गढ़	काठून्दा मोड	रावतभाटा	कोटा
21.30	00.00	01.30	03.30	05.00

बांरा–उदयपुर वाया झालावाड़-रामगंज मण्डी-रावतभाटा-बेगूं-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर संचालित द्रुतगामी वाहन सेवा की मार्गवार समय सारिणी का विवरण।

बांरा	झालावाड़	रावतभाटा	बेगूं	चित्तौड़	उदयपुर
15.00	18.00	21.00	23.00	00.15	02.45
उदयपुर	चित्तौड़	बेगूं	रावतभाटा	झालावाड़	बांरा
20.30	22.30	23.45	01.15	03.15	0615

फलौदी क्षेत्र के नागरिकों को खाद्यान्न का वितरण

72. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर जिले की तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राशन के अनाज का वितरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सभी तहसीलों के ग्रामीणों को सरकार द्वारा एक ही मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाता

Page No.173

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

है, जबकि कई तहसीलों में काफी बड़े क्षेत्र दो फसली हैं और अकाल से भी इतने प्रभावित नहीं रहते ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले की फलौदी तहसील सर्वाधिक मरुस्थलीय एवं अकाल पीड़ित है और इसमें सिंचित क्षेत्र बिल्कुल नहीं है ?

(4) क्या सरकार फलौदी तहसील की परिस्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र के ग्रामीणों को अधिक मात्रा में राशन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले की तहसील जोधपुर, ओसियां, बिलाड़ा और भोपालगढ़ तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलो तथा फलौदी व शेरगढ़ तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 किलो प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह अनाज का वितरण किया जा रहा है।

(2) अकाल से अधिक प्रभावित फलौदी व शेरगढ़ तहसीलों को अधिक व जिले की अन्य तहसीलों को कम अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

(3) जी हां, फलौदी तहसील मरुस्थलीय एवं अकाल से प्रभावित है। सिंचित क्षेत्र नगण्य है।

(4) फलौदी व शेरगढ़ तहसील क्षेत्रों को अन्य तहसील क्षेत्रों से अधिक अनाज पहले से ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

तारांकित प्रश्न संख्या 73

(स्थगित)

कुम्हेर क्षेत्र में जल आपूर्ति

74. श्री हरिसिंह (कुम्हेर)–क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में स्थित पेयजल योजनाओं के स्रोतों पर विद्युत की लाइन अलग से डली हुई नहीं है ? क्या यह भी सही है कि 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध नहीं होती है ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी पेयजल योजनाएं हैं तथा उन पर अलग से विद्युत की लाइनें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ? अब कब तक इस प्रकार की लाइनें डाल दी जायेंगी ?

(2) कुम्हेर कस्बे में इस समय कितना पेयजल प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जा रहा है और स्वीकृत योजना के अनुसार कितना पेयजल उपलब्ध कराया जाना था ? जलापूर्ति के इस अभाव को सरकार किस प्रकार और कब तक पूरा करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, जल योजनाओं पर 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध नहीं है। योजनाओं की वान्छित सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। सीमित धन संसाधनों की उपलब्धता के परिपेक्ष्य में इन योजनाओं पर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अलग से विद्युत लाइन डाली जानी वर्तमान में सम्भव नहीं है।

(2) कुम्हेर कस्बे में वर्तमान में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 90 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मात्रा के विरूद्ध 36 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। मात्रा में आंशिक वृद्धि हेतु कन्टीजेन्सी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं। स्थाई समाधान हेतु चम्बल नदी स्रोत से एक वृहत योजना का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के पेयजल योजना की सूची जिन पर अलग से विद्युत लाइन डाली हुई नहीं हैं :—

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभान्वित गांवों की संख्या	स्रोत गांव	विद्युत की उपलब्धता
1	2	3	4	5
1.	नगरीय जल योजना कुम्हेर	1 कस्बा	लखन हैड वर्क्स	20 घण्टे
2.	क्षेत्रीय जल योजनाकरवागुन्सादा	16 गांव	करवा	6-8 ,,
3.	,, पूठ अस्तावन	14 ,,	गुदावली, अस्तावन	6-8 ,,
4.	,, दहवा विरहरू	2 ,,	विरहरू	6-8 ,,
5.	,, साबोरा, लांकी कुरवारा	3 ,,	साबोरा, कुरवारा	6-8 ,,
6.	,, मटावली पपरेरा	3 ,,	मटावली पपरेरा	6-8 ,,
7.	,, सरसइ गदेहरा	3 ,,	सरसई	6-8 ,,
8.	,, डहरा सेड	4 ,,	नगला माझी, गौलपुरा	6-8 ,,
9.	,, अधिया कलां, अथेया कलां	4 ,,	अधिया कलां	6-8 ,,
10.	,, अभोरी सजोला	2 ,,	अभोरी	6-8 ,,
11.	,, खान अवार	7 ,,	अवार लखन	6-8 ,,
12.	,, हेलक अलीपुर		हैलक	6-8 ,,
13.	,, जधीना मो. खुर्द	7 ,,	रारह	6-8 ,,
14.	,, तुहिया टोटपुर	2 ,,	तुहिया	6-8 ,,

Page No.175

1		2	3		4	5	
15.	,,	महुआ सिनपिनी	11	,,	लूघाबई	6-8	,,
16.	,,	बिलोठी जाटोली रथवान	2	,,	बिलोठी	6-8	,,
17.	,,	झारोली नगला माट	4	,,	झारोली न. माट	6-8	,,
18.	,,	हिन्डोला मूढोता	3	,,	हिन्डोली मूढोता	6-8	,,
19.	,,	बांसी कला वसुम्रा	2	,,	बांसी	6-8	,,
20.	पनघट जल	योजना बैलाराकलां	1	,,	बैलारा कलां	6-8	,,
21.	,,	नगला जोधसिंह	1	,,	नगला जोधसिंह	6-8	,,
22.	,,	घनवाडा	1	,,	घनवाडा	6-8	,,
23.	,,	साबोरा	1	,,	साबोरा	6-8	,,
24.	,,	विसदा	1	,,	विसदा	6-8	,,
25.	,,	ततामढ़	1	,,	ततामढ़	6-8	,,
26.	,,	अजान	1	,,	अजान	6-8	,,
27.	पनघट जल	योजना ताखा	1	,,	ताखा	6-8	,,
28.	,,	सातरूक	1	,,	सातरूक	6-8	,,
29.	,,	गुन्सारा	1	,,	गुन्सारा	6-8	,,
30	,,	धांधोली	1	,,	धांधोली	6-8	,,
31.	,,	नगला जीवना	1	,,	नगला जीवना	6-8	,,

तारांकित प्रश्न संख्या 75
(स्थगित)

ग्रामदानी ग्रामों का पंचायतों में परिवर्तन

76. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) एवं श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़)–क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार यह महसूस कर रही है कि ग्रामदान के कारण पूर्णतः ग्रामीण विकास नहीं हो पाता ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त दृष्टि में प्रशासनिक आधार पर अभियान चला कर जो ग्रामदानी ग्रामदान से निकलना चाहें उन्हें ग्राम राजस्व में बदल कर नये चुनावों से पूर्व उन्हें पंचायतों में बदलने का विचार कर रही है ?

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) अधिनियम की धारा 37 (क) में

(राजस्व मन्त्री)

यह प्रावधान कर रखा है कि किसी ग्रामदान गांव के 51 प्रतिशत किसानों द्वारा ग्रामदान से बाहर आने की इच्छा प्रकट करने पर निहित प्रक्रिया से ऐसे गांव को ग्रामदान से पृथक किया जा सकता है। ये प्रावधान 1984 में किये गये थे तथा इसके तहत कार्यवाही की जाती है। अतः इस हेतु अभियान की कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) अधिनियम की धारा 37 (क) में उपरोक्तानुसार कार्यवाही को जाने की राज्य सरकार की नीति है।

तहसील गोगुन्दा एवं कोटड़ा के मार्गों का राष्ट्रीयकरण

77. **श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)**—क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा एवं कोटड़ा तहसील क्षेत्र में कितने निजी बस मालिकों को किस-किस मार्ग पर बस संचालन के कितने-कितने परमिट जारी किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दिये गये परमिट के अनुसार सभी बसों का संचालन उन्हीं मार्गों पर उन्हीं बसों द्वारा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उन्हीं मार्गों पर बिना परमिट के बसें, टैक्सियां और ट्रक भी यात्रियों के परिवहन का कार्य कर रहे हैं?

(4) क्या सरकार उपरोक्त निजी मार्गों राष्ट्रीयकरण के करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा एवं कोटड़ा तहसील क्षेत्र में 14 बस मार्गों पर निजी बस मालिकों को कुल 35 स्थाई परमिट जारी किये हुए हैं। विस्तृत सूचना संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां, बसें निर्धारित मार्ग पर संचालित हैं। गोगुन्दा से सम्पर्क मार्ग गोगुन्दा से केलवाड़ा वाया सेमटाल, रावलिया कला, बिजवाबाला, नादेश्मा, ढोल, कमोल, सायरा, कलवाणा मार्ग की वाहनें कुछ समय से ग्राम रावलिया कलां, रावलिया खुर्द, बिजवाबाला होकर नहीं चलाई जा रही थी। बिना अनुमति के अन्य डाइवर्टेड मार्ग पर चलने के लिए बस मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं।

(3) ऐसे अवैध वाहन चलते पाये जाने पर विभाग द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष (दिसम्बर, 93 तक) में ऐसे अवैध वाहनों के 19 चालान बनाये जाकर रुपये 8645/–की प्रशमन राशि वसूल की गई। इनमें से 7 वाहनों को सीज भी किया गया।

(4) वर्तमान में उपर्युक्त निजी मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नहीं है। इसके अतिरिक्त उदयपुर से फालना

Page No.177

(यातायात राज्य मंत्री)

वाया गोगुन्दा सायरा रणकपुर एवं उदयपुर से कोटड़ा वाया नाई-ऊदरी, झाडोल, फलासिया सोम मार्ग पूर्व में ही राष्ट्रीयकृत हैं जिन पर निगम यात्री उपलब्धता के अनुरूप पर्याप्त बस सेवाएं संचालित कर रहा है।

कोटड़ा एवं गोगुन्दा तहसील के बस मार्गों की सूची जिन पर निजी बस मालिकों को बस संचालन हेतु परमिट जारी किये हुए हैं :—

क्र. सं.	मार्ग	मार्ग पर जारी अनुज्ञापत्र	
1	उदयपुर से कमोल वाया देवाली, बड़ी फेनियों का गुडा, थूर, इसवाल, राणी पड़ली, ब्राह्मण माताजी, डूलावती कागुडा, भूताला, मोड़ी, गणेशजी का गुड़ा, गोगुन्दा, सेमटाल, रावलिया कला रावलिया खुर्द, नान्देश्मा, ढोल कमोल मार्ग।	2	स्थायी
2	गोगुन्दा से झाडोल वाया बगरून्दा, गोराना मार्ग	2	स्थायी
3	गोगुन्दा से झाड़ोल वाया पड़ावली, बासा मादड़ा ओगणा, बारा, मोहम्मद फलासिया, बदराना मार्ग।	5	स्थायी
4	गोगुन्दा से स्वरूपगंज वाया जसवन्तगढ़, देवला, जूड़ा, कोटड़ा, माण्डवा, जेड, रोहेड़ा मार्ग।	2	स्थायी
5	गोगुन्दा से जाड़ापीपला वाया नाहरमुखी, पड़ावली, मादरड़ा बास, वीरपुर, हमीचर, ओगणा मार्ग।	2	स्थायी
6	गोगुन्दा से मानपुर वाया ओगणा, पड़ावली	3	स्थायी
7	गोगुन्दा से मावड़ा वाया सेमटाल, रावलिया, लखावती का गुड़ा मार्ग।	2	स्थायी
8	गोगुन्दा से पावली वाया भूताला, लोसिंग, कड़िया का बड़ला, घोड़च, नेड़च, कणूली, घोड़ाघाटी, सिन्धु, पलाना मार्ग।	1	स्थायी
9	गोगुन्दा से केलवाड़ा वाया सेमटाल, रावलिया कला, रावलिया खुर्द, जिवावाला, नान्देश्मा, ढोल, रूपणघाटी, कमोल, कमोल चौराहा समड़, सायरा, कलवाणा, ढोपाणा, ढोकाड़ा, मानपुरा, वदना स्टैण्ड, कलताणा, वरदड़, बेरी का मठ, आरेठ मार्ग।	7	स्थायी

1	2	3	4	5
10–गोगुन्दा से नाथद्वारा वाया गणेशजी, मोड़ी, छिपाला, राठौड़ों का गुड़ा, मारूवास, तुला सुथारिया, फतेहपुर, स्टेण्ड, सोड़ादर की मागल, वलनों की मागल, ब्रिली क्रामा, सालोदा, डाबून, खमनोर, मोलेला, गायरियों की मागल, बावराकर, खेड़लिया, बागोल मार्ग ।			2	स्थायी
11–लोसिग से भाड़ोल वाया भताला, गणेशजी, गोगुन्दा, बगरूदा, गोराना ।			2	स्थायी
12–कोटड़ा से स्वरूपगंज, वाया मान्डवा, कुटावास, खाया, बला, तनवाड़ा, रोहिड़ा मार्ग ।			3	स्थायी
13–जूड़ा से स्वरूपगंज वाया कोटड़ा, खजूरिया, माण्डवा, जेड, रोहिड़ा ।			1	स्थायी
14–देवला से मोरसूचना वाया सुलावा, कागवास, कोटड़ा, महाड़ी, मामेर-मार्ग ।			1	स्थायी
		योग	35	

तारांकित प्रश्न संख्या 78
(स्थगित)

कृषि उपज मण्डी समिति, डीग

79. **श्री अरुणसिंह** (डीग) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डींग की पिछले दो वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़क बनाने के कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं एवं स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण हैं ? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार किसानों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां तो मण्डी समिति की कुल आय में से कितनी प्रतिशत राशि उक्त सड़कों पर खर्च करने का विचार है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डीग की पिछले दो वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(3) जी हां । मण्डी क्षेत्र में किसानों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया जाता है । राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी मण्डी समिति के उपलब्ध संसाधनों में से प्रशासनिक व्यय निकालने के बाद उपलब्ध धन राशि में से लगभग 60 प्रतिशत मण्डी क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों के निर्माण व 40 प्रतिशत राशि मण्डी निर्माण, वृद्धि आदि पर व्यय की जावेगी ।

कृषि उपज मण्डी समिति, डीग की पिछले दो वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण

(लाखों में)

क्र. सं.	नाम मद	आय (91–92)	आय (92–93)	क्र. सं.	नाम मद	व्यय (91–92)	व्यय (92–93)
1.	अनुज्ञापत्र शुल्क नवीन	0.01	0.012	1.	संस्थापन पर व्यय	5.78	7.27
2.	अनुज्ञापत्र शुल्क नवीनीकरण	0.03	0.034	2.	कार्यालय व्यय (आवर्तक)	0.43	0.56
3.	मण्डी शुल्क	41.24	27.540	3.	कार्यालय व्यय (अनावर्तक)	0.00	0.59
4.	जमा धन पर ब्याज	0.81	3.430	4.	बोर्ड अंशदान	4.27	2.83
5.	फार्म एवं पर्ची विक्रय	0.12	0.042	5.	ऋण एवं अग्रिम	0.20	0.29
6.	विलम्ब शुल्क	0.06	0.03	6.	परियोजना ऋण वापसी	2.03	9.63
7.	दण्ड एवं जुर्माना	—	—	7.	मण्डी प्रांगण व्यय (आवर्तक)	1.82	2.82
8.	आडिट वसूली	0.002	0.00	8.	मण्डी प्रांगण व्यय (अनावर्तक)	0.00	0.00
9.	अन्य आय	0.00	0.00	9.	अन्य व्यय	2.34	4.40
10.	आवंटन शुल्क	0.00	0.50	10.	निर्माण कार्य हेतु व्यय (अग्रिम)	32.00	53.00
11.	ऋण एवं अग्रिम	0.40	1.074				
		42.672	32.662			48.87	81.39
	अन्य प्राप्तियां				वर्ष के प्रारम्भ में बचत	21.60	45.49
	कर्मचारियों से कटौतियां	30.08	35.74		वर्ष में कुल आय	72.75	68.40
	अमानतायें आदि				कुल योग	94.35	113.89
					वर्ष में कुल व्यय	48.87	81.39
	कुल योग	72.752	68.402		वर्ष के अन्त में कुल बचत	45.48	32.50

जिला डूंगरपुर की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था

80. **श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) :** क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर में कुल कितने हैण्डपम्प हैं? जिसमें कितने चालू हैं व कितने बन्द हैं?

(2) जिले में कई ऐसे गांव हैं, जैसे कि माडली, करावाड़ा, सिथल, चूण्डावाड़ा, विछीवाड़ा, कनवा, दियापुर, ललैया, पालिसौड़ा, मालमाथा, सरथूना, पूनावाड़ा, डूण्डा, मचड़िया, बासियाबेडसा, सुराता, भोथरी, सासरपुर, मद्‌डीपाल, गन्धवापाल, गलेन्धरपाल आदि हैं? जहां आज भी पीने के पानी की बड़ी समस्या है?

(3) क्या सरकार इन गांवों की जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार की योजना में से कब तक?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में कुल 7003 हैण्डपम्प स्थापित है। इसमें से 1042 हैण्ड पम्प अस्थाई रूप से खराब है, 223 सूखे तथा 397 परित्यक्त है।

(2) उल्लेखित 22 ग्रामों में से 3 ग्राम पाईप्ड योजनाओं से, 2 पनघट योजनाओं से, 3 परम्परागत स्त्रोत योजनाओं से तथा शेष 14 ग्राम हैण्ड पम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं। उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित 8 ग्रामों में 198 हैण्ड पम्प भी स्थापित हैं।

(3) उपरोक्त ग्रामों में पुराने माप दण्डों के अनुरूप पेयजल व्यवस्था का जा चुकी हैं। नये माप दण्डों के अनुसार प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं, जिन्हें धन उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत किया जा सकेगा।

मजरे व ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करना

81. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार की 250 से अधिक की आबादी वाले मजरे व ढाणियों को गांव घोषित करने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित है? यदि हां, तो विभाग द्वारा किस तारीख को जिलाधीशों को आदेश भेजे गये? यदि नहीं, तो सरकार की इसके सम्बन्ध में वास्तविक नीति क्या है?

उत्तर

जिन मजरे व ढाणियों की आबादी 250 या इससे अधिक हो उनको नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने की नीति निर्धारित की हुई है। इसका परिपत्र दिनांक 1-8-84 एवं 23-2-94 राजस्व मण्डल एवं समस्त जिला कलक्टरों को प्रेषित किया हुआ है। दोनों प्रतियां संलग्न है।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–I) विभाग

प्रेषिति :—

1. निबन्धक,
   राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. समस्त जिलाधीश

क्रमांक : प. 9(II)राज/ग्रुप–1/84 जयपुर, दिनांक 1 अगस्त, 1984

परिपत्र

राज्य सरकार के जानकारी में आया है कि कई राजस्व गांवों में इस प्रकार के आबादी क्षेत्र हैं जो कि मुख्य आबादी से दूर बसे हुए है, परन्तु इन क्षेत्रों की जनसंख्या पर्याप्त होते हुए भी इस क्षेत्र की जनता को जलप्रदाय योजना, औषधालय, बिजली, स्कूल, डाकघर, यातायात, रेल्वे स्टेशन, विकास कार्य आदि विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इनको अलग से राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया है और न ही यह क्षेत्र किसी विशेष राजस्व गांव से सम्बद्ध है।

राज्य सरकार के पास जनप्रतिनिधियों तथा जिलाधीशों द्वारा नवीन ग्राम व ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते है जिन पर विचार कर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 3 खण्ड 5 के प्रावधानों के अनुसरण में राजस्व गांव घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते है, परन्तु इस प्रकार के प्राप्त प्रस्तावों में एकरूपता नहीं होती है, इसलिए यह निर्देश दिये जाते है कि इस प्रकार के आबादी क्षेत्रों की जिनकी कि आबादी 250 या इससे अधिक है तथा जो मुख्य आबादी से दूर बसे हुए है उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर सूचना भेजा जाना नितान्त आवश्यक है :—

1. जिले का नाम
2. मूल गांव का नाम
3. मूल गांव के साथ जुड़े हुए मजरे का नाम
4. नं. 3 में बताये गये मजरे का प्रस्तावित गांव के रूप में नाम
5. नं. 4 में प्रस्तावित गांव की जनसख्या
6. (अ) नं. 4 का क्षेत्रफल

(ब) न. 4 की आबादी का क्षेत्रफल

7. नं. 4 का एक फसली क्षेत्र का रकबा

8. नं. 4 का दो फसली क्षेत्र का रकबा

9. नं. 4 का भू-राजस्व

10. प्रस्तावित गांव में डाकघर, बिजली, जलप्रदाय योजना, रेल्वे स्टेशन, यातायात, पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी, औषधालय आदि की सुविधा है या नहीं तथा वर्तमान में रेल्वे स्टेशन तथा डाकघर आदि की दूरी।

11. रेल्वे स्टेशन तथा डाकघर के नाम जिन्हें की प्रस्तावित गांव घोषित किये जाने के फलस्वरूप बदला जाना आवश्यक होगा।

12. नया गांव घोषित किये जाने के फलस्वरूप पंचायत मुख्यावास, पटवारी तथा गिरदावर के मुख्यावास में कोई परिवर्तन होगा अथवा नहीं।

13. प्रस्तावित गांव की आबादी की वर्तमान गांव से दूरी।

इस प्रकार के समस्त पेंडिंग प्रस्ताव उपरोक्त सूचना संलग्न करते हुए 31 अगस्त, 1984 तक सीधे राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जावे तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रस्ताव संकलित कर राज्य सरकार के पास राजस्व मण्डल, अजमेर के माध्यम से भेज दिये जाएं।

ह./-
(आर. वी. सोनटके)
राजस्व सचिव

प्रतिलिपि—

1. सचिव, मुख्य मन्त्री सचिवालय।
2. निजी सचिव, समस्त मन्त्रीगण/राज्य मन्त्रीगण/उप मन्त्रीगण।

ह./-
राजस्व सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–I) विभाग

प्रेषिति :—

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त ।
3. समस्त जिला कलक्टर ।

क्रमांक : प. 9(II)राज/ग्रुप–1/84 जयपुर, दिनांक : 23-2-94

विषय :—नये राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वर्तमान में नये राजस्व ग्राम घोषित करने की यह व्यवस्था है कि आम तौर पर उस ग्राम की जनता की मांग पर अथवा ग्राम पंचायत की मांग पर इन प्रस्तावों पर विचार कर नये गांव घोषित करने के बारे में विचार किया जाता है । परन्तु अब यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीणों की मांग हो अथवा नहीं, यदि राजस्व अधिकारी यह अनुभव करते है कि ऐसे गांव जिनकी आबादी ढाणियों में बसी है और उसका क्षेत्र काफी फैला हुआ है, तो वे अपने स्तर से यह प्रस्ताव जिलाधीश, राजस्व मण्डल के मार्फत राज्य सरकार को भिजवाए । ऐसे प्रस्ताव भेजते समय यह ध्यान रखा जावे कि प्रस्तावित नये गांव की आबादी 250 से कम नहीं हो तथा क्षेत्र की दृष्टि से भी वे सुगठित व सुविधाजनक रहे । जहा आबादी बिखरी हुई हो, ढाणियों अथवा मजरों में बसी हुई हो, उन गांवों में केन्द्र बिन्दु स्थापित कर लिये जाये ताकि नई प्राथमिक शाला/उच्च प्राथमिक शाला/पीने के पानी की सुविधा/चिकित्सालय/औषधालय आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके । यह भी ध्यान में रखा जाये कि इन सुविधाओं हेतु भूमि भी उपलब्ध हो । जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, यह भी ध्यान रखा जावे कि वहां ग्रामीण इन प्रयोजनों के लिए भूमि उपलब्ध कराने को तैयार हो ।

भवदीय,
ह/–
(के. पी. सिंघल)
शासन उप सचिव, राजस्व

कुशलगढ़ क्षेत्र के तालाब

82. **श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)** : क्या अकाल सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में पंचायत समितियों द्वारा अकाल राहत व पंचायत के माध्यम से कितने छोटे तालाब शुरू किये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति द्वारा कितने छोटे तालाब पूर्ण किये गये व कितने अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अधूरे छोडे तालाबों को पूर्ण कराने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील कुशलगढ़ में फेमिन व पंचायतों के माध्यम से कुल 60 छोटे तालाबों के कार्य शुरू किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समितियों द्वारा कुल 20 छोटे तालाब पूर्ण कराये गये तथा 40 अपूर्ण हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) सरकार अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की मंशा रखती है इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने जिला कलेक्टर्स को राहत कार्यों के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूरा कराये जाने को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के निर्देश दिये हैं। जिले में अकाल की विभिषिका एवं सम्बन्धित क्षेत्र में रोजगार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्यों का चयन जिला अकाल राहत पर्यवेक्षण समिति द्वारा किया जावेगा।

क्र. सं.	नाम तालाब	पूर्ण/अपूर्ण	क्र. स.	नाम तालाब	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	1	2	3
पंचायत समिति, सज्जनगढ़ :—					
1.	सन्दलाई	पूर्ण	12.	राणगी	पूर्ण
2.	मडवेल	अपूर्ण	13.	खरोडचतरा	पूर्ण
3.	बोचडटा	पूर्ण	14.	डूगरीपाडा	,,
4.	सातखेरा	पूर्ण	15.	बिलडी	अपूर्ण
5.	हरेन्द्रगढ़	अपूर्ण	16.	पालीबडी	अपूर्ण
6.	भाटखेड़ी	पूर्ण	17.	ईटाला प्रथम व द्वितीय	,,
7.	कुम्भपुरा	अपूर्ण	18.	खेडिया	अपूर्ण
8.	माण्डलीछोटी	पूर्ण	19.	अमरनाला	पूर्ण
9.	मोराज नई	पूर्ण	20.	मस्काबडा I व II	अपूर्ण
10.	हेजामावजी	,,	21.	कसारवाडी	पूर्ण
11.	चोरपारनाला	,,	22.	रूपजीपाडा	,,

1	2	3	1	2	3
पंचायत समिति, कुशलगढ़ :—					
1.	रोहनीया	पूर्ण	20.	कारनीया	अपूर्ण
2.	जाडी	अपूर्ण	21.	सुनारीया	,,
3.	बावडीडिडोर	,,	22.	बावलीयापाडा	,,
4.	जोगडीमाल	,,	23.	रोजडाखाल	,,
5.	उमरीयावाला	,,	24.	कदवालीबडी	,,
6.	सूरजकुण्ड पुराना	पूर्ण	25.	महुडा	,,
7.	रीछकोटरा	अपूर्ण	26.	टान्डावडला	,,
8.	मोरखरी	अपूर्ण	27.	चुडादा	,,
9.	जालमपुरी	,,	28.	डूगरीपाडानाकावाला	,,
10.	घोलका	,,	29.	आम्बापाडाबांसडी	,,
11.	बस्सी	,,	30.	पलकापाडा	,,
12.	जनावाला	,,	31.	रणजीतगढ़	,,
13.	रागापाडा	पूर्ण	32.	बासंडी	,,
14.	पाडला	अपूर्ण	33.	डुंगरमीत्त	,,
15.	हमीरपुरा	,,	34.	लोहारीया	,,
16.	दरोवडीया	,,	35.	तालाब फेराडूंगरी	पूर्ण
17.	अन्दोख	अपूर्ण	36.	विजलपुर	अपूर्ण
18.	मिर्चघाटी	,,	37.	कांकनवानी	पूर्ण
19.	सींगतबकुण्डी	,,	38.	उदेयगढ़ किशनावट	पूर्ण

आवश्यक वस्तु अधिनियम

83. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No.186

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार कौन-कौन से राज्यों में इस कानून की उपयोगिता न मानकर इसे वापिस ले लिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में कितने वाद विचाराधीन हैं? विस्तृत विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। आवश्यक वस्तु अधिनियम केन्द्र सरकार का अधिनियम है। अतः इसे राज्य सरकार समाप्त नहीं कर सकती।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम की उपयोगिता न मानकर किसी राज्य ने इसे वापिस ले लिया हो, ऐसी अधिकृत जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में विचाराधीन वादों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

क्र. सं.	नाम जिला	वादों की संख्या
1.	अजमेर	86
2.	अलवर	338
3.	बाड़मेर	57
4.	बांरा	49
5.	बांसवाड़ा	22
6.	भरतपुर	94
7.	भीलवाड़ा	206
8.	बीकानेर	34
9.	बूंदी	25
10.	चितौड़गढ़	8
11.	चूरू	22
12.	दौसा	43
13.	धौलपुर	48
14.	डूंगरपुर	47
15.	गंगानगर	46
16.	जयपुर	155

1	2	3
17.	जैसलमेर	शून्य
18.	जालौर	29
19.	झालावाड़	30
20.	झुझनू	106
21.	जोधपुर	252
22.	कोटा	84
23.	नागौर	78
24.	पाली	127
25.	राजसमन्द	44
26.	सवाई माधोपुर	138
27.	सीकर	30
28.	सिरोही	24
29.	टोंक	20
30.	उदयपुर	119

जिला बूंदी में भू-संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये कार्य

84. **श्री रामनारायण (नैनवां) :** क्या कृषि (भू-संरक्षण) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भू-संरक्षण विभाग द्वारा बूंदी जिले में कार्य करवाये हैं ? यदि हां तो 1 जनवरी, 1990 से अब तक किस गांव में कितनी-कितनी राशि के ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग द्वारा करवाए गए कार्यों की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा कितने-कितने प्रतिशत कार्यों की जांच की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा बून्दी जिले में विभिन्न योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1990 से अब तक करवाये गये कार्यों का ग्रामवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–1 पर है, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा करवाये गये कार्यों की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की जाती है। उप निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग,

Page No.188

(कृषि (भू-संरक्षण) राज्य मन्त्री)

सवाई माधोपुर द्वारा वर्ष 1992–93 में 43.75% तथा वर्ष 1993-94 में 42.85% कार्यों की जांच की गई है। जांच रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट–2 से 6 पर संलग्न है, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्योपुर हाउस, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग जयपुर के बाहर अतिक्रमण

85. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाबा हरिश्चंद्र मार्ग (चांदपोल बाजार), जयपुर चौकड़ी तोपखाना देश, अंधेरी दरवाजे के पास श्योपुर हाउस में मकान नं. 1513, 14, 15 व 16 के सामने सरकारी भूमि से स्वायत्त शासन विभाग ने अतिक्रमण को हटाया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चौकड़ी के निवासियों ने इस सरकारी भूमि पर फिर से अवैध अतिक्रमण होने की सूचना विभाग को दी थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की ? अतिक्रमण करने वालों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सरकारी जमीन पर से पुनः किये हुए अवैध अतिक्रमण को हटाकर, सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की है ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। न्यायालय का स्थगन आदेश के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। श्री विष्णु सिंह द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

(3) न्यायालय के निर्णय उपरांत ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगा।

(4) न्यायालय से यथास्थिति के आदेश के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।

चारलाई से नेवरी (बालोतरा) सड़क निर्माण

86. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कृषि उपज मण्डी बालोतरा द्वारा चारलाई से नेवरी सड़क का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो इस सड़क को स्वीकृत कर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति, बालोतरा द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या—1 दिनांक 3-1-94 के द्वारा चारलाई से नेवरी सम्पर्क सड़क का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव कृषि विपणन विभाग को भिजवाया है। कृषि उपज मण्डी समिति के प्रस्ताव का उक्त सड़क निर्माण के खर्चे के पूर्वानुमान मण्डी की आर्थिक स्थिति एवं अन्य वांछित सूचना प्राप्त कर परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण के उपरान्त स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा।

भरतपुर शहर के कच्चे परकोटे पर निर्मित निर्माण कार्यों का नियमन

87. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर शहर के चारों ओर स्थित कच्चे परकोटे पर किये गये निर्माण कार्यों को नियमित करने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं।

मण्डी टैक्स का विकेन्द्रीकरण

88. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जब किसान अपनी तैयार फसल मण्डी में बेचता है तब मण्डी द्वारा किसान को पर्ची दी जाती है और उस पर्ची पर किसान (फसल बेचने वाले) का पूरा पता एवं जिले का नाम होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मण्डी टैक्स की राशि जिस जिले के किसान की पर्ची है उसी पर्ची के आधार पर मण्डी टैक्स उसी जिले को देने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मण्डी टैक्स केन्द्रीयकरण होने के कारण विभाग के मुख्यालय पर किसान फसल बेचता है जिससे सम्पूर्ण मण्डी टैक्स विभाग मुख्यालय पर ही जमा हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मण्डी का विकेन्द्रीकरण करके किसान के जिले में मण्डी टैक्स देने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कृषक द्वारा अपनी उपज का मण्डी में विक्रय करने पर उसे क्रेता व्यापारी/"क" वर्ग दलाल द्वारा विक्रय पर्ची दी जाती है उसमें उसका नाम व पता लिखा जाता है, लेकिन जिला अंकित नहीं किया जाता है।

मण्डी शुल्क क्रेता व्यापारी/"क" वर्ग दलाल से लिया जाता है। कृषक अपनी उपज जिस मण्डी में विक्रय करता है उसी मण्डी के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के प्रतिफल के बदले क्रेता व्यापारी/"क" वर्ग दलाल से मण्डी शुल्क वसूल किया जाता है। जिस जिले का कृषक माल विक्रय हेतु जिले से बाहर की मण्डी में ले जाता है तो मण्डी

(कृषि राज्य मंत्री)

शुल्क जहां विक्रय होता है उसी मण्डी समिति में जमा कराया जाता है। उसी राशि को उसके गृह जिले की मण्डी समिति में भेजने का प्रावधान राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 में नहीं है।

(2) जी नहीं।

राज्य में 137 मण्डियां एव उनके अधीनस्थ 250 गौण मण्डियां हैं जहां कृषक अपनी उपज बेचने को स्वतन्त्र है। जहां कृषक अपनी उपज विक्रय करेगा वहीं के क्रेता व्यापारी/"क" वर्ग दलाल से सम्बन्धित मण्डी समिति मण्डी शुल्क वसूल करती है। मण्डी शुल्क विभाग के मुख्यालय पर वसूल नहीं किया जाता है। जिस जिले का किसान है उस जिले की मण्डी समिति को मण्डी शुल्क से प्राप्त राशि को भेजने का प्रावधान राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 में नहीं है।

जोधपुर शहर में जल वितरण

89. **श्रीमती सूर्यकांता** (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में कितनी मात्रा में प्रतिमाह जल वितरण किया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में प्रतिमाह जितना पेयजल दिया जा रहा हैं उससे अधिक राजस्व वसूली की जाती है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में की गई राजस्व वसूली का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रेल, 93 से जनवरी 94 तक की अवधि के दौरान जोधपुर शहर की औसत प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति लगभग 205 लाख गैलन रही है।

(2) पेयजल राजस्व की वसूली खपत की गई मात्रा के आंकलन एवं निर्धारित दरों के आधार पर ही की जा रही है। गत तीन वर्षों में प्राप्त जल राजस्व का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर सलग्न हैं।

जोधपुर जल प्रदाय योजना पर पिछले तीन वर्षों में राजस्व वसूली का विवरण

वर्ष	प्राप्त राजस्व (लाख में)
1991–92	403.48
1992–93	471.29
1993–94 (20 जनवरी, 94 तक)	312.04

नवलगढ़ कृषि मण्डी क्षेत्र की आरा मशीनों से कर वसूली

90. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झुन्झुनू जिले की नवलगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र में कुल कितनी आरा-मशीनें हैं तथा वर्ष 1991-92 से 1993-94 में कितना मण्डी टैक्स वसूल किया गया ?

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ़ क्षेत्र में कुल 53 आरा मशीनें हैं। आरा मशीनों से इस मण्डी में आय वर्ष 1991-92 में रुपये 1,741.60 वर्ष 1992-93 में रुपये 846.40 व वर्ष 1993-94 में जनवरी, 94 तक कोई आय नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की पंचायत योजनाएं

91. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर)—क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं जो पेयजल समस्या से ग्रस्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) समस्याग्रस्त गांवों में से ऐसे कितने ग्राम हैं जिनकी योजनाएं तो स्वीकृत हो चुकी हैं किन्तु क्रियान्विति विचाराधीन है ? सरकार उक्त क्षेत्रों में पेयजल सुविधा कब तक सुलभ करा देगी ?

उत्तर

(1) उल्लेखित क्षेत्र के सभी 117 ग्राम विभिन्न पेयजल योजनाओं द्वारा लाभान्वित किये जा चुके हैं परन्तु कुछ ग्रामों में वितरित पेयजल की मात्रा एवम् गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं है। वर्तमान में पेयजल की समस्या से ग्रस्त ग्रामों की संख्या का सर्वेक्षण पूर्ण किया जा कर सही आंकलन किया जा रहा है।

(2) इनमें से ग्राम गोविन्दपुरा हरदयालपुरा एवं भीचरी की संवर्धन योजना स्वीकृत हैं जिसे मार्च 94 तक पूर्ण करना लक्षित है।

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का विवरण

बेगूं विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों एवं मजरो का विवरण

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम	जनसंख्या 1991 की जनगणनानुसार
1.	2.	3.	4.
1.	बेगूं	खडामा	424
2.	"	निमोदा	530
3.	"	बलकुण्डी खुर्द	140
4.	"	बलकुण्डी कला	465
5.	"	देवपुरा	997
6.	"	कंवरपुरा	470
7.	"	प्रेमपुरा	249
8.	"	गडवाडा	18
9.	"	करूण्डिया	32
10.	"	बालेच्छा	24
11.	"	गोरकिया	23
12.	"	कोडिया खाल	9
13.	"	हाजीपुर	43
14.	"	कॉटी	116
15.	"	किशनगढ़	32
16.	"	नयागांव चौहानो का	5
17.	"	धरमदासजी काखेडा	34
18.	"	सरलीका खेडा	22
19.	"	कचोलिया	63
20.	"	जालपपुरा	26
21.	"	नाई की तलाई	137
22.	"	पाडलबन्दा	10
23.	"	गोपालपुरा	60
24.	"	गोविन्दपुरा	98
25.	"	दौतड़ा	69
		योग :-	4096

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 90 का विवरण

शहरी क्षेत्रों में पेयजल की वितरित मात्रा एवं निर्धारित मापदण्ड

(1981 की जनगणना के आधार पर वर्तमान में मात्र 201 शहरी जल योजनाओं के आंकड़े ही उपलब्ध है)

क्र. सं.	मापदण्ड		वितरित मात्रा		
1)	20,000 तक जनसंख्या वाले शहरों में न्यूनतम 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन		क्रम संख्या 1 के क्रम में वितरण स्थिति :—		शहरों की संख्या
	उपरोक्त शहरों की संख्या	94	1) 50% से अधिक वितरित मात्रा	1)	82
			2) 25% से 50% के मध्य वितरित मात्रा	2)	11
			3) 25% से कम वितरित मात्रा	3)	1
2)	20,000 से अधिक एवं 1 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों में न्यूनतम 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन		क्रमसंख्या 2 के क्रम में वितरण स्थिति		शहरों की संख्या
	उपरोक्त शहरों की संख्या	93	1) 50% से अधिक वितरण मात्रा	1)	63
			2) 25% से 50% के मध्य वितरण मात्रा	2)	30
3)	1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में न्यूनतम 150 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन		1) क्रम संख्या 3 के क्रम में वितरण स्थिति		शहरों की संख्या
	उपरोक्त शहरों की संख्या	14	1) 50% से अधिक वितरण मात्रा	1)	12
			2) 25% से 50% के मध्य वितरण मात्रा	2)	2

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 93 का विवरण

क्र. सं.	वर्ष 1992–93 के सर्दियों में तख्त-सागर का जल स्तर (फीट में)			वर्ष 1993–94 के सर्दियों में तख्त-सागर का जल स्तर (फीट में)		
	नवम्बर 1992	दिसम्बर 1992	जनवरी 1993	नवम्बर 1993	दिसम्बर 1993	जनवरी 1994
1.	46·45	41·80	43·90	16·00	22·60	24·00
2.	46·50	40·70	44·00	16·00	22·60	24·20
3.	46·40	40·10	44·02	16·00	22·65	24·40
4.	46·35	39·90	44·15	15·98	22·65	24·50
5.	46·35	39·95	44·10	15·95	22·65	24·60
6.	46·30	40·25	44·15	16·30	22·50	24·80
7.	46·30	40·40	43·95	16·80	22·75	24·95
8.	46·30	40·55	43·80	17·10	23·20	24·90
9.	46·30	40·55	43·75	17·70	23·60	24·60
10.	46·25	40·85	43·55	17·80	23·60	24·60
11.	46·20	41·05	43·60	17·80	23·60	24·55
12.	46·20	41·30	43·70	17·80	23·60	25·00
13.	46·15	41·40	43·95	18·10	23·65	25·25
14.	45·95	41·45	44·15	18·40	23·65	25·45
15.	45·85	41·60	44·23	18·90	23·65	25·40
16.	45·90	41·70	44·35	19·28	23·60	25·35
17.	45·90	41·90	44·50	19·20	23·95	25·30
18.	46·00	42·10	44·65	20·15	24·30	25·28
19.	45·95	42·35	44·70	20·35	24·40	25·23
20.	46·00	42·55	44·75	20·35	24·50	25·23
21.	46·10	42·55	44·85	20·40	24·60	25·10
22.	45·70	42·75	44·93	20·25	24·50	25·15
23.	45·10	42·85	44·85	20·65	24·50	25·10
24.	44·60	42·95	44·95	21·20	24·50	25·15
25.	44·20	43·05	45·05	21·62	24·50	25·10
26.	43·80	43·22	45·10	22·05	24·45	25·07
27.	43·35	43·32	45·15	22·40	24·40	25·02
28.	42·85	43·40	45·15	22·45	24·35	25·00
29.	42·35	43·50	45·23	22·50	24·35	24·95
30.	41·80	43·62	45·23	22·45	24·30	24·95
31.	—	43·74	45·28	—	24·30	24·90

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 108 की सूची

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पंचायत समिति भोपालगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं. 1	प्रा. विद्यालय का नाम 2	रिक्त पदों की संख्या 3
1.	हिंगरनिया	1
2.	खोखरिया	1
3.	रामडावास कला (छात्र)	2
4.	रामड़ावास कला (छात्रा)	1
5.	हेमा की ढाणी	1
6.	खाखली नाड़ी	1
7.	आमलियावास	1
8.	मलार	1
9.	ब्राह्मणों की ढाणी	1
10.	रातकुडिया	1
11.	सरगिया खुर्द	1
12.	अंगटा (छात्र)	1
13.	खांगटा (कन्या)	1
14.	साथीन (कन्या)	1
15.	कोसाना (छात्र)	2
16.	कोसाना (कन्या)	1
17.	जाखड़ों की ढाणी	1
18.	सतवागियों की ढाणी	1
19.	घोड़ावट	1
20.	माडपुरिया	1
21.	मेरासिया	1
22.	रतारियाखांगार	2
23.	ज्याणियों की ढाणी	1
24.	बासकी बुवा	1
		27

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 113 का विवरण

राज्य शासन से परिवहन निगम को प्राप्त सामान्य निर्देशों/आदेशों की क्रियान्विति का विवरण।

क्र.सं.	निर्देशों/आदेश का विवरण	प्राप्त होने की दिनांक	क्रियान्विति का विवरण
1	2	3	4
1.	पैट्रोलियम पदार्थों की खपत में कमी लाने बाबत।	29-9-90	1. केवल वरिष्ठ अधिकारियों को 100.00 रुपये प्रति माह के भुगतान के आधार पर निगम वाहन को निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास ले आने हेतु अधिकृत किया गया, और 100.00 रुपये प्रति माह उनके वेतन से कटौती प्रारम्भ की गई। 2. अधिकारियों को ऐसे स्थानों का दौरा निगम वाहन से करने पर रोक लगाई गई जो सड़क मार्ग से जुड़े हैं। 3. रविवार के दिन निगम वाहन का उपयोग किये जाने पर पाबन्दी।
2.	कागज खपत की में कटौती/मितव्ययता	4-12-91	डायरियां/कलेण्डर/शुभकामना सन्देश एव उपहार आदि पर कोई व्यय नहीं किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये गये।
3.	नई भर्ती पर रोक लगाये जाने बाबत।	5-2-92	निगम में सभी पदों पर नई भर्ती पर रोक लगाई गई। आवश्यकतानुसार केवल चालकों के पदों पर भर्ती किये जाने हेतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त की गई।

1	2	3	4
4.	पुलिस कर्मियों को निगम की बसों में यात्रा हेतु पास जारी करने के संबंध में।	29-2-92	राज्य शासन से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पुलिस कर्मियों को वारन्ट स्कीम के अन्तर्गत निगम वाहनों में यात्रा करने की सुविधा दिनांक 1-3-93 से प्रदान की गई।
5.	नये मार्गों का राष्ट्रीयकरण न किये जाने के संबंध में।	1-4-92	निर्देशों के अनुसरण में निगम द्वारा राज्य शासन को नये मार्गों के राष्ट्रीयकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं।
6.	अनुत्पादक एवं परिहार्य व्यय को समाप्त किये जाने एव प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता के दृष्टिकोण से प्राप्त निर्देश	1-1-91	निर्देशों के अनुसरण में यात्रा व्यय, बिजली पानी पर व्यय में कमी लाई गई, फर्नीचर के क्रय पर प्रतिबन्ध लगाया गया. वायुयान, कार/वाहन से यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाया गया। टेलीफोन-ट्रंककाल व्यय पर प्रतिबन्ध लगाया गया एवं अन्य साज-सज्जा व मंहगे कार्यालय उपकरणों के क्रय पर रोक लगाई गई।
7.	राजकीय परिवहन उपक्रमों की संचालनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के संबंध में।	18-9-92	योजना आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में निगम की संचालनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाया जाकर संचालनिक कार्यकुशलता में वृद्धि की गई जिससे निगम का संचालन आर्थिक रूप से लाभ में आ सका है।

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची

नागौर जिले में वर्ष 1993–94 के दौरान स्वीकृत सम्पर्क सड़कों का विवरण

क्र. सं.	तहसील का नाम	सम्पर्क सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि. मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	नागौर	खुरखुरा खुर्द से करलू	7.00	19.95
2.	नागौर	डेहरू	6.00	11.10
3.	जायल	डूगोली से रोटू	3.00	8.55
4.	जायल	मगलोद से सोनेली	7.00	12.95
5.	मेडतासिटी	लाडवा प्याऊ से रोहिसा वाया मेड़ास	11.00	28.35
6.	डीडवाना	छोटी छापरी से सरदारपुरा (विस्तार)	1.00	4.00
7.	डीडवाना	खुनखुना से सानियां (विस्तार)	1.00	4.00

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 115 की सूची

वर्ष 1991–92, 1992–93 व 1993–94 में जोधपुर जिले में विभिन्न तहसीलों में स्वीकृत सम्पर्क सड़कों की सूची

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	तहसील
वर्ष 1991–92		
1.	बिलाड़ा से बिजवाड़िया	बिलाड़ा
वर्ष 1992–93		
1.	ग्राम करवड़ से उजलिया वाया माधानाथ	जोधपुर
2.	मंडलनाथ फाटा से दईजर गांव (मथानिया)	जोधपुर
3.	मणाई से बिजवाडिया सड़क की तरफ	जोधपुर
4.	बीनाकिया चौराहा से खेजड़ली प्याऊ	जोधपुर
5.	मण्डूकला से बडलिया	जोधपुर
6.	गंगाणी बासनी सिलावटा	जोधपुर
7.	भंवर से गोदावास वाया सारणों की ढाणी	जोधपुर
8.	वालेसर तीवरी रोड़ से बस्तवा (मीसिंग)	शेरगढ़
9.	जोधपुर पोकरण रोड़ से केतुकला	शेरगढ़
10.	54 मील केतु फाटा से रायसर	शेरगढ़
11.	जेलू गगाडी से पांचला खुर्द	ओसिया
12.	कड़वा से बापीनी	ओसिया
13.	मथानिया से भैंसर कोतवाली	ओसिया
14.	मतोड़ा से कड़वा	ओसिया
15.	माखरी से इसरू	फलोदी
16.	फलौदी से मालसिंह की सीड (मीसिंग)	फलोदी
17.	चाडी रोड से रिडमलसर	फलोदी
18.	इसरू से स्वाप	फलोदी

1	2	3
वर्ष 1993–93		
1.	फलौदी देचू रोड से खावरीज	फलौदी
2.	बिलाड़ा जोधपुर से पोकरण से मंडला	फलौदी
3.	आहू केलनसर से जैसला	फलौदी
4.	गंगानी से बासनी सिलावटा	जोधपुर
5.	जोधपुर बालेसर से लूणावास खारा	जोधपुर
6	जोधपुर बाड़मेर रोड़ से वाली	जोधपुर
7.	बाड़मेर आसोप रोड से दडकला जालेली	जोधपुर
8.	धान्धना फाटा से दड़कला वाया जाजीवाल खिचिया	जोधपुर
9.	पालड़ी पवारा से पालडी खिचिया	जोधपुर
10.	मण्डू से कालीजल	जोधपुर
11.	कुडी से सांगरिया	जोधपुर
12.	ढोली से गगाणा	जोधपुर
13.	झंवर से गोदावास	जोधपुर
14.	14 मील नागौर रोड से जाजीवाल भाटिया वाया लोरड़ी पण्डित जी	जोधपुर
15.	मोकलावास से रोहिला	जोधपुर
16.	समराऊ रेल्वे स्टेशन से समराऊ	ओसिया
17.	पालड़ी नौसर से नौसर	ओसिया
18.	बेड़ों का वास	ओसिया
19.	जोधपुर पोकरण रोड़ से खेखाला	शेरगढ़
20.	चामू चावा खोखर रोड़ से केतु	शेरगढ़
21.	जोधपुर शेरगढ़ से सियाड़ा	शेरगढ़

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 117 की सूची एवं प्रति

पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	व्यय (लाखों में)
मण्डी समिति, भीलवाड़ा (कोटड़ी)			
1.	बड़लिया बास से हनुमान जी	2.00	1.87
2.	स. सड़क जावल	2.50	3.34
3.	स. सड़क रेणवास	2.00	3.03
4.	कोटड़ी से घोकलया	1.00	3.43
5.	स. सड़क उदलियान	4.00	5.26
6.	सांखला से बेलवा	2.00	3.79
7.	कोटाज से कांटी	3.00	6.50
8.	सांखड़ा से छापरेल	1:00	1.05
9.	पारोली से जागुदार	1.00	1.55
मण्डी समिति, जहाजपुर :—			
1.	स. सड़क जालमपुरा	1.00	0.69

राजस्थान सरकार

(कृषि (ग्रुप–2) विभाग

निदेशक,

कृषि विपणन विभाग,

राज., जयपुर।

क्रमांक–प. 13 (29) कृषि/ग्रुप–2/93 जयपुर, दिनांक 17-2-94

विषय :–कृषि उपज मण्डी समितियों में नवीन सम्पर्क सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति बाबत्।

प्रसंग :—विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 17-12-93 में लिये गये निर्णय।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

1. विपणन बोर्ड प्रति वर्ष अपने बजट में विशेष मरम्मत की सड़कों के लिए एक निश्चित राशि का प्रावधान रखेंगे जिसमें से वे "स" व "द" श्रेणी की मंडी क्षेत्र में आने वाली पुरानी व जीर्ण शीर्ण सड़कों की "विशेष मरम्मत" के लिए राशि व्यय करेंगे। इसके अलावा इस प्रावधान में से "ब" श्रेणी की मंडियां, जिसमें वित्तीय संसाधन कम है तथा निदेशक, कृषि विपणन जिनकी प्राथमिकता तय कर प्रस्ताव विपणन बोर्ड को प्रेषित करते हैं, उनके क्षेत्र की पुरानी जीर्ण-शीर्ण सड़कों की विशेष मरम्मत भी की जावेगी।

2. विशिष्ठ श्रेणी "अ" श्रेणी तथा "ब" श्रेणी की मंडियों के क्षेत्र में आने वाली समस्त पुरानी व जीर्ण शीर्ण सड़कों के लिए "विशेष मरम्मत" का कार्य सम्बन्धित मंडी समिति के फण्ड में से मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सम्पादन कराया जावेगा।

3. सामान्यतः किसी भी मंडी समिति को उपलब्ध संसाधनों में से प्रशासनिक व्यय निकालने के बाद उपलब्ध धनराशि में से लगभग 60 प्रतिशत मंडी क्षेत्र

की सम्पर्क सड़कों के निर्माण व 40 प्रतिशत राशि मंडी यार्ड के निर्माण, वृद्धि आदि पर व्यय की जावेगी।

कृपया इनकी पालना आश्वस्त करें।

भवदीय,

हस्ताक्षर 17-2-94
(रमेश कुमार जैन)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :—

1. प्रशासक/सचिव, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्यमंत्री, कृषि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि उत्पादन।
4. श्री महेन्द्र मधुप, उप निदेशक, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

हस्ताक्षर 17-2-94
उप शासन सचिव

परिशिष्ट—11

नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

ईसरराय सोनी (लूणकरणसर) की कथित हत्या की जांच

मान्यवर,

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न मुद्दा उठाना चाहता हूं :—

दिनांक 13 सितम्बर, 1993 की अर्द्ध रात्रि में श्री ईसरराम सोनी निवासी लूणकरणसर, जिला बीकानेर के घर में प्रवेश करके कुछ अज्ञात लोगों ने परिवार के दो सदस्यों की हत्या की । पांच अन्य सदस्यों को गंभीर रूप से घायल करके मरणासन्न अवस्था में छोड़कर घर का समान जेवरात एवं नगदी लूटकर ले गये । लेकिन पुलिस प्रशासन इस संबंध में अपराधियों को पकड़ने में अब तक असमर्थ रहा है । अतः इस मामले के अनुसंधान हेतु विशेष व्यवस्था करके अपराधियों का शीघ्रता से पता लगाकर माल बरामद कराया जावे तथा उन्हें माकूल सजा दिलाई जाये ।

[श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) **]**

राज. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा कनेक्शन पर वसूल किया जाना वाला चार्ज

महोदय,

राजस्थान विद्युत बोर्ड, एक पोल व बिना पोल कनक्शन दिये पर 8000 /– लगभग चार्ज करता है जो किसानों के लिये बहुत अधिक हैं ।

माननीय अध्यक्षजी वैसे भी यह वर्ष अभावग्रस्त है किसानों की हालत आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर है एक साधारण किसान के लिये यह राशि चुकाकर कनेक्शन ले पाना सर्वथा असमव है ।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि रा. रा. विद्युत मंडल द्वारा उक्त राशि को कम कराई जाकर किसानों को राहत प्रदान कराई जाने का कष्ट करें ताकि इस योजना का लाभ एक साधारण किसान भी प्राप्त कर सकें ।

[श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) **]**

बिजोलिया ग्राम में पेयजल की नियमित आपूर्ति

महोदय,

मेरे क्षेत्र के बिजोलियां कस्बे में पेयजल की विकट समस्या है । आज पानी की आपूर्ति नियमित नहीं हो रही है । 24 घण्टे मोटरें चलने के बावजूद एक घण्टा ही लोगों

को पानी पहुंच रहा है वह भी कई मोहल्लों में नहीं पहुंचता है। नल योजना 25 वर्ष पूर्व बनी थी। पानी की टंकी बहुत छोटी है, पाइप लाइन 5 इंची लगी हुई है। डायरेक्ट सप्लाई होने से पानी का प्रेशर नहीं बनता है इस कारण लोगों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है।

बिजोलिया को मण्डोल बांध से पानी दिया जा रहा है। फिल्टर प्लांट बने हुए डेढ़ वर्ष हो गया है परन्तु तकनीकी खामी होने से उपयोग में नहीं आ रहा है जिससे लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है जिससे बीमारियां हो रही है।

पानी का मण्डोल बांध ही एक मात्र सोर्स है परन्तु इससे सिंचाई भी होती है इसलिए पानी बहुत ही कम रहता है इसको यदि दो पिट और रेज करवा दिया जाए और वह पानी बिजोलिया की जनता को पीने के लिए एक ही उपयोग में आये ऐसी व्यवस्था होना अति आवश्यक है।

फिल्टर प्लांट को चालू करने के लिए विभाग के अधिकारियों से स्वयं मंत्री महोदय से कई बार निवेदन किया परन्तु अभी तक दो माह हो गये कार्य शुरू नहीं हुआ। लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिले यह सरकार का दायित्व बनता है। कनिष्ठ अभियन्ता जलदाय विभाग बिजोलियां अक्सर गायब रहता है।

आदरणीय बिजोलिया ग्राम के लिए रिओर्गेनाइजेशन वाटर सप्लाई स्कीम के के तहत योजना बनी है। 8–1–94 को अधिशाषी अभियन्ता ने इस स्कीम को बनाने व सर्वे करने के आदेश दिये परन्तु इस दिशा में आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है।

बिजोलियां की जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए अति आवश्यक है कि मण्डोल बांध को रेज किया जाय वह पानी पीने के लिए ही उपयोग हो। टंकी वर्तमान आबादी को ध्यान में रख बड़ी बने। पाइप लाइनें बड़ी डाली जाए तब ही पानी की समस्या हल हो सकती है।

माननीय से निवेदन है कि इस दिशा में अति शीघ्र कार्यवाही करा जनता को पीने के पानी के अभाव में मरने से बचायें।

[श्री रामेश्वरलाल भारद्वाज (किशनपोल)]

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के पदाधिकारियों में मतभेद एवं वित्तीय अनियमितताएं

महोदय,

राज्य सरकार ने राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर की स्थापना 1958 ई. में की और सन् 1962 में राज्यादेश से इसका एक संविधान स्वीकृत किया। अकादमी को सरकार शत प्रतिशत अनुदान प्रति वर्ष देती है। इसकी एक सामान्य सभा (सरस्वती सभा) है जो बजट व कार्यक्रम पारित करती है और कार्यकारिणी (संचालिका) प्रवृत्तिगत निर्णय करती है।

इस अकादमी में राष्ट्रपति शासन के दौरान 2 सितम्बर, 93 को श्री वेद व्यास को अध्यक्ष नियुक्त किया और श्री व्यास ने 18 सितम्बर से कार्य करना शुरू किया। श्री व्यास की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद अध्यक्ष तथा कार्यसमिति के अन्य सदस्यों अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष व सचिव के मध्य सहयोग की भावना न होकर तीव्र विवाद, बयानबाजी व झगड़े शुरू हो गये। अध्यक्ष ने कार्यसमिति के निर्णयों को नजर अन्दाज कर समारोहों के संयोजकों व स्थानों को बदल दिया तथा कार्यसमिति की बैठक 12—3—93 में अपने निर्णयों को वापस ले लिया जिससे समारोह होने संदिग्ध हो गये। अध्यक्ष ने कार्यसमिति की बैठक दिनांक 22—12—93 के निर्णयों को मनमाने रूप से व गलत तरीके से हेर-फेर कर दिए जिसको लेकर राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी तथ्यात्मक जांच कराई गई। दूसरी ओर अध्यक्ष द्वारा भविष्य में अनियमित कार्य करने, मनमाने फैसले कर अनुमोदन कराने की आशंका प्रकट की गई।

अकादमी अध्यक्ष श्री व्यास ने जयपुर में मनमर्जी से 1200 रु. मासिक में मकान किराये ले लिया तथा 1000 रु. माहवारी वाहन भत्ता 1 सितम्बर, 93 से बिना किसी नियम के अवैध रूप से लेना शुरू कर दिया। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 18—11—93 से अनुमोदन नहीं करने पर भी उसे जारी रखा। हजारों रुपया यात्रा भाड़े, आतिथ्य, अध्यक्षीय कार्यालय, डाक फोन आदि के नाम से व्यय किए जाने लगे दूसरी ओर लेखकों को ग्रन्थ सहयोग, पाडुलिपि प्रकाशन सहयोग, साहित्यकार सहयोग, संस्था सहयोग, पत्र पत्रिका सहयोग आदि रोक दिया गया। बिना निर्णय के राशि व्यय करना गम्भीर अवैधानिकता है और मिसएप्रोप्रियेशन ऑफ मनी में आता है। अध्यक्ष समाचार पत्रों व पेम्फलेटों आदि के द्वारा राज्य सरकार, शिक्षा मन्त्रीजी, व भाजपा के विरुद्ध जहर उगल रहे हैं। अध्यक्ष तथा अकादमी कर्मचारियों के मध्य भी नियमों की पालना न होने व दमन से तीव्र विवाद व असंतोष पैदा हो गया है।

अध्यक्ष ने कर्मचारियों पर चार्जेज लगाये हैं तो कर्मचारियों ने अध्यक्ष के विरूद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं जिनके समाचार आये दिन प्रकाशित हो रहे हैं। अकादमी कर्मचारी संघ ने अध्यक्ष को नहीं हटाने पर आन्दोलन की धमकी दी है तो दूसरी ओर अध्यक्ष ने सरस्वती सभा, संचालिका समिति के सदस्यों पर गम्भीर आक्षेप किए है। ऐसी ही स्थिति पहले राजस्थान अकादमी बीकानेर में भी पैदा हो गई थी।

इस तरह राजस्थान साहित्य अकादमी में सम्पूर्ण कार्य ठप्प हो गया है पारस्परिक मतभेद, असंतोष, विवाद व अवैधानिकताओं से राशि का दुरूपयोग हो रहा है। राज्य सरकार विवश है तथा साहित्यकारों को सहयोग व साहित्य संवर्द्धन का कार्य नहीं हो पा रहा है। अकादमी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल हो रही हैं। जनता, बुद्धिजीवी, साहित्यकार व कर्मचारी अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं। यह वित्तीय सत्र 93–94 समाप्त हो रहा है अतः राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत हैं।

[श्री रिछपाल मिर्धा (डेगाना)]

डेगाना (नागौर) के गांवों में पेयजल समस्या

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अनेक गांवों एवं ढाणियों में पेयजल की समस्या बनी हुई है। आने वाले गर्मी मौसम में इसके उग्र रूप धारण करने की आशंका है। तहसील के कई ग्राम ऐसे है जहां पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। तथा ग्रामीण भारी परेशानी में है। ग्राम गोठडा तथा विखरणीया खुर्द में पानी खारा तथा पीने के योग्य नहीं है। इनकी आबादी 3000 है। तथा पशुओं की संख्या 2500 है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अनेकों गांवों का पानी खारा तथा फ्लोराईड युक्त है। जिसके पीने से अनेको प्रकार की बीमारियां जैसे पेट दर्द, जोडों में दर्द, नपुंशकता, रात्रि में नहीं दिखना आदि उत्पन्न हो गई है। पिछले आठ-दस वर्षों से वर्षा कम होने की वजह से क्षेत्र के कुओं का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में जल वितरण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः अनेक ग्रामों के कुओं की बोरिंग करवा कर सरकार द्वारा पंचायत समिति डेगाना की जनता को पेय जल सुलभ कराया जावें। उदाहरणार्थ ग्राम वरणा, किरोदा, आक्षोजाई, राजोद, खुडी खुर्द, पचरेडा खुर्द, सामटियां की ढाणी, माटा, इटावहा भोजा, कील का की ढाणी, आदि में कुओं की बोरिंग करवा कर चालू किये जावें। पंचायत समिति सीयावड़ी के ग्राम ओरियांना वाफली बनवाडा, आसन.

जसवन्तपुरा, रोहिसड़ा, सूरजगढ़, रावत खेड़ा, बाडीघाटी, बन्जारों की ढाणी, किल्ला, ताखिता रेगरों की ढाणी आदि ग्रामों में भी कुओं को बोरिंग करवा कर शीघ्र चालू किये जावें।

इन गांवों के अतिरिक्त कई ग्राम तथा ढाणियां ऐसी है जिनको किसी भी जल प्रदाय योजना से अभी तक खोला नहीं गया है। जैसे सियागा की ढाणी, गोदारों की ढाणी कोल.का ढाणी (बौसली) रातडियां की ढाणी (खडीकला) कीतलसर की ढाणियां करीब 8–10 ढाणियां है। जिनकी आबादी करीब 1500 की है, शेखावतों की ढाणी, सोवा की ढाणी, सुन्दरियों की ढाणी (ग्राम पंचायत गणपती), मुन्डेलपुरा आदि ग्रामों एवं ढाणियों के बके, प्रस्ताव भी भिजवाकर नई योजनाएं स्वीकृत करवाकर लाभान्वित किया जावें।

इसके अतिरिक्त अधिकांश जलप्रदाय योजनाओं पर विद्युत की आपूर्ति भी बराबर नही हो पा रही है जिसकी वजह से इन योजनाओं द्वारा जल का वितरण अधिक दबाव से नहीं हो पाता है इस कारण से अन्तिम छोर के गावों में जल आपूर्ति नियमित रूप से नही हो पा रही है। अतः विद्युत की आपूर्ति भी बराबर की जावे ताकि जल वितरण में सुधार हो सकें। अधिकतर जल प्रदाय योजनाओं पर कार्यरत कर्मचारियों की लापरवाही से भी पेयजल का वितरण सही नहीं हो पा रहा है इस सम्बन्ध में अनेकों बार सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने पर भी लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अतः आपके माध्यम से मैं पुरजोर शब्दों में यह मांग करता हूं कि पेयजल की समस्या से ग्रस्त डेगाना विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों एवं ढाणियों के गरीब ग्रामिणों एवं मवेशियों को पेयजल की व्यवस्था शीघ्र कीं जावें।

[श्री नाथू राम अहारी (डूंगरपुर)]

कुओं का निर्माण एवं सिंचाई-सुविधा

महोदय, जी

डूंगपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है जहां जनजाति के काश्तकारों के पास अपर्याप्त जमीन पहाड़ों के बीच में है जहां मात्र सिवाय पत्थर के अलावा कुछ नहीं है विगत् 10-15 वर्षो में हजारों कुए खोदे गये है। अर्थभाव के कारण करीब-करीब कुंए अधूरे पड़े है, सरकार ने कुआ खोदने की राशि 300-00 के करीब प्रति फीट रखी है। चाहे पत्थर हो या मिट्टी यह रकम बहुत ही कम है। जहां तक मिट्टी है वहां तो 380-00 रुपया ही रखा जाना ठीक है, लेकिन पत्थर को खुदाई मे प्रति फीट 1000 रुपये रखा जाये, क्योंकि ब्लास्टींग के बिना यह पत्थर टूटता नहीं है। मैं,

आपके माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आदिवासियों को सीधा-फायदा देना है, तो मात्र यही एक योजना है जिससे उसकी जमीन पर सजल कुंआ हो और यह तभी सम्भव है, जबकि सरकार इन कुंओं का सर्वे कराकर जो अधूरे कुएं बेकार पड़े है उन पर ज्यादा से ज्यादा स्वीकृतियां देकर इन अधूरे कुंओं को पूर्ण कराया जाये।

साथ ही मैं, तो यह भी निवेदन करता हूं कि इस वर्ष अकाल है, अकाल के काम कुओं पर चलाये जायें, और ज्यादा से ज्यादा कुओं की स्वीकृति निकाल कर अकाल राहत कार्य चलाया जाये ताकि आदिवासियों के कुए भी तैयार हो जायेंगे और मजदूरी भी मिल जायेगी। मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि जहां बांध व तालाब हैं वहां कुओं की योजना स्वीकृत नहीं की जायें और जहां तालाब व बांध नहीं है, वहीं कुओं की योजना लागू की जाये, ताकि सूखे क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा सिंचित किया जा सके।

धन्यवाद

[श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)]

डीडवाना (नागौर) के नमक मजदूरों द्वारा उत्पादित नमक की खरीद

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा डीडवाना जिला नागौर में नमक बनाने का कार्य करवाया जा रहा है जिसमें सरकारी भूमि पर नमक उत्पादकों से नमक उत्पादन करवा कर सरकार खरीद कर रही है, परन्तु न तो सरकार समय पर नमक उत्पादकों से नमक खरीद करवा रही है। और ना ही समय पर खरीद किये गये नमक का भुगतान किया जा रहा है। जिससे जो मजदूर लोग नमक बनाने का कार्य कर रहे है उनके सामने भयंकर आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। और नाहीं नमक को सरकार खुले बाजार में नमक उत्पादकों को लेने दे रही है क्योंकि एग्रीमेण्ट के मुताबिक सारा नमक सरकार को ही निश्चित दर पर बेचना पड़ता है।

सरकार और नमक उत्पादकों की बीच हुये विवाद में माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार और नमक उत्पादकों के बीच जो समझौता होकर फैसला हुआ था उस की भी राज्य सरकार पालना नहीं कर रही है। और मनमाने तरीके से नमक उत्पादकों को परेशान किया जा रहा है।

समय पर नमक की खरीद नहीं करना और बकाया राशि का भुगतान नहीं करना बराबर जारी है। आज लाखों रुपये उन मजदूर नमक उत्पादकों का वर्षों से बकाया है।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरीये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करके निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के माफिक इनका नमक समय पर खरीद किया जावें और समय पर खरीद किये गये नमक का भुगतान किया जावें। तथा जो बकाया राशि है। उसका तत्काल भुगतान कराया जायें।

[श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)]

जहाजपुर एवं कोटड़ी पंचायत समिति का पुनर्गठन

महोदय,

सादर निवेदन हैं कि भीलवाड़ा जिले में पंचायत राज्य संस्थाओं के पुनर्गठन में व्याप्त विसंगतियां कुछ अधिकारियों एवं तत्कालीन कुछ जन प्रतिनिधियों की मिली भगत से भेदभाव को जाति वादी दृष्टि भौगोलिक स्थिति आधार भूत सुविधाओं तथा जनसंख्या के विसमता तक को नजर अन्दाज कर गठन किया गया है। इस बाबत नम्न प्रकार से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों ने एतराज किये ज्ञापन दिये मगर सुनवाई के समय उन पर ध्यान न देकर जन भावना के साथ कुठाराघात किया है।

1951 की जनसंख्या के आकड़े प्रशासन के समक्ष उपलब्ध है। और 1981 की जनसंख्या के गठन के बाद वर्तमान में 25–30 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई कई गांव मजरे ढाणी से राजस्व ग्राम बन गये जो अन्य पंचायतों के निकट स्थित है। नाले एवं पहाड़ी रास्तों को देखकर तथा निकट पंचायत अन्य होने पर भी दूर-दूर मिलाया गया, जबकि प्रदेश में कई जगह उतनी अथवा उससे कम जनसंख्या पर दुगनी तथा अधिक पंचायतें गठित की गई, मगर भीलवाड़ा जिले में 1951 की जनसंख्या दुगनी से अधिक होने पर भी मात्र 37 नई पंचायत गठित करना जनता के साथ अन्याय की पराकाष्ठा है। राज्य सरकार पुनरावलोकण कर पुनर्गठन को अन्तिम रूप दे यह आवश्यक है। क्योंकि 339 पंचायतों के बजाय नये पुनर्गठन करके 378 पंचायते पुनर्गठन करा कर मात्र 39 पंचायतें बढ़ायी गई है। जिसमें माडलगढ़ पंचायत समिति में 13 तथा माडल पंचायत समिति में 9 पंचायतें नई गठित करने के अलावा अन्य पंचायत समितियों में मात्र 1 से 4 पंचायत बढ़ाई गई जो विषमता तथा भेदभाव का ध्योतक है।

जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र पं. सं. में 34 के बजाय 37 तथा कोटडी 32 के बजाय 33 पंचायतें गठित कर जनता के साथ न्याय नहीं किया है।

अतः भीलवाड़ा जिले के पुनर्गठन व पुनरावलोकन व विशेषतः जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र की जहाजपुर पं. सं. तथा कोटडी पं. सं. के पुनर्गठन को राजस्थान पंचायत अधिनियम एक्ट की धारा 86 व 86 के अन्तर्गत पुनः विस्तृत जांच व अवलोकन कर 1951 की जनसंख्या के आधार पर नया पुनर्गठन कराया जावे ।

[श्रीमती कमला (बैराठ)]

दैनिक लाटरी तत्काल बन्द करने बाबत

मान्यवर

राज्य सरकार अपनी आमदनी के साधन बढ़ाने के लिये अनेक उपाय करती है और करना भी चाहिए—किन्तु क्या ऐसे उपाय भी मान्य और उचित होंगे जिससे राज्य के अनेक परिवार बरबाद हो रहे हैं तो और सरकारी कार्यों का संचालन ही ठप्प हो रहा हो ।

राज्य में दैनिक खुलने वाली लॉटरी प्रथा ने अनेकों परिवारों को भूखे मरने हालत में ला दिया है और एक निश्चित समय परतो सरकारी कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी भी इसी में लगे हुए मिलेंगे ।

यह बहुत हो चिन्तनीय स्थिति है अतः इसे आज ही से सम्पूर्ण ढंग से बन्द कर देना चाहिये अन्यथा राज्य सरकार प्रदेश की इस दुर्दशा के लिये उत्तरदायी है और वह जनकल्याण का नाम लेने की अधिकारी नहीं ।

[श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)]

खैरथल में पानी की टंकी का निर्माण

महोदय,

अलवर जिले में खैरथल तहसील में एक पानी की टंकी का निर्माण हो रहा था तथा टंकी की छत के टूट जाने के कारण कई मजदूर उसके नीचे दब गए । इसलिए कई बार कहा भी गया कि मैटेरियल अच्छा काम में लिया जाय लेकिन कभी कोई नहीं सुनता, जिसका परिणाम भोगना पड़ रहा है ।

अतः इस लापरवाही के कारण पैसे का नुकसान, आकस्मिक दुर्घटना, तथा समय

पर टंकी का निर्माण नहीं हो पाना और गांवों में पानी की किल्लत रहना, हर प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

दिनांक 20–02–94 को अखबारों में छपी खबरों के अनुसार अलवर जिले के खैरथल तहसील में निर्माणाधीन पानी की टंकी की छत के टूट कर गिर पड़ी इससे सम्बन्धित अधिकारियों व ठेकेदारों के बारे भी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? कृपया मंत्री महोदय बतलावें। खबरों के अनुसार इस घटना में जो ग्यारह मजदूर घायल हुए हैं, उनके इलाज आदि के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? मंत्री महोदय कृपया बतलाने की कृपा करें।

[श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली)]

कोटपूतली के पश्चिमोत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में समुचित मात्रा में पेयजल की उपलब्धि

महोदय,

मैं सदन व सरकार के समक्ष निम्न लोक महत्व के तथ्य सदन में विचारार्थ पेश कर रहा हूं :—

महोदय, विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली का पश्चिमोत्तर भाग (देवता, बनार, बनेठी से लेकर द्वारिकापुरा, दांतिल तक) पूरा पर्वतीय बेल्ट पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है। विशेषकर ढाणियों में बसने वाले लोगों को तो प्रतिवर्ष इस विकट समस्या का सामना करना पड़ता है। गर्मियों में तो इस क्षेत्र की हालत बदतर बन जाती है। ऐसे में सरकार का क्यों कोई दायित्व नहीं बनता? इस संकट से उबारने के लिये क्या सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां तो वह कब तक लागू की जा रही है? आज तक विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रयास किये हैं। उक्त क्षेत्र में पड़ने वाले नदी नालों का पानी रोकर पेयजल समस्या एवं कृषि के लिए स्थाई समाधान हेतु कोई योजना प्रस्तावित है, यदि हां तो सदन को अवगत कराये और नहीं तो क्यों?

सरकार से इस सन्दर्भ में मेरी यह मांग है कि ऐसे समस्त गांवों में पीने का पानी सुलभ कराने हेतु आवश्यक कारगर योजना शीघ्र अमल में लाई जावें। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र से सीता नदी के बीच की ढालू भूमि को पाल या बांधों के पम्प में पर्वतीय वर्षा जल के बहाव को भू रोका जावें जिससे कि जल स्तर ऊंचा उठाने में काफी सहयोग मिल सके। खरीदकर पेयजल संग्रहित करने एवं प्यास बुझाने की इस समस्या जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान की जावें।

[श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)]

लेम्बस उंकाला (कुशलगढ़) के व्यापक द्वारा कन्ट्रोल का अनाज व शक्कर का वितरण नही करने से उत्पन्न स्थिति

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सस्ते अनाज और शक्कर वितरण लेम्बस उंकाला के माध्यम से होता जा रहा है। इस लेम्स के पास दो सेन्टर है जहां पर हर माह शक्कर और अनाज वितरण जनता में राशन कार्ड धारियों को नियन्त्रित वितरण किया जाता है।

लेकिन जनवरी माह में लेम्स के व्यवस्थापक श्री करणसिंह ने बांसवाड़ा निगम से शक्कर और अनाज जनता में वितरण करने के लिए 25-1-94 को 100 क्विण्टल गेहूं और 18 क्विटल 7-2-94 को शक्कर उठाई और जनता में वितरण के लिए कुशलगढ़ नहीं लाया गया और वहीं बांसवाड़ा में ही बेच दिया गया जिससे लोगों में काफी असन्तोष है आगे आज पूरे क्षेत्र में लोक अकाल से पीड़ित है उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार लेम्स व्यवस्था उंकाला द्वारा माह जनवरी की शक्कर और अनाज काले बाजार में बेच देने की जांच कराई जावे एवं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने व उसका लाईसेन्स निरस्त किया जावें।

———

शुद्धि-पत्र

क्रम.स.	स्कम्म संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	1	11	श्री परसी लाल मीणा	श्री परसादी लाल मीणा
2.	5	14	श्री परादीलाल मीणा	श्री परसादी लाल मीणा
3.	49	17	श्री गोिं न्दविह गुर्जर	श्री गोविन्द सिंह गुर्जर
4.	50	6	श्री विजेन्द्र पाल सिह	श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
5.	95	फोलियो	जनवरी	फरवरी
6.	109	1	श्प्रन	प्रश्न
7.	125	28	(चित्तोडगढ़	(चित्तौडगढ़)
8.	157	1	परीक	पारीक
9.	185	फोलियों	फरबरी	फरवरी
10.	209	1	बडानिया	बुडानिया
11.	218	4	भेघवाल	मेघवाल
12.	228	2	मेघबाल	मेघवाल
13.	217	1	श्री हृरिसिंह	श्री हरिसिंह
14.	235	11	(श्री राजेन्द्र पारीक)	(श्री कैलाश मेघवाल)